लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

Third Session

Preservation ... Parliament Library
18-9-92

6th Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 105 (2)
Date 15-12-77

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II. contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

अंक 15, मंगलवार, 6 दिसम्बर 1977/15 अग्रहायण, 1899 (शक)

No. 15, Tuesday, December 6, 1977/Agrahayana 15, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 285, 286 288 से 290, 295 और 296	Starred Questions Nos. 285, 286, 288 to 290, 295 and 296	1—17
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 4	SHORT NOTICE QUESTION NO. 4	17—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 287, 291 से 294 और 297 से 304	Starred Questions Nos. 287, 291 to 294 and 297 to 304.	21—27
अतारांकित प्रश्न संख्या 2669 से 2810 और 2812 से 2867	Unstarred Questions Nos. 2669 to 2810 and 2812 to 2867.	27—152
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	152
नियम 377 के अधीन मामलों के बारे में	Message from Rajya Sabha .	155
राज्य सभा के संदेश	Re: Matters under rule 377	155
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की और ध्यान दिलाना	Calling Attention to a matter of Urgent Public Importance . . .	155
बड़ौदा में हैवी वाटर संयंत्र में विस्फोट का समाचार	Reported explosion in the Heavy Water Plant in Baroda. . . .	155
श्री अनन्त दवे	Shri Anant Dave . .	155
श्री मोरार जी देसाई	Shri Morarji Desai . .	155
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy . .	156
श्री जी० एम० बनतवाला	Shri G. M. Banatwala . .	157
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . . .	158
ध्यानाकर्षण सूचनाओं के बारे में उद्घोषणा	Announcement Re. Calling Attention Notices	158
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	
35 वाँ प्रतिवेदन	Thirty fifth Report . . .	159
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन के बारे में वक्तव्य	Statement re: Restructuring of Oil and Natural Gas Commission . .	160
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna . . .	160

किसी नाम पर अंकित यह† इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign† marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
रेल बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में वक्तव्य	Statement re. Restructuring of Railway Board	162
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	162
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	Matters under rule 377	163
(1) राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के बारे में कर्नाटक सरकार की असमर्थता	(1) Reported failure of Karnataka Government to maintain law and order in the State	163
(2) वाराणसी में साम्प्रदायिक दंगों की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्यायिक आयोग की नियुक्ति	(2) Appointment of a Judicial Commission by U. P. Government to inquire into riots in Varanasi	165
(3) पंडित नेहरू और महात्मा गाँधी के बारे में प्रकाशित पुस्तकों में उन्हें अपमानित करने के प्रयास	(3) Publication of Books on Pandit Nehru and Mahatma Gandhi and attempts at denigrating	
बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक	Payment of Bonus (Amendment) Bill	168
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	168
श्री बृज भूषण तिवारी	Shri Brji Bhushan Tiwari	168
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	168
दक्षिणी राज्यों में हाल में आये समुद्री तूफानों और बाढ़ों के बारे में प्रस्ताव वापिस लिया गया—	Motion re. Recent Cyclones and Floods in the Southern States—Withdrawn.	169
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	169
श्री पी० के० कोडियान	Shri P. K. Kodiyan	171
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	172
श्री विजय कुमार मल्होत्रा	Shri Vijay Kumar Malhotra	174
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	175
श्री सरत कार	Shri Sarat Kar	176
श्री वी० अरुणाचलम	Shri V. Arunachalam	176
श्री आर० वेंकटारमन	Shri R. Venkataraman	178
श्री गंगा सिंह	Shri Ganga Singh	179
श्री एम० कल्याणसुन्दरम	Shri M. Kalyanasundram	179
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin.	180
श्रीमती अहिल्या पी० रंगनेकर	Smt. Ahilya P. Rangnekar	182
श्री पी० एम० सईद	Shri P. M. Sayeed	182
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiha	184
श्री कुमारी अनन्तन	Shri Kumari Ananthan	184
श्री सी० सुब्रहमण्यम	Shri C. Subramaniam	185
श्री नागेश्वर राव मेदुरी	Shri Nageswara Rao Meduri	185
श्री सी० एन० विश्वनाथन	Shri C. N. Visvanathan	186
श्री एन० कुदन ताई रामलिंगम	Shri N. Kudanthai Ramalingam	186
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala..	187

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार 6 दिसम्बर 1977/15 अग्रहायण 1899 (शक)
Tuesday, December 6, 1977/Agrahayana 15, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met on Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS QUESTIONS

Shri Ramji Lal Suman (Firozabad) : On a point of order, Sir.

Mr. Speaker : Not now. Let it be at 12 O'clock.

Shri Ramjilal Suman : My point of order is this that the literature use get from the Parliament and replies given by the hon'ble Minister should be bilingual. The Prime Minister has given answer to one of my written question No. 4063 pertaining to Ministry of Transport and Shipping in English and not in Hindi. The Minister of Home Affairs has also given reply to Question No. 4212 in English and not in Hindi. Babu Jagjivan Ram has also given reply to Q. No. 557 in English. Ministry of Health which is well known for working in Hindi has also sent reply to Q. No. 742 in English and not in Hindi. The Minister of External Affairs has also done so. I, therefore submit that hon'ble Minister should always keep in mind that all members here do not know English. Some persons know Hindi and some know English. Therefore both the languages should be used and replies given should be in Hindi as well as in English.

केरल के तट दूर क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सर्वेक्षण

*285. **श्री पी० के० चोडियान***

श्री जार्ज मैथ्यू :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने केरल के तट दूर क्षेत्र में तेल निक्षेप खोजने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) केरल समुद्र-तट के कुछ भागों सहित अरब सागर से महा-द्विपीय मग्नतट को टोहलने के लिये वर्ष 1964 और

1973 में व्यापक सर्वेक्षण किये गये थे । केरल समुद्र तट के अन्दरूनी कसरगाड दूर स्थल में इस वर्ष के शुरू-शुरू में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भू-कम्पीय सर्वेक्षण किये गये थे । पिछले दो महीनों में केपकामरिन से कालीकट तक के साथ-साथ केरल अपतट मग्नतट वाले क्षेत्र में टोही सर्वेक्षण किये जा चुके हैं । इन दो क्षेत्रों को मिलाने के लिये क्षेत्रीय भू-कम्पीय पार्श्वगत रेखाचित्र भी तैयार किये गये हैं । कासरगाड से दूर के स्थानों के एकत्रित भू-कम्पीय आँकड़े की प्रारम्भिक प्रतिपादन सम्बन्धी व्याख्या को अभी हाल ही में पूरा कर लिया गया है ।

श्री पी० के० कोडियन : क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि क्या भूकम्पीय सर्वेक्षण की प्रारम्भिक व्याख्या से. जो पहले ही पूरा हो चुका है, इस क्षेत्र में तेल मिलने की सम्भावना के संकेत मिले हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इसी आशा से हमारा कुछ स्थानीय छिद्रण (ड्रिलिंग) कराने और इस क्षेत्र विशेष का गहराई में भूकम्पीय सर्वेक्षण कराने का विचार है ।

श्री पी० के० कोडियन : वर्ष 1964 में ही सर्वेक्षण कर लिया गया था । अब मंत्री महोदय ने यह कहा है कि इस वर्ष के आरम्भ में केरल समुद्र तट से दूर कासरगोड में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भू-कम्पीय सर्वेक्षण किये थे । महोदय. एक योजना जो 1964 में आरम्भ की गई थी, उसमें इतना अधिक समय लगता जा रहा है । सरकार को तटदूर क्षेत्र में तेल का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण करने में कितना समय लग गया है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सरकार को इसका अध्ययन पूरा करने में अभी कितना समय और लगेगा विशेषकर जब अशोधित तेल के आयात पर अत्यधिक विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है । इस मामले की अविलम्बनीयता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार सर्वेक्षण के कार्यक्रम को शीघ्र पूरा करेगी और कासरगोड तटदूर क्षेत्र में छिद्रण कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा ? छिद्रण कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की आशा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा : महोदय. मैंने इतना कहा था कि सरकार विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रत्यक्षतः इस निष्कर्ष पर पहंची है कि यदि किसी समय भूकम्पीय सर्वेक्षण के बारे में अन्तिम विचार का पता चल जाये तब छिद्रण के लिये स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती हैं । यह सच है कि यह जाँच विशेष वर्ष 1963-64 में की गई थी परन्तु तेल के लिये खोज के प्रश्न पर केरल के पश्चिमी तट को विशेष स्थान दिया गया है । इस बीच जर्मनी का एक विशेषज्ञ आया था जिसने कहा था कि महाद्वीपीय मग्नतट अथवा अन्दरूनी क्षेत्रों में तेल मिलने की कोई सम्भावना नहीं है । फिर सरकार का विचार अपने पैर फैलाने का नहीं है परन्तु भावनात्मक दृष्टि से और इस सम्भावना से कि केरल तट पर शायद तेल है, हम इस के लिये गहराई में भू-कम्पीय कार्य कराने के लिये एक जहाज किराये पर लेकर यह काम कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम ने एक दिन भी व्यर्थ गंवाया है। अनेक प्रयास किये गये हैं । परन्तु उपलब्ध आँकड़ों से अब तक किसी पूर्ण बात का पता नहीं चला । इसलिय भूकम्पीय सर्वेक्षण के लिये एक जहाज किराये पर लेकर इस बात का पता लगाने का एक और प्रयास किया जा रहा है कि क्या छिद्रण तथा अन्य चीजों के लिये इस स्थान का उपयोग करके अग्रेतर कार्य करना आवश्यक और सम्भव है ।

श्री जार्ज मैथ्यू : सरकार ने वर्ष 1963 और फिर 1973 में भू-कम्पीय सर्वेक्षण किये थे । भू-कम्पीय सर्वेक्षण और गहराई में छिद्रण करने के लिये हमारे पास कितने जहाज हैं । चूंकि विदेशी मुद्रा की स्थिति अच्छी है, सरकार विदेशों से अधिक उपकरण क्यों नहीं खरीद लेती ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : एक जहाज तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का है जो बम्बई तटदूर क्षेत्र के गहन अध्ययन के काम में प्रयोग किया जा रहा है जहाँ पर तेल तथा गैस की सम्भावनाएं पहले

ही प्रमाणित हो चुकी हैं। इसलिये हम इस बात का पता लगाने के लिये पहले वहाँ के पूर्ण क्षेत्र की जाँच कर लेने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या कहीं और तेल मिल सकता है जिससे हमें बाद में बम्बई हाई क्षेत्र की पुनः जाँच न करनी पड़े। इस लिये हमारा 'नेशन' उस ओर व्यस्त है। इसी लिये जहाज किराये पर लेने की आवश्यकता पड़ी है और केरल तटदूर को सरकार कितनी प्राथमिकता देती है यह बताने के लिये भी जहाज किराये पर लेने की आवश्यकता पड़ी है।

अध्यक्ष महोदय : वह पूछ रहे हैं कि क्या आप एक अन्य जहाज लेंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : नहीं, जी। उन्होंने पूछा था कि क्या हम एक और जहाज खरीदेंगे। हम और कोई जहाज नहीं खरीदेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। परन्तु जहाजों को किराये पर आसानी से उपलब्ध किया जा सकता है जो हमारा काम कर सकते हैं। हमारा विचार एक जहाज किराये पर लेने का है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कोई और जहाज खरीदने का विचार नहीं है। वर्तमान में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जहाज खरीदे जाने की कोई तत्काल सम्भावना नहीं है।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1973-74 में तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्रों का एक भूकम्पीय सर्वेक्षण किया था। उन्होंने वहाँ पर अनेक छिद्रण भी किये थे। इन सर्वेक्षणों और छिद्रणों का क्या परिणाम निकला है? क्या सरकार ने उन क्षेत्रों में और छिद्रण करने के लिये कोई कार्यवाही की है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यद्यपि इस प्रश्न का वर्तमान प्रश्न से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि अब तक का परिणाम शून्य रहा है। परन्तु हमने अभी उम्मीद छोड़ी नहीं हैं। हमने प्रस्ताव रखा है कि किराये पर लिया गया यह जहाज कावेरी क्षेत्र में भी भूकम्पीय सर्वेक्षण करेगा।

नई औषध नीति

*286. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

[श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार औषधियों के सम्बंध में एक नई नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें और उद्देश्य क्या हैं?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) बहुगुणा :(क) और (ख) हाथी समिति की सिफारिशों के आधार पर एक नई औषध नीति तैयार की जा रही है। इस सम्बंध में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिये जाने की आशा है। नई नीति निर्धारित करने में सरकार ने जो मुख्य-मुख्य सिद्धांत और उद्देश्य ध्यान में रखे हैं, वे निम्न प्रकार हैं :—

(1) लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त औषधों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना ;

(2) आयात की मात्रा को घटाने के लिए कुछ वर्षों में औषध उत्पादन के क्षेत्र में आत्म निर्भरता का लक्ष्य बनाना :

(3) औषध टैकनालोजी में आत्म-निर्भरता बढ़ाना :

(4) औषधों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना :

(5) जो फर्में अनुसंधान के विकास कार्य में लगी हुई हैं, उनको विशेष प्रोत्साहन देना :

(6) भारतीय क्षेत्र के विकास को बढ़ाना और प्रोत्साहन देना :

(7) सरकारी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करना :

(8) इस सम्पूर्ण उद्योग को नियंत्रित करने, नियमित करने और उसका नवीकरण करने के लिए अन्य पैरामिटर प्रदान करना :

(9) उत्पादन की किस्म पर कड़ी निगरानी रखना और उसमें मिलावट तथा भ्रष्टाचार को रोकना।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने और सरकार ने औषध सप्लाई में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं इस सम्बन्ध में हाथी समिति की सिफारिशों के बारे में प्रश्न की पृष्ठ भूमि बताना चाहूंगा। 8 फरवरी, 1974 को एक संकल्प पारित करके इस समिति की नियुक्ति की गई थी। इस समिति का प्रतिवेदन सरकार को 7 अप्रैल, 1975 को मिल गया था। वर्ष 1977 तक, जब हमने सत्ता सम्भाली, इस पर कोई कर्यवाही नहीं की गई। 30 अप्रैल, 1977 को जब मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला तब से हम इस पर कार्यवाही कर रहें है। मैंने स्वयं इस समूचे मामले पर विचार किया है। स्पष्टतः मैंने सारी स्थिति का अध्ययन किया और फिर मैंने सभी उद्योगपतियों, निर्माताओं, वितरकों, औषध और भेषज विक्रेताओं, दी इंडियन मेडिकल ऐसोसिएशन के साथ परामर्श किया है। अन्तर्राष्ट्रीय औषध निर्माताओं के प्रतिनिधि भी मुझ से मिले थे। मैंने उनके साथ अनेक बार बातचीत की। उदाहरणार्थ भेषज और औषध विक्रेताओं से दो बार बातचीत हुई, अन्तिम बार गत नवम्बर में बातचीत हुई थी। हमने समिति की एक प्रकार की अन्त-र्संचिवालय बैठकें की है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब से मैं इस मंत्रालय में आया हूं, मैंने इस मामले की उच्चप्राथमिकता दे रखी है। मैंने आते ही इस मामले पर विचार आरम्भ कर दिया है। ईश्वर ने चाहा तो इस वर्ष के अन्त तक यह काम पूरा हो जायेगा। यदि मैं यह कहूं कि सरकार करना चाहती है तो मंत्रिमंडल के निर्णय करने का अधिकार हथियाने के बराबर होगा जो मैं नहीं कर सकता।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा था कि क्या ठोस कदम उठाये गये हैं.....

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने बता दिया है बशर्ते कि आप उसे अपर्याप्त समझें।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री और देश को इस बात की जानकारी है कि बहुराष्ट्रीय निगम जो हमारे देश में औषध-निर्माण का कार्य करते है, बहुत लाभ कमा रहे हैं और वे ही वर्तमान मूल्य प्रणाली के कारण मूल्य वृद्धि के लिये जिम्मेदार हैं। क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि बहु राष्ट्रीय निगमों के पंजे से कैसे निकला जा सकता है और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस निर्णय किया गया है या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? हाथी समिति की सिफारिश बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा :

(एक) कि यह सरकार किसी ऐसी व्यवस्था राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय अथवा किसी अन्य व्यवस्था को प्रश्रय नहीं देगी जिससे गरीब और बीमार आदमी का शोषण हो सकता हो।

(दो) हमें इस सम्बन्ध में मुख्य रूप से विचार करना है कि बहुराष्ट्रीय फर्में इस देश में अपने अस्तित्व को उचित सिद्ध करती हैं या नहीं। और इस बात की जाँच यह पता लगा कर की जा सकती है कि उन्होंने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान दिया है या नहीं, क्या उन्होंने औषधियों के मूल उत्पादन में योगदान दिया है कि नहीं, आदि आदि। परन्तु यद्यपि मैं यह नहीं कह सकता कि उनका भविष्य में क्या होगा क्योंकि भविष्य की बात तो भविष्य में पता चलेगी परन्तु भविष्य अब निकट ही है क्योंकि मंत्रिमंडल इस समूचे मामले पर कभी भी विचार कर सकता है

Shri O. P. Tyagi : I would like to know whether hon'ble Minister is aware that foreign compaines in India are looting the people in the name of medicines of international brand and selling them on high premium arbitrarily in India? Whether Government is contemplating any steps to save the people from this exploitation?

Shri H. N. Bahuguna : The Cabinet will soon take a definite decision in this regard to remove all sorts of difficulties and undesirable situation prevailing in this industry. I may assure the hon'ble Member that question of brand names is also receiving our attention and a decision is likely to be taken soon... (*Interruptions*).

श्री क० गोपाल: क्या मंत्री महोदय को पता है कि ये औषध कम्पनियां चाहे वे भारतीय हैं या विदेशी हैं 300 से 400 प्रतिशत तक लाभ अर्जित कर रही हैं जिसका मुख्य कारण ऊपरी खर्च है जो वे करते हैं और क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव है जिससे ये फर्में मानकीकृत औषधियां बनायें जिससे उनमें अनुचित प्रतिस्पर्द्धा न हो। पेनिसिलीन तो पेनिसिलीन ही है चाहे वह गलैक्सो कम्पनी की हो या किसी अन्य फर्म की हो। अतः क्या औषधियों का मानकीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : श्री त्यागी ने भी यही प्रश्न उठाया था और मैं ने उसका उत्तर दिया है कि इस प्रश्न पर सरकार निर्णय करने वाली है। सरकार इस मामले पर निरन्तर विचार कर रही है। हमारा प्रयत्न यही है कि कम से कम समय में इस मामले पर विचार करके निर्णय ले लिया जाये और अब यह मामला मंत्रिमंडल के विचारार्थ भेजा जा रहा है और केवल मंत्रिमंडल ही यह निर्णय कर सकता है कि आम/नाम रखे जाये या 'ब्रैंड' नाम चलते रहें।

जहां तक लाभ अर्जित करने का सम्बन्ध है, यह कहना ठीक नहीं कि मार्कीट में बेची जाने वाली प्रत्येक औषधि पर 300 से 400 प्रतिशत तक लाभ अर्जित किया जा रहा है। यह सच है कि कुछ औषधियों में बहुत अधिक लाभ कमाया जा रहा है परन्तु कुछ में ऐसा नहीं है। मूल्य नीति के सम्बन्ध में हाथी समिति की सिफारिशों पर सरकार ने अभी निर्णय लेना है।

डा० वसन्त कुमार पंडित : हाथी समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये तीन वर्ष बीत चुके हैं और नई सरकार की नीति आयुर्वेदिक औषधियों को प्रोत्साहित करने की है। आयुर्वेदिक औषधियों के विकास में मुख्य बाधा किसी भेषज ग्रन्थ का न होना और आयुर्वेदिक औषधियों का मानकीकरण न किया जाना है। यह काम बहुत बड़ा है और केवल सरकार ही इसे कर सकती है तो क्या सरकार इस ओर अधिक रुचि लेगी ?

अध्यक्ष महोदय: हमें मुख्य प्रश्न तक ही सीमित रहना चाहिये।

डा० वसन्त कुमार पंडित : जहां तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सम्बन्ध है, लीवर ब्रदर्स जैसी कुछ कम्पनियां हैं जो अपने लाभ का अधिकांश भाग आयात की जाने वाली औषधियों के स्थान पर देशी औषधियों के आधार का पता लगाने के लिये अनुसंधान में खर्च करती है। क्या सरकार अन्य चार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भी इसी प्रकार की नीति का अनुसरण करने पर विवश करेगी ?

अध्यक्ष महोदय: वह इस पर विचार करेंगे ।

श्री यशवन्त बोरोले: विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन कुछ कम्पनियों से कहा गया था कि वे अपने विदेशी शेयरों को 40 प्रतिशत तक कम कर दें । कितनी कम्पनियों ने ऐसा किया है? यदि नहीं, तो क्या उनके विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस पहलू पर मेरे सहयोगी वित्त मंत्री विचार कर रहे हैं । वह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदार हैं । जहां तक औषध उद्योग का सम्बन्ध है, मैं इतना कह सकता हूं कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की क्रियान्विति का समूचा मामला अभी अनिर्णीत पड़ा है क्योंकि हाथी समिति की सिफारिशों के आधार पर ही इन कम्पनियों के भविष्य के बारे में निर्णय किया जावेगा। इसलिये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की क्रियान्विति उन सब बातों पर निर्भर करेगी।

श्री वसन्त साठे: हाथी समिति की एक मूल और प्रमुख सिफारिश यह थी कि पिछले वर्षों में जो शोषण हो रहा था वह मुख्यतया इस बात के कारण था कि बहुराष्ट्रिकों ने मूल औषधि बनाने से इनकार कर दिया था और वे केवल "फामूलेशनों" के मामले में शोषण करते हैं । न केवल दवाइयों के "फार्मूलेशनों" में अपितु तथा कथित टॉनिकों और गैर-प्राथमिकता तथा गैर-आवश्यक वस्तुओं, जो औषधियों की श्रेणी में नहीं आती हैं, पर उनका विज्ञापन देकर लाभ कमाया जाता है । इसीलिये सर्व-सम्मति से सिफारिश की गई थी कि औषध उद्योग की इन विदेशी कम्पनियों का अर्जन किया जाये और उनका राष्ट्रीकरण किया जाये तथा (क) सरकारी क्षेत्र को एवं (ख) राष्ट्रीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाये और वह राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण के नियन्त्रण में हो ।

अध्यक्ष महोदय: क्या अब हम प्रश्न पर आयें ?

श्री वसन्त साठे: इन क्रियात्मक सिफारिशों पर सरकार का क्या रवैया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : माननीय सदस्य ने हाथी समिति की जिस विशेष सिफारिश का उल्लेख किया है उसके बारे में हमारा रवैया राष्ट्र के रचनात्मक हित में काम करने का है.....

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत व्यापक उत्तर है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा: मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है कि इन बातों के बारे में मैं किसी निर्णय की घोषणा करने की स्थिति में नहीं हूं । जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह सरकार.....

श्री वसन्त साठे: हमें सरकार के रवैये के बारे में बताया जाये । आप प्रगतिशील हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : श्री साठे बहुत प्रगतिशील रहे हैं परन्तु वह अपने सारे प्रगतिवाद, जिसे मैं भी जानता हूं के साथ पिछली सरकार को इस विशेष सिफारिश को अलमारी में से निकालने के लिये पूरे दो साल तक जोर देकर नहीं कह सके और वह मुझे एक मिनट का भी समय नहीं दे रहे हैं। जो कुछ मैं कहता हूं वह यही है कि मैं इस बात के लिये पूर्णतया उनके साथ हूं कि बहुराष्ट्रिक किसी भी ढंग से इस देश में बाधा न डालें । इस बात पर मैं उनके साथ हूं ।

बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-कैमिकल्स लिमिटेड में नेफ्था क्रेकर यूनिट।

*288. **श्री सुरेन्द्र विक्रम**: क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-कैमिकल्स लिमिटेड में नेफ्था क्रेकर यूनिट अस्वीकृत कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) बोंगाई गाँव रिफाइनरी और पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड में नेफ्था क्रेकर यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं था।

Shri Surendra Bikram : What are the conditions for setting up Naphtha Cracker Unit ?

Shri H. N. Bahuguna : The condition is that the consumption should cope with the production capacity and the requisite raw material for the production capacity should be available.

Shri Surendra Bikram : How many of its units are there in the States and the location thereof ?

Shri H. N. Bahuguna : At present, there are two small aromatic units in Maharashtra. One of them is Naphta Cracker at Baroda which is under the Indian Petro-Chemicals Limited and is in the public sector.

श्री पूर्ण सिन्हा : यह बताया गया है कि बोंगाई गांव रिफाइनरी तथा पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड एवं गोहाटी रिफाइनरी में नेफ्था एक मुख्य उत्पाद है । यह नेफ्था डाउन-स्ट्रीम उद्योगों के लिये कच्चे माल के उत्पादन के लिये आवश्यक है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या बोंगाईगांव और गोहाटी तेलशोधक कारखानों में उत्पादित नैफ्था इस आयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा: गोहाटी और बोंगाईगांव तेलशोधक कारखानों में उपलब्ध कुल नैफ्था क्रैकर की आर्थिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं है । दूसरे, एरोमैटिक संयंत्र के लिये भी, जो वहां लगाया जा रहा है और जिससे बहुत से 'डाउन स्ट्रीम' एकक पनप रहे हैं, हमें गौहाटी के नैफ्था को बोंगाई गांव लाना पड़ता है । बोंगाईगांव और गोहाटी के नैफ्था से एरोमैटिक सयंत्र, लगाने की संभावना हुई है जिसे वहां लगाने का निर्णय हो चुका है और कार्य जारी है । 1979 तक बहुत सी बातें सामने आयेंगी ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : नैफ्था रासायनिक उर्वरकों का मूल पदार्थ है । मैं जानना चाहता हूं कि इसे कहां तक उपयोग में लाया जाता है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : नैफ्था का उर्वरकों के उत्पादन में भी उपयोग किया जाता है और आज जितना यह उपलब्ध है, हम नैफ्था को उर्वरक उद्योग के लिये मूल पदार्थ के रूप में काम में ले रहे हैं ।

सौराष्ट्र में चलने वाली गाड़ियों में डीजल इंजन लगाना

*289. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के समूचे सौराष्ट्र क्षेत्र में चलने वाली रेल गाड़ियों में डीजल इंजन लगाने और अनेक गाड़ियों की गति बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब और कैसे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री मधु दण्डवते) : (क) से (ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मीटर लाइन के डीजल रेल इंजन समिति संख्या में उपलब्ध हैं, सौराष्ट्र क्षेत्र में किसी सवारी गाड़ी को डीजल रेल इंजन से चलाने का प्रस्ताव नहीं है । पहली अक्तूबर, 1977 से यात्री ले जाने वाली 13 गाड़ियों के चालन-समय में 15 से 50 मिनट तक की कमी की गयी थी ।

श्री पी० जी० मावलंकर : यद्यपि मैं मंत्री महोदय को संक्षिप्त उत्तर देने के लिये बधाई देता हूं तथापि मुझे खेद है कि यह बहुत ही खेदजनक उत्तर है क्योंकि गत अनेक वर्षों से यह समस्या रेल मंत्री के समक्ष आई है अथवा चाहे कोई भी हो, यह समस्या सौराष्ट्र में डीजल से गाड़ियां चलाने और उनकी गति बढ़ाने के प्रश्न के बारे में बार-बार सामने आई है । इस सबको ध्यान में रखते हुए क्या मैं मंत्री महोदय से विशेष रूप से पूछ सकता हूं, जबकि वह यह कहते हैं कि "मीटर लाइन के डीजल रेल इंजन सीमति संख्या में उपलब्ध हैं ।" भारत में इस समय मीटर लाइन के डीजल रेल इंजन कितने हैं और उनका किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है तथा सौराष्ट्र क्षेत्र, जहां इतनी अधिक रेल लाइनें हैं, को आज तक पूर्णतया क्यों उपेक्षित है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने संक्षिप्त उत्तर इसलिये दिया था कि मैं अनुपूरक प्रश्नों के लिये भी कुछ सामग्री छोड़ना चाहता था ।

जहां तक 1976-77 के कार्यकरण का सम्बन्ध है, उस समय 13 मीटर लाइन के डीजल रेल इंजन थे । मैं यह संख्या 10 जमा 3 बताऊंगा क्योंकि 10 देश में उपभोग और उपयोग के लिये है तथा 3 निर्यात के लिये । वर्ष 1977-78 के दौरान स्थिति यह है कि मीटर लाइन के 22 डीजल रेल इंजन हैं--14 देश में उपयोग के लिये तथा 8 निर्यात के लिये । उन्होंने प्रश्न के (घ) भाग में पूछा कि इन सभी उपलब्ध इंजनों में से अन्य लाइनों के लिये कितने इंजन उपलब्ध कराये गये हैं । यदि वह जानना चाहें तो मैं उन 8 लाइनों के नाम दे सकता हूं । वे हैं :--गौहाटी-सिल्चर बारक वैली एक्सप्रैस; गोरखपुर और लखनऊ के बीच वैशाली एक्सप्रैस; दिल्ली-जोधपुर मेल; दिल्ली-जयपुर पिंक सिटी एक्सप्रैस; मीरज-बंगलौर महालक्ष्मी एक्सप्रैस; मद्रास-एग्मोर वैगाई एक्सप्रैस; लखनऊ और गोरखपुर के बीच गौहाटी-लखनऊ एक्सप्रैस; और सिलीगुड़ी-गौहाटी; तथा लखनऊ और गोरखपुर के बीच कानपुर-बरौनी एक्सप्रैस ।

ये क्षेत्र हैं और ये गाड़ियां हैं जिनके लिये वर्तमान इंजनों का उपयोग किया गया है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने यह ब्यौरा दिया है । इससे मेरे अनुरोध सुझाव और तर्क को बल मिलता है । जब उन्होंने उन मीटर लाइनों पर ये इंजन लगाये हैं जहां बहुत अधिक यात्री यात्रा करते हैं तो क्या उन्हें ज्ञात नहीं है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में भी बहुत अधिक यात्री यात्रा करते हैं ? इसलिये अगली बात और मेरा दूसरा प्रश्न है कि इतनी अधिक रेल लाइनों में काफी अधिक समय लग जाता है और कभी-कभी 30-40 किलोमीटर की थोड़ी सी दूरी के लिये घंटों लग

जाते हैं । अतः लोगों को कारों अथवा हेलीकोप्टरों से यात्रा करनी पड़ती है । केवल मंत्री और सरकारी नेता ही ऐसा कर सकते हैं । हम ऐसा नहीं कर सकते । इस धीमी गति वाली गाड़ियों से लोग कैसे जा सकते हैं जबकि उन्हें प्रतिदिन जाना पड़ता है और न केवल सैकड़ों अपितु वे महीनों और वर्षों में लाखों की संख्या में यात्रा करते हैं ? अतः प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए मुझे यह प्रश्न पूछना है । मेरे मित्र ने कहा है कि गाड़ियों की गति 15 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा दी गई है परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि ऐसा करने से सौराष्ट्र क्षेत्र में वास्तव में इतने असामान्य विलम्ब और इतने लम्बे समय में कैसे कमी होती है जहां हमें पेय जल, चाय, बिस्कुट आदि की साधारण सुविधाओं के बिना गाड़ियों में घंटों तक यात्रा करनी होती है ? इस बात की ओर ध्यान देकर गाड़ियों की गति क्यों नहीं बढ़ाई जाती ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का भाग वार उत्तर दूंगा । जहां तक यात्रियों की संख्या का सम्बन्ध है, जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, 23-24 सोमनाथ एक्सप्रैस और 35-36 मेहसाना--पोरबन्दर कीर्ति एक्सप्रैस में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या इस प्रकार है । सभी आंकड़ों से पता चलता है कि जहां तक पहली गाड़ी का सम्बन्ध है, 17 या 16 डिब्बों के बावजूद उनमें यात्रा करने वालों का अनुपात 44 प्रतिशत और 82 प्रतिशत के बीच है और कीर्ति एक्सप्रैस में यह अनुपात 32 और 135 प्रतिशत के बीच है ।

अब गति के बारे में बताता हूं । जब डीजल इंजन लगाये जायेंगे विशेषकर मीटर लाइन के मार्ग पर, तो यह आवश्यक है कि उस मार्ग से कुछ शर्तें पूरी हों ताकि यह कुछ भार उठा सके । डीजल इंजनों द्वारा जो सापेक्ष भार उठाया जा सकता है उसके सम्बन्ध में हमारे अनुसंधानों से पता चलता है कि इस कार्य के लिये वर्तमान मीटर लाइन उपयुक्त नहीं है और यदि हम उन्हें सामान्य गति से चलायेंगे तो खतरनाक होगा । अतः यदि वर्तमान मीटर लाइन के मार्ग पर अपने भारी वजनों के साथ डीजल इंजन लगाये गये तो उनकी वर्तमान गति जो 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, को बहुत अधिक कम करना पड़ेगा । मार्गों की इस समय जो हालत है उसी हालत में यदि डीजल इंजन चलाये गये तो सुरेन्द्रनगर-भावनगर एक्सप्रैस जैसी गाड़ियों, जिनकी इस समय 65 से 75 किलोमीटर की गति है, को कम करके 50 किलोमीटर करना पड़ेगा । अहमदाबाद-बोटद एक्सप्रैस की गति को कम करके 50-65 किलोमीटर करना पड़ेगा और राजकोट-वेरावल एक्सप्रेस की गति को कम करके 50 से 65 किलोमीटर तक करना पड़ेगा तथा मेहसाना-ओरवा एक्सप्रैस की गति को भी कम करके 50 से 75 किलोमीटर तक करना पड़ेगा । राजकोट-भक्तिनगर और सुरेन्द्रनगर-जोरावर नगर एक्सप्रेस की गति को भी कम करके 50 से 75 किलोमीटर तक करना पड़ेगा । इसका मतलब यह हुआ कि इस मार्ग पर डीजल इंजन चला कर हम गति में सुधार करने के बजाय उसे उस अनुपात में कम करेंगे जो में बता चुका हूं । यात्रा का समय बढ़ जायेगा और अन्ततोगत्वा समय भी कम हो जायेगा । अतः इसके परिणाम को देखते हुए हमने वहां डीजल इंजन नहीं चलाये हैं ।

अब मैं प्रश्न के अंतिम भाग के बारे में बताता हूं । इसके लिये विकल्प का पता लगाने के लिये हमने जो कुछ निर्णय किया है वह यह है कि यदि मीटर लाइन के मार्ग की हालत डीजल इंजन चलाने के अनुकूल नहीं है तो हम उन्हें बड़ी लाइन में बदलना चाहेंगे । हम वेरावल-पोरबन्दर लाइन को बड़ी लाइन को बदलने का निर्णय कर चुके हैं और कार्य जारी है । यदि धन उपलब्ध हुआ तो मार्च, 1981 तक यह कार्य पूरा होने की आशा है, यह सुनिश्चित करने की हमारी भरसक कोशिश होगी कि कार्य जल्दी हो । एक बार यह बड़ी लाइन में बदल दी गई तो उस पर डीजल इंजन भी चलाये जा सकेंगे और मार्ग की सुरक्षा को किसी खतरे के बिना गति भी बढ़ाई जा सकेगी । महोदय, कृपया यह रिकार्ड कीजिए कि वह संतुष्ट हैं ।

Shri Lalji Bhai : May I know as to what was the number of diesel locomotives in 1975-76 which were operative? How many diesel loco-motives will be introduced by 1980? Will the steam locomotives which were lying idle between 1971 and 1975, be replaced by diesel loco-motives?

Prof. Madhu Dandavate : 13 metre-gauge diesel locomotives were manufactured in 1976-77. We have decided to manufacture 22 metre-gauze diesel locomotives in 1977-78. Planning for 1980 has not been made. I shall give the information, regarding the number of diesel locomotives to be manufactured in future, later on. So far as the question regarding steam locomotives is concerned, that requires a separate notice as it does not fall within the purview of this question.

श्री आर० के० अमीन : मंत्री महोदय को यह भली भांति विदित है कि उनके पहले के मंत्री श्री पुनाचा ने 8 वर्ष पूर्व इस सभा में आश्वासन दिया था कि दिल्ली और अहमदाबाद के बीच डीजल इंजन उपलब्ध होंगे और गाड़ियां तेज गति से चलेंगी तथा यह दूरी 16–17 घंटों में पूर्ण की जायेगी क्या उन मंत्री महोदय ने इस बात पर विचार किये बिना ही कि यह मार्ग उपयुक्त है या नहीं, यह आश्वासन दिया था ? इसके अतिरिक्त जिक सिटी एक्सप्रेस और जोधपुर मेल की गति के बारे में क्या कहते हैं ? दूसरे, सौराष्ट्र क्षेत्र में विलम्ब अथवा धीमी गति का एक कारण यह है कि बहुत ज्यादा डिब्बे-लगभग 17 डिब्बे, ओखा और पोरबंन्दर जैसे दूरवर्ती स्थानों के लिये लगाए जाते हैं । मंत्री महोदय गाड़ियों को इस ढ़ंग से क्या मिलाते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय सदस्य ने न केवल प्रश्न का ही अतिक्रमण किया है अपितु उन्होंने भूगोल का भी अतिक्रमण किया है । यह प्रश्न विरोध रूप से सौराष्ट्र क्षेत्र के बारे में हैं । जब अहमदाबाद मेल के बारे में सूचना दी जायेगी तो मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा ।

श्री आर० के० अमीन : उस मामले में मंत्री महोदय ने जयपुर और जोधपुर का उल्लेख क्यों किया ?

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा उत्तर असंगत नहीं था क्योंकि प्रोफेसर मावलंकर ने विशेष रूप से यह प्रश्न पूछा था कि यदि सौराष्ट्र क्षेत्र में डीजल इंजन नहीं चलाये जाते तो ये इंजन किन-किन गाड़ियों में लगाये जाते हैं ।

Shri Motibhai R. Chaudhary : The Hon. Minister knows that goods trains with diesel engines run on the railway track between Mehsana and Okhla, what is the difficulty in running passenger trains with diesel engines?

Prof. Madhu Dandavate : The hon. Member has asked a good question. If he likes that the passenger trains run with the speed of goods trains, we are prepared to dieselise the track.

दिल्ली में गैस कनैक्शनों के लिये विचाराधीन आवेदन पत्र

*290. **श्री दुर्गा चन्दा :**

श्री कवरू लाल हेमराज जैन :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) दिल्ली में जनवरी, 1977 से गैस के कनैक्शनों के लिये कितने आवेदक पत्र विचाराधीन थे;

(ख) अप्रैल, 1977 के बाद खाना पकाने वाली गैस के कितने कनैक्शन दिये गये और दिल्ली में उनके द्वारा विशेष मामले के रूप में कितने कुकिंग गैस-कनैक्शन दिये गये ;

(ग) क्या सरकार का ऐसे उपभोक्ताओं को गैस के कनैक्शन देने का विचार हैं, जो उसकी कीमत विदेशी मुद्रा में देने को तैयार है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप देने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

दिल्ली में गैस कनैक्शन के लिये विचाराधीन पड़े आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में दिनांक 6 दिसम्बर, 1977 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० 290 के उत्तर में संलग्न होने वाला विवरण ।

(क) दिल्ली में खाना पकाने की गैस के कनैक्शन प्रदान करने हेतु 30 नवम्बर, 1977 की यथास्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या लगभग 1,30,000 थी ।

(ख) दिल्ली में अप्रैल और नवम्बर 1977 की अवधि के दौरान लगभग 3,000 नये गैस कनैक्शन दिये गये थे । इसमें से 496 गैस कनैक्शन पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत प्राथमिकता पर इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा दिये गये थे ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) निम्नलिखित अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा की अदायगी पर गैस कनैक्शन आवंटित करना संभव नहीं है :—

(i) इस समय खाना पकाने की गैस की मांग इस उत्पाद की उपलब्धता की अपेक्षा कहीं अधिक है । अगले कुछ महीनों तक इस उत्पाद की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि हो जाने के कोई आसार दिखलाई नहीं पड़ते ।

(ii) एक गैस कनैक्शन प्राप्त करने के लिए लगभग 250 रुपये की धन राशि की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इसके बदले में विदेशी मुद्रा बिलकुल नगण्य होगी ।

(iii) प्रारम्भिक खाना पकाने की गैस का कनैक्शन देने के पश्चात तेल कम्पनियों को सिलिण्डरों के पुनः भरण की सप्लाई करनी होगी जो कि यह एक बार-बार किया जाने वाला उत्तरदायित्व है ।

Shri Durga Chand : It has been stated in the statement laid on the Table by the Hon. Minister that the number of persons on the waiting list for sanction of cooking gas connections in Delhi was about 1,30,000. From April to November 1977 three thousand gas connections have been released and out of them 496 gas connections were released by Indian Oil Corporation on priority against authorisations given by the Ministry of Petroleum. It clearly shows that there is a wide gap between the demand and supply. I would like to know the concrete steps proposed to be taken by the government to meet the demand of all the persons for the cooking gas as soon as possible.

Shri H. N. Bahuguna : So long the gas available in Bombay High does not reach the land it is difficult to meet the demand fully. However, at present we are making attempts to meet the situation by increasing the production of L.P.G. and increasing the production capacity of L.P.G. producing plants and refineries. Even then, as it is evident, it is not possible to give 1,30,000 gas connections in one year. It will take years together to give gas connections to all the persons already registered with us.

Among the persons to whom out of turn new gas connections have been allotted are new members of Parliament and about 400 officers who have come

here on transfer are included. The total number of connections released by us in three thousand. The demand from Bombay, Calcutta and other cities is also similar to it. We are not able to meet the full demand made by the persons of any of the cities. But we hope that after the gas reaches the share from Bombay High we will be, perhaps able to make available gas connections to 45 lakh families. At that time we will be in the position to meet the demand of metropolitan cities.

Shri Durga Chand : The Hon. Minister has stated that due to the shortage of L.P.G. government is unable to meet the demand of the people and that there is shortage of cylinders. I would like to know whether so long the production of L.P.G. is not increased, the government can not import it from other countries just like diesel and oil are imported. Will the government import it to meet the requirement ?

Shri H. N. Bahuguna : I never said that there was a shortage of cylinders. I only said that L.P.G. was in short supply. The second point is a suggestion for action.

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister will agree to it that gas connection is no more an item of luxury but it has become necessity and that it takes years together to get the gas connection in Delhi... (*Interruptions*)...one lady member is saying that the same state of affairs is in Bombay. It shows that all the big cities are facing the same situation. May I know how many new connections will be released for Delhi in the coming three years. This is one part of my question.

Secondly, I want to bring it to the notice of the Hon. Minister that servicing system of gas connections in Delhi is quite unsatisfactory. Surprisingly high fee is charged even to remove a minor defect. May I know the nature of complaints in this regard received by the government and the action being taken on them ?

Shri H. N. Bahuguna : I fully subscribe the concern expressed by Shri Kanwar Lal Gupta in his question. So far as the question of next three years is concerned I can say at present only this much that we are trying to produce more L.P.G. in the plants, when the production of L.P.G. is increased some more L.P.G. will certainly be supplied to Delhi also.

Shri Kanwar Lal Gupta : How much ?

Shri H. N. Bahuguna : It is difficult to tell.

Shri Kanwar Lal Gupta : Kindly tell approximately.

Shri H. N. Bahuguna : Telling approximately is again to invite trouble. I would like to tell Shri Kanwar Lal Ji that we are equally worried in respect of his constituency. Delhi which is also the capital of our country and I understand his concern in this matter.

He has correctly pointed out that there are complaints regarding the services rendered by our gas suppliers. We are reconsidering this matter. Some big persons have been supplied gas connections in large numbers. We are trying to evolve a policy to set right this situation so that they can perform their duty efficiently and can exercise proper supervision otherwise big persons do not bother at all. Thus, we are considering the ways and means to set their position right.

श्री आर० के० महालगी : बम्बई गैस कब तक उपलब्ध हो सकेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : 1979 के मध्य तक गैस बाजार में आ जानी चाहिये ।

Smt. Chandravati : Will the Hon. Minister be pleased to state whether he has chalked out any plan to see that in a year or two a particular number of families will be able to get gas connections so that the consumers could expect that they would be able to get it within a period of six months or a year or two ?

Shri H. N. Bahuguna : So far as the quantity of gas available and the quantity of gas being distributed in our country is concerned I can say this much in this regard that we are trying to increase the availability of gas and I believe that its availability is likely to increase by 10—15 per cent. We have decided that in the coming years the availability of gas will be increased by 10—15 per cent as compared with its present availability—maximum 15 per cent and minimum 10 per cent. (*Interruptions*).

श्रीमती चन्द्रावती : महोदय, मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट और निश्चित उत्तर जानना चाहती हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं माननीय श्रीमती चन्द्रावती की चिंता समझता हूं। किन्तु मैं उन्हें यही बता सकता हूं कि उस स्थिति में मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूं। कठिनाई यह है कि एल० पी० जी० उपलब्ध नहीं है। यदि कच्चा माल तथा अन्य चीजें उपलब्ध रहें तो हम वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत गैस की सप्लाई में 10–15 प्रतिशत की वृद्धि कर सकेंगे। जहां तक भविष्य का सम्बन्ध है, भविष्य बम्बई हाई के साथ जुड़ा है जब 45 लाख परिवारों को गैस सप्लाई की जा सकती है। यह 1979 के मध्य से आरम्भ होगा।

बम्बई तथा देश के अन्य भागों में जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र जहां पेड़ों को काट दिया गया है तथा भारी हानि हुई है, हमें यह देखना है कि हम वैकल्पिक ईंधन के रूप में गैस किस प्रकार उपलब्ध करायें।

Shri Ugra Sen : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has just now stated that 1,30,000 applications for gas connection are pending. I would like to know the basis for releasing the gas connection. The basis of priority is designation, pay, income or gas connection is given on first come first served basis ? What is the basis of releasing gas connection in Delhi ?

Shri H. N. Bahuguna : The basis of 'first come first served' is followed.

Shri G. Narsimha Reddy : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has just now declared that Harijans and Tribals will be given encouragement in respect of allotment of agencies. May I know whether some reservation will also be fixed for Harijans and Tribals in giving gas connections ?

Shri H. N. Bahuguna : I agree with the hon. Member on the point that some quota should be reserved for Harijans, Tribals and the poor. I can assure the hon. Member that among the persons who have been given gas connections on priority basis several Harijans and Tribals are also included. But it is not possible to reserve certain quota for them. No such priority has been created for them so far in respect of kerosene, sugar, etc. and likewise there is no such priority for them in respect of this item also.

Shri L. L. Kapoor : The hon. Minister has just now stated that Government is unable to supply gas due to paucity of this item. Is the hon. Minister aware of this fact that in the Petroleum Factories in public sector, like Barauni, Gauhati, Digboi gas has been burning continuously for many years. What are the reasons for not saving this gas and supplying it to the people ?

Shri H. N. Bahuguna : However it does not directly arise out of the main question yet I would like to state that the gas being burnt there is burnt just like the gas is used for cooking the meals. Even in the petroleum refineries we have to burn some quantity of gas there is no such refinery in the world in which hundred per cent gas is converted into LPG some quantity of gas is certain to be burnt. We are trying to exploit as much gas as possible at Digboi and other places where gas is available. We are setting up the fertiliser plant at Namrup on that basis. We are unable to reduce the quantity of gas being burnt in Barauni plant. The gas is being consumed there to the minimum necessity and not more than that.

अनुमति पत्रों तथा अनापत्ति पत्रों का रद्द किया जाना

*295. **श्री मोती भाई आर० चौधरी:** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति ने कहा है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनुमति पत्रों तथा अनापत्ति पत्रों को कोई कानूनी समर्थन प्राप्त नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इन पत्रों को रद्द करने के लिए अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई है; और

(ग) क्या विदेशी कम्पनियों ने इन पत्रों को जारी किए जाने की शर्तों का उल्लंघन करके इनमें उल्लिखित मदों का उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है, और यदि हां, तो नियमों के इस उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) : एक विवरण पत्र सभा-पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) और (ख) हाथी समिति का ज्यादातर यह विचार था कि इण्डस्ट्रीज (डिवेल्पमैण्ट एण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट के प्रावधानों के अनुसार अनुमति पत्रों/अनापत्ति पत्रों का कोई कानूनी आधार नहीं है । फिर भी ऊपर कही गई व्याख्या और निष्कर्ष पर समिति के चार सदस्यों ने अपने विचार सुरक्षित रखे ।

तथापि कानूनी राय यह है कि अनुमति पत्रों को कुछ शर्तों के साथ जारी किया गया था । इनमें से ज्यादातर पत्रों में यह शर्त लगाई गई थी कि औषधों का उत्पादन सम्पूर्ण लाइसेंस शुदा क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिये । औषध फारमुलेशन के निर्माण के लिये जारी किये गये अनुमति पत्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि कुछ शर्तें पूरी नहीं की गई तो आवेदक को लाइसेंस लेना पड़ेगा ।

(ग) हाथी समिति की सिफारिशें सरकार को दो वर्ष पूर्व प्राप्त हुई थी लेकिन यह पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई कि संबंधित विदेशी कम्पनियां, उनको दिये गये अनुमति पत्रों में लगाई गई शर्तों के बारे में क्या कर रहीं हैं ।

हाथी समिति की रिपोर्ट के अध्याय 5 में की गई सिफारिश संख्या 13 और 14 को ध्यान में रखते हुये सरकार इस संबंध में पूर्ण रूप से जांच करने और उसके परिणामस्वरूप स्थिति का एक समेकित (कनसालिडेटिड) लेखा जोखा तैयार करने का विचार रखती है ताकि उक्त अनुमति पत्रों में निर्धारित पैरामीटरों का जानबूझ कर उल्लंघन किये जाने के संबंध में आगामी कार्यवाही के बारे में निर्णय किया जा सके ।

Shri Motibhai R. Chaudhary: The hon. Minister has stated, in reply to part (b) that no action was taken on it for two years. May I know whether government will take any action against those who did not take any action on it.

Shri H. N. Bahuguna : The people have already taken action against those persons who did not take any action on it for two years. The people have thrown them out. Now there is no need to take any other action against them.

Shri Motibhai R. Chaudhary : Even then some steps must be taken.

Secondly, is there any proposal under consideration of the government to constitute a proper committee in this connection and if so by what time the said

committee is likely to be set up? No action has been taken for two years. How much more time will be taken now for it? The committee should be constituted as soon as possible.

Shri H. N. Bahuguna : No committee will be set up for this purpopse. This matter is to be decided at cabinet level. As I have already stated I have taken the decision at my level and now this matter will be placed before the council of Ministers. They are to decide this matter and then any action will be taken immediately. But it will take some time even if action is to be taken immediately.

दिल्ली में मोम का कोटा दिया जाना

*296. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दर्शाया गया हो कि :—

(क) आपात स्थिति के दौरान दिल्ली में जिन व्यक्तियों, फर्मों और कम्पनियों को मोम का कोटा दिया गया था उनके नाम और पते क्या हैं;

(ख) इस मामले में दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई जाँच से क्या पता चला और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) जिन व्यक्तियों, फर्मों और कम्पनियों को 1 अप्रैल, 1977 से 31 अक्तूबर, 1977 तक मोम का कोटा दिया गया है उनके नाम और पते क्या हैं; और

(घ) इस मामले के बारे में गत छः महीनों के दौरान मिली शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1270/77]**

विवरण

अनुबन्ध I

(क) तथा (ग) पैराफिन मोम (आपूर्ति, वितरण तथा मूल्य निर्धारण) आदेश, 1972 के अन्तर्गत 'सक्षम प्राधिकारी' अर्थात् दिल्ली प्रशासन के उद्योग निदेशक द्वारा आपातकाल के दौरान पैराफिन मोम का कोटा जिन व्यक्तियों, फर्मों और कम्पनियों को जारी किया गया था, उनके नाम तथा पते दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1270/77]**

आपातकाल के दौरान पैराफिन का कोटा जारी किये गये नये एककों के सम्बन्ध में ब्यौरा दर्शाने वाला दूसरा विवरण (अनुबन्ध-II) सभा पटल पर रखा गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1270/77]**

उन व्यक्तियों, फर्मों और कम्पनियो के नाम तथा पते दर्शाने वाला एक और विवरण (अनुबन्ध-III) जिनको पहली अप्रैल, 1977 से 31 अक्तूबर, 1977 के दौरान, नये पैराफिन मोम का कोटा आवंटित किया गया था, सभा पटल पर रखा गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी 1270/77]**

(ख) तथा (घ) मोम के आवंटन में अनियमिततायें यदि कोई हो तो उनकी जाँच करने तथा दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न वास्तविक उपभोक्ताओं को मोम वितरण सम्बन्धी नई नीति बनाने

हेतु, अगस्त, 1977 में दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों को शामिल करके, एक जाँच समिति का गठन किया गया था । आशा है कि जाँच समिति की रिपोर्ट इस माह के अंत तक प्रस्तुत कर दी जायेगी । जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिल्ली प्रशासन, पैराफिन मोम के वितरण प्रणाली को और अधिक प्रवाही बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि जाँच करने के लिये उन्हें कोई लिखित शिकायतें नहीं हुई हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, I want to know from the hon. Minister whether he is aware that the Congress Government in the Delhi Administration had done lot of bungling with regard to allotment of wax and I am giving the names. The quota of wax, which was highest, was issued to Shri Chawla, President of the Delhi Pradesh Congress Committee, to his relatives, to Mrs. Ambika Soni, Member of the Rajya Sabha, who was President of the Youth Congress, and to her relatives, to Shri Radha Raman and his relatives, in which there was black-marketing worth thousands of rupees in the quantity above one tonne. Will the hon. Minister tell the names of those big firms to whom quota was given and why it was given, will he hold an inquiry ino this matter?

(अन्तर्बाधाएं)

श्री बयालार रवि : परिपाटी के रूप में दूसरी सभा के सदस्य के नाम का यहां उल्लेख नहीं किया जा सकता (**व्यवधान**) यह ठीक नहीं है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यही कठिनाई है कि क्योंकि आपने केवल नाम के बारे में पूछा है । कृपया दूसरी सभा के सदस्यों के नामों का उल्लेख मत कीजिए ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जहां तक मोम के नियमित आबंटन का प्रश्न है, दिल्ली प्रशासन ने अगस्त, 1977 में एक जांच समिति नियुक्त की थी और हम उस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । इन कोटों को देते रहने या न देने के बारे में, जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने सिफारिश की है, हमारी ओर से आवयश्क कार्यवाही की जायेगी । यह बहुत बड़ी सूची है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Whose names are there ?

Shri Vasant Sathe : Kindly tell this also as to how much quota was given to the RSS people who showed Mahatma Gandhi as an RSS volunteer on the packet of wax (**Interruption**).

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा-पटल पर रख चुके हैं इसलिये नामों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : सबसे अधिक कोटा मेसर्ज किसपर एण्ड कम्पनी को दिया गया जो 180 टन था ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has replied that the Delhi Administration has formulated a scheme to hold inquiry into his . . . . (**Interruption**) . . . . . There is no judicial inquiry, that is only departmental inquiry, do not worry.

Will the hon. Minister consider this fact that not only an irregularity but fraud and malpractice have been committeed in the allotment of the quota given to the relatives of three Congress leaders at their instance.

[Interruption]

Will the hon. Minister tell that will he refer these cases, in which the irregularity which has been committed and crores of rupees that have been earned by way of bungling to C.B.I. instead of restricting it to mere Departmental Inquiry and what guidelines shall be framed for future allotment of quota so that black-marketing may come to an end?

Shri H. N. Bahuguna : With regard to the question raised by the hon. Member, as I have already stated that, the Delhi Administration is going into depth of this case. We have received no complaint in this regard nor have we inquired into this matter. We have full faith that the Delhi Administration will arrive at correct findings. When we receive their findings, the Government will have no hitch in taking action on that.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

तूतीकोरिन से पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा को लवण के निर्यात पर रोक

अ०सू०प्र० 4. श्री एम० कल्याणसुन्दरम : †

श्री के० टी० कोसलराम :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल द्वारा तूतीकोरिन क्षेत्र से पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा को लवण के निर्यात पर रोक लगाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि रेल द्वारा लवण को ले जाये जाने पर रोक होने के बावजूद 17 (सत्रह) 'ब्लाक' विशेष गाड़ियों की पश्चिम बंगाल को 'लवण' ले जाने की अनुमति दी गयी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल के कतिपय एकाधिकार आयातकर्ताओं को रेल द्वारा ले जाने के लिए लवण के विशेष कोटे की अनुमति दी जाती है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि इस रोक के कारण छोटे उत्पादकों तथा हजारों लवण-पटल मजदूरों को बड़ी कठिनाई होती है; और

(ङ) क्या सरकार इस रोक के पीछे जो नीति है उस पर पुनर्विचार करेगी ताकि छोटे उत्पादकों तथा मजदूरों की मदद हो सके ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ङ) पश्चिम बंगाल से दक्षिणी समुद्र तट में स्थित स्थानों को कोयला लेने वाले जहाजों के लिए लौटते समय माल उपलब्ध कराने के लिए तूतीकोरिन क्षेत्र से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए रेल से नमक ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था । किन्तु बंगाल सरकार द्वारा सूचित की गई नाविकों/मल्लाहों की हड़ताल हो जाने के कारण उत्पन्न अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने सभी रेल मार्गों से करीब 30,000 मी० टन नमक के

विशेष रूप से ले जाये जाने की अनुमति दी थी। रेल से विशेष रूप से ले जाये जाने की व्यवस्था पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये नामित (व्यापारियों) के जारिये की गई थी।

चूंकि तूतीकोरिन से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को रेल से नमक ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने का तूतीकोरिन क्षेत्र में नमक उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है अतः छोटे उत्पादकों और हजारों मजदूरों के लिये कठिनाई पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने तूतीकोरिन क्षेत्र सहित नमक का उत्पादन करने वाले विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिदिन पश्चिम बंगाल को रेलमार्ग द्वारा 25 वैगन नमक ले जाने की अनुमति दी है। यह प्रणाली ठीक कार्य करती जान पड़ती है और सरकार द्वारा इस पर पुनः विचार करने का कोई विचार नहीं है।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम: मंत्री महोदय का उत्तर गुमराह करने वाला है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनको पता है कि यह सरकार द्वारा 29 सितम्बर, 1977 को नमक के निर्यात पर लगाये गये संपूर्ण प्रतिबन्ध का परिणाम है। इसके पीछे सिद्धांत यह है कि यदि पश्चिम बंगाल या उड़ीसा के किसी भी स्टेशन के लिये रेल द्वारा नमक बुक कराया जाता है तो उसकी बंगलादेश को तस्करी की जायेगी और इसलिये यह प्रतिबन्ध लगाया गया था। क्या यह सच है या नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह एक तरीका है जिसके द्वारा सरकार बंगलादेश को की जाने वाली तस्करी की रोकथाम के बारे में सोच रही है? वस्तुतः यह बात पश्चिम बंगाल के कुछ बड़े नमक व्यापारियों के हित में है कि सरकारी तौर पर निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये परन्तु तस्करी के माध्यम से उसका निर्यात जारी रखा जाये। अतः यह उनके हित में है कि उन्होंने रेल द्वारा इसके लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाया है। मैं श्री जार्ज फर्नांडिस से अपील करूंगा, जो स्वयं छिपी गतिविधियों में कुशल हैं, कि वह उनके मंत्रालय में चल रही छिपी गतिविधियों का पता लगायें और इन सब बातों को ठीक करें।

श्री जार्ज फर्नांडिस: यदि माननीय सदस्य को पश्चिम बंगाल के नमक व्यापारियों की छिपी गतिविधियों की कोई जानकारी है तो मैं निश्चय ही उनकी जांच करवाना चाहूंगा। परन्तु इस समय जो नमक पश्चिम बंगाल में लाया जा रहा है उसका सम्बन्ध है। यह केवल उन्हीं पार्टियों के पास पहुंच रहा है जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने मनोनीत किया है। यह सच है कि देश के बाहर नमक की तस्करी हो रही है तथा इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध है। यह मुख्यतया इस बात के कारण है कि नमक का हमारा अपना उत्पादन पर्याप्त नहीं है। हम उत्पादन के लक्षित स्तर से बहुत पीछे हैं और अभी हमारे लिए इस आशंका का कारण यह है कि यदि मानसून का चालू स्तर बना रहा तो हमें अगले वर्ष से नमक का आयात करना पड़ेगा। अतः हम यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक हैं कि देश से नमक की तस्करी न हो और हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि देश से नमक की तस्करी न होने पाये।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम: मेरा दूसरा प्रश्न मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से उत्पन्न होता है। वह कहते हैं कि हमारे देश में नमक का उत्पादन कम हो रहा है। मैं उनके आंकड़ों को चुनौती देता हूं। यहां तक कि नमक विभाग ने कहा है कि निर्यात किए जाने के लिए 10 लाख टन से भी अधिक फालतू नमक है। लोगों द्वारा नमक का बहुत अधिक उपभोग नहीं किया जाता। नमक के उपभोग की एक सीमा है। अत्याधिक नमक भी अच्छा नहीं होता। ऐसा केवल पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है। यदि पूरे देश में ही वास्तविक कमी है, तो बड़े राज्य इससे प्रभावित होने चाहिएं। पहले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य प्रभावित होने चाहिएं। परन्तु अन्य किसी भी राज्य में मूल्य नहीं बढ़े हैं। यह शिकायत केवल पश्चिम बंगाल से ही आ रही है। अतः यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो यह चाहती हैं कि प्रतिबन्ध लगा दिया जाये जिससे नमक की तस्करी करने के लिए उन्हें कुछ क्षेत्र

मिल जाये। इसलिए इस प्रतिबन्ध से केवल ऐसे बड़े व्यापारियों को ही लाभ होगा जो तस्करी करना चाहते हैं। अतः हमें नमक के निर्यात को खुली छूट देनी चाहिए ताकि तस्करी रोकी जा सके।

श्री जार्ज फर्नांडिस: यदि माननीय सदस्य को पश्चिम बंगाल में नमक की तस्करी की गतिविधियों या तस्करी में सांठ-गांठ सम्बन्धी गतिविधियों की जानकारी है, तो मुझे उनसे जानकारी प्राप्त करके प्रसन्नता होगी। **(अन्तर्बाधाएं)** चूंकि यह आरोप दूसरे अनुपूरक प्रश्न में भी दोहराया गया है इसलिए मैंने भी यह दोहरा दिया है कि यदि वह इस बारे में मुझे कुछ जानकारी देंगे तो मुझे खुशी होगी।

जहां तक नमक के उत्पादन का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य के नमक के उत्पादन और उसके उपभोग के बारे में अपने कुछ निजी विचार हैं। पांचवीं योजना में नमक के उत्पादन का लक्ष्य 85 लाख टन था जबकि वास्तविक उत्पादन वर्ष 1974 में 59 लाख टन, 1975 में 58 लाख टन और 1976 में 40 लाख टन रहा और चालू वर्ष में नमक का उत्पादन 50 लाख टन होने की आशा है। प्रति वर्ष हमें 58 लाख टन नमक की आवश्यकता होती है। कौन कितना नमक खाता है अथवा क्या नमक अधिक खाना चाहिए या कम, ये प्रश्न यहां तर्कसंगत नहीं है। हमें प्रति वर्ष 58 लाख टन नमक चाहिए और चालू वर्ष में नमक का उत्पादन 50 लाख टन होगा। गत वर्ष नमक की आवश्यकता 50 लाख टन की थी जबकि उसका उत्पादन 40 लाख टन था। फिर हम काम कैसे चला रहे हैं? हम विद्यमान फालतू भंडार को आगे बढ़ा-बढ़ाकर अपना काम चला रहे हैं। यदि नमक का उत्पादन देश में अपेक्षित स्तर तक न बढ़ पाया तो हमें आशंका है कि कहीं अगले वर्ष से नमक के बारे में समस्या न खड़ी हो जाये और हमें उसका निर्यात के स्थान पर आयात न करना पड़े।

नमक का उत्पादन कम होने के भी ठोस कारण हैं। उदाहरणतः तूफान आये और अत्यधिक वर्षा हुई; सांभर झील पूर्णतः भर गई और वहां कुछ समय तक नमक का उत्पादन हो ही नहीं सकता। नमक उत्पादन की क्षमता में कमी होने के अनेक कारण हैं। विद्यमान परिस्थितियों में हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि नमक की भारत से बाहर किन्हीं अन्य देशों को तस्करी न होने पाये। जहां तक संभव होगा हम तस्करी को रोकेंगे और नमक के निर्यात को भी नियमित करेंगे। नमक के कुछ गैर सरकारी निर्यातों ने बिना राज्य व्यापार निगम या मंत्री के ज्ञान के कुछ निर्यात-आदेश ले लिए थे। हमने कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं, क्योंकि उनका लगाना आवश्यक हो गया था।

जहां तक पश्चिम बंगाल को रेल द्वारा यातायात का और पश्चिम बंगाल की विशेष समस्या का सम्बन्ध है, इसका भी एक इतिहास है, यह कोई नई बात नहीं है, यह वर्षों से चलता आ रहा है। विद्युत संयंत्रों और रेलवे की आवश्यकता के लिए दक्षिण को कलकत्ते से जहाज द्वारा कोयला भेजा जाता है। अब ये जहाज नमक लेकर वापस लौटते हैं यदि ये जहाज वापस आते हुए नमक न लायें तो दक्षिण को कोयला ले जाने की लागत और अधिक हो जायेगी। यह व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है, और यह नई नहीं है। निर्यात पर प्रतिबन्ध सितम्बर में लगाया गया था। माननीय सदस्य की बात ठीक है। परन्तु रेल द्वारा ढुलाई पर प्रतिबन्ध का जहां तक सम्बन्ध है, पहले वाला प्रतिबन्ध मार्च में लगाया गया था और उसका नमक के निर्यात या तस्करी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री के० टी० कोसलराम: माननीय मंत्री ने बताया कि गत वर्ष नमक का उत्पादन 40 लाख टन रहा और इस वर्ष 50 लाख टन होने का अनुमान है तथा इस वर्ष हमारी आवश्यकता 58 लाख टन है। परन्तु मेरा विचार है कि ये आंकड़े वास्तविक न होकर निहित स्वार्थों द्वारा तोड़े मरोड़े गये हैं।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि केवल पश्चिम बंगाल के लोगों ने ही अभ्यावेदन दिया है, किसी और राज्य ने नहीं। यहां तक कि सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से भी कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ और न ही बिहार से नमक के निर्यात के विरुद्ध अभ्यावेदन मिला है। केवल पश्चिम बंगाल ने ही सरकार को अभ्यावेदन दिया है।

गांधी-इर्विन समझौते से पूर्व, मेरे और श्री मोरारजी देसाई जैसे लोगों ने नमक के मामले को लेकर सत्याग्रह किया था और जेल गये थे। हम चाहते हैं कि नमक का उत्पादन बढ़े। कुछ निहित स्वार्थों ने उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री को गुमराह किया है, श्री जार्ज फर्नांडिस को नहीं। मुझे इस बारे में निश्चित रूप से पता है।

चूंकि पश्चिम बंगाल के कुछ ऐसे एकाधिकारवादी व्यापारियों के अभ्यावेदनों से खींची हुई गुमराह करने वाली तस्वीर के कारण यह प्रतिबन्ध लगाया गया था, जो 1954 में निर्धारित की गई कीमतों के कारण कृत्रिम कमी की बात करते हैं और बाद में नमक आयुक्त ने यह प्रतिबन्ध लगाया कि पश्चिम बंगाल में केवल जहाजों से ही नमक लाया जा सकता है और चूंकि ऐसी कमी की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों द्वारा नहीं की गई है, इसलिए सरकार इस प्रतिबन्ध को कैसे वापस लेने पर विचार कर रही है?

29 सितम्बर को प्रतिबन्ध के प्रभाव में आने से पहले ही नमक आयुक्त ने तूतीकोरिन और दक्षिण भारत में 2 सितम्बर को ही कैसे यह अधिसूचना जारी कर दी थी कि वे निर्यात करार न करें ——यह एक ऐसा कार्य था जिससे लगभग 1.5 लाख डालर की हानि हुई क्योंकि यह राशि तूतीकोरिन में पहले से ही खड़े विदेशी जहाजों को विलम्ब शुल्क के रूप में देनी पड़ी और यह कार्य उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पश्चिम बंगाल के कुछ एकाधिकारवाद व्यापारियों के लाभ के लिए किया? मैं इस मामले में चुनौती देता हूं।

क्या सरकार कोई ऐसी समिति नियुक्त करेगी, जिसमें नमक आयुक्त सम्मिलित न किया जाये जो नमक उत्पादन में 1969 से बाद की प्रवृत्ति का अध्ययन करे और यह पता लगाये कि इस समय देश में कितना नमक उपलब्ध है ताकि उसके प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रतिबन्ध वापस लिया जा सके। यदि यह समिति गुजरात, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश जैसे नमक उत्पादक राज्यों को भेजी जायेगी, तो आपको वास्तविकता का ज्ञान हो जायेगा।

श्री जार्ज फर्नांडिस : माननीय सदस्य द्वारा उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री पर लगाये गये आरोप का मैं सबसे पहले स्पष्ट शब्दों में खंडन करता हूं। यदि माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई जानकारी है, जिससे पश्चिम बंगाल के बड़े व्यापारियों या किसी अन्य पार्टी और नमक आयुक्त के बीच किसी सांठ-गांठ का पता लगता है, तो वह जानकारी मुझे भेजी जाये और मैं उसकी जांच करूंगा।

चूंकि अब पश्चिम बंगाल में नमक लाने या नमक खरीदने का काम पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एजेंटों द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इस व्यवस्था से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।

जहां तक नमक उत्पादन के आंकड़ों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य के आंकड़ों में गड़बड़ी की बात कहीं है। माननीय सदस्य उस दल के हैं जो पहले सत्तारूढ़ था और आंकड़े उनके द्वारा ही तैयार किये गये थे। यदि उनके द्वारा आंकड़ों में कोई गड़बड़ी की गई है——तो माननीय सदस्य मुझे बतायें और मैं उसकी जांच कराने के लिए तैयार हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Export of Commodities for Importing Oil from Oil Producing Countries

*287. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilisers** be pleased to state whether India will have to export some commodities under the agreement which has been signed recently with the oil producing countries in regard to import of oil ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): The only firm contract which has been concluded recently covering import of crude oil during 1978 is the one entered into between the Indian Oil Corporation and the Iraqi National Oil Company for supply of 3 million tonnes of crude oil from Iraq next year. This contract does not provide for the export of commodities from India.

अमोनिया संयंत्र

*291. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दो बड़ आकार के अमोनिया सयत्रो का स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य आर्थिक पहलुओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) उक्त मामले में अंतिम निर्णय कब किया जायेगा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) यह प्रस्ताव है कि 1978-79 में महाराष्ट्र में रेवास के निकट बम्बई हाई संरचना से प्राप्त गैस पर आधारित बड़े आकार के दो उर्वरक संयंत्रों का कार्यान्वयन आरम्भ किया जाए। प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता प्रति दिन 1350 मी० टन, अमोनिया और उचित मात्रा में यूरिया की होगी। इन दोनों संयंत्रों की अनुमानित लागत 491 करोड़ रुपये होगी जिसमें 280 करोड़ रुपय की विदेशी मुद्रा भी शामिल है। इन प्रायोजनाओं के लिये आवश्यक स्वीकृति और वित्तीय व्यवस्था की जा रही है।

नासिक तथा दिल्ली के बीच यात्रा

*292. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के नासिक-दिल्ली सैक्शन (विशेषतया नासिक-इटारसी सैक्शन के बीच) नगरों तथा गांवों के निवासी नासिक तथा दिल्ली के बीच यात्रा करने में बहुत कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं;

(ख) क्या उपरोक्त सैक्शन पर विगत तीस वर्षों में कोई नई रेलगाड़ी नहीं चलाई गई हैं; और

(ग) क्या नई गाड़ियां चलाने की बजाय सरकार ने भुसावल-इटारसी सैक्शन पर एक यात्री गाड़ी को भी बन्द कर दिया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) से (ग) मध्य रेलवे के मार्ग पर, बम्बई वी०टी०/नासिक और दिल्ली के बीच काफी समय से केवल दो सीधी गाड़ियां अर्थात् 5/6 पंजाब मेल और 57/58 दादर-अमृतसर एक्सप्रेस, चल रही हैं। इन गाड़ियों में प्रायः मथुरा जं० से पहले के स्टेशनों तक आने जाने

वाले तथा कानपुर, लखनऊ और उससे आगे के स्टेशनों तक आने जाने वाले यात्री यात्रा करते हैं। इन दोनों गाड़ियों का डीजलीकरण करने और उनमें डिब्बों की संख्या बढ़ाने के अलावा, रेलों ने 115/116 बम्बई-लखनऊ एक्सप्रेस, 137/138 बिलासपुर-निजामुद्दीन छतीसगढ़ एक्सप्रेस, 201/202 बम्बई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस और 149/150 आगरा-निजामुद्दीन कुतब एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई हैं। विभिन्न प्रकार के यातायात की अलग-अलग करके तथा विभिन्न तेज गाड़ियों द्वारा उसकी निकासी करके और 5/6 पंजाब मेल तथा 57/58 दादर-अमृतसर एक्सप्रेस से खण्डीय थ्रु सवारी डिब्बे हटाकर अनेक वर्षों से इस मार्ग पर बढ़ते हुए यातायात की जरूरतों को पूरा करना संभव हो सका है। उदाहरण के लिए, 137/138 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और 115/116 बम्बई-लखनऊ एक्सप्रेस को चलाने से पंजाब मेल और दादर-अमृतसर एक्सप्रेस से आठ सीधे सवारी डिब्बे हटा दिये गये हैं जिनमें बम्बई और लखनऊ के बीच चलने वाले छः डिब्बे तथा दिल्ली और जबलपुर के बीच चलने वाले दो डिब्बे शामिल हैं। ऐसा कर देने से सीधे बम्बई वी०टी० और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए स्थान उपलब्ध हो गया है। यातायात का औचित्य न होने तथा नासिक से कोई गाड़ी चलाने के लिए अपेक्षित टर्मिनल सुविधायें उपलब्ध न होने के अलावा, बम्बई वी०टी०/नासिक और दिल्ली के बीच अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है क्योंकि बम्बई-दिल्ली/नयी दिल्ली स्टेशनों पर अपेक्षित टर्मिनल सुविधाओं का अभाव है और मार्गवर्ती खंडों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता उपलब्ध नहीं है।

अगस्त, 1968 में दिल्ली बम्बई (पश्चिम रेलवे) मार्ग पर बाढ़/लाइन की टूट-फूट के कारण, पश्चिम रेलवे की गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन कर देने के फलस्वरूप इस खंड की सीमित क्षमता पर दबाव पड़ा। शुरू में इसी दबाव के कारण भुसावल-इटारसी खंड पर 349 डाउन/350 अप गाड़ियों को रद्द किया गया था लेकिन यातायात का पर्याप्त औचित्य न होने के कारण ये गाड़ियां अभी भी रद्द हैं।

भुसावल-इटारसी खंड पर दो जोड़ी यात्री गाड़ियां पहले से ही चल रही है। इनमें से एक दिन के समय तथा दूसरी रात्रि के समय चलती है। इनमें उपलब्ध स्थान का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। अतः इस गाड़ी को फिर से चलाने का कोई औचित्य नहीं है। जो यात्री रद्द की गयी 349 डाउन/350 अप पैसेंजर गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन की आवश्यकताओं को भुसावल-इटारसी खंड के अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण स्टेशनों पर एक्सप्रेस गाड़ियों को ठहराने की व्यवस्था करके और इस खंड पर गाड़ियों के समय में परिवर्तन करके पूरा करने के लिए कार्रवाई की गयी है।

उड़ीसा में नई रेलवे लाइन का बिछाया जाना

*293. **श्री के० प्रधानी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा राज्य में नई रेलवे लाइन बिछाने हेतु इंजीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने भी इस सम्बन्ध में कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते): (क) से (ग) उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर निम्नलिखित रेल लाइनों के निर्माण के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का काम इस वर्ष के बजट में सम्मिलित कर लिया गया है:—

1. तालचेर से सम्बलपुर तक बड़े आमान की नयी लाइन।

2. कोरापुट से पार्वतीपुरम/सालुर तक बड़े आमान की नयी लाइन।

Refinery in Madhya Pradesh

*294. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have submitted any proposal to set up a refinery in the State; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of the Central Government thereto?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) and (b). The Government of Madhya Pradesh have not submitted any proposal for setting up a Refinery in the State. However, in 1972, the feasibility of locating the North West Refinery in Madhya Pardesh was examined by a team of officers from IOC who visited all the possible sites. They made spot surveys of the following locations :

1. Site No. 1—Near villages Jarerua and Sankh
2. Site No. 2—Near villages Hetampur & Piparia.
3. Site No. 3—Near village Deora—Hingana
4. Site No. 4—Near villages Badokhar—Mudiya-Kheda on Morena-Sabalpur Road.

The above team did not consider any of the above sites suitable for locating the North West Refinery.

आसाम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड के उत्पादों पर उत्पादन शुल्क में छूट

*297. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से आसाम पेट्रो-केमिकल्स लि० के उत्पादों पर उत्पादन शुल्क में छूट देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्स आसाम पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड ने अपने द्वारा उत्पादन किये जाने वाले यू० एफ़० रेजिन तथा मोल्डिंग सामग्री पर उत्पादन शुल्क कम करने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि उनका दावा है कि भारी पूंजीगत निवेश के परिणामस्वरूप हानि उठानी पड़ रही है। वह यह भी दावा करते हैं कि वह काफी पुराने संयंत्र वाले अपने प्रतियोगियों के मूल्यों पर रेजिन बेचने में समर्थ नहीं है।

इस मामले में जांच की गई और यह पता चला है कि लागत के सम्बन्ध में पर्याप्त आंकड़ें प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे छूट के सम्बन्ध में दिये गये उनके अनुरोध पर, उचित रूप से विचार किया जा सके।

मथुरा तेल शोधक कारखाने में कदाचार

*298. **श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेलशोधक कारखाने और कारखाना बस्ती में 31 अगस्त, 1976 से पूर्व आने वाले और जाने वाले माल का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है और वह बिना किसी नियंत्रण के आने और जाने दिया गया था;

(ख) यह स्थिति कितने समय तक चली और क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार ठहराया गया है;

(ग) क्या ऐसी शिकायतें मिलीं हैं कि यह माल काले बाजार में बेचा जा रहा था और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई हैं;

(घ) इस समय वहां क्या व्यवस्था है और क्या अब यह सुनिश्चित है कि वहां ऐसे कदाचार के लिए कोई गुंजाइश नहीं हैं;

(ङ) क्या वहां पास और परमिट की व्यवस्था शुरू कर दी गई है, और सामान पर मोहर लगा दी जाती है जिससे उसकी अवैध बिक्री का पता लगाने में सुविधा हो ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) आने वाले और जाने वाले माल का आरम्भ से ही उचित रिकार्ड रखा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार को किसी ऐसी शिकायत की सूचना नहीं है।

(घ) आरम्भ से ही समस्त माल को उचित रूप से प्राप्त किया गया, भंडार किया गया, जारी किया गया तथा उसका हिसाब-किताब निर्धारित कार्यविधि के अनुसार रखा गया है।

(ङ) शोधनशाला स्थल पर स्थित भंडारों से सब प्रकार का माल प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये विशिष्ट मांग पत्रों के अन्तर्गत जारी किया जाता है। भंडारों से किसी प्रकार का माल बाहर ले जाने के लिये भी गेट पास जारी किये जाते हैं। क्योंकि जारी किये गये समस्त माल का उचित रूप से हिसाब रखा गया है । इसलिए सामान पर मोहर लगाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

शोलापुर डिवीजन का विभाजन

*299. **श्री एम० आर० रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शोलापुर डिवीजन को दो एककों में विभाजित कर दिया गया है जिनमें से एक गुलबर्गा तक है जो मध्य रेलवे में चला गया है और दूसरा दक्षिण मध्य रेलवे में;

(ख) सरकार को किन कारणों से ऐसा निर्णय लेना पड़ा; और

(ग) क्या यह सच है कि इस विभाजन के कारण कर्नाटक राज्य में तीन भिन्न जोन की रेलवेज हो गई हैं, जबकि पड़ौसी महाराष्ट्र राज्य में केवल एक ही जोन की रेलवे है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) दक्षिण मध्य रेलवे का पहिले का शोलापुर मंडल केवल शाहबाद/वाड़ी/रायचूर खण्ड, जिसे दक्षिण मध्य रेलवे के पास रखा गया है को छोड़कर पूरी तरह से मध्य रेलवे में मिला दिया गया है।

(ख) प्रशासनिक तथा परिचालनिक अपेक्षाओं के कारण ही उपर्युक्त खण्ड को दक्षिण मध्य रेलवे के साथ रहने दिया गया है।

(ग) यह एक तथ्य है कि अब कर्नाटक राज्य में तीन क्षेत्रीय रेलों अर्थात् मध्य, दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलों की सेवाएं उपलब्ध होंगी जबकि पहले दो अर्थात् दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलों की सेवाएं उपलब्ध थीं, लेकिन महाराष्ट्र राज्य एक नहीं बल्कि जैसा कि अब तक रहा है चार क्षेत्रीय रेलों अर्थात् मध्य, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व और पश्चिम रेलों द्वारा सेवित है।

सागर और झांसी डिवीजनों में तेल की खोज

*300. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल की खोज के लिए किन-किन स्थानों को चुना गया है और क्या उनके बुन्देलखण्ड के सागर डिवीजन और झांसी डिवीजन को भी शामिल किया गया है और यदि हां, तो उसमें शामिल स्थानों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : समुद्र के अन्दरूनी अन्वेषण के अलावा, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, मेघालय, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के विभिन्न तेल के आशावादी क्षेत्रों में (भू-गर्भीय, भूकम्पीय और गुरुत्व चुम्बकीय) सतत अन्वेषी सर्वेक्षण करने की योजना तैयार की है।

ओ एन जी सी द्वारा अन्वेषी व्यधन के लिये स्थानों को भू-गर्भीय तथा अन्य सर्वेक्षणों द्वारा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार विमुक्त किया जाता है। इस समय गुजरात, असम, त्रिपुरा तथा समुद्र के अन्दरूनी क्षेत्रों में, जो कि हाईड्रोकार्बन्स वाले क्षेत्रों के नाम से प्रख्यात हैं, सतत अन्वेषी व्यधन कार्य के अलावा, ज्वालामुखी, रामशहर तथा डायमंड हार्बर जैसे कुछ नये स्थानों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अन्वेषी व्यधन कार्य भी आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्णपुर तथा परेवा और आन्ध्र प्रदेश के नरसापुर में अन्वेषी व्यधन कार्य तत्काल आयोजित किया जायेगा।

इस समय सागर प्रभाग अथवा झांसी प्रभाग में किसी प्रकार के अन्वेषी व्यधन कार्य को आरंभ करने का ओ एन जी सी का कोई विचार नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में ओ एन जी सी द्वारा विगत में किये गये भू-गर्भीय सर्वेक्षण किसी प्रकार के अन्वेषी कार्य का औचित्य नहीं ठहराते हैं।

डिवीजनल मुख्यालय स्थापित करने के लिये अपेक्षायें

*301. **श्री राजशेखर कोलूर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी विशेष स्थान में डिवीजनल मुख्यालय स्थापित करने के लिए क्या अपेक्षाएं होती हैं;

(ख) क्या बंगलौर नगर इन शर्तों को पूरा करता है; और

(ग) यदि हां, तो बंगलौर में एक पूर्ण डिवीजन स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) मंडल मुख्यालयों के स्थानों का चुनाव प्रशासनिक और परिचालनिक जरूरतों के आधार पर किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

*302. **श्री बयालार रवि :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** 19 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3938 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का पुनर्विलोकन करने और उसमें परिवर्तन करने की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उनकी सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

मामलों को निपटाने के लिये भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सुझाव

*303. **श्री प्रसन्नाभाई मेहता :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न न्यायालयों में आपराधिक और सिविल मामलों तथा बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा नियुक्त समिति ने सिफारिश की है कि सभी मामलों को निपटाने के लिये नियत समय सारिणी का पालन किया जाना चाहिये ;

(ख) समिति ने अन्य क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या सरकार ने समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनको कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) सरकार को विधिज्ञ परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त समिति से कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विकलांग व्यक्तियों के साथ परिचारक

*304. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विकलांग व्यक्तियों को अपने साथ एक परिचारक ले जाने और उसे दूसरी श्रेणी के एक टिकट पर 15 प्रतिशत की छूट देती है और प्रथम श्रेणी के एक टिकट पर एक परिचारक को निःशुल्क साथ ले जाने देती है परन्तु अशिक्षित विकलांग व्यक्तियों के लिये समय लेने वाली और असुविधापूर्ण औपचारिकताओं को पूरा करना असंभव हो जाता है जो एक सामान्य व्यक्ति के लिये भी बहुत असुविधापूर्ण है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी हालत पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये सत्यापित फोटो लगे स्थायी परिचय-पत्र देने तथा उसे टिकट खिड़की पर टिकट लेने में प्राथमिकता देने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में 6 दिसम्बर, 1977 को श्री सी०के० जाफर शरीफ द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० 304 के उत्तर से सम्बन्धित विवरण :

सभी कोटियों के विकलांग व्यक्तियों को, जिनके साथ परिचारक चल रहे हों, उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक सभी यात्राओं के लिए रेल यात्रा रियायत की सुविधा स्वीकार्य है, बशर्ते कि वे विकलांग विज्ञान सर्जन या किसी सरकारी डाक्टर से इस आशय का एक प्रमाणपत्र लेकर सम्बन्धित स्टेशन मास्टर को दें कि वह व्यक्ति विकलांग है। पहले दर्जे में यात्रा करने पर रोगी और परिचारक को, अलग-अलग, मूलभूत किराये में 15 प्रतिशत की रियायत दी जाती है और दूसरे दर्जे में यात्रा करने पर रोगी से दूसरे दर्जे का डाक गाड़ी का एक तरफ का किराया लिया जाता है जबकि परिचारक से कोई किराया नहीं लिया जाता।

रियायत का लाभ उठाने संबंधी वर्तमान कार्यविधि के अन्तर्गत, ऐसे व्यक्ति अपेक्षित प्रमाणपत्र देकर सीधे संबंधित स्टेशन से रियायती टिकट ले सकते हैं। इसके विपरीत, अन्य कोटियों के अधिकांश पात्र व्यक्तियों द्वारा इन रियायतों का लाभ उठाने संबंधी कार्यविधि यह है कि वे संबंधित रेल प्रशासन के मुख्यालय अथवा मंडल कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करें। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत, विकलांग व्यक्ति जो प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होता है, स्टेशन कर्मचारी उसे लेखा विभाग द्वारा की जाने वाली आन्तरिक जांच के लिए रिकार्ड में रखते हैं और यह प्रमाणपत्र वह प्राधिकार भी होता है जिसके आधार पर रियायती टिकट जारी किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, पहचान-पत्र के आधार पर ही उन लोगों को रियायती टिकट जारी कर देना संभव नहीं है। यदि यह प्रक्रिया अपना ली जाती है तो इससे इस सुविधा का दुरुपयोग होने की भी संभावना है।

हटिया झरसुगुडा यात्री गाड़ी को आगे तक ले जाने के बारे में अभ्यावेदन

2669. श्री गणनाथ प्रधान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के सम्बलपुर तथा बोलनगीर जिलों के चहूं ओर रहने वाले लोगों से हटिया झरसुगुडा यात्री गाड़ी को तितलागढ़ तक आगे बढ़ाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है क्योंकि दोपहर पश्चात् दक्षिण की ओर झरसुगुडा और तितलागढ़ जाने के लिये कोई नियमित गाड़ी नहीं है; और

(ग) क्या निकट भविष्य में इस क्षेत्र में कोई नई गाड़ी चलाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां।

(ख) टिटलागढ़ में टर्मिनल की पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण जे०एच०/2 जे०एच० हाटिया-झरसुगुडा सवारी गाड़ी को टिटलागढ़ तक बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है। इसे झरसुगुडा-राउरकेला खंड के यात्री भी पसन्द नहीं करेंगे क्योंकि इस गाड़ी का उपयोग औद्योगिक कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और साथ ही ऐसा करने से यह गाड़ी हटिया पर 23/24 हाटिया-पटना एक्सप्रेस के साथ मेल भी नहीं करा सकेगी।

(ग) नहीं।

दक्षिण मध्य रेलवे के पुणे मीरज सेक्शन के बारे में अभ्यावेदन

2670. **श्री आर० के० महालगी**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दक्षिण मध्य रेलवे के पुणे-मीरज सेक्शन में खान-पान का प्रबन्ध करने वालों से लिये जाने वाले किराये में वृद्धि के बारे में दिनांक 21 सितम्बर, 1977 का कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा किये जाने का विचार है और कब?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) नवीनतम आवधिक समीक्षा के आधार पर, दक्षिण मध्य रेलवे ने 1-8-76 से खानपान खोमचा ठेकेदारों को दिये गये रेलवे स्थान का किराया इनके निर्माण की पूंजी लागत के 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। यह नियमों के अनुसार निर्धारित 11 प्रतिशत की अनुमत अधिकतम सीमा के अंतर्गत किया गया है। फिर भी, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, बिक्री की रकम, ठेके को लाभप्रदता, अन्य स्थानीय हालात आदि को ध्यान में रखते हुए कठिनाइयों संबंधी अलग-अलग मामलों की समीक्षा की जायेगी।

फर्टीलाइजर प्रमोशन स्टाफ एसोसियेशन कलकत्ता द्वारा अभ्यावेदन

2671. **श्री ए० के० राय**: क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें फर्टिलाइजर प्रमोशन तथा एग्रीकल्चर रिसर्च सेण्टर के कर्मचारियों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में फर्टिलाइजर प्रमोशन स्टाफ एसोसियेशन, कलकत्ता के संयुक्त सचिव द्वारा दिया गया ज्ञापन संख्या एफ ई एस ए/74, दिनांक 8-9-1977 को प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उनकी समस्याएं क्या हैं; और

(ग) उनकी समस्याओं के समाधान के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क), (ख) और (ग) फर्टिलाइजर प्रोमोशन ऐसोसियेशन से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था फील्ड डिमान्स्ट्रेटरों (क्षेत्रीय प्रदर्शकों) के लिये पदोन्नति का आभाव भारतीय उर्वरक निगम के पुनर्गठन के लम्बित रहने तक पदोन्नति और स्थानान्तर का रोका जाना, ओ० टी० ए० की अदायगी में विलम्ब तथा मान्यताप्राप्त यूनियनों के लिये सुविधाओं का आभाव आदि जैसी कर्मचारियों की शिकायतें थी। इन शिकायतों की भारतीय उर्वरक निगम ने जांच की है और जहां संभव है औपचारिक कार्रवाई की गई है।

Right to recall elected representatives

†2672. **Dr. Ramji Singh**: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to amend the Constitution or the election laws with a view to give the principle of right to recall of elected representatives a practical shape; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Narsingh) : (a) & (b) The matter will be examined along with other proposals for reform of the Election Law.

Class IV employees in Samastipur Division

2673. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state

(a) the number of permanent Class IV employees working in Samastipur Division of the North Eastern Railway as also of the temporary ones (i.e. casual labour) there ;

(b) whether all the permanent employees have been allotted accommodation, if not, the reasons therefor ; and

(c) whether Railways propose to provide accommodation facilities to the casual labour in Samastipur Division ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Permanent Class IV employees and Casual Labour are 12493 and 5086 respectively.

(b) No. Only essential staff have been provided with accommodation to the extent quarters are available.

(c) There is no such proposal under consideration.

रेल मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

2674. **श्री नवाब सिंह चौहान**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या रेल मंत्रालय को सलाह देने के लिये कोई हिन्दी समिति है;

(ग) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन है, यदि नहीं, तो या सरकार का विचार ऐसी समिति नियुक्त करने का है; और

(घ) हिन्दी के विकास के लिये गत तीन वर्षों के दौरान क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल गत वर्ष समाप्त हो जाने पर उसके पुनर्गठन के लिये कार्यवाही की जा रही है। पुर्नगठित समिति रेल मंत्री जी की अध्यक्षता में काम करेगी और इसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के सदस्य होंगे।

विवरण

हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिये रेल मंत्रालय द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:—

1. अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने का काम तीव्र गति से किया गया जिसके फलस्वरूप 89,000 से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कर्मचारियों के सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण की अनिवार्यता की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये विभागीय व्यवस्था के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये।
2. 'निबन्ध एवं वाक प्रतियोगितायें' और 'टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगितायें' आयोजित करने तथा 'नगद पुरस्कार' 'रेल मंत्री अन्तर्रेलवे राजभाषा शील्ड' और 'रेल मंत्री अन्तर्मण्डलीय राजभाषा शील्ड' देने की योजनायें चालू की गई।

3. रेलवे कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में हिन्दी टाइपराइटर खरीदने पर जोर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप इनकी कुल संख्या बढ़कर 2006 हो गई।

4. रेलवे फार्मों और रेलवे नियमावलियों का हिन्दी अनुवाद तैयार करने का विशेष अभियान चलाया गया जिसका परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहा।

5. क्षेत्रीय/मण्डलीय/कारखाना स्तरों पर राजभाषाकार्यान्वयन समितियां बनाई गई। हर तीन महीने के बाद इन समितियों की नियमित बैठकें होती है जिसमें हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के पूर्ण कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

6. दौरे पर जाने वाले अधिकारियों को कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान हिन्दी की प्रगति का भी जायजा लें।

7. हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित रेल कार्यालयों को हिदायत दी गई है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिये, पास, पी० टी० ओ० अतिरिक्त किराया टिकट, कोरी पर्ची टिकट हिन्दी में बनाकर जारी किये जायें। इसी प्रकार यदि माल बुक करने वाला स्टेशन और गन्तव्य स्टेशन, दोनों हिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित हों और यदि माल भेजने वाले ने अग्रेषण नोट हिन्दी में भरा हो तो रेल कर्मचारी द्वारा रेलवे रसीद भी हिन्दी में भरी जा सकती है।

8. रेल सेवा आयोग, मुजफ्फरपुर, इलाहाबाद और बम्बई द्वारा तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों के लिये ली जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में उम्मीदवारों के लिये अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

9. हिन्दी भाषी क्षेत्रों में सभी प्रतियोगी और अर्हक विभागीय परीक्षाओं में भी हिन्दी के विकल्प की अनुमति दी गई है।

10. मुजफ्फरपुर, चन्दौसी, भुसावल, सीनी, भूली, और उदयपुर स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूलों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है।

केरल राज्य में तेज रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

2675. **श्री स्कारिया थामस:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल राज्य के क्षेत्र में तेज रेलगाड़ियां चलाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) क्या त्रिवेन्द्रम और अरुणाकुलम के बीच वेन्नाडु एक्सप्रैस के चलने के समय में कमी का कोई प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख) 1978-79 में, 81/82 बम्बई-कोचीन जयन्ती जनता एक्सप्रैस का चालन-क्षेत्र तिरुवनन्तपुरम तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ग) 1-4-77 से, 373/374 एर्णाकुलम-तिरुवनन्तपुरम वेन्नाडु एक्सप्रैस के चालन-समय में एक ओर 3 घंटे 15 मिनट और दूसरी ओर 2 घंटे 45 मिनट की कमी कर दी गई है। इस गाड़ी के चालन समय में और अधिक कमी करना फिलहाल व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

मैसर्स सैंडोज को लाइसेंस दिया जाना

2676. **श्री आर० के० अमीन :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मैसर्स सैंडोन को समय-समय पर दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों, सी० ओ० वी० अनुमान पत्रों और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वस्तुओं के आयात/निर्यात, औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अधीन मूल्य की मंजूरियों का ब्यौरा क्या है जिसके आधार पर उत्पादन किया गया था;

(ख) गत तीन वर्षों में उनका वर्षवार उत्पादन और बिक्री कितनी हुई;

(ग) क्या गत वर्ष मैसर्स सैंडोज की फाइलें वित्त मंत्रालय को भेजी गई थी और धनराशि विदेश भेजा जाना बन्द कर दिया गया था यदि हां तो अधिनियम के किन उपबन्धों और किस प्राधिकार के अधीन इनकी अनुमति दी गई थी; और

(घ) उनके निदेशकों के नाम क्या हैं और पहले उनका दर्जा क्या था?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मैसर्स सैण्डोज को दी गई औद्योगिक स्वीकृतियों के ब्यौरे से संबंधित विवरण पत्र संलग्न है। सूत्रयोगों के उत्पादन के प्रयोग में होने वाली आयातित तथा सारणीबद्ध प्रपुंज औषधों के मूल्य निम्न प्रकार है :

	रुपये हजार
1973	19,570
1974	19,847
1975	20,333

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत अनुमोदन मूल्यों तथा समय-समय पर अनुमोदित मूल्यों में परिवर्तन से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) (1) उत्पादन

प्रपुंज औषध		मूल्य
1973 . .	239 हजार किलोग्राम	5627 रुपये हजार
1974 . .	221 ,, ,,	5631 रुपये ,,
1975 .	247 ,, ,,	11647 रुपये ,,
(2) सूत्रयोग (गोलियां)		
1973 . .	332 मिलियन नं०	17492 रुपये ,,
1974 . .	359 ,,	22008 रुपये ,,
1975 . .	395 ,,	26595 रुपये ,,
(3) कैपसूल्स		
1973 . .	41 ,,	5801 रुपये ,,
1974 . .	42 ,,	6073 रुपये ,,
1975 . .	52 ,,	9188 रुपये ,,

(4) ग्रेनुल्स

1973	3766 किलोग्राम	250 रुपये हजार
1974	2999 ,,	188 रुपये ,,
1975	4073 ,,	496 रुपये ,,

(5) सिरप

1973	636 हजार लीटर	9065 रुपये ,,
1974	868 ,,	13630 रुपये ,,
1975	985 ,,	22964 रुपये ,,

(6) एम्पोलस

1973	83 ,,	6432 रुपये ,,
1974	81 ,,	8629 रुपये ,,
1975	100 ,,	12753 रुपये ,,

(7) कुल-बिक्री

1973	87,817 (हजार रुपयों में)
1974	95, 753 ,,
1975	114,158 ,,

विवरण

औद्योगिक लाइसेंस, सी० ओ० बी० लाइसेंस, ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिय मैसर्स सैण्डोज (इण्डिया) लिमिटेड को दिया गया अनुमति पत्र/अनापत्ति पत्र के ब्यौरे :

क्रम सं०	औद्योगिक लाइसेंस की संख्या और तिथि	निर्माण की मद
1	2	3
1.	एल/22/71/56 दिनांक 19-11-56 और एल/22/32/60-कैमि-III., दि० 19-11-60 और एल०/22/383/70 कैमि-III, दिनांक 7-4-70	कैलशियम ग्लूकोनेट, कैलशिव रोमेट कैलशियम लैक्टोवायानेट, कैलशियम लैक्टेट, ग्लूकोनेट, फैरस ग्लूकोनेट, ग्लेक्टीज फारक्टीज
2.	एल०/22/281/65-केमि III, दिनांक 27-7-65	फैरस फ्यूमरेट
3.	एस/22/288/65-केमि-III, दिनांक 1-10-65	मैगनिशियम ग्लुकोनेट
4.	एल/22/166/63-केमि-III, दिनांक 21-8-63	पोडोफायलम के सक्रिय तत्व
5.	1(77)/62-केमि-III, दिनांक 16-5-67 के द्वारा संशोधित	सेना और बैलाडोना के सक्रिय तत्व
6.	एल/22/240/64-केमि-III, दिनांक 26-10-64	डिगेविसन वी० पी०
7.	एल/22/373/69-केमि-III, दिनांक 24-11-69	इन्टेस्टोपैन सबस्टांस (पर्याप्त विस्तार)

सूत्रयोग

1.	एल/22/71/56, दिनांक 19-11-56	औषध सूत्रयोग की विभिन्न किस्में, जैसे गोलियां, कैपसूल्स, इन्जैक्टेबल आदि
2.	एस/सी/1(23)/58 दिनांक 4-3-58	
3.	3(61)/61-केमि-III, दिनांक 8-3-61	

1	2	3
	4. 3(43)/62-केमि-III, दनांक 29-12-62	
	5. एल/22/184/64-केमि-III, दिनांक 9-1-64	
	6. एल/22/245/65-केमि-III, दिनांक 23-1-65	
	7. एल/22/254/65-केमि-III, दिनांक 23-1-65	
	8. एल/22/231/65-केमि-III, दिनांक 28-7-65	औषध सूत्रयोग की विभिन्न किस्में, जैसे
	9. एल/22/416/71-केमि-III, दिनांक 6-7-71 (सी०ओ०वी०)	गोलियां, कैपसूल्स, इन्जैक्टेबल आदि
	10. एल/22/296/आई० ए० (11)/60 दिनांक 11-7-60	
	11. 22/125/आई० ए०/(11) 55 दिनांक 14-5-57	
	12. 22/481/आई० ए०/11 दिनांक 18-1-62	
	13. 3/6/61-केमि-III, दिनांक 5-4-61	
	14. 3/43/62-केमि-III, दिनांक 6-11-62	
	15. 3/43/62-केमि-III, दिनांक 4-9-62	

(ग) गत वर्ष के दौरान मैसर्स सेण्डोज की फाइलें न तो विधि मंत्रालय को भेजी गई थीं न ही उनको अपने देश में फाइलें भेजने से रोका गया था। तथापि, फरवरी, 1974 में पोडोपायलत्त आदि के सक्रिय तत्वों के निर्माण करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस संख्या एल/22/166/63-केमि-III दिनांक 21-8-63 की शर्तों की तथा सहयोग करार की शर्तों को पूरा करने सम्बन्धी कुछ सन्देह पैदा हो गये थे। इस सम्बन्ध में जांच करने तक वित्त मंत्रालय को आगे के लिये तकनीकी फीस भेजने से रोकने के लिये कहा गया था। डी० जी० टी० डी० सी०एस० आई० आर०, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा विधि मंत्रालय के परामर्श से इस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच के पश्चात् तथा कम्पनी के निर्यात कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा आस्थगित फीस को भेजना आरम्भ किया गया था।

(घ) (1) श्री एम० रंगानाथन, अध्यक्ष	भारतीय
(2) डा० जयन्त नाथ बैनर्जी, प्रबन्ध निदेशक	,,
(3) मि० जे० पी० क्रिस्टन, निदेशक	(स्विस)
(4) डा० विर्येस दुतन्त, निदेशक	,,
(5) मि० इमाइल अर्नेस्ट, विलियम आइशनवरगर, निदेशक	,,
(6) मि० जोहन मीटर हैयोज, उप प्रबन्ध निदेशक	,,
(7) मि० अन्थोनी मिलियम, क्रायर्ड हैवर्ड, निदेशक	,,

(8) मि० मैक्स हिडिगर, निदेशक (स्विस)

(9) मि० दहियाभाई शंकरभाई पटेल, निदेशक भारतीय

(10) डा० हंस विकलर निदेशक स्विस

(11) डा० आगस्टो जोका, निदेशक ,,

(12) डा० सुरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य, वाई० दुमन्त के लिये वैकल्पिक निदेशक ,,

उनके पूर्व स्तर के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और समापटन पर प्रस्तुत की जायेगी।

Reservation of seats from Gangapur City

2677. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a proposal to reserve seats for passengers in various passenger trains from Gangapur City (Kotah-Western Railway) is under consideration of Government since long ;

(b) if so, whether Government have since taken a final decision in this regard ; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minnister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c) A quota of one second class sleeper berth by 20 UP Dehra Dun Express and two second class sleeper berths by 24 UP Janata Express is being allotted to Gangapur City with effect from 1-1-1978 as an experimental measure for three months. This will be reviewed and revised after watching its utilisation for a period of three months.

A quota of one seat by 4 UP Frontier Mail and two second class sleeper berths by 19 Dn Dehra Dun Express is also available for reservation at this station.

गुरुवायर कुट्टिप्पुरम रेल लाइन

2678. **श्री के० ए० राजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरुवायर कुट्टिप्पुरम रेल लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है: और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त परियोजना इस समय किस स्थिति में है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) (ख) और (ग) इस परियोजना की सर्वेक्षण रिपोर्टों की अभी जांच की जा रही है।

रिपोर्टों की पूरी तरह जांच कर लेने के बाद और धन की उपलब्धता के आधार पर इस लाइन के निर्माण के बारे में विनिश्चय किया जायेगा।

कम्पनियों के कार्यों की जांच

2679. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 6 महीनों में उनके मंत्रालय के अधीन कुछ कम्पनियों के कार्यों की जांच की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ कम्पनियों के कार्यकरण में अनियमितताएं पाई गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) 33 कम्पनियों के सम्बन्ध में जांच प्रगति के अनेक स्तरों पर हो रही है। 14 अन्य कम्पनियों के बारे में जांच अनेक न्यायालयों द्वारा पास किये गये स्थगन आदेशों के कारण, प्रगति नहीं कर पा रही है। गत: छ: महीनों के दौरान एक कम्पनी अर्थात् वाटचू सुब्बा राव ट्रेडिंग जनरल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जांच पूरी कर ली गई है। विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों का नाम दर्शाते हुए एक विवरण पर संलग्न है।

(ग) और (घ) वाटचू सुब्बा राव जनरल ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड की जांच रिपोर्ट से अन्य बातों समेत यह प्रकट होता है कि हिसाब-किताब नियमित और विधिवत नहीं रखे जाते थे; धन्धे की आवश्यकता के अनुपात से कहीं अधिक विशाल राशि बिना बैंक में जमा किये रखी जाती थी, अनेक प्रकार के मालों का स्टाक रजिस्टर नहीं रखा जाता था और 1974-75 का वार्षिक लेखा तैयार करते समय कम्पनी के तेल विभाग से संबंधित कतिपय सौदों को ध्यान में नहीं रखा गया। रिपोर्ट में कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 58क और 297 के उल्लंघन और अनुसूची 6 के अपालन का भी संकेत किया।

विवरण 1

उन कम्पनियों के नाम, जिनमें धारा 235/237 के अन्तर्गत अनेक स्तरों पर जांच प्रवर्तमान है ।

1. मै० रमाला कारपोरेशन लि० ।
2. मै० स्टील मन्स प्राइवेट लि० ।
3. मै० शालीमार वर्क्स लि० ।
4. मै० हिन्दुस्तान जनरल इन्डस्ट्रीज लि० ।
5. मै० न्यू चमटा टी० कम्पनी लि० ।
6. मै० हान्डा रोटरी मशीन्स लि० ।
7. मै० मित्तल मन्स लैंड एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लि० ।
8. मै० सिन्थैटिक्स एण्ड कैमीकल्स लि० ।
9. मै० धरमपुर लैदर कलाथ कम्पनी प्राइवेट लि० ।

10. मै० एसोसियेटेड बिस्कुट कम्पनी प्राइवेट लि०।
11. मै० त्रिसूर इन्डिया लि०।
12. मै० अपर दोआब शुगर मिल्स लि०।
13. मै० कुमार धूवी फायर एण्ड सिलीका वर्क्स लि०।
14. मै० इन्सोव आटो लि०।
15. मै० जे० वी० मंधाराम एण्ड कम्पनी प्राइवेट लि०।
16. मै० एक्समैल्लियर प्लान्ट्स कारपोरेशन लि०
17. मै० उड़ीसा मिनरल्स डवलपमैन्ट्स कम्पनी लि०।
18. मै० बोरिया कोल कम्पनी लि०।
19. मै० ईस्टर्न इन्वैस्टमेंट लि०।
20. मै० साउथ करनपुरा कोल कम्पनी लि०।
21. मै० गय्या इन्वैस्टमैंट्स कम्पनी लि०।
22. मै० मिजूआ (झेरिया) इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०।
23. मै० करनपुरा कालरीज लि०।
24. मै० लारेन्स इन्वैस्टमैन्ट्स एण्ड प्रोपर्टी कम्पनी लि०।
25. मै० बुरांकुर कोल कम्पनी लि०।
26. मै० जनरल इन्वैस्टमैंट एण्ड ट्रस्ट लि०।
27. मै० वर्ड एण्ड कम्पनी लि०।
28. मै० किन्नीसन जूट मिल्स कम्पनी लि०।
29. मै० यूनियन जूट कम्पनी।
30. मै० बिसरा स्टील लाइन कम्पनी लि०।
31. मै० हैल्गर्स इन्वैस्टमैन्ट्स लि०
(बर्ड्स ट्रेडिंग एण्ड इन्वैस्टमेन्ट्स कम्पनी लि०, नाम परिवर्तित हो गया)।
32. मै० भारत गाज एण्ड टूल्स लि०।
33. मै० कोट्टायाम टैक्सटाइल्स लि०।

विवरण—2

उन कम्पनियों के नाम, जिनमें धारा 235/237 के अन्तर्गत जांच में, अनेक न्यायालयों द्वारा पारित रोका देशों के कारण, प्रगति नहीं हो रही है।

1. मै० जियाजी राव काटन मिल्स लि०।
2. मै० हासीमारा इन्डस्ट्रीज लि०।
3. मै० अशोक मार्केटिंग कम्पनी लि०।
4. मै० सुदर्शन ट्रेडिंग कम्पनी लि०
5. मै० अशोक सीमेंट लि०।
6. मै० हिन्दुस्तान डिवलपमेंट कारपोरेशन लि०।
7. मै० मोदी इन्डस्ट्रीज लि०।
8. मै० टीटागढ़ पेपर मिल्स कम्पनी लि०।
9. मै० नार्थ ब्रुक जूट कम्पनी लि०।
10. मै० बर्ड्स इन्वैस्टमैन्ट्स लि०
(मै० एन्नीवर्सरी इन्वैस्टमैन्ट्स एण्ड एजेन्सीज लि०, नाम परिवर्तित हो गया)।

11. मै० एफ० डब्ल्यू० हैल्डर्ज एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि०—
(मै० हैल्गर्स लि०, नाम परिवर्तित हो गया)।
12. मै० इन्वैस्टमैन्ट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लि० ।
13. मै० कन्टीन्यूटी कम्पनी लि०।
14. मै० कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स लि० ।

ग—उस कम्पनी का नाम, जिसकी जांच पूर्ण हो चुकी है व रिपोर्ट गत छः मास के मध्य प्राप्त चुकी है ।

1. मै० वाटचू मुन्धाराव जनरल ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लि० ।

Permits for Petrol Pumps and Gas Agencies to Ex-Servicemen

2680. **Shri Ram Naresh Kushwaha** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the number of permits for Petrol Pump and Gas Agencies awarded to the Ex-Servicemen during the last two years ;

(b) whehter issue of permits for agencies to the ex-servicemen have since been discontinued ;

(c) if so, the reasons thereof ; and

(d) the system proposed to be followed by the Government for the allotment of Gas and Petrol agencies in future ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) Under the policy of the Indian Oil Corporation (IOC) for award of dealerships of petroleum products to disabled defence personnel, war-widows, ex-servicemen, etc. nine 'A'—site (Corporation-owned and dealer-operated) retail outlets were awarded to ex-servicemen during 1976 and 1977. One LPG dealership was awarded as a result of bifurcation of one existing LPG distributorship due to dispute between the two ex-servicemen partners.

(b) and (c) The scheme of awarding agencies/dealerships of IOC to the disabled defence personnel, widows and dependents of those killed in action or missing, was introduced initially in December, 1971 for a period of one year to rehabilitate 400 to 500 of such persons. It was however, extended from year to year and discontinued with effect from 1-2-1975, as the target set for rehabilitation under this scheme had been exceeded. About 600 agencies/distributorships have been given under this scheme.

(d) According to the guidelines issued by Government, 25 per cent of all types of agencies of all public sector oil companies, including Indian Oil Corporation (IOC) are reserved for persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and the remaining 75 per cent are to be awarded on commercial considerations, preference being given to genuine Consumer Co-operative Societies and Agro-Industries Corporations. No person would be awarded a new dealership/agency if he or his other close relative like his spouse, father, brother or son already holds a dealership/agency with any oil company. All appointments are to be made after inviting applications by giving advertisements in Newspapers in circulation in the area concerned. Selection of candidates has to be made by duly constituted Selection Committees set up for the purpose by respective oil companies.

हावड़ा-बम्बई मुख्य मार्ग पर अमरावती

2681. **श्री बसन्त साठे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरावती को हावड़ा-बम्बई मुख्य मार्ग पर लाने का प्रस्तावित सर्वेक्षण निर्धारित समय से काफी पीछे चल रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा दिया जाये; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) जी नहीं। अमरावती को नागपुर–बम्बई मुख्य लाइन पर लाने के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण की स्वीकृति अगस्त, 1977 में दी गई थी और क्षेत्र कार्य हाल ही में शुरू किया गया है।

खुर्जा में पार्सल रखने उठाने का काम

2682. **श्री बटेश्वर हेमराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुर्जा, टूंडला, शिकोहाबाद और इटावा स्टेशनों पर एस० क्यू० टी०/पार्सलों को रखने उठाने का काम करने के लिये रेलवे श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड को अदा की गई राज सहायता के निर्धारण का आधार क्या था :

(ख) क्या इस बात की सत्यता ज्ञात करने के लिये कि क्या सोसाइटी दर निर्धारित करते समय और श्रमिकों को उचित मजूरी का भुगतान करते समय ध्यान में रखी गई वास्तविक संख्या में श्रमिक सप्लाई कर रही है, जून 1975 से सितम्बर, 1977 की अवधि में उत्तर रेलवे, इलाहाबाद के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल सुपरिंटेंडेंट ने कितनी बार निरीक्षण किया; और

(ग) जून, 1975 से सितम्बर, 1977 तक की अवधि में, महीनेवार, पृथक-पृथक रूप से प्रत्येक स्टेशन पर सोसायटी ने कितने श्रमिक नियुक्त किये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेलवे श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड, टूण्डला को आर्थिक सहायता खुर्जा, टूण्डला, शिकोहाबाद और इटावा स्टेशनों पर पार्सल/फुटकर द्रुत परिवहन यातायात की सप्लाई के लिये प्रतिदिन अपेक्षित व्यक्तियों की औसत संख्या और उसमें इस संख्या का 1/6 विश्रामदाताओं की व्यवस्था के लिये जोड़ कर तथा नैमित्तक श्रमिक दिहाड़ी दर, जिसे समय समय पर सिविल प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाता है और जो उस समय 6 रुपये प्रतिदिन थी, के आधार पर 1-7-1976 को निर्धारित की गई थी।

सभी चारों स्टेशनों पर श्रमिकों की आवश्यकता का आकलन 69 किया गया था और तदनुसार 69 व्यक्तियों और उसमें विश्रामदाताओं के रूप में इस संख्या का 1/6 जोड़ कर निर्धारित किया गया था।

(ख) पांच

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विवरण जिसमें जून, 1975 से सितम्बर, 1977 की अवधि में रेलवे संविदा सहकारी समिति द्वारा प्रतिदिन सुलभ किये गये श्रमिकों की औसत संख्या दिखाई गई है।

महीना	टूण्डला	इटावा	शिकोहाबाद	खुर्जा जंक्शन
	सप्लाई किये गये श्रमिक	सप्लाई किये गये श्रमिक	सप्लाई किये गये श्रमिक	सप्लाई किये गये श्रमिक
1	2	3	4	5
1975				
जून	35	14	14	14
जुलाई	36	12	13	13
अगस्त .	37	13	15	14
सितम्बर .	35	12	14	14
अक्तूबर .	36	12	15	13
नवम्बर .	38	13	14	14
दिसम्बर .	36	12	13	14
1976				
जनवरी .	37	12	15	14
फरवरी .	37	13	16	14
मार्च	36	13	15	15
अप्रैल	36	12	16	15
मई	38	13	14	16
जून	37	13	15	15
जुलाई .	37	13	14	14
अगस्त .	36	12	16	14
सितम्बर .	34	13	15	15
अक्तूबर .	36	12	16	14
नवम्बर .	37	12	15	14
दिसम्बर .	35	13	14	15
1977				
जनवरी .	38	13	15	15
फरवरी .	38	14	15	14
मार्च	37	13	15	15
अप्रैल	39	13	15	16
मई	37	13	14	16
जून	38	13	15	15
जुलाई	38	13	15	15
अगस्त .	37	13	15	15
सितम्बर	36	13	16	16

गंगा के बेसिन में तेल

2683. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गत दस वर्षों में और विशेषकर बम्बई हाई क्षेत्र में तेल का पता लगाये जाने के बाद तट पर तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के सम्बन्ध में गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक गंगा में बेसिन में तेल के भारी भण्डार होने की संभावना है और इन क्षेत्रों में गहराई तक छिद्रण के अच्छे परिणाम निकल सकते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तट पर किये जाने वाले अन्वेषण कार्यक्रम पर उचित जोर दिया जा रहा है। वास्तव में, आयोग के विद्युत् प्रयास जन साधन तथा उपकरण के रूप में तटीय अन्वेषण कार्य के लिये किये जाते हैं।

(ख) तथा (ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गंगा के बेसिन में अब तक किये गये अन्वेषी व्यधन ने अशोधित तेल अथवा गैस की वाणिज्य खोज का पता नहीं दिया है । तथापि सम्भावित अधिक गहरी खुदाई करने वाले शक्तिशाली रिगों की सहायता से इन प्रयासों में तेजी लाई जा रही है।

इलाहाबाद डिवीजन में प्राइवेट और एसिस्टेड साइडिंग

2684. **श्री पुण्डरीक हरि दानवे**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में कार्य कर रही प्राइवेट और एसिस्टेड साइडिंग का ब्यौरा क्या है;

(ख) जनवरी, 1975 से जुलाई, 1977 की अवधि के दौरान महीनेवार तथा साइडिंगवार इन साइडिंगों के मालिकों पर लगाये गये विलम्ब शुल्क का ब्यौरा क्या है तथा कितना कितना विलम्ब शुल्क माफ किया गया ;

(ग) बकाया विलम्ब शुल्क शंटिंग शुल्क और अन्य शुल्कों का ब्यौरा क्या है तथा बकाया शुल्क के भुगतान के लिये कितने मामलों में साइडिंगों के मालिकों को अंतिम नोटिस दे दिये गये हैं; और

(घ) बकाया देय राशि की शीघ्र वसूली के लिये क्या अन्य कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मण्डल में निजी और सहायक साइडिंगों की संख्या 52 है। इन साइडिंगों का विववरण संलग्न है।

(ख), (ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

क्रम सं०	साईडिंग का नाम	सेवारत स्टेशन
1.	इलाहाबाद ग्लास वर्क्स	नैनी
2.	सतना सीमेंट वर्क्स	,,
3.	वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि०	,,
4.	जी० ई० सी० साईडिंग	,,
5.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि०	,,
6.	हिन्दुस्तान स्टील लि०	,,
7.	इंडियन आयल कार्पोरेशन	पनकी
8.	इंडियन एक्सप्लोजिव लि०	,,
9.	न्यू थर्मल पावर साईडिंग	,,
10.	सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स	,,
11.	केन्द्रीय सरकार खाद्य एवं भंडार गोदाम	चन्दारी
12.	बर्मा शैल आयल एंड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी आफ इंडिया	बमरौली
13.	ग्लैक्सो लेबोरेटरीज	मंजूरगढ़ी
14.	उ० प्र० विद्युत प्रदाय प्रशासन	मिर्जापुर
15.	पावर हाउस साईडिंग	मैनपुरी
16.	हिन्द लैम्प प्राइवेट लि०	शिकोहाबाद
17.	गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी	चुर्क
18.	शैडो फैक्टरी साईडिंग (भारतीय खाद्य निगम)	हरदुआगंज
19.	पावर हाउस साईडिंग ए और बी	,,
20.	भारतीय तेल निगम साईडिंग	सूबेदारगंज
21.	भारतीय तेल निगम (वायु सेना साईडिंग के उपयोगकर्ता)	चकेरी (कानपुर)
22.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०	,,
23.	सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स लि०	कानपुर सेंट्रल गुड्स शैड
24.	म्योर मिल्स कं० लि०	,,
25.	टैनरी एंड फुटवियर कार्पोरेशन आफ इंडिया	,,
26.	टैनर्स व फुटवेयर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एन० डब्ल्यू० टी० ब्रांच साईडिंग)	,,
27.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक	,,
28.	इण्डिया सप्लाईज एण्ड इंजी० वर्क्स लि० (इण्डिया थर्मिट थर्म को० आप० लि० में परिवर्तित)	,,
29.	एलगिन मिल्स नं० 1	,,
30.	उमराव इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लि०	,,
31.	कानपुर रोलिंग मिल्स	,,
32.	गणेश फ्लौर मिल्स	,,
33.	बर्मा शैल आयल एंड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कं०	,,
34.	जे० के० काटन मैन्युफैक्चरिंग कं०	,,

1	2	3
35.	कानपुर शुगर वर्क्स (कानपुर टैक्सटाइल द्वारा प्रयुक्त)	कानपुर सेंट्रल गुड्स शैड
36.	कानपुर कैमीकल वर्क्स	,,
37.	कानपुर बिजली प्रदाय प्रशासन साइडिंग-ए	,,
38.	कानपुर बिजली प्रदाय (नदी दिशा बिजली घर)	,,
39.	जे० के० काटन एंड स्पिनिंग	,,
40.	कानपुर वूलन मिल्स	,,
41.	स्वदेशी काटन मिल्स	,,
42.	एलगिन मिल्स नं० 2 (कानपुर काटन मिल्स)	,,
43.	जे० के० आयरन एंड स्टील	,,
44.	न्यू० विक्टोरिया मिल्स	,,
45.	लक्ष्मी रतन काटन मिल्स	,,
46.	टाटा आयरन एंड स्टील कं०	,,
47.	एथर्टन वैस्ट कं०	,,
48.	स्टैंडर्ड वैक्यूम आयल कं०	,,
49.	जे० के० ज्यूट मिल्स	,,
50.	हिन्दुस्तान स्टील लि० (ग्वालटोली)	,,
51.	मोतीलाल पदमपत उद्योग लि०	,,
52.	गैंजिज फ्लोर मिल्स	,,

खुर्जा में संगम एक्सप्रैस का दुर्घटनाग्रस्त होना

2685. **श्री रूद्रसैन चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 28 अक्तूबर, 1977 को संगम एक्सप्रेस उत्तर रेलवे के खुर्जा सिटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई;

(ख) उसमें कितने यात्री मारे गये तथा कितने घायल हुए और कितने यात्रियों की प्राथमिक चिकित्सा की गई तथा उन्हें उसी गाडी मे यात्रा करने की अनुमति दी गई;

(ग) सरकार को कितनी हानि हुई तथा प्रभावित व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया और अथवा दिये जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिये सरकार ने जांच का आदेश दिया है और यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला तथा इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कायवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं; यह टक्कर बचा ली गयी थी।

(ख) किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। फिर भी अचानक ब्रेक लगाये जाने के कारण 12 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं थीं जिनमें से 10 व्यक्तियों ने प्राथमिक चिकित्सा के बाद अपनी यात्रा जारी रखी। अन्य दो व्यक्तियों को सिविल अस्पताल में भेज दिया गया था जहां पर उन्हें प्राथमिक चिकित्सा के बाद छुट्टी दे दी गयी।

(ग) रेल सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची।

ऐसे मामलों में मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी।

गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी है।

औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

2686. **श्री ओम प्रकाश त्यागी**: क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पिछले दिनों क्षमता का उल्लेख किये बिना औषध निर्माता फर्मों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करती रही है;

(ख) यदि हां तो उन लाइसेंसों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है फर्मों के नाम क्या हैं उत्पादन की मदें क्या हैं तथा क्षमता निर्धारित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार उक्त मामले की जांच करेगी तथा उस मामले के सभी पहलुओं की जांच करेगी तथा इसके कारण विदेशी फर्मों को हुए लाभ को वापस लेगी?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी हां।

(ख) 6 लाइसेंस इस आधार पर दिये गये थे कि उनकी क्षमता बाद में निर्धारित की जायेगी। कुछ मामलों में प्रारम्भिक स्तर में क्षमता इस लिये नहीं निश्चित की गई थी क्योंकि प्लांट बहुउद्देशीय प्रकार के थे और यह वांछनीय समझा गया कि ऐसी कम्पनियों की उत्पादन क्षमता को कुछ समय के लिये देखा जाये क्योंकि क्षमता को किसी स्तर पर निर्धारित करने से सरकार एक निश्चित स्तर पर कच्चे माल के आयात में विदेशी मुद्रा के देश से बाहर जाने देने के लिये वचनबद्ध हो जाती और कुछ अन्य मामलों में यह वांछनीय समझा गया कि उन उत्पादों के लिये मांग का मूल्यांकन किया जाये।

इन मामलों का वितरण तथा वर्तमान स्थिति दिखाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है

(ग) सी ओ डी लाइसेंसों में क्षमता निर्धारण तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर हाथी समिति ने पहले ही विचार किया है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों दोनों की क्षमता निर्धारण विदेशी कम्पनियों की गतिविधियों को नियमित करने के तरीकों सहित विभिन्न पहलुओं पर पूर्ण रूप से विचार किया जा रहा है। हाथी समिति की रिपोर्ट पर शीघ्र लिये जाने वाले निर्णय के फलस्वरूप, औषध-उद्योग के लिये नीति संरचना युक्तिसंगत बन जायेगी इसलिये किसी प्रकार की अलग जांच आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

1. वरोज वैलकम एंड कं०—डाइगाक्सीन वी० पी० के उत्पादन के लिये 2-5-64 को दिया गया औद्योगिक लाइसेंस सं० एल/22/211/64सीएफ III.

डाइगाक्सीन उत्पादन की क्षमता 9.8 किलोग्राम प्रतिवर्ष पर निर्धारित की जा चुकी है और यह सम्बद्ध औद्योगिक लाइसेंस पृष्ठांकित की गई है।

2. मैसर्स सैण्डोज इंडिया लिमिटेड—डाइगाक्सीन बी पी के उत्पादन के लिये 26-10-64 को दिया गया औद्योगिक लाइसेंस सं० एल/22/240/64-सी एफ-III

शर्त	टिप्पणी
उत्पादन स्थापित होने तथा कम से कम छः महीनों तक डाइगाक्सीन का उत्पादन होने पर वास्तविक उत्पादन के आधार पर क्षमता निर्धारित की जायेगी।	कम्पनी ने डाइगाक्सीन का उत्पादन जून 1966 में आरम्भ किया था। 15-9-66 के अपने पत्र में उन्होंने डी जी टी डी को सूचित किया कि डाइगाक्सीन के लिये उनकी स्थापित क्षमता 20 किलो प्रति वर्ष की है। जुलाई 1968 में इस मामले में क्षमता निर्धारित करने के लिये विचार किया गया था। डी जी टी डी ने यह नोट किया कि यद्यपि मैसर्स सैण्डोज ने 1967 में 3563 ग्राम डाइव गाक्सीन के उत्पादन की सूचना दी थी परन्तु जनवरी से जून 1968 अवधि में उन्होंने कोई उत्पादन नहीं किया क्योंकि उनके पास काफी स्टाक पड़ा था। अतः यह निर्णय लिया गया कि उनके कार्य निष्पादन को कुछ और समय तक देखा जाये। 1969 में इस केस पर पुनः विचार किया गया और यह देखा गया कि 1969 में उनका उत्पादन 1768 ग्राम था जोकि उनके 1967 के उत्पादन से कम था। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उनकी स्थापित क्षमता 20 किलो प्रतिवर्ष की थी परन्तु अब तक का उत्पादन इसे यथा तथ्य सिद्ध नहीं करता था और स्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिये उन्हें प्रोत्साहन देने के विचार से यह निर्णय किया गया कि क्षमता का निर्धारण और अधिक समय प्रगति को देखने के पश्चात किया जाये। इस मामले पर 1974 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था और इसकी पुनः जांच करने पर देखा गया कि मैसर्स सैण्डोज ने 1969—72 के दौरान 23 किलोग्राम का अधिकतम उत्पादन किया था और उनकी क्षमता इस उत्पादन के आधार पर निर्धारित करने के लिये विचार किया गया था। परन्तु और अधिक जांच पर देखा गया कि वर्ष 1973-74 और 1975 के दौरान उनका उत्पादन घटकर क्रमशः 13 किलो, 6 किलो और 1 किलो हो गया था। अंतिम रूप से क्षमता निर्धारित करने से पहले यह निश्चय किया गया था कि उत्पादन के इस कमी के कारणों का पता लगाया जाना चाहिये। विशेषतया जब इस औषध का आयात जारी था। इन कारणों का पता लगाया गया है और क्षमता निर्धारण की कार्रवाई हाथी समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय के पश्चात की जायेगी।

3. 15-3-1971 को मैसर्स यूनी-सैन्कियो लिमिटेड को दिया गया लाइसेंस सं० एल/22/407/71-सी एफ-III

शर्त	टिप्पणी
क्षमता बाद में निर्धारित की जायेगी	फुंगल डाइएस टेसे किलोरो-फेनीरामीन मेलेटे और प्राजी-नाइसाइड तथा इन प्रपुंज औषधों पर आधारित कुछ विशेष औषधों के उत्पादन के लिये रजिस्ट्रेशन हेतु मैसर्स यूनी सैन्कियों लिमिटेड प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया था। तत्पश्चात उनके विदेशी सहयोग के समझौते का भी अनुमोदन किया गया था। सरकार द्वारा 1970 में घोषित संशोधित औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के अनुसार यह कम्पनी रजिस्ट्रेशन की अधिकारी नहीं थी और इसने सी ओ वी लाइसेंस दिया जाने के लिये अनुरोध किया। प्लांट और मशीनरी की स्थापना जैसे उठाये गये वास्तविक कदमों को ध्यान में रखते हुये उन्हें मार्च 1971 में एक सी ओ वी लाइसेंस दिया था जिसमें तीनों प्रपुंज औषधों की क्षमता दिखाई गई थी। इन प्रपुंज औषध पर आधारित विशेष औषधों के संबंध में यह निर्णय किया गया कि इनके लिये क्षमता का निर्धारण उनका वास्तविक कार्य निष्पादन देखने के बाद किया जायेगा परन्तु इसके लिये कोई समय नहीं रखा गया था। अप्रैल 1974 में कम्पनी ने सूचना दी थी कि वे फुंगल डाइएसेटसे तथा प्राजी-नामाइड का उत्पादन स्थापित करने में सफल हुए हैं परन्तु किलोरोफेशमीन मेलेटे के उत्पादन में उन्हें सफलता नहीं मिली है। सरकार का विचार है कि कम्पनी को इस औषध का भी मूल निर्माण करना चाहिये। अतः इन प्रपुंज औषधों पर आधारित विशेष औषधों की क्षमता का निर्धारण इस विषय का समाधान होने पर तथा हाथी समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लिये जाने के बाद किया जायेगा।

4. 20-7-66 को मैसर्स बरोज वैलकम को दिया गया लाइसेंस सं० एल/22/308/66-सी एफ-III क्यूवोक्यूरारीन किलोराइड

शर्त	टिप्पणी
एक वर्ष की अवधि के लिए वास्तविक उत्पादन के आधार पर क्षमता निर्धारित की जायेगी।	कम्पनी ने प्रतिवर्ष 30 किलोग्राम रियूवेशीयूरारीन किलोराइड क्षमता के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के लिये अनुरोध किया था। परन्तु लाइसेंस बिना किसी क्षमता दिखाये जाने के दिया गया था। कम्पनी ने

शर्त	टिप्पणी
	दिसम्बर 1968 में उत्पादन आरम्भ होने की सूचना दी थी । उनके केस पर क्षमता निर्धारण के लिये 1969 के अन्त में विचार किया गया था और यह पाया गया कि इस अवधि के दौरान प्लांट के खराब हो जाने के कारण (समस्त शीशे के निरन्तर वैक्यूम डिस्टीलेशन यूनिट को हानि पहुंची थी) कम्पनी को इस उत्पाद के निर्माण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था । संकटकालीन लाइसेंस के आधार पर कम्पनी ने नया यूनिट प्राप्त किया था । और उन्हें आशा थी कि जनवरी 1970 के अन्त तक वे कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे । अतः यह निश्चय किया गया था कि क्षमता का निर्धारण करने से पहले कुछ और प्रगति को देखा जाये । 1974 में उनके केस पर पुनः विचार किया गया था और यह देखा गया कि वे अधिकतम उत्पादन 6 किलो प्रतिवर्ष करने में सफल हुये हैं और यह भी नोट किया गया कि कुछ प्रकार के आपरेशन में मांगस-पेशियों में शिथिल करने के लिये उपयोग की जाने वाली इस मद के मांग अनुमान नहीं लगाये गये हैं तथा इस मद के लिये यह एक मात्र लाइसेंसीकृत एकक है । यह भी देखा गया कि चूंकि इसका उत्पादन एक बहु-उद्देशीय प्लांट में किया जा रहा है अतः क्षमता निर्धारण के लिये प्लांट के लाभकारी साइज पर विचार करना आवश्यक नहीं है । पर्याप्त उपलब्धी को सुनिश्चित करने के लिए उनकी क्षमता 10 किलोग्राम प्रति वर्ष निर्धारित करने के लिये अंतरिम निर्णय लिया गया था । सभी अन्य आवश्यक औपचारिकतायें पूरी की जाने पर तथा हाथी समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय का पता चलने पर यह क्षमता औपचारिक रूप से उनके लाइसेंस पर पृष्ठांकित की जायेगी ।

5. 11-4-72 को मैसर्स रोश प्रोडक्ट्स को दिया गया लाइसेंस--सं० एल/22/438/72-सी एफ-III

विटामिन ई तथा डाइजीपेम

शर्त	टिप्पणी
एक वर्ष तक कार्य करने के पश्चात क्षमता निर्धारित की जायेगी।	इस कम्पनी की सी ओ वी लाइसेंस देते समय यह देखा गया था कि इन दो मदों का यानी प्रपुंज डाइजीपेम तथा विटामिन ई का उत्पादन 1968, 1969 और 1970 मामूली मात्रा में हुआ था । अतः यह निश्चय किया गया था कि क्षमता का निर्धारण वास्तविक कार्य

शर्त	टिप्पणी
	निष्पादन को देखने के बाद किया जाना चाहिये। सितम्बर 1973 में क्षमता निर्धारण पर एक निश्चय किया गया था। परन्तु लाइसेंसिंग समिति के सम्मुख एक नोट प्रस्तुत किया जाता, इससे पहले औषध उद्योग के विभिन्न पहलूओं के जांच करने के लिए फरवरी 1974 में हाथी समिति की स्थापना की गई थी। उसके क्षेत्र में सम्मिलित प्रश्नों में एक प्रश्न सी०ओ० वी० लाइसेंसों की क्षमता निर्धारण का था। यह फाइल हाथी समिति को भेजी गई थी और अप्रैल 1975 तक उसके पास रही और इसी केस के संदर्भ में हाथी समिति ने अपनी रिपोर्ट में विशिष्ट सिफारिशें की थी। (पैरा 23—चैप्टर 5) तत्पश्चात् इस मामले पर पुनः विचार किया गया था और अंतरिम निर्णय लिया गया है जिसे हाथी समिति की सिफारिशों पर निर्णय लिये जाने के बाद अंतिम रूप दिया जायेगा।

6. 21-8-63 को मसर्स सैण्डोज को दिया गया लाइसेंस सं० एल/22/166/63-सी एफ III—सेना और वेलाडोना के सक्रिय तत्व

शर्त	टिप्पणी
उत्पादन आरम्भ होने के पश्चात एक वर्ष तक वास्तविक उत्पादन के आधारों पर क्षमता निर्धारित की जायेगी।	1967 में कम्पनी के पास जो लाइसेंस था उसमें सेना तथा वेलाडोना के सक्रिय तत्वों को सम्मिलित करते समय यह मत लिया गया था कि चूंकि इन मदों का उत्पादन औषधीय पौधों के एकत्र किये जाने तथा लगाये जाने और स्थापित संयंत्र कहां तक इनका निष्कर्षण कर सकते हैं जैसे कई कारकों पर निर्भर होगा। अतः क्षमता का निर्धारण नियमित उत्पादन को देखने के बाद किया जाना चाहिये। देश में सेना और वेलाडोना के सक्रिय तत्वों का उत्पादन 1972 में स्थापित हुआ था। परन्तु 1973 में क्षमता निर्धारित किये जाने से पहले बाहर भेजी जाने वाली राशि के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उत्पन्न हुये थे जिसके समाधान में काफी समय लग गया था। इस पर अब निर्णय लिया गया है और हाथी समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने के बाद क्षमता निर्धारण के लिये कार्रवाई की जायेगी।

गोवा, दमन और दीव में उच्च न्यायालय की बैंच

2687. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा, दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र में पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने अथवा वहां पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इस संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक पृथक् उच्च न्यायालय अथवा किसी वर्तमान उच्च न्यायालय की बैंच की कब तक व्यवस्था कर दी जाएगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) संघ राज्यक्षेत्र के मुख्य मंत्री ने संघ राज्यक्षेत्र में पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करने का प्रस्ताव किया है । इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

मैसर्स हैवस्ट और एस० के० एफ० द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन

2688. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हेक्स्ट और एस० के० एफ० ने औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किये बिना कुछ औषध फार्मूलेशन बेचे हैं तथा इस प्रकार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है, और

(ख) यदि हां तो उसके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मैसर्स हेवस्ट, मैसर्स इण्डो जमर्न एलकलायडस, जो कि ऐंलबीसेलीन के नाम की एक मात्र भारतीय स्वामित्व वाली लघु उद्योग एकक है द्वारा निर्मित एम्पीसिलीन सूत्रयोग बेच रही है । इससे उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता है ।

(ख) मैसर्स एस० के० एफ मान्य औद्योगिक लाइसेंस के बिना ही एसकेसीलीन केपसूल्स निर्मित तथा बेच रही है । मामले की जांच करने के पश्चात् उनके मत उत्पादन को नियमित किया गया था, और सरणीबद्ध एजेन्सियों को अनुदेश जारी किये गये थे कि निरन्तर उत्पादन को रोकने के लिए उन्हें एम्पीसीलीन की न सप्लाई की जाए और न ही उसका आघंटन किया जाये कम्पनी ने अब इस मद का निर्माण करना छोड़ दिया है ।

विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा लाइसेंस शुदा क्षमता अधिक अनधिकृत विस्तार

2689. **श्री नटवरलाल परमार :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक उनके अनधिकृत विस्तार को नियमित कर दिया जाए;

(ख) यदि हां तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं, अनधिकृत उत्पादन की मात्रा और उनकी लाइसेंस शुदा क्षमता का अनुपात क्या है; और

(ग) विशेषकर मैसर्स मे एण्ड बेकर के मामले में नियमित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) किसी भी विदेशी कम्पनी ने अपनी लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक अनधिकृत विस्तार को नियमित करने के लिए सरकार से विशिष्ट रूप से अनुरोध नहीं किया है। परन्तु पिछले तीन वर्षों में चार विदेशी कम्पनियों ने सरकार से कुछ प्रपुंज औषधों, जिनका उत्पादन उनकी लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक था, के लिए वास्तविक विस्तार के लिए औद्योगिक अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है।

ऐसी कम्पनियों के नाम, प्रपुंज औषधें जिनके लिए उन्होंने वास्तविक विस्तार का अनुमोदन किया है, उनकी वर्तमान लाइसेंसीकृत क्षमता तथा पिछले दो वर्षों में उनका उत्पादन दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) मैसर्स मे एंड बेकर, के आवेदन पत्र, जिसमें कहा गया था कि वे नीति के अनुसार अधिक क्षमता के अधिकारी हैं, पर सरकार के निर्णय होने तक, वे दिनांक 6-7-71 के सी०ओ०वी० लाइसेंस में दी गई 602 कि० ग्राम की क्षमता से अधिक मेट्रोनीडाजोल का उत्पादन कर रहे थे। दिसम्बर, 1975 में कम्पनी का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया था और सी० ओ० वी० प्राप्त करने की प्रभावी तिथि से पूर्व इस क्षमता स्थापन के लिए किये गये वास्तविक उपायों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सी० ओ० वी० के अन्तर्गत 12000 किलो ग्राम प्रति वर्ष की क्षमता दी गई थी। उत्पादन के नियमन के लिए इस कम्पनी का और कोई प्रस्ताव इस समय नहीं है।

यहां यह भी कहना होगा कि अधिकृत/लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक औषध उत्पादन पर किस प्रकार विचार किया जाए। इस संबंध में औषध एवं भेषज उद्योग पर हाथी समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं और इन पर निर्णय सभवतः शीघ्र किये जाएंगे।

विवरण

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	मद का निर्माण	लाइसेंस क्षमता	अनुमेय क्षमता (25% से अधिक उत्पादन जमा करने के बाद)	वास्तविक 1975 (कि० ग्राम में)	उत्पादन 1976
1	2	3	4	5	6	7
1.	मे० वुरोज वेलकम	सकसीनिल कोलाईन क्लोरोइड	5	625	6800	4350
2.	——वही——	ट्रिमेंथोप्रिम	3600	4500	226925	477297
3.	मै० सुहरिद गेगी लि०	इमीप्रेमाईन और इसके लवण	48	60	10745	4733
4.	——वही——	ऑक्सीफेनवुटाज़ोन	6000	7500	15,834	19,758
5.	——वही——	कारबामेज़ापाईन	1200	1500	2,443	3,626
6.	मै० रोश प्राडक्ट्स	विटामिन 'ए'	15 एम एम यू	1875 एम एम यू	2200	3900
7.	मै० सीवा गेगी आफ इंडिया लि०	(i) सल्फोनेमाईडज़	19,0000	237500	162462	269968
		(ii) एन्टोबेक्स	4300	5375	5339	5949

पंचरत्न डारंगगरी रेल परियोजना

2690. **श्री पी० ए० संगमा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मेघालय राज्य सरकार से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें संघ सरकार से अनुरोध किया गया है कि पंचरत्न डारंगगरी रेल परियोजना को छठी योजना के आरम्भिक भाग में चालू किया जाए और परियोजना का गारी पहाड़ी जिला में वागैसी तक विस्तार किया जाए।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस मामले पर सहानुभूति से विचार किया जा रहा है; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) जी हां । 1974-75 के दौरान वागेसई के रास्ते जोगीधोपा/पंचरत्न और दारंगीरी के बीच एक बड़ी लाइन रेल सम्पर्क के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था और सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है । सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच के परिणामों और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस परियोजना को शुरू करने के बारे में विनिश्चय किया जायेगा ।

रेलवे में चौथी श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां

2691. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी श्रेणी के पदों पर कर्मचारियों को चयन/नियुक्ति के क्या मानदण्ड हैं ;

(ख) आपात स्थिति के दौरान तथा उसके पश्चात् विद्यमान् रिक्त पदों के लिए इलाहाबाद डिवीजन में नियुक्त किये गये रिटर्न, डिलीवरी पोर्टरों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या इन पोर्टरों की नियुक्ति उनकी सेवा की अवधि और/अथवा वरिष्ठता के आधार पर की गई थी।

(घ) क्या यह सच है कि बहुत से ऐसे पोर्टर नियुक्त किये गये जिनकी रेलवे में सेवा का कोई रिकार्ड नहीं है किन्तु उनको केवल इसलिए रखा गया क्योंकि कुछ बड़े अधिकारी उनकी नियुक्ति में रुचि रखते थे; और

(ङ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे वास्तविक दावेदारों के साथ, जिन्हें जानबूझकर उपेक्षित किया गया है, न्याय हो सके ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) चतुर्थ श्रेणी की लगभग सभी रिक्तियां नैमित्तिक श्रमिकों/एवजियों की छानबीन करके उनसे भरी जाती है । जिनकी सेवा अवधि लम्बी होती है उन्हें प्राथमिकता दी जाती है ।

(ख) एवजी के रूप में 4 व्यक्ति नियुक्त किये गये थे।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) इन व्यक्तियों की चतुर्थ श्रेणी के नियमित संवर्ग में नियुक्ति तब तक नहीं की जायेगी जब तक अन्य एवजियों और नैमित्तिक श्रमिकों के साथ उनकी छानबीन नहीं हो जाती ।

नागालैंड में तेल का पाया जाना

2692. **श्री डी० ग्रमात :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को हाल में नागालैंड के एक जिले में तेल मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में क्या ब्यौरा उपलब्ध है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने नागालैंड के वोखा जिले में स्थित वोरहल्ला संरचना में तीन कुओं को खोदा है । तीनों कुओं में तेल होने के संकेत मिले हैं ।

पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन में भर्ती

2693. **श्री रोबिन सेन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की भर्ती के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है;

(ख) कर्मशियल क्लर्कों, ट्रेन क्लर्कों, टिकट कलेक्टरों तथा गार्डों आदि के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हतायें क्या हैं; और

(ग) क्या 28 मई, 1977 के बाद से आसनसोल डिवीजन में उपरोक्त श्रेणियों में भर्ती के लिए कुछ मामलों में अर्हताओं में कोई फ़ेर-बदल हुआ है; यदि हां, तो क्यों ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती साधारणतः रेल सेवा आयोग के जरिये होती है । लेकिन, रेलों के महाप्रबन्धकों को अधिकार है कि (i) अनुकंपा के आधार पर, (ii) खिलाड़ियों की और (iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों में कमी को पूरा करने के लिए कुछ भर्ती कर लें ।

चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियां नैमित्तिक श्रमिकों/एवजियों की छानबीन करके भरी जाती है ।

(ख) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष ।

(ग) जी नहीं ।

विदेशी औषध कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करना रोकना

2694. **श्री ओम् प्रकाश त्यागी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाथी समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर उन औद्योगिक लाइसेंसों को जारी करना रोक दिया है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे लाइसेंस समिति द्वारा विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों के लिए मंजूर किए गए हैं ।

(ख) यदि हां तो इसमें कौन सी विदेशी कम्पनियां अन्तर्गस्त हैं, वे लाइसेंस कितने मूल्य के हैं तथा उनमें उल्लिखित मदों आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन मदों के लिए भारतीय निर्माताओं को लाइसेंस दिए जा रहे हैं; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) औषध निर्माता कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करने से पूर्व लाइसेंसिंग समिति/लाइसेंसिंग-व-एम आर टी पी समिति की सिफ़ारिशें प्राप्त करने के बाद कुछ शर्तों पर आशय पत्र जारी किया जाता है। पार्टी द्वारा सरकार की संतुष्टि पर आशय पत्र की सभी शर्तों को पूरा/स्वीकार करने के बाद आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित किया जाता है।

विदेशी कम्पनियों को दिए गए आशय पत्रों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण पत्र जिसमें उन्होंने सभी निर्धारित शर्तों को पूरा/स्वीकार करने के बाद औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र दिए हैं, संलग्न है।

इन आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तन करने के निर्णय को रोक लिया गया है। उन पर सरकार की अन्तिम स्वीकृति तब होगी जब सरकार हाथी समिति की सिफ़ारिशों पर अन्तिम निर्णय लेगी।

(ग) गत दो वर्षों की अवधि के दौरान केवल चार भारतीय कम्पनियों अर्थात् यूनिक फ़ार्मेस्यूटिकल्स, मैसर्स ई आइ डी पेरी, मैसर्स लेव और श्री आर ए सिकारिया ने प्रपुंज औषध अर्थात् क्लोरमफ़ेनीकोल (संलग्न विवरण पत्र में दर्शाए गए मदों में से एक मद) के निर्माण के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिया था और उनके प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। विवरण पत्र में अंकित अन्य मदों के बारे में किसी भी भारतीय पार्टी ने इन मदों के निर्माण के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र नहीं दिया है।

विवरण

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	निर्माण का मद और वार्षिक क्षमता	कारखाने से बाहर अनुमानित मूल्य
1	2	3	4
1.	मैसर्स वोहरिंजर नाल लि०	क्लोरमफ़ेनीकोल (30 मी ट्न से 60 मी टन)	रुपये 200 लाख
2.	--वही--	फ़ेनफ़ारमिन एच सी एल-एक मी टन	रुपये 5 लाख
3.	मैसर्स सुहरिद गेगी लि०	पैराज़ोलेडिन गोलियां-- 240 लाख सं०	रुपये 35.2 लाख
4.	--वही--	इमीप्रेमाईन और इसके लवण	रुपये 37.86 लाख
5.	--वही--	कारवामिजापाईन (1200 कि० ग्राम से 5000 कि० ग्राम)	रुपये 77.35 लाख

रेल मार्गों का आधुनिकीकरण

2695. **श्री पी० वी० पेरियासमी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल मार्गों का आधुनिकीकरण करने सम्बन्धी गहन कार्यक्रम के अन्तर्गत किन रेल मार्गों को लिया गया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में योजना की मुख्य बातें क्या हैं और रेल मार्गों का आधुनिकीकरण करने के लिए वृहत योजना की अनुमानित लागत क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेल-पथ आधुनिकीकरण कार्यक्रम में शामिल किये गये ट्रंक मार्गों की सूची संलग्न है ।

(ख) रेल-पथ आधुनिकीकरण की मुख्य विशेषताएं हैं---भारी पटरियों का उपयोग, पटरियों के जोड़ों की झलाई करना, कंक्रीट के स्लीपर और लचीले स्थिरक लगाना, स्लीपर के घनत्व और गिट्टी कुशन में वृद्धि, यांत्रिक तरीकों से टाई-टेम्पिंग करना, ट्रेक पैरामीटरों का ठीक-ठीक और लाभकारी निर्धारण के लिए रेल-पथ अभीलेखी और दोलन-यंत्र कारों द्वारा रेल-पथ की मानिटरिंग करना, पराश्रव्य द्वारा पटरियों के अदृश्य दोषों का पता लगाना, रेल-पथ अनुरक्षण के सुधरे हुए तरीके अपनाना आदि-आदि । रेलवे समवेत योजना में इस प्रकार के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 14,000 कि० मी० रेल-पथ का लक्ष्य रखा गया है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 750 करोड़ रुपये होगी ।

विवरण

ऐसे रेल-पथ मार्गों की सूची जिन्हें रेल-पथ के आधुनिकीकरण में शामिल करने का प्रस्ताव है ।

(1) नयी दिल्ली से हावड़ा

(2) फ्रन्टीयर मेल मार्ग पर नयी दिल्ली से बम्बई सेंट्रल

(3) ग्रांड ट्रंक मार्ग पर नयी दिल्ली से मद्रास

(4) हावड़ा-नागपुर-बम्बई वी० टी०

(5) इलाहाबाद-जबलपुर

(6) इटारसी-भुसावल

(7) कल्याण-पुणे-दौंड--वाडी-सिकन्दराबाद-काजीपेट

(8) खड़गपुर-वाल्तेरु-वैजवाडा

(9) वाडी-रायचूर-आरकोणम-मद्रास सेंट्रल

(10) हावड़ा-बन्डेल-बर्द्धमान

(11) फ़रक्का ब्रिज-माल्दा टाउन बरसोई-न्यू जलपाईगुड़ी पर खन्ना-बड़हरवा

(12) सोतारामपुर-मधुपुर, किऊल-पटना-मुगलसराय

(13) किऊल-साहिबगंज-बड़हरवा

(14) दिल्ली-अम्बाला कैंट-कालका

(15) अम्बाला कैंट-लुधियाना-पठानकोट

(16) अम्बाला कैंट-मुरादाबाद-लखनऊ, प्रतापगढ़-मुगलसराय

(17) आरकोणम-काटपाडि-जोलारपेट्टै-सेलम-ईरोड-कोयम्बतूर

(18) बड़ोदरा-अहमदाबाद

(19) जोलारपेट्टै-बेंगलूरु

डनलप (इंडिया) लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के वेतन तथा भत्ते

2696. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डनलप (इण्डिया) कलकत्ता, के प्रबन्ध निदेशक श्री एम० एम० सभ्भरवाल को उस समय कितना वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधायें प्राप्त थीं जिस समय उन्होंने इस कम्पनी को छोड़ा तथा डनलप (इन्टरनेशनल) में निदेशक का पद ग्रहण किया और इस पद पर उन्हें प्राप्त वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं क्या हैं;

(ख) मूलतः उन्होंने डनलप कम्पनी में किस पद पर कार्य शुरू किया और उस समय उन्हें क्या वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त थीं;

(ग) बाटा इण्डिया लिमिटेड में निदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति किस प्रकार हुई तथा मंत्रालय ने उसे कैसे अनुमोदित किया और इस पद के लिए कितना वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध थीं और क्या उनको डनलप (इण्टरनेशनल) में निदेशक का पद देने के लिए सरकार की अनुमति ली गई थी; और

(घ) वह और किन कम्पनियों के निदेशक है तथा वह उस रूप में कितना वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जब डनलप इंडिया लिमिटेड के संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के रूप में श्री एम०एम० सभ्भरवाल सेवा निवृत्त हुए तो वे 7500 रुपये प्रति-मास के वेतन, कम्पनी के शुद्ध लाभ पर 1/2% कमीशन जो 45,000 रुपये प्रतिवर्ष तक ज्यादा से ज्यादा हो सकता था और भविष्य निधि में कम्पनी के अंशदान, पेन्शन और अवकाश निधि में कम्पनी के अंशदान, उपदान, चिकित्सा लाभ, अवकाश, अवकाश यात्रा की छूट की सुविधा और मुफ्त सुसज्जित आवास की परिवृत्तियों के अधिकारी थे।

(ख) मूलतः श्री सभ्भरवाल कम्पनी की सेवा में 9 दिसम्बर, 1942 को 75 रुपये मासिक वेतन पर एक प्रशिक्षार्थी के रूप में आये थे।

(ग) मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड में श्री सभ्भरवाल की एक निदेशक के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति इस विभाग द्वारा नहीं दी गई और ना ही इस विभाग द्वारा उन्हें कोई पारिश्रमिक स्वीकृत किया गया। वे 2-6-77 को बाटा इंडिया लिमिटेड के गैर-कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए और निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 250 रुपये प्रत्येक बैठक की दर से फ़ीस लेने के हकदार हैं।

कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत डनलप इन्टरनेशनल लिमिटेड द्वारा, जो एक विदेशी कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय लन्दन में है और भारत में जिसके व्यवसाय का कोई स्थान नहीं है, उनकी एक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

(घ) बाटा इंडिया लिमिटेड के अतिरिक्त श्री सभ्भरवाल फ़ाइवर ग्लास पिल्किंगटन लिमिटेड में भी कार्यकारी निदेशक हैं और भाग ली गई प्रत्येक बैठक के लिए 250 रुपये के शुल्क के हकदार हैं।

सांवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान की पुनर्विलोकन समिति

2697. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री 2 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5760 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान की पुनर्विलोकन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) जी हां।

(ख) पुनर्विलोकन समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :--

(i) संस्थान को चाहिए कि वह अपना कार्यकलाप सांवैधानिक और संसदीय अध्ययन के क्षेत्र तक ही सीमित रखे और उसे अपने वे कार्यकलाप छोड़ देना चाहिए जो उसके उद्देश्यों से सीधे संबंधित न हों :

(ii) संस्थान तदर्थ विदेशी अनुदानों के कारण अपनी पुर्विकताओं और उद्देश्यों से विचलित न हो, इसके लिए संस्थागत व्यवस्थाएं की जानीं चाहिए।

(iii) संस्थान को चाहिए कि वह सरकार के पुर्वानुमोदन के बिना विदेशी या देशी किसी भी स्रोत से कोई अनुदान/संदान स्वीकार न करे और न अपने कार्यकरण में सलाह देने के लिए किसी विदेशी परामर्शदाता को नियुक्त करे। विदेशी बैंकों में जमा निधियां/धन भारत में अन्तरित कर लिया जाना चाहिए।

(iv) संस्थान को चाहिए कि वह अपने प्रबन्ध और दिन-प्रतिदित के कार्यकलापों में संरचनात्मक परिवर्तन और सुधार लाने के लिए अपने संगम ज्ञापन (मेमोरेन्डम आफ एसोसिएशन) और नियमों में संशोधन करे।

(v) संस्थान को चाहिए कि वह, अन्य बातों के साथ, अपने कर्मचारियों की बाबत भरती, सेवा-शर्तें, उत्तरदायित्व के आबंटन, आदि को शासित करने वाले व्यापक नियम गठित करे।

(vi) यदि संस्थान इस समिति की सिफारिशों को लागू करने का वचन देता है तो उसे आरम्भ में चार लाख रुपए तक का वार्षिक आवर्ती सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए।

(ग) सरकार ने पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशों को कुछ उपान्तरों के साथ स्वीकार कर लिया है। उसे संस्थान को उनकी समीक्षा के लिए भेजा गया है और उनकी अन्तिम स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

पश्चिमी बंगाल के एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान में भाग न लेना

2698. **श्री शशांक शेखर सान्याल :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्ष 1977 के संसदीय निर्वाचन के दौरान पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के खारगियम थाना क्षेत्र में आंचल झिल्ली में मतदाताओं ने जो पश्चिमी बंगाल के जंगीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, उनकी शिकायतों पर काफी समय से कोई ध्यान न दिए जाने के विरोध स्वरूप मतदान में भाग नहीं लिया था;

(ख) क्या सरकार ने पता लगाया है कि उनकी शिकायतें क्या हैं; यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है;

(ग) इनमें से कौन सी और कितनी शिकायतें केन्द्र तथा राज्य की अधिकारिता में और समवर्ती सूची में आती हैं; और

(घ) मतदान में भाग न लेने की इस घटना की तारीख के बाद क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह): (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Cases of Theft and Damage of Goods Pending in Courts

2699. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of cases relating to theft and damage of goods at various places pending in the courts and the Ministry and the amount to be paid by the Railways in these cases; and

(b) whether it is a fact that some traders of Farrukhabad, Uttar Pradesh have submitted many claim applications in this regard but no action has been taken thereon and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) The number of claim cases pending in courts and on the Zonal Railways as on 30-9-1977 including theft and damage cases was 53,059 and 36,263 respectively.

Statistics in regard to the causewise amounts involved in court cases are not maintained. In respect of cases pending with the Railways, maintenance of such statistics is not feasible as the amount of claim is not mentioned in a number of cases. Causewise statistics including the amounts paid, are however compiled after the claims are disposed of.

(b) Only 68 compensation claims were preferred by the traders of Farrukhabad on the North Eastern Railway during the first ten months of 1977 which have already been disposed of. On the Northern Railway 84 claims cases were opened after claims were preferred by the traders of Farrukhabad during January 1977 to November 1977, out of which only seven claims are pending.

Supply of Drinking Water at Barsoi Junction

2700. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether great inconvenience is caused to the people in the absence of any arrangements for the supply of clean drinking water on the Barsoi junction on the North-Eastern Railway ;

(b) whether water available at the Barsoi Junction is generally muddy and reddish in colour;

(c) whether arrangements for filtering the water were to be made by the Jewel well filter but all the machinery was sent to Maldah after it arrived at the Barsoi junction ; and

(d) if so, the time by which filtered water would be supplied on the junction and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) & (b) The drinking water supplied at Barsoi Station is potable and clean and hence no inconvenience is caused to passengers and staff on this account.

(c) and (d) At present drinking water at Barsoi Junction is being supplied from a deep tubewell and does not require filtration.

Earlier, when drinking water at this station was being supplied from Mahananda river it used to be muddy and a Jewel filter was brought to Barsoi for filtration purposes. However, after the provision of a deep tubewell, when filtration was not required the filter was transferred to Malda.

D-Grade Assistant Station Masters in Nagpur Division

†2701. **Shri Laxman Rao Mankar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that junior persons were given promotion by superseding the senior persons in the promotion of D-grade Assistant Station Masters in Nagpur division of South-Eastern Railway ;

(b) the reasons therefor ; and

(c) the action being taken by the Railway Department in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

Measures to Protect small share holders of Companies

2702. **Shri Ugrasen :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that small share-holders are deprived of the profit as a result of mismanagement in the companies ; and

(b) if so, the remedial steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) :

(a) Yes sir. Not only the small share-holders but all share-holders are deprived of dividend if there is mismanagement in companies.

(b) Where it is felt that there is a prima facie case for probe into the management of the companies, an inspection or investigation is ordered depending upon the facts brought out in complaints received in this regard and the reports of the field offices of the Department of Company Affairs and action as deemed appropriate is taken on the inspection/investigation reports. To prevent mismanagement and consequent loss to the company and their shareholders, the Company Law Board also appoints directors on the boards of these companies under section 408 of the Companies Act, 1956 in appropriate cases.

उच्च न्यायालयों की बैंचों के बारे में प्रथम विधि आयोग की रिपोर्ट

2703. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि प्रथम विधि आयोग ने अपनी तारीख 1 अगस्त, 1956 की रिपोर्ट में यह प्रस्ताव किया था कि उच्च न्यायालय को राज्य में विभिन्न स्थानों पर बैंचों के रूप में कार्य करना चाहिए तथा इस रिपोर्ट पर भूतपूर्व सरकारों ने कोई कार्यवाही नहीं की;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस समय उच्च न्यायालय राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं इसलिए वित्तीय कठिनाइयों के कारण निर्धन व्यक्ति उच्च न्यायालयों तक नहीं पहुंच पाते;

(ग) क्या सरकार का विचार विधि आयोग के उपर्युक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने तथा गरीबों को कानूनी सहायता देने की सरकार की वर्तमान नीति को वास्तव में क्रियान्वित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): : (क) जी नहीं। इसके विपरीत, विधि आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट (1956) में यह निश्चित दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया था कि न्याय प्रशासन का उच्चतम स्तर बनाए रखने के लिए और उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने वाले कार्य के स्वरूप और क्वालिटी का परिरक्षण करने के लिए, यह आवश्यक है कि उच्च न्यायालय समग्ररूप से, राज्य में एक स्थान पर कार्य करे।

(ख), (ग) और (घ) : सरकार को मुकदमा लड़ने वाले गरीब व्यक्तियों की कठिनाइयों की जानकारी है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय की बैंचों का स्थापित किया जाना इस समस्या का सर्वोत्तम समाधान हो। विधि आयोग की सिफारिशें भी इस संबंध में सुसंगत हैं।

Railway Workshops in Gujarat

2704. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Gondal, Jamnagar and Morvi Railway workshops in the Gujarat State are running or have been closed down and when these workshops were opened;

(b) the names of workshops which have been closed down the date of their closure and the reasons thereof ;

(c) whether any application has been received for keeping the closed workshops running if so, the source of the applications and the nature thereof; and

(d) the action taken or proposed to be taken to keep the Railway Workshops of Gondal, Jamnagar and Morvi running ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) The Railway Workshops at Gondal, Jamnagar and Morvi are functioning and none of them has been closed down. These Workshops were set up by the Princely State Railways prior to 1935 and were subsequently taken over by the Saurashtra Railway on 1-4-1948. These Workshops became a part of the Western Railway on and from 5-11-1951.

(b) and (c) : Do not arise.

(d) There are no plans for immediate closure of the Railway Workshops at Gondal, Jamnagar and Morvi.

Jamnagar: With Broad Gauge conversion of Viramgam-Okhs-Porbunder section Jamnagar will no longer remain on the Metre Guage route and at that time the shop structures and Machinery and Plant etc. of this Workshop will be shifted a few K. Ms away to Hapa and utilised for repairs to B. G. Wagons. All the staff of Jamnagar Workshop will be absorbed in the Hapa complex and there will be no retrenchment.

Gondal : Gondal Workshop with its old and out-dated Machinery and Plant is an unproductive Unit and it is uneconomical to retain this Workshop on a permanent basis. However, to avoid hardship to staff this Workshop is being retained for the present, but in due course it will have to be converted into a Carriage and Wagon Repair Depot. There will be no retrenchment of staff.

Morvi : There are no plans for closing down of the Railway Workshop at Morvi.

कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का पालन

2705. **श्री के० राममूर्ति :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री वर्ष 1976-77 के लिए मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 83 पर निम्नलिखित वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(3) कुछ को छोड़कर, लगभग सभी सरकारी कम्पनियों ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों का पालन किया है;

(क) वक्तव्य में उल्लिखित उन सरकारी कम्पनियों के नाम क्या है जो कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने में असफल रही और उल्लंघन का स्वरूप क्या है; और

(ख) उक्त सरकारी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) रिपोर्ट के पृष्ठ 83 पर पैरा 135(1) में यह उल्लेख है कि 30 सितम्बर, 1976 को कार्यरत अपनी सहायकों सहित सरकारी कम्पनियों की कुल संख्या 674 थी। इनमें से, यह सूचित किया गया है कि 94 कम्पनियों ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों में से कुछ का उल्लंघन किया है, जिनके ब्यौरे और उन पर की गई कार्यवाही संलग्न विवरण पत्र में दी जाती है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-127/77]**

Travel concession to Physically Handicapped

2706. **Shri S. S. Somani :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether any travel concession is given by Government to the physically handicapped persons ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government propose to make any changes in their policy to enable more and more physically handicapped persons to avail of the concession without any difficulty ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) and (c) The facility of rail travel concession is admissible to all categories of orthopaedically handicapped persons subject to their producing a certificate to the Station Master concerned from an Orthopaedic Surgeon or Government Doctor to the effect that the person is orthopaedically handicapped. The element of concession allowed is 15 per cent below the basic fares for the patient and the escort separately in the case of First Class and one signle journey Second Clas Mail fare for the patient only in the case of Second Class.

Besides, blind persons travelling alone or accompanied by an escort are also entitled to rail travel concession for all journeys on production of a certificate from a Registered Medical Practitioner or Heads of the institutions for the Blind recognised by the Ministry of Education. The element of concession, when travelling alone, is 1/4 of the fare due in the Class occupied and one single journey fare when accompanied by an escort.

There is no proposal to change the existing rules.

तेल निर्यातक देशों के संघ द्वारा तेल के मूल्य में वृद्धि का अभियान

2707. **श्री डी० डी० देसाई**

श्री एस० कल्याण सुन्दरम :

श्री हेनरी आस्टिन :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल निर्यातक देशों के संघ द्वारा वर्ष 1978 में तेल का मूल्य 15 प्रतिशत और बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में और वृद्धि रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तेल उत्पादक और निर्यातक देशों की वेंज्यूला में कारकस के स्थान पर दिनांक 20 दिसम्बर, 1977 को एक बैठक करने का निश्चय किया गया है जिसमें तेल मूल्य के प्रश्न पर विचार किया जाएगा । इस स्तर पर बतलाना अभी से यह कठिन होगा कि जनवरी, 1978 से अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि की जा सकेगी, और यदि हां, तो किस सीमा तक ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Production of Fertilizers

2708. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the target fixed for the year 1977-78 for the production of fertilizers; and

(b) the programme of the Government during the current year for increased production of fertilizers ?

The Minister of State for the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers Shri Janeshwar Mishra) : (a) The target for production of fertilizers during 1977-78 is 22 lakh tonnes of nitrogen and 7 lakh tonnes of phosphate.

(b) Production performance of the companies is being monitored on a continuous basis with a view to identifying the constraints limiting production and taking up necessary remedial measures such as replacement/renewals and debottlenecking schemes, to overcome them.

Railway Revenue at Bilaspur Division

2709. **Shri Sharad Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bilaspur Division of South Eastern Railway could not realise railway revenue ;

(b) if so, the names of private firms and the details of the amounts outstanding against them ;

(c) whether it is also a fact that the said Division has also failed to realise an outstanding amount of about Rs. 6 crores which is due since 1966 from the Bhilai Steel Plant; and

(d) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken against the erring officers for their carelessness resulting in a huge loss to the Railways and the time by which action will be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the table of the House.

हल्दिया से दिल्ली तक एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव

2710. **डा० विजय मण्डल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रो-रसायन उद्योग समूह और अन्य उद्योगों की स्थापना के कारण हल्दिया के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए हल्दिया (पश्चिम बंगाल) से दिल्ली तक एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस रेलगाड़ी को खड़गपुर और आसनसोल होकर चलाया जायेगा जो कि सबसे छोटा रास्ता है ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Huge sum spent on furnishing by Public Undertakings

2711. **Shri Bhanu Kumar Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether the public undertakings have spent a huge sum on the furnishing of a verandah in the Ministry, the Office and the residence of certain officers, as directed by senior officers of the Ministry; and

(b) if so, the amount thereof ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b) An expenditure of Rs. 30,955.21 P was incurred by Public Sector Undertakings under the Ministry of Chemicals and Fertilizers in accordance with a scheme drawn up by the Undertakings themselves to give themselves an image and generate

some publicity. The bulk of expenditure was incurred in putting up display and publicity panels in the corridor of the Ministry with improved lighting and boards for display of essential progress charts in the interest of control and monitoring. The Visitors' Room, which is mostly used by executives of these Undertakings visiting the Ministry, was furnished as part of the scheme. Some tube lights were provided in some office rooms to improve the lighting. The decision to do these items was taken in August 1976 and implemented soon thereafter.

In so far as the Ministry of Petroleum is concerned similarly a sum of Rs. 14,971.81 P was spent in fixing up a publicity panel in the verandah of the Ministry which is frequently used by the Foreign dignitaries, concerned with Oil Industry.

No expenditure was incurred by any Public Sector Undertakings in furnishing office and/or residences of any officer of the Ministries of Petroleum and Chemicals and Fertilizers.

Broad Gauge Line from Mainpur to Amarkantak

2712. **Shri Shyamlal Dhurve** : Will the **Minister** of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a demand for a broad gauge Railway line from Mainpur to Amarkantak Pendra Gureilla via Mandla For; and

(b) if so, the reaction of the Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) No survey for this line has so far been made. It is not proposed to take up the project at present in view of the severe constraint on resources.

विदेशी औषध कम्पनियों का अधिपत्य

2713. श्री डी० पी० चन्द्र गौडा : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी औषध कम्पनियों का अभी भी औषध उद्योग में अधिपत्य है और वे राष्ट्रीय क्षेत्र के उद्योग की कीमत पर पनप रही है;

(ख) क्या बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां अभी तक मूल औषधियों का उत्पादन कर बढ़ी संख्या में फार्मूलेशनों और गैर-औषध मदों का निर्माण कर रही हैं; और

(ग) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उक्त कम्पनियों ने भारी लाभ कमाने के उद्देश्य से अपनी स्वीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन किया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी कम्पनियों और भारतीय कम्पनियों द्वारा औषधों का वार्षिक उत्पादन निम्नलिखित है :--

(रुपये करोड़ों में)

	प्रपुंज औषध			सूत्रयोग		
1	2	3	4	5	6	7
	1974-75	1975-76	1976-77 (अनुमान)	1974-75	1975-76	1976-77 (अनुमान)
विदेशी	34	52	63	203	300	292
भारतीय / सरकारी क्षेत्र / और लघु उद्योग क्षेत्र .	56	78	67	197	260	408
कुल	90	130	150	400	560	700

उपर्युक्त सारणी से यह जाना जा सकता है कि 1975-76 में 1 : 6 अनुपात की तुलना में 1976-77 में विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित सूत्रयोगों के लिए प्रपुंज औषध उत्पादन के मूल्य का अनुपात 1:4:6 था। प्रपुंज औषधों के उत्पादन का मूल्य 1976-77 में बढ़ गया था जबकि सूत्रयोगों का उत्पादन कम हो गया था।

विदेशी कम्पनियों के विस्तार के विनियमन के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई चयनात्मक नीति के अनुसार सूत्रयोगों के निर्माण के लिए विदेशी फर्मों को सामान्यतः औद्योगिक लाईसेंस तब तक जारी नहीं किए जाते हैं जब तक कि उनमें प्रपुंज औषधों का उत्पादन शामिल नहीं है।

(ग) विदेशी कम्पनियों द्वारा अपनी लाइसेंसकृत क्षमताओं से अधिक उत्पादन करने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं। औषध और भेषज उद्योग पर हाथी समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जिसमें प्राधिकृत/लाइसेंस प्राप्त क्षमताओं से अधिक उत्पादन के लिए कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए। ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और उन पर शीघ्र निर्णय लिये जाने की संभावना है।

नेफ्था का उत्पादन

2714. **श्री पी० राजगोपाल नायडू**: क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में नेफ्था का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ख) क्या नेफ्था के उत्पादन में हमारा देश आत्म-निर्भर है।

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): : (क) जी, हाँ।

(ख) इस समय नेफ्था का देशीय उत्पादन कुल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः कमी को आयात द्वारा पूरा किया जाता है।

अत्यावश्यक और जीवन रक्षक औषधियों की अनुपलब्धता

2715. **श्री के० मालप्पा :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और** उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेनीसिलीन जैसी आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियों की अनुपलब्धता के बारे में चिकित्सकों द्वारा काफी तकाजे के बावजूद ये दवाइयां उन्हें उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) क्या बड़े पैमाने पर प्रयुक्त की जाने वाली कुष्ट नाशक औषधि-डापसोन तथा थुरांइड जैसी आम दवाएं न मिलने के कारण इलाज जारी रखने में समस्या उत्पन्न हो रही है ;

(ग) क्या मलेरिया के लिये प्रयुक्त की जाने वाली एक मात्र दवा प्राइमाक्वीन भी निर्बाध रूप से नहीं मिल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) यद्यपि 1975–76 की तुलना में 1976–77 के दौरान डेपसोन सहित अनिवार्य प्रपुंज औषधों के उत्पादन में मोटे तौर पर वृद्धि हुई है, तथापि देश के कुछ हिस्सों में समय-समय पर कुछ ब्रांड दवाइयों की कमी होती रहती है ।

आई० डी० पी० एल० के ऋषिकेश स्थित एन्टीबायोटिक्स प्लांट में हड़ताल के कारण पेंसिलिन के उत्पादन में कुछ कमी हुई थी । डेपसोन गोलियों की पर्याप्त मात्रा सरकारी एजेंसियों को उपलब्ध कराई गई है ।

थईराइड गोलियों का उत्पादन आयातित प्रपुंज औषधों पर आधारित है । ये गोलियां कुछ समय के लिये देश के कुछ भागों में उपलब्ध नहीं थीं परन्तु आयातित स्टाक प्राप्त हो चुके हैं और सप्लाई पुनः स्थापित की जा रही है ;

(ग) प्रीमाक्यून गोलियों का पर्याप्त स्टाक और अन्य मलेरिया रोधक का स्टाक भी मार्केट में आसानी से उपलब्ध है । केवल प्रीमाक्यून ही मलेरिया रोधक औषध नहीं है ।

(घ) देश में औषधों की उपलब्धता धीरे-धीरे सुधर रही है । 1975–76 में 560 करोड़ रुपये के मूल्य के सूत्र योगों के मुकाबले में 1976–77 के दौरान उपलब्धता 700 करोड़ रुपये के मूल्य के सूत्रयोग उपलब्ध थे । 1977–78 के दौरान औषधों की उपलब्धता में और वृद्धि की संभावना है । रसायन और उर्वरक मंत्रालय विशेष रूप से 25 अनिवार्य मदों के उत्पादन की देखरेख कर रहा है । औषधों की उपलब्धता को और बढ़ाने के लिये सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में पर्याप्त मात्रा में विस्तार को योजनाबद्ध ढंग में, प्रोत्साहन दिया जाता है ।

प्रत्येक रेलवे जोन में सैलूनों की संख्या

2716. **डा० बी० ए० सईद मोहम्मद :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के प्रत्येक जोन में कितने सैलून हैं ; और

(ख) इन कोचों को बनाये रखने का उद्देश्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(क) 31-3-1977 को प्रत्येक रेलवे में निरीक्षक यानों की संख्या

रेलवे	बड़ी लाइन			मीटर लाइन			छोटी लाइन		
	8 पहियों वाले बोगीयान	4/6 पहियों वाले यान	जोड़	8 पहियों वाले बोगीयान	4/6 पहियों वाले यान	जोड़	8 पहियों वाले बोगीयान	4/6 पहियों वाले यान	जोड़
मध्य . .	14	83	97				7	2	9
पूर्व . .	23	82	105	..	..			2	2
उत्तर	35	62	97	15	20	35	4		4
पूर्वोत्तर				38	71	109			..
पूर्वोत्तर सीमा .	4	3	7	37	30	67	1		1
दक्षिण .	11	24	35	39	29	68	1	1	2
दक्षिण मध्य .	7	36	43	15	38	53	2	..	2
दक्षिण पूर्व .	27	79	106				15	11	26
पश्चिम .	15	37	52	26	30	56	7	1	8
जोड़ .	136	406	542	170	218	388	37	17	54

(ख) जारी किए गए नए अनुदेशों के अनुसार अधिकारियों द्वारा निरीक्षक यानों (सैलूनों) का उपयोग तभी किया जा सकता है जब वे उस क्षेत्र की रेल लाइनों तथा रेलवे संस्थापनाओं का निरीक्षण कर रहे हों, जहां उनके रहने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा छिद्रण कार्यों के लिये कार्यालय खोले जाना

2717. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने छिद्रण कार्य करने के लिये किन-किन स्थानों पर कार्यालय खोले ; और

(ख) बेमिन, रत्नगिरि (महाराष्ट्र) और टनुकू हाई (आन्ध्र प्रदेश) में छिद्रण कार्यों में कितनी प्रगति हुई है और सफलता मिली है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

समुद्रतट पर कार्य संचालन :

प्रायोजना	प्रायोजना के मुख्यालय के स्थान	राज्य
श्रीनगर घाटी .	श्रीनगर	जम्मू और काश्मीर श्री नगर घाटी में व्यवधान कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् कार्यालय अब ज्वालामुखी में स्थानान्तरित हो गया है।
रामगढ़ . . .	चंडीगढ़	चंडीगढ़ संघ क्षेत्र।
कांगड़ाघाटी . . .	ज्वालामुखी	हिमालय प्रदेश ।
सिलचर (उप प्रायोजना) . .	सिलचर	असम।
पूरनपुर	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश ।
नरसापुर . . .	राजामुन्द्री	आंध्र प्रदेश ।

समुद्री क्षेत्र में कार्य संचालन : शून्य ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अब तक उत्तरी बेसीन क्षेत्र में सात अन्वेषी कुओं और दक्षिणी बेसीन में तीन अन्वेषी कुओं की खुदाई की है । उत्तरी बेसीन क्षेत्र में अशोधित तेल मिला है और दक्षिणी बेसीन में अन्वेषी व्यधान के परिणामस्वरूप असम्बद्ध गैस पाये जाने के प्रमाण मिले हैं ।

रत्नागिरि में समुद्र के भीतरी क्षेत्र में एक अन्वेषी कुआं खोदा गया और व्यधन कार्य में जटिलताओं के कारण उसे समाप्त कर दिया गया है । इसी क्षेत्र में दूसरे कुएं पर खुदाई कार्य जारी है किन्तु अभी तक तेल अथवा गैस पाये जाने का कोई संकेत नहीं मिला है ।

आंध्र प्रदेश में तानुकू में अथवा उसके आसपास कोई खुदाई कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

Drug Factory in Rewa

2718. **Shri Y. P. Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government of India have taken a decision for setting up a factory in each State by Indian Drugs & Pharmaceuticals Limited and if so, whether Government are considering setting up this factory in Rewa city keeping in view the backwardness and unemployment in the eastern part of Madhya Pradesh ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : Government have decided that wherever possible Public Sector Undertakings would set up Joint Sector Unit in various States for the manufacture of drug formulations. Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited are negotiating with the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation to set up a formulation unit in M.P. The location is yet to be decided in consultation with the State Government.

खड़गपुर और डीघा को रेलवे लाईन द्वारा जोड़ा जाना

2719 **श्री समर गुह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्री को पश्चिम बंगाल में खड़गपुर रेलवे स्टेशन को डीघा समुद्री दर्शनीय स्थल से रेलवे लाईन द्वारा जोड़ने के बारे में अनेक ज्ञापन भेजे गए हैं;

(ख) क्या यह मामला अनेक बार सभा में भी उठाया गया है ; और

(ग) क्या सरकार ने पहिले इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) दिनांक 24-4-1977 का केवल एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) जी हां, केवल एक अतारांकित प्रश्न के द्वारा ।

(ग) जी नहीं ।

Stalls at Railway Stations

2720. **Shri Ram Prasad Deshmukh** : Will the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) whether contracts and licences are given to the vendors for opening the stalls at railway stations ; if so, the number of licences out of them given to Harijans during the last three years and the station-wise names of these Harijans; and

(b) whether some reservations will be made for Harijans on the patern of reservations made for them in jobs, in regard to contracts and licences to be given by Government in future ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) If vendors apply for award of contract of stalls and are found suitable on merits, the stalls are allotted to them. The information regarding the number of licences given to Harijans during the last 3 years is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

(b) Catering/vending contracts upto half a unit are allotted straightaway to Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates if found suitable. In the case of catering/vending contracts bigger than half a unit, the Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates get first preference for the award of such contracts.

विदेशी कम्पनियों और भारतीय कम्पनियों द्वारा जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन का अनुपात

2721 **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और भारतीय कम्पनियों द्वारा उत्पादित जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन व वर्तमान अनुपात क्या है ; और

(ख) भारतीय कम्पनियों के उत्पादन में वृद्धि करने और औषधियों का सम्पूर्ण उत्पादन इन कम्पनियों में करने हेतु इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवतीनदन बहुगुणा) : (क) केवल जीवन रक्षक औषधों के लिये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु पिछले तीन वर्षों में औषध उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों का औषध उत्पादन का मुख्य निम्न प्रकार था और इससे यह देखा जायेगा कि प्रपुंज औषधों और सूत्र योगों दोनों का अनुपात विदेशी एवं भारतीय क्षेत्रों के बीच में 1975-76 में 3 : 4 था ।

	प्रपुंज औषध			सूत्रयोग		
	1974-75	1975-76	1976-77 (अनुमानित)	1974-75	1975-76	1976-77 (अनुमानित)
विदेशी क्षेत्र .	34	52	63	203	300	292
सरकारी/लघु क्षेत्रीय उद्योगों सहित भारतीय क्षेत्र .	56	78	87	197	260	408
कुल .	90	130	150	400	560	700

(ख) सार्वजनिक/भारतीय क्षेत्र के विस्तार को प्रोत्साहन देने तथा विदेशी क्षेत्र के विस्तार को नियमित रखने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) औषधों का संकेतिक वर्गीकरण किया गया है जिसके अनुसार पूर्ण रूप से केवल सार्वजनिक/भारतीय क्षेत्र में उत्पादन के लिये कुछ औषध आरक्षित की गई हैं।

(2) निर्माण स्कीमों के अनुमोदन में उद्योग के भारतीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा और प्रपुंज औषधों का उत्पादन किया जा रहा है।

(4) सामान्य रूप से विदेशी कम्पनियों को सूत्रयोग उत्पादन के लिये औद्योगिक लाइसेंस केवल तभी दिये जाते हैं जब ये प्रपुंज औषधों के उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ होता है जबकि भारतीय कम्पनियों को अतिरिक्त सूत्रयोग क्षमता के लिये प्रपुंज औषधों का उत्पादन करने के लिए ही कुछ सीमा के अन्दर स्वीकृति दी जाती है।

(5) क्षमता में विस्तार करने अथवा कोई नई प्रक्रिया आरंभ करने के लिये स्वीकृति केवल इसी शर्त पर दी जाती है कि विदेशी कम्पनियां और अधिक मूल स्तर पर प्रपुंज औषधों का उत्पादन करें तथा उसका उचित भाग असम्बद्ध सूत्रयोग निर्माताओं को उपलब्ध करायें । जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है वहां पर निर्यात वचनबद्ध भी लगाई जाती है ।

हल्दिया स्थित पैट्रो-रसायन उद्योग समूह द्वारा नेफ्था का प्रयोग

2722. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया स्थित पैट्रो-रसायन उद्योग समूह के बारे में यह योजना है कि वहां हल्दिया तेल शोधक कारखाने के नेफ्था का प्रयोग किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान "बिजनेस स्टैण्डर्ड" में 'नो हल्दिया नेप्थ्या फार लोकल यूनिट्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) कम्पलैक्स की आवश्यकता पर आधारित, नेप्थ्या दोनों हल्दिया तेल शोधक कारखाने और अन्य संसाधनों से सप्लाई किया जायेगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में कार्य करने के लिए विदेशी फर्मों का पंजीकरण

2723. **श्री के० लकप्पा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में कुछ विदेशी फर्मों ने भारत में कार्य करने की अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या उन्होंने पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र दिया है, यदि हां, तो ये कम्पनियां किन-किन देशों की हैं ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितनी ऐसी कम्पनियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई है ; और

(घ) क्या वर्ष 1976 में भी किसी विदेशी कम्पनी का पंजीकरण हुआ था ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) सूचना संग्रह की जा रही है और वह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

श्रेणी रहित जनता रेलगाड़ियां चलाना

2724. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में चलाई गई श्रेणी रहित जनता रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है तथा उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) आगामी वर्ष में चलाई जाने वाली ऐसी रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है तथा उनका अन्य ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान लम्बी दूरी की निम्नलिखित गाड़ियां आरम्भ की गयी हैं जिनमें केवल दूसरे दर्जे का स्थान होता है :—

(1) नं० 91/92 टाटा नगर—मुजफ्फरपुर एक्सप्रैस (सप्ताह में तीन बार)

(2) नं० 135/136 मद्रास एगम्बूर—मदुरै—वैगाई एक्सप्रैस (सप्ताह में 6 दिन)

(3) नं० 69/70 काचेगुडा—अजमेर एक्सप्रैस (सप्ताह में दो बार)

(4) नं० 29/30 तिरूपति—हैदराबाद—रायलसीमा एक्सप्रैस (दैनिक)

(5) नं० 59/60 बम्बई वी०टी०—हावड़ा गीतांजली एक्सप्रैस (सप्ताह में दो बार)

(ख) 1978-79 के दौरान नयी गाड़ियां चलाने के संबंध में प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उत्कल एक्सप्रैस और कलिंग एक्सप्रेस की गति बढ़ाने का प्रस्ताव

2725. **श्री जैना बैरागी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी और निजामुद्दीन, दिल्ली के बीच चलने वाली उत्कल एक्सप्रेस और कलिंग एक्सप्रेस की गति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इन दोनों गाड़ियों के साथ भोजन यान नहीं लगाए जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी हां ।

(ग) यात्रियों की खान-पान की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मार्गवर्ती स्थायी खान-पान इकाइयों मे पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त हैं । इसके अलावा भोजन यानों को गाड़ियों में लगाने से यात्रियों के लिए स्थान की कमी हो जायेगी जो कि वांछनीय नहीं है।

Inquiry into Collision of two Trains at Delhi Junction

2726. **Shri Ramanand Tiwary**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a Commission or Committee has been set up to enquire into the causes of collision between the two trains at Delhi Junction on 31st October, 1977 ; and

(b) if so, whether the enquiry report has been received and the nature of action taken against the persons found guilty ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain):

(a) Yes.

(b) According to the finding of the Inquiry Committee, the accident was due to failure of the railway staff. Suitable disciplinary action is being initiated against the defaulting staff.

भारतीय रेल कर्मचारियों में व्याप्त कथित असंतोष

2727. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** :

डा० हेनरी आस्टिन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मजदूर संघों से एन० सी० आर० एस० द्वारा 1974 में पेश की गई मांगों पर, जिनका अभी भी निपटान नहीं किया गया है, बातचीत प्रारम्भ करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार भारतीय रेल कर्मचारियों में बढ़ रही अशांति के बारे में जानती है ; और

(ग) इस मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत के द्वारा हल करने के लिये उनका क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) न केवल 1974 में एन० सी० सी० आर० एस० द्वारा पेश की गयी मांगों में से उन मुद्दों के संबंध में जिनका समाधान नहीं हो सका बल्कि, अन्य मामलों के बारे में भी रेल कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों ने अभ्यावदन दिये हैं । संसद् में रेल मंत्री द्वारा दिये गये बयान कि वे रेल कर्मचारियों की समस्याओं पर श्रमिक संगठनों से विचार-विमर्श करेंगे, के अनुपालन में इन बकाया मांगों पर दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशनों अर्थात् आल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवे मैन तथा रेल श्रमिकों मे संबंधित कुछेक संसद् सदस्यों एवं उनके साथ आने वाले ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ हाल ही में विचार-विमर्श किया गया था, ताकि यह पता चल सके कि रेलों पर मधुर औद्योगिक संबंध का उचित वातावरण विकसित करने की दिशा में कौन-कौन से ठोस उपाय किये जा सकते हैं, और बकाया मांगों के बारे में स्थिति से उन्हें अवगत कराया गया था।

सहकारी क्षेत्र में उत्पादित उर्वरकों के बारे में शिकायतें

2728. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र में उत्पादित उर्वरकों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) सहकारी क्षेत्र में उत्पादित उर्वरकों की किस्म में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) सहकारी क्षेत्र में निर्मित उर्वरक के गुणों के संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं की गई है।

(ग) देश में बिकने वाले उर्वरकों पर गुण-नियंत्रण (क्वालिटी कण्ट्रोल) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1957 के प्रावधानों, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकारें करती हैं, के अन्तर्गत लागू किया जाता है । उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्य प्रावधानों की ही तरह गुण नियंत्रण को शीघ्र लागू करने के लिए, उर्वरक को एक आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है तथा राज्य सरकारों को दोषियों के विरुद्ध जांच करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के विरुद्ध शिकायत

2729. **डा० सुब्रमण्यम स्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेड क्रास सोसाइटी के विरुद्ध यात्री गाड़ी द्वारा भारत में कहीं भी बिना भाड़ा दिये अपना माल भेजने के विशेषाधिकार का दुरुपयोग किये जाने के बारे में शिकायत की गयी है, और

(ख) इस शिकायत के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां । रेड क्रास सोसाइटी, हरयाणा शाखा, चण्डीगढ़ द्वारा रेलवे रियायत के तथाकथित दुरुपयोग की एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) मामले की अभी छान-बीन की जा रही है

Joint Stock Companies with more than Fifty per cent Capital

2730. **Shri Raghavji:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of joint stock companies in India having more than fifty per cent foreign capital investment and the total amount of such foreign capital investment in India; and

(b) the amount of profit earned by the said foreign capital investors and the amount out of that sent by them to their respective countries?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) As at the end of 1975-76, there were 171 joint stock companies operating in India in each of which more than 50 per cent of the paid-up share capital was held by a single foreign body corporate. The total paid-up capital of these companies during the year 1975-76 amounted to Rs. 311.63 crores, of which Rs. 195.74 crores was held by their respective foreign holding companies. The Department of Company Affairs has no information about the number of companies in respect of which more than 50 per cent shares are held by more than one foreign body corporate and/or individual foreigners.

(b) the amount of profits before tax earned by 161 of the 171 companies during 1975-76 for which the relevant balance sheets are available was Rs. 219.48 crores, and of profits after tax Rs. 79.15 crores. The total amount of dividend remitted abroad by this group of companies during 1975-76 was Rs. 12.48 crores as per the information furnished by the Ministry of Finance.

Safety Drive on All Zonal Railways

*2731. **Shri Hargovind Verma:** Will the Minister of **Railways** be pleased to State:

(a) whether it is a fact that Government have been launching a safety drive in all the Zonal Railways since last month;

(b) if so, the gains achieved therefrom so far and

(c) if not, the steps proposed to be taken by the Government for safety?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) & (c) The gains from the safety drive will be known over a period of time.

Correction of Names of Stations

2732. **Shri Keshavrao Dhondge:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the steps being taken by the Railway administration to correct the names of stations wherever they are written incorrectly in Marathi on the line between Manmad and Mudkhed railway stations; and

(b) when these incorrectly written names will be corrected?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b) Director, Survey of India, South Central Circle, Hyderabad has been requested for

verification of Marathi names and spellings of stations on Manmad-Mudkhed Section and corrections, if any, will be made in due course.

Strength of Sweepers in Indian Railways

†2733. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the strength of sweepers in the Indian Railways; and

(b) the channels of their promotions?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Railway line between Delhi and Jahangirabad, Anup Shahr and Dibai

2734. **Shri Shiv Narain Sarsonia:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railway Board had conducted a survey 15—20 years ago to link Jahangirabad, Anup Shahr and Dibai with Delhi by a railway line and decided to lay this railway line; and if so, the action taken so far in this regard;

(b) whether representatives of Jahangirabad and Anup Shahr have submitted recently a memorandum to this regard to the Railway Board and to him; and

(c) whether some Members of Parliament have requested him to lay this railway line; and if so, the steps taken in this regard so far?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No survey had been carried out for the direct rail link between Dibai and Delhi via Anupshahr and Jahangirabad in the past. However, a traffic survey carried out during 1927-28 for Rhaphund-Bulandshahr rail link via Etah, Kasganj, Dibai, Anupshahr and Jahangirabad, of which Dibai-Anupshahr-Jahangirabad-Bulandshahr portion of Dibai-Delhi rail link forms a part, revealed that the project was not financially viable and was not taken up for construction.

(b) Yes.

(c) Yes, but due to severe constraint of resources, it has not been possible to undertake the construction of the proposed rail link.

Extension of Railway Line in Hill Areas

2735. **Shri T. S. Negi:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any scheme to extend the railway lines from Kathgodam, Ram Nagar, Kotdwar, Rishikesh and Dehradun to other places in the hill areas; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No.

(b) Does not arise.

Rationalisation Project, Sindri

2736. **Shri Birendra Prasad:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether the Rationalisation Project, Sindri has since been completed and the cost thereof and per day production therein; and

(b) whether the production in the project is as per scheduled targets in this regard; and if not, the reasons therefor?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) and (b) While the erection of the plants has been completed and trial runs are underway, regular production has not yet commenced. Certain teething troubles have been noticed in the Sulphuric Acid and Phosphoric Acid plants for which necessary remedial action has been initiated. The project is presently expected to cost Rs. 45.03 crores.

'नूतन स्टोव की लोकप्रियता

2737. **श्री जी० एस० रेड्डी:** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा बनाया गया मिट्टी के तेल का 'नूतन' नामक स्टोव लोकप्रिय हो गया है;

(ख) क्या इस स्टोव के उपकरण उपलब्ध न होने की शिकायतें मिली हैं; और

(ग) क्या कई पेट्रोल पम्पों ने इस स्टोव को बेचने से मना कर दिया है या उनके पास इन स्टोवों का भंडार नहीं है।

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी, हां।

(ख) अधिकांशरूप से 'नूतन' स्टोव के सहायक उपकरणों की नियमित सप्लाई की जाती है। तथापि, कुछ मामलों में कुछ सहायक उपकरणों से उपलब्धि न होने की सूचना मिलने पर, इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा उनकी नियमित सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये तुरन्त व्यवस्था कर दी गई थी।

(ग) पेट्रोल पम्पों द्वारा 'नूतन' स्टोव की बिक्री को स्वीकार न करने के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है। ऐसे भी अवसर आते हैं जब नये भंडार के आने तक, कुछ पेट्रोल पम्पों में थोड़े दिनों के लिये स्टोव सुलभ नहीं होते।

2738. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सीरिया में तेल की खोज का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या विशेषज्ञों का दल इस कार्य के लिए भारत से चला गया है; और

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की इस खोज कार्य के लिए क्या शर्तें हैं?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) उद्योग मंत्री, श्री जार्ज फर्नांडीस द्वारा सीरिया में किये गये विचार-विमर्श के अनुसार, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों के एक दल ने सीरिया में तेल अन्वेषण कार्य में भाग लेने के संबंध में आवश्यक सूचना/आंकड़े एकत्र करने के लिए 13 से 20 नवम्बर, 1977 को दौरा किया था। इस समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इस एकत्र की गई सूचना/आंकड़ों की जांच कर रहा है।

Chhitouni-Bagaha Railway Line

2739. **Shri Ram Dhari Shastri:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

whether the work on the Chhitouni-Bagaha railway line (which connects U.P. with Bihar) and the bridge has been suspended; and

(b) if not, the expenditure proposed to be incurred thereon during 1977-78?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) (a) and (b): Provision of Rs. 1.15 crores has been made for the project in the current financial year. It has not been possible to incur expenditure on the project in the current year so far as no work can be done on the project till such time as the question regarding the sharing of cost of the river training works of Gandak Bridge is settled with the Governments of Bihar and Uttar Pradesh.

रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजे की मंजूरी

2740. **श्री एच० एल० पी० सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों के शोकाकुल परिवारों को मुआवजे की मंजूरी देने की क्या समय-सीमा है ;

(ख) रेलवे बोर्ड को सौंपे गये मुआवजे देने के ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जो चार महीनों से अधिक समय से विचाराधीन है; और

(ग) सरकार का इनको शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82-ग के अंतर्गत, मुआवजे के लिए आवेदन पत्र दुर्घटना होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर दिया जा सकता है, परन्तु पर्याप्त कारण बताया जाने पर दावा आयुक्त इस बात की भी अनुमति दे सकता है कि मुआवजे के लिए आवेदन-पत्र दुर्घटना होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर किसी भी समय दे दिया जाये। इन दावों की क्षतिपूर्ति न्यायालय के फैसले के आधार पर की जाती है और रेल प्रशासन की ओर से इसमें कोई विलम्ब नहीं किया जाता। तथापि, रेल दुर्घटनाओं के कारण किये जाने वाले दावों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की गयी है।

(ख) और (ग) मुआवजे के दावे रेलवे बोर्ड को नहीं भेजे जाते। वे तदर्थ दावा आयुक्त/पदेन दावा आयुक्त जैसी भी स्थिति हो, के पास भेजे जाते हैं। भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अंतर्गत, तदर्थ दावा आयुक्त/पदेन दावा आयुक्त के पास 220 दावे ऐसे पड़े हैं जो 4 महीने से अधिक समय से अनिर्णीत हैं।

Conversion of Railway Lines in Korba and other places

2741. **Shri Chhabiram Argal:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether proposals for conversion of railway lines in Korba, Ranchi, Pale Rajahara, Bailadila and Sawai Madhopur, Sheopur, Morena, Gwalior, Bhind, etc. in broad gauge railway lines have been received by the Central Government;

(b) if so, the reaction of Government thereto and whether the surveys have since been undertaken or being undertaken for the purpose; and

(c) whether the Central Government will seriously consider the question of according priority to the work of laying of these railway lines keeping in view the fact that Madhya Pradesh is a backward state of the country ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) (a) Yes.

(b) and (c) : Surveys for the following lines have been carried out :

1. Ranchi-Lohardaga conversion from NG to BG.
2. Raipur-Dhamtari.

No survey has so far been carried out for conversion of the following narrow gauge lines into broad gauge :

1. Gwalior to Shivpuri.
2. Gwalior to Bhind.
3. Gwalior to Sheopur Kalan.

The Government are aware of the need for construction of new lines and gauge conversions in backward areas of the country but the projects may have to await better times for consideration on account of severe constraint of resources at present.

इलाहाबाद में पार्सल चढ़ाने उतारने का कार्य

2742. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब करार में इलाहाबाद में पार्सल चढ़ाने-उतारने का कार्य करने हेतु हर रोज 110 व्यक्ति भेजने का कोई नियत प्रावधान नहीं था तब रेल कर्मचारियों ने सोसाइटी द्वारा मजदूरों को भेजे जाने का रिकार्ड क्यों रखा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सोसाइटी के ध्यान में यह बात थी कि हर रोज 110 व्यक्ति भेजने के आधार पर उन्हें प्रति महीने 21.175 रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान होता था और इसलिए उन्होंने रेलवे कर्मचारियों को घूस देकर उनसे जाली रिकार्ड रखवाये ;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि सोसाइटी प्रतिदिन 60 से 70 तक श्रमिकों को काम पर भेज रही थी/है परन्तु अतिरिक्त राशि को हड़पने के लिए जाली नामों में उपस्थिति दिखा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) करार के अनुसार, सोसाइटी को काम की मात्रा के अनुरूप, पर्याप्त संख्या में श्रमिक सप्लाई करने होते हैं। चूंकि अनुमान यह लगाया गया था कि प्रतिदिन औसतन 110 श्रमिकों की आवश्यकता होगी, इसलिए अपेक्षित नियंत्रण बनाये रखने के उद्देश्य से, मंडल अधीक्षक, इलाहाबाद ने सोसाइटी द्वारा दिन-प्रतिदिन सप्लाई किये गये श्रमिकों का समुचित रिकार्ड रखने के लिए हिदायतें जारी की थीं।

(ख) सोसाइटी को इस तथ्य की जानकारी थी कि उन्हें प्रति मास 21.175 रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान 110 व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर किया जाता है। रेल कर्मचारियों द्वारा कोई जाली रिकार्ड नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Duties of Guards of Goods Trains

2743. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is a fixed duty roster in the case of selected grade, grade 'A' and grade 'B' train guards;

(b) whether there is no fixed duty roster in the case of 'C' grade guards or guards of goods trains; and if so, the reasons therefor; and

(c) the basis on which guards of goods trains are assigned duties ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a), to (c) As a rule Guards of special Grade and those of Grades 'A' and 'B' who work on Mail, Express and Passenger trains, which work according to fixed path and scheduled timings, perform their duties according to fixed duty links. Certain Guards of Grade 'C' who work on smalls quick transit trains, which are scheduled trains, also perform their duties on the basis of fixed duty links.

Since Goods trains can generally run according to the materialisation of the stock and power position as also on the availability of path, the Guards of 'C' Grade who work on these trains cannot work according to fixed duty links and they are assigned duties on the principle of "first-in-first-out", care being taken to see that the limitations of hours of employment and the rest provisions under Hours of Employment Regulations are, as far as possible, not breached.

Such of the Guards of Gr. 'B' who work on Goods trains like coal pilots also work on the principle of 'first-in-first-out'.

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के पी० डब्ल्यू० आई० एस० की कुल संख्या

2744. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेवे में वर्ष 1975-76, 1977 में वेतनमान 250-380, संशोधित वेतनमान 425-700 में कुल कितने पी० डब्ल्यू० आई० एस० को रु० 550-750 के वेतनमान में पदोन्नत किया गया ;

(ख) ग्रेड रु० 550-750 पदोन्नत किए गये पी०डब्ल्यू० आई० एस० में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी है और एक अनुसूचित जाति तथा जनजाति का कोटा पूरा भरा गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, कोटा पूरा न करने के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) उत्तर रेलवे में 250-380 रु० (प्राधिकृत वेतनमान) 425-700 रु० (संशोधित वेतनमान) ग्रेड से 550-750 रु० (संशोधित वेतनमान) ग्रेड में पदोन्नत रेल पथ निरीक्षकों की संख्या नीचे दी गयी है :—

वर्ष	जोड़	अनु० जा०	अनु०ज०जा०
1975	12	1	1
1976	25	6	—
1977	21	2	—

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा कर दिया गया है। (ग) 425-700 रु० (संशोधित वेतनमान) ग्रेड से 550-750 रु० (सं०वे०) ग्रेड में पदोन्नति के लिए रेलपथ निरीक्षकों के संपूर्ण संवर्ग में अनुसूचित जनजाति का एक भी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।

रेल प्लेटफार्मों पर बेची जाने वाली चाय आदि तथा अन्य खाद्य पदार्थों की किस्म

2745. **श्री सुशील कुमार धारा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश पर्यन्त रेल प्लेटफार्मों पर बेची जा रही अत्यन्त निकृष्ट कोटि की चाय, शीतल पेय सहित अन्य पेय तथा बिस्कुट आदि के समाचारों की ओर गया है ; और

(ख) रेलवे के खान-पान विभाग अथवा निजी ठेकेदारों द्वारा सप्लाई किये जा रहे पेय तथा खाद्य पदार्थों की किस्म में सुधार करने के लिए कोई प्रयास किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेलवे स्टेशनों पर दी जानेवाली चाय, अन्य पेय आदि की किस्म के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) पेय तथा खाद्य वस्तुओं की किस्म में सुधार के लिए रेलों ने अनेक कदम उठाये हैं जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर 'आधार रसोईघर' स्थापित करना, भोजन पकाने की आधुनिक तकनीकें लागू करना, रसोई के आधुनिक उपकरणों और उपस्करों की व्यवस्था; अच्छे किस्म के खाद्य पदार्थ और सामग्री प्रमाणिक सम्भरण कर्ताओं से खरीदना आदि। विभागीय इकाइयों में चाय और काफी प्रामाणिक स्थानों से अच्छे किस्म की खरीदी जाती हैं। महत्वपूर्ण गाड़ियों में चाय और काफी थरमस फ्लास्कों में दी जाती है ताकि यात्रियों को गरम-गरम चाय, काफी मिले। रेल परिसरों में केवल अच्छे किस्म के प्रामाणिक शीतल पेय बेचने की अनुमति दी जाती है। विभागीय तथा निजी खान-पान इकाइयों द्वारा यात्रियों को अच्छे किस्म की चाय, काफी आदि दी जाये, यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षकों तथा अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण किया जाता है तथा आवधिक छापे मारे जाते हैं। जब कभी खान-पान कर्मचारियों अथवा ठेकेदारों की त्रुटियां मालूम पड़ती हैं तो भविष्य में ऐसी त्रुटियों की रोकथाम के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। खान-पान कर्मचारियों को बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली आदि में स्थित खान-पान संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

Railway Bridge on Shikohabad Bateshwar Road

2746. **Shri Ramji Lal Suman** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the passengers have to undergo a lot of inconvenience to cross the railway line on the Shikohabad Bateshwar Road in the absence of a railway bridge;

(b) if so, whether Government propose to construct a bridge thereon; and

(c) if so, the time by which it will be constructed ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No. The city and the station are on the same side and hence there is no need for the majority of the railway passengers to cross the tracks.

(b) & (c) Do not arise in view of reply to (a) above.

व्हील एण्ड ऐक्सल प्लांट, बंगलौर

2747. **श्री वी० रचैया:** क्या रेल मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में व्हील एण्ड ऐक्सल प्लाट को मंजूर किया गया था ;

(ख) परियोजना की कुल लागत क्या है ;

(ग) उसमें राज्य का अंशदान क्या है ; और

(ध) अब तक कितना व्यय किया गया है और कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) 38, 39 करोड़ रुपये।

(ग) कर्नाटक सरकार ने 5000रु० प्रति एकड़ की रियायती दर से 291 एकड़ भूमि आंबटित की है।

(घ) अक्तूबर, 1977 के अंत तक 165 लाख रूपये खर्च हो चुके हैं। फैक्ट्री स्थल को समतल करना, प्रस्तावित रेलवे कालोनी में सड़कों और नालियों के निर्माण जैसे प्रारम्भिक निर्माण कार्य शुरू किये जा चुके हैं और वे शीघ्र पूरे होने वाले हैं।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को संचित हानि

2748. **डा० बापू कालदाते** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को 26 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई हैं।

(ख) यदि हां, तो इसका पूंजी परिव्यय कितना था;

(ग) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के संयंत्र का आयातित प्रौद्योगिकी पर 16 करोड़ रूपये के परिव्यय से विस्तार होगा ; और

(घ) क्या उक्त अतिरिक्त पूंजी से हानि समाप्त हो जाएगी ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 31-3-77 तक इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स को संचित हानि 29.94 करोड़ रूपये है।

(ख) 31-3-77 को इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की प्रदत्त पूंजी 45.80 करोड़ रुपये थी।

(ग) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स के वीरभद्र (ऋषिकेश) संयंत्र का 15.30 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजीगत परिव्यय से विस्तार किया जा रहा है जिसमें विदेशी तकनीकी जानकारी शुल्क और एन्टीबायोटिक्स के उत्पादन के लिये स्ट्रेनी का शुल्क भी शामिल है।

(घ) इस अतिरिक्त निवेश से संयंत्र की क्षमता में वृद्धि होगी और संयंत्र राजस्व का अर्जन करेगा तथा उससे कम्पनी की हानि आंशिक रूप में समाप्त हो जायेगी।

आगरा-दिल्ली रेलगाड़ी के यात्रियों का लूटा जाना

2749. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि चार हथियार बन्द लुटेरों ने 7 अक्तूबर 1977 को आगरा-दिल्ली यात्री गाड़ी के दूसरे दर्जे के एक डिब्बे के सभी यात्रियों को लूट लिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि यात्रियों ने गाड़ी को रोकने की आशा से जंजीर खींची परन्तु जंजीर ने काम नहीं किया ;

(ग) क्या इस बारे में कोई छान-बीन अथवा जांच कराई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) : क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद के कारण हरियाणा पुलिस अथवा दिल्ली पुलिस द्वारा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। गृह मंत्रालय से अनुरोध किया जा रहा है कि इस मामले को दर्ज करने और तत्काल जांच-पड़ताल करने के लिए संबंधित राज्य पुलिस को निर्देश दे।

देश में पैट्रोल का प्रत्याशित उत्पादन

2750. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :**

श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 तक पैट्रोल की 320 लाख टन की खपत को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिये देश में पैट्रोल उत्पादन की अनुमानित प्रतिशतता कितनी होगी;

(ख) हाल ही में पता लगे तेल से अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) तमिलनाडु में खोज द्वारा राष्ट्रीय संसाधनों का तेल का कितना अंशदान प्राप्त होने की संभावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) ऐसा अनुमान है कि वर्ष 1980–81 तक अशोधित तेल के देशीय उत्पादन की दर प्रतिवर्ष लगभग 17 से 18 मिली० मी० टन होगी।

(ख) समुद्रतटीय क्षेत्रों की कुछ छोटी-छोटी संरचनाओं में हाल ही में तेल संबंधी जिन उपलब्धियों का पता चला है, वे यथा योजनाबद्ध उत्पादन को बनाये रखने में सहायक होगी क्योंकि इन संरचनाओं से उपलब्ध अतिरिक्त अशोधित तेल कुछ वर्तमान तेल क्षेत्रों से पूर्वानुमानित गिरते हुए उत्पादन को प्रति सन्तुलित करेगा। जहां तक समुद्र के अन्दरुनी तट क्षेत्रों का संबंध है, वर्ष 1980–81 के दौरान समुद्रतट के अदरुनी क्षेत्रों से प्रतिवर्ष लगभग 9 मिली मी० टन के अनुमानित उत्पादन होने की संभावना है। वसीन की दक्षिण संरचना में हाल ही में एक दूसरे अपतटीय तेल का जो पता चला है, उसकी पूरी क्षमता का अभी पूर्ण रुपेण मूल्यांकन करना है।

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तमिलनाडू में भू-गर्भीय तथा भौतिकीय सर्वेक्षण जारी रखने की योजना बना रहा है। अब तक वहां पर वाणिज्यिक तौर पर किसी प्रकार के तेल की खोज का पता नहीं चला है।

विधायी विभाग में हिन्दी का प्रयोग

2751. **श्री एल० एल० कपूर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये अपनी टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखने की अनुमति है ; और

(ख) क्या विधायी विभाग में सरकारी टिप्पणियों के लिये वास्तव में हिन्दी का प्रयोग किया जाता है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ, यथा संभव विधायी विभाग में राजभाषा विंग तथा विधि साहित्य प्रकाशन के अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी टिप्पणियाँ तथा प्रारूप हिन्दी में लिखते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे अनुभागों में जहाँ अधिकाँश कर्मचारी हिन्दी में काम कर सकते हैं, वहाँ प्रतिदिन के काम में हिन्दी का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है।

तट पर खोज कार्यक्रम

2752. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट पर तेल खोज कार्यक्रम के बारे में उचित बल नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, कछार, श्री नगर घाटी गोदावरी-कृष्णा बेसिन आदि में तट पर खोज कार्यक्रम आरम्भ करने में रूकावट डालने वाले क्या कारण थे ; और

(ग) उक्त रुकावट डालने वाले कारणों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) समुद्र तट पर तेल अन्वेषण कार्यक्रम पर भी उचित जोर दिया गया है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कछार में पहले से ही व्यधन संचालन का आयोजन कर रहा है। इसने पहले उत्तर प्रदेश तथा श्री नगर घाटी में भी व्यधन कार्य आरम्भ कर दिया था। कृष्णा-गोदवरी बेसिन में व्यधन कार्य और उत्तर प्रदेश में और व्यधन कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Railway line from Sardar Shahr to Hanumangarh

2753. **Shri Daulat Ram Saran** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) since when the demand for a new railway line from Sardar Shahr to Hanumangarh (Rajasthan) via Rawat Sar is being made;

(b) whether there are rich deposits of Gypsum mineral at Burmsar and Purab Sar situated between Sardar Shahr and Rawat Sar and from where truck loads of Gypsum are sent daily to Hanumangarh Railway station (Junction) for onward transport by goods trains and if so, the quantity of Gypsum being transported by goods trains from there every month;

(c) whether Rawat Sar is also a good Mandi of the fertile canal area and whether there is no railway line for the transportation of the produce of this area; and

(d) whether Government propose to conduct a survey for laying the railway line soon and whether it would be included in the next plan in view of its importance ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) A proposal to extend railway line from Hanumangarh to Purabsar via Rawat Sar was

received in 1971 and a proposal to link Hanumangarh with Sardar Shahr via Rawat Sar has been received recently.

(b) Small deposits of Gypsite are known to occur near Burm Sar and Purab Sar areas of Ganganagar District, Rajasthan. Average loading of Gypsum at Hanumangarh comes to 94 wagons per month.

(c) Yes.

(d) In view of the very limited traffic prospects, it is not proposed to take up the survey for the proposed line.

जम्मू रेलवे स्टेशन को जंक्शन बनाना

2754. **श्री बलदेव सिंह जसरौतिया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका मंत्रालय जम्मू को, बरास्ता अखनूर अथवा इधर-उधर के क्षेत्र, पूंछ से मिलाकर एक रेलवे जंक्शन बनाने के बारे में सक्रियता से विचार कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : जी नहीं। फिर भी, इस समय जम्मू से उधमपुर तक रेल लाइन के विस्तार के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का काम जारी है।

Trains in Pratap Nagar Division on Western Railway

2755. **Shri Amarsinh Rathwa:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the speed of the trains per hour in kilometres, on metre gauge line in Pratap Nagar Division on the Western Railway;

(b) whether it is a fact that there is overcrowding in the trains due to less number of coaches there;

(c) whether there is any proposal to introduce diesel train on the metre gauge line;

(d) the steps to be taken in regard to parts (b) and (c) above and when this proposal is likely to be implemented; and

(e) whether more trains will be introrduced and if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Maximum permissible speed of Narrow Gauge trains in Baroda Division ranges from 15 to 50 kilometres per hour.

(b) Overcrowding is noticed on certain sections.

(c) No.

(d) Augmentation of trains is not feasible due to shortage of Narrow Gauge stock.

(e) One pair of trains has been introduced between Dabhoi and Miyagam Karjan from 27-9-1977.

पर्वतीय क्षेत्रों के रेल कर्मचारियों के लिये मकान किराया भत्ता

2756. **श्री के० बी० चेतरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमाँत रेलवे के डी० एच० सेक्शन के पहाड़ी क्षेत्रों के रेल कर्मचारियों को 5 प्रतिशत मकान किराया भत्ता मिल रहा है जबकि शिमला के रेल कर्मचारियों को 15 प्रतिशत मकान किराया भत्ता मिलता है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) क्या डी० एच० सेक्शन के पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाले रेल कर्मचारियों के मकान ों में वृद्धि करने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के दार्जिलिंग-मालय खंड के कुछ स्टेशनों पर तथा शिमला में रेल कर्मचारियों को दिये जाने वाले मकान किराया भत्ता की दरें निम्नलिखित हैं :—

पहाड़ी स्थान का नाम	वेतन की श्रेणी	मकान किराया भत्ता की दर
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का दार्जिलिंग-हिमालय खंड		
कुरसियाँग, दार्जिलिंग	284 रु० से कम	15 रुपये
	284 रु० और उससे अधिक लेकिन 750 रु० से कम	वेतन का 5 प्रतिशत लेकिन 15 रु० से कम नहीं।
	750 रु० और उससे अधिक	786.45 रु० का वेतन पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि के बराबर
शिमला	—	वेतन का 7½ प्रतिशत लेकिन 200 रु० से अधिक नहीं।

(ख) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जिनमें रेल कर्मचारी भी शामिल हैं, मकान किराया भत्ता की मंजूरी का प्रश्न आबादी पर आधारित नगरों के वर्गीकरण से जुड़ा हुआ है। पहाड़ी स्थान, सुदूर तथा अस्वास्थ्यकर बस्तियाँ जो उक्त वर्गीकरण के आधार पर मकान किराया भत्ता की मंजूरी की पात्रता के अंतर्गत नहीं आतीं, वहाँ इसका नियमन सरकार के विशेष आदेशों के द्वारा किया जाता है। आबादी के विचार से शिमला का वर्गीकरण 'ग' श्रेणी के नगर में किया जाता है और तदनुसार, वहाँ केन्द्र सरकार के कर्मचारी 'ग' श्रेणी के नगरों के कर्मचारियों की भांति 7½ प्रतिशत की दर से (15 प्रतिशत की दर से नहीं) मकान किराया भत्ता पाने के पात्र हैं।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के दार्जिलिंग-हिमालय खंड के उपर्युक्त स्टेशनों पर जो मकान किराया भत्ता के लिए नगरों के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आते, मकान किराया भत्ता का नियमन सरकार के विशेष आदशों के अंतर्गत किया जाता है।

(ग) पहाड़ो स्थानों में मकान किराया भत्ता की दरों की संयुक्त वार्ता तंत्र की एक समिति द्वारा पुनरीक्षण किया जा रहा है।

Demand of Indian Oil Experts in African Countries

2757. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether there is a demand of Indian oil experts in African countries; and

(b) the number of oil experts in African countries at present ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) Yes, Sir.

(b) Seventeen Oil experts of Undertakings of this Ministry have been deputed to work in African countries. Information regarding other experts who may be working there is not available.

धनबाद स्थित इण्डियन स्कूल ऑफ माईन्स के पेट्रोलियम इंजीनियरी विभाग की ओर से ज्ञापन

2758. **श्री ए० के० राय :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम इंजीनियरी स्नातकों की शिकायतों के बारे में धनबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स के पेट्रोलियम इंजीनियरी विभाग के छात्रों की ओर दिनाँक 10 सितम्बर, 1977 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है ;

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) जी, हाँ। इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स धनबाद के पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों की ओर से दिनांक 10 सितम्बर, 1977 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसको दिनांक 27 सितम्बर, 1977 के दूसरे ज्ञापन से संशोधित कर दिया गया था। संक्षिप्त रूप से, निम्नलिखित माँगें संशोधित ज्ञापन में प्रस्तुत की गई हैं :—

(i) इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स के पेट्रोलियम इंजीनियरिंग स्नातकों की सेवाओं का पूर्ण रूप से सदुपयोग किया जाना चाहिए।

(ii) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में पहले से ही कार्यरत पेट्रोलियम इंजीनियरिंग स्नातकों को किसी क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देने हेतु उच्च/विशेष प्रकार के ग्रेड प्रदान किये जायें ;

(iii) पेट्रोलियम इंजीनियरिंग छात्रों को जो इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर साक्षात्कार के उपरान्त सीधा सहायक कार्यकारी अभियन्ता के पदों पर नियुक्त किया जाए। इंडियन स्कूल आफ माईन्स में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग स्नातकों को उनके पाठ्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रशिक्षण को इस श्रेणी के पदों की नियुक्ति के लिए आवश्यक प्रशिक्षण समझा जाये;

(iv) पेट्रोलियम इंजीनियरिंग स्नातकों को शीघ्र ही नौकरी देने के लिए, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स के परिसर में प्रति वर्ष अप्रैल-मई के दौरान स्नातक होने से पूर्व ही विधिवत गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार करवाने चाहिए।

(v) देश के एक छोर से दूसरे छोर तक तथा ऊपर से नीचे तक की गतिशीलता (व्यधन/उत्पादन/जलाशय इंजीनियरिंग/पाइपलाइन निर्माण संचालनों आदि को सम्मिलित करते हुए) पेट्रोलियम इंजीनियरों के एक पृथक संवर्ग का सृजन करना चाहिए।

(vi) मुख्य रूप से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग स्नातकों को नौकरी देने वाले तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को इनके मामले में सहानुभूतिपूर्वक जांच करने के लिए अनुरोध किया जाये। इंडियन स्कूल

ग्रॉफ माइन्स के निदेशक ने तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग के ग्रध्यक्ष को ज्ञापन में दी गई विभिन्न माँगों पर विचार-विमर्श करने के लिए ग्रपने एक वरिष्ठ ग्रधिकारी को भेजने के लिए भी पृथक से लिखा है। तद्नुसार तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग के निदेशक (कार्मिक) धनवाद में दिनाँक 16-11-1977 को छात्रों से मिले ग्रौर उनको उनके उक्त ज्ञापन में उठाई गई विभिन्न माँगों के सम्बन्ध में व्यापक रूप से तेल तथा प्राकृतिक गैस ग्रायोग की नीति स्पष्ट की।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रौषध एककों की स्थापना का प्रस्ताव

2759. **श्री ग्रहमद हुसैन:** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र (ग्रासाम सहित) ने ग्रौषधों की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त क्षेत्र में ग्रौषध एकके स्थापित करने के लिए इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एक सार्वजनिक उपक्रम) को प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने ग्रब तक ग्रपने प्रस्ताव भेजे हैं ; ग्रौर

(ग) उस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ग्रथवा करने का विचार है ?

पैट्रोलियम ग्रौर रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटक ग्रौर गोवा राज्यों ने ग्रपने राज्यों में संयुक्त क्षेत्र एकक स्थापित करने के लिए इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के साथ संपर्क स्थापित किया है। सरकार ने ग्रब तक उत्तर प्रदेश में सूत्रयोग एकक की स्थापना के लिए ग्रभी पंजाब में स्टार्च, डेक्सट्रास ग्रादि के निर्माण के लिए एकक की स्वीकृति दी है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने सभी उत्तर, पूर्वी राज्य सरकारों को लिखा है जिसमें उन्होंने क्षेत्र में सभी राज्यों के साथ संयुक्त साझेदारी से क्षेत्र में एक एकक स्थापित करने की संभावनाग्रों के बारे में सुझाव भेजे थे।

सेन्ट्रल रेलवे, बम्बई वी० टी० के जनरल मैनेजर को ज्ञापन

2760. **श्री ग्रार० के० महालगी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि सेन्ट्रेल रेलवे, बम्बई वी० टी० के जनरल मैनेजर को हाल ही में मालगाड़ी के ड्राइवरों की शिकायतों ग्रौर कठिनाइयों के बारे में ज्ञापन प्राप्त हुग्रा है जिस पर लगभग 150 मालगाड़ी के ड्राइवरों के हस्ताक्षर थे ;

(ख) यदि हाँ तो कब ग्रौर इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ग्रौर क्या सम्बद्ध ग्रधिकारी को तदनुसार सूचित कर दिया गया है ;

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; ग्रौर

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हाँ।

(ख), (ग) और (घ) : सरकारी नीति के अनुसार किसी भी स्रोत से प्राप्त हुए कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर समुचित विचार किया जाता है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है। सभी कोटियों के कर्मचारियों की माँगों पर विचार किया जाता है और स्थायी वार्तातंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र के विभिन्न स्तरों के माध्यम से उन्हें हल किया जाता है। तदनुसार इस अभ्यावेदन पर भी विचार किया जा रहा है।

सेन्ट्रल रेलवे, बम्बई वी० टी० के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेंट को अभ्यावेदन

2761. **श्री आर० के० महालगी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेण्ट्रल रेलवे बम्बई, वी० टी० के डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट को वाणिज्यिक कर्मचारियों की कठिनाइयों के बारे में नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन (थाना ब्रांच) डिस्ट्रिक्ट थाना (महाराष्ट्र) से दिनाँक 20 अगस्त, 1977 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और क्या इसकी सूचना सम्बद्ध अधिकारी को कर दी गई है;

(ग) यदि इस बारे में कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बारे में कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हाँ।

(ख), (ग) और (घ) सरकारी नीति के अनुसार, किसी भी स्रोत से प्राप्त हुए कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर समुचित विचार किया जाता है और आवश्यक कार्यवाई की जाती है। सभी कोटियों के कर्मचारियों की माँगों पर विचार किया जाता है और स्थायी वार्तातन्त्र और संयुक्त परामर्श तंत्र के विभिन्न स्तरों के माध्यम से उन्हें हल किया जाता है ; तदनुसार इस अभ्यावेदन पर भी विचार किया जा रहा है।

कल्याण के 60 व्यक्तियों द्वारा ज्ञापन

2762. **श्री आर० के० महालगी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उपरि-पुल तथा अन्य कठिनाइयों के बारे में कल्याण (डिस्ट्रिक्ट थाना महाराष्ट्र) के लगभग 60 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है और क्या इसकी सूचना सम्बद्ध अधिकारी को दे दी गई है ;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कार्यवाही कब की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण)

(क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) 259—1971 को प्राप्त अभ्यावेदन में निहित अनुरोध पर विचार किया जा रहा है और पार्टी को शीघ्र ही उत्तर भेज दिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे में गोदाम विभाग का विभाजन

2763. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम रेलवे के गोदाम विभाग के विभाजन तथा इसके फलस्वरूप विभाग में वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ हुए अन्याय के बारे में दिनांक 6 मई, 1977 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है कि 6-5-77 का विशिष्ट अभ्यावेदन पश्चिम रेलवे को मिला है । भंडार विभाग के विभाजन के सम्बन्ध में रेल मंत्रालय और पश्चिम रेल प्रशासन दोनों को अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं । भंडार विभाग को लिपिक वर्गीय और गैर-लिपिक वर्गीय भागों में विभाजित करने की घोषित नीति के अनुसार पश्चिम रेलवे के भंडार नियंत्रक ने 3-11-1959 को एक आदेश जारी किया था । इस आदेश को बम्बई उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया और मामला न्यायालय के विचाराधीन है । उसी दौरान बम्बई उच्च न्यायालय ने रेल प्रशासन को यह अनुमति दे दी कि वह 2-11-59 को वरिष्ठता स्थिति के अनुसार अर्थात् लिपिक वर्गीय और गैर-लिपिक वर्गीय कर्मचारियों में विभाजन को नजरअन्दाज करते हुए 3-11-59 के आदेश जारी होने से पहले की वरिष्ठता सूची के अनुसार तदर्थ पदोन्नतियां कर सकता है, संतप्त कर्मचारी मई 1977 में इस मामले को गुजरात उच्च न्यायालय में ले गये और उन्होंने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है, चूंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है इसलिए विभाजन योजना को नजर-अन्दाज करते हुए 2-11-59 को वरिष्ठता सूची के अनुसार जो कर्मचारी अब वरिष्ठ हो गये हैं उनकी शिकायतों का कारगर ढंग से निराकरण नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा करने में विभाजन योजना के अनुसार प्रवरण/उपयुक्तता सम्बन्धी जांच की वास्तविक कार्रवाइयों के आधार पर उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नत कर्मचारियों के बड़े पैमाने पर पदावनतियां करनी पड़ेंगी ।

Behaviour of Railway Police Personnel

2764. **Shri Ram Naresh Kushwaha :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the behaviour of the railway police personnel and the working of the Railway Police following the railway accident at Naini Station ;

(b) whether he is satisfied with the behaviour of these security personnel showed towards the passenger at that time; and

(c) if not, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b) : Yes.

(c) Does not arise.

Gang of Thieves of Railway Lines in Kanpur

2765. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a gang of thieves involved in theft of Railway lines was arrested in Kanpur in August, 1977 ; and

(b) the details in regard thereto and of the articles recovered from them?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes. A gang of ten thieves involved in a case of theft of rails from Kanpur was arrested in the month of July, 1977 and not in the month of August, 1977.

(b) One rail line has been recovered.

Medicines at Cheaper Rate in Rural Area

2766. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether any scheme to make available medicines at cheaper rates in remote rural areas is under consideration;

(b) if so, whether Government would supply medicines, essential for rural people at cheaper rates in every village; and

(c) whether Government propose to give directions to drug manufacturers in this regard?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) to (c) The prices of drugs are statutorily controlled under the provision of Drugs (Prices Control) Order, 1970. Drug manufacturing units having turnover not exceeding Rs. 50 lakhs in drug formulations are, however, exempt from obtaining price approval for formulations. The prices of drugs are revised/fixed in accordance with the mechanism provided in the said Order. Through the operation of said Order it has been possible to contain the prices within fairly reasonable levels.

There is no excise duty on sera, vaccines, anaesthetics, medicinal grade oxygen etc. All formulations marketed under the generic name are subject to a concessional rate of excise duty of only 1 per cent. Patent or proprietary formulations based on 25 essential bulk drugs of life saving nature are eligilble for a concessional rate of excise duty of 2.5 per cent as of May 1977, as against the normal rate of 12.5 per cent. 75 life saving drug formulations are totally exempted from customs duty when imported by actual users. As a result of these measures the prices of some drug formulations already stand reduced.

Ministry of Health & Family Welfare have also drawn up a 'Community Health Workers Scheme'. Under this Sceme, some medicines supplied by the Government will be distributed free of cost by the Community Health Workers to the villagers. In the present phase, however, the scheme is in operation only in 777 Primary Health Centres in the country and as such it is applicable only to the villages covered by these centres.

The Hathi Committee on Drugs & Pharmaceuticals Industry has identified 117 drug formulations which, in its opinion, are extensively used in medical practice both in urban and rural areas. The Committee has made several recommendations to make these essential drugs available at reasonably low prices throughout the country. The recommendations of the Committee are in the final stages of consideration.

Ministry of Finance have also constituted an Indirect Taxation Enquiry Committtee which is looking into the indirect taxes on all commodities including medicines. Any reduction in indirect taxes based on the recommendations of this Committee would have the effect of reducing the prices of drugs.

Allotment of Ponds between Mansi Railway Station and Thana Vechpur

2767. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether every pond situated between Mansi Railway station and Thana Vechpur on the North Eastern Railway is allotted every year;

(b) whether it is a fact that there are cuttings at two places between Pasraha and Narayanpur and fish in plenty are available there and sufficient income accrues to the Railway every year from the said ponds;

(c) if so, the amount for which the said cutting between Narayanpur and Pasraha is allotted every year and the amount deposited in Government Treasury every year;

(d) whether it is also a fact that the contractor gets the contract at high rate in the beginning and gets it reduced later on in collusion with the officer concerned; and

(e) the amount received by the Railway from the said pond for the period 1971 to 1977 and the amount outstanding against the contractor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No station by name Thana Vechpur is existing on North Eastern Railway but there is a station called Thana Bihpur. On Mansi-Thana Bihpur section of North Eastern Railway, fish ponds on railway land are being licensed through open tenders once in 3 years.

(b) Yes.

(c) As the fishing rights are licensed once in 3 years, for the period 1975-76 to 1977-78 fishing rights were given at the rate of Rs. 50,519/- per annum and this amount has been deposited with the Railway.

(d) No.

(e) The information is given below:

1970-71	Rs. 21,125
1971-72	Rs. 21,225
1972-73	Rs. 31,852
1973-74	Rs. 31,852
1974-75	Rs. 31,852
1975-76	Rs. 50,519
1976-77	Rs. 50,519
1977-78	Rs. 50,519

No amount is outstanding against the contractor.

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

2768. **श्री स्कारिया थामस :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं और उत्पादन में अन्तर कितना है; और

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1977-78 के लिए देश के पेट्रोलियम उत्पादों की कुल मांग का अनुमान 26 मिलियन मी० टन लगाया गया है। इस मांग को लगभग 10.8 मिलियन मी० टन देशी अशोधित तेल को तथा लगभग 1५.5 मिलियन मी० टन आयातित अशोधित तेल को साफ करके पूरा किया जायगा। इसके अतिरिक्त कुछ कमी वाले पेट्रोलियम उत्पाद जैसे मिट्टी का तेल, हाई-स्पीड डीजल, नेप्था, मिट्टी का तेल आदि का कुल 26 मिलियन मी० टन का भी आयात किया जा रहा है।

विदेशी औषध फर्मों को लाइसेंस दिया जाना

2769. **श्री आर० के० अमीन**: क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से अधिक इक्विटी पूंजी वाली विदेशी औषध फर्मों के कितने प्रस्ताव सी०ओ० वी०/औद्योगिक लाइसेंसों के रूप में मंजूर किये गये हैं और सरकार के पास कितने प्रस्ताव मंजूरी के लिए विचाराधीन पड़े है जिनके मदवार, उत्पादनवार मंजूर किये जाने की संभावना है, कितने स्वामित्व और अन्त्यपूर्व कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी और उनकी शर्तें क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इन फर्मों को सी ओ बी लाइसेंस जारी करने से हाथी समिति के निर्णय का उल्लंघन हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें तत्काल वापस लेने का है?

पेट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) 1-4-76 से अब तक की अवधि के दौरान 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साक्ष्य पूंजी वाली 13 औषध निर्यात फर्मों को औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं। इन लाइसेंसों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

इस समय औषधों के लिये सी ओ वी/औद्योगिक लाइसेंसों के लिये 46 नये प्रस्ताव निर्णय के लिये लम्बित पड़े हैं। यह कहना संभव नहीं है कि इन प्रस्तावों में से कौन सा स्वीकृत हो जायेगा क्योंकि प्रत्येक प्रस्ताव की सरकार की निर्धारित नीति के अन्तर्गत गुणों के आधार पर जांच की जायेगी। अतः पूछे गये ब्यौरे देना संभव नहीं है।

(ख) हाथी समिति ने केवल यह देखा है कि नई कम्पनियां जिन्हें सी ओ बी लाइसेंस दिये गये थे उन्होंने अपने विविधीकरण कार्यकलापों के ब्यौरे डी जी टी डी को सूचित नहीं किये थे और संबंधित प्राधिकारियों ने इस बात की जांच नहीं की थी कि क्या सी ओ बी आवेदनपत्र में निहित मदों के लिये कम्पनियों द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

(ग) जी, नहीं। ये सरकार द्वारा जारी किये गये वैध दस्तावेज हैं।

विवरण

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	औद्योगिक लाइसेंस की सं० तथा तिथि	उत्पादन की मद	वार्षिक क्षमता
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स फाईजर लि०	सी आई एल 169 (76) दिनांक 24-4-76	पैर और मुंह की बीमारी के इंजेक्शन	4 मिलियन खुराक
2.	मैसर्स यूनीसेकंयो लि०	सी आई एल 69 (76) दिनांक 29-5-76	हूमेन कोरियोनिक गोनाड्रोफिन	6000 मिलियन एकक पर एनम

1	2	3	4	5
3.	मैसर्स सरले इंडिया लिमिटेड	सी आई एल 321 (76) दिनांक 25-8-76	डियोसजेनिन	5 मी टन
4.	मैसर्स सुहरिद गेगी लि०	सी आई एल 355 (76) दिनांक 23-9-76	क्लोफेजीमाईन	2 मी टन
5.	मैसर्स स्टर्लिंग ड्रग (इंडिया) लि०	सी आई एल 369 (76) दिनांक 12-10-76	1. लेवोफेड	8 कि० ग्राम
			2. फेनीलाफराईन	50 कि० ग्राम
			3. ग्लाईकोविआर सोल	25 मी टन
			4. सोडियम हाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम मोनो कारबोनेट हेक्साटोल कम्पलैक्स	20 मी० टन
			5. नेलडिक्सिक एसिड	2.5 मी० टन
6.	मैसर्स जर्मन रेमेडीज लिमिटेड	सी आई एल 447 (76) दिनांक 17-12-76	1. ट्रिमेथोप्रिम	6 मी० टन
			2. (i) सप्रीसटल गोलियां प्रत्येक गोली में 80 मि०ग्रा० ट्रिमेथोप्रिम और 400 मि० ग्राम सल्फामीसोल है।	18 मि० गोलियां
			(ii) सुप्रीसटल पेडीएट्रिक गोलियां :	
			प्रत्येक गोली में 20 मि०ग्राम ट्रिमेथोप्रिम और 100 मि० ग्राम सल्फामोक्सोल है ।	2 मि० गोलिया
			(iii) सप्रोसटल ससपेंशन 5 मिलियन में :	
			40 मि० ग्राम ट्रिमेथोप्रिम 200 मि० ग्राम सल्फामोक्सोल	10,000 लीटर
7.	मैसर्स वुरोज वेलकम	सी आई एल 448 (76) दिनांक 18-12-76	प्रिग्रुडो एफेड्रेआईन एच सी एल	2 मी० टन
8.	मैसर्स सियानामिड (इंडिया) लि०	सी आई एल 17 (77) दिनांक 17-1-77	1. थियोटेपा	328.7 ग्राम
			2. मेथोट्रेक्सेट	3820.5 ग्राम
			3. कैल्शियम लियूकोबोरिन	59.6 ग्राम

9. मैसर्स आर्गेनन (इंडिया) लि०	सी आई एल 28 (77) दिनांक 27-1-77	1. एथिसटेरोन 2. टेस्टौसटेरोन और इसके ईस्टर्ज 3. टेस्टोसटेरोन प्रोपीओनेट 4. मेथाइल ब्रेस्टोसटेरोन 5. प्रोगेसटेरोन और लवण 6. प्रेडनोमीन 7. डेक्समिथासोन 8. लोका/डोक पी पी 9. सेसट्रियोल सकसीनेट	500 कि०ग्रा०
		10. हुमेन क्लोरीनिक गोनाड्रोट्रोफिन	20,000* 106 आई यू
		11. प्रेगनेसी टेस्ट किटस प्रेग-नोसटिकोन प्लेनोसेट प्रेग-नोसटिसेट आदि की तरह	10 × 106 यूनिट टैस्ट किटस
10. मैसर्स जर्मन रेमेडीज़ लि०	आई एल एस सं० 21(77) दिनांक 1-2-77	प्रपुंज औषध :	
		1. ड्राइड्रोक्सी प्रोगेसट्रान केप्रोएंट	3 कि० ग्राम
		2. विसाकोडाइल वी पी	126 कि०ग्राम
		3. हाइड्रोक्सी इथाईल थियोफिलाईन	3828 कि०ग्रा०
		औषध सूत्रयोग :	
		1. गोलियां व ड्रैगीज	1335 लाख नं०
		2. एम्पाउलज़	53 लाख नं०
		3. लिक्विडस	98,000 लीटर
		4. सपोस टोरीज मरहम	5 लाख नं०
		5. मरहम	7360 कि ग्राम
11. मै० ग्लेक्सो लैक्स (इंडिया) लि०	सी आई एल 74(77) दिनांक 24-2-77	मेकलोज़जाईन एच सी एल	400 कि ग्रा०
12. मैसर्स होचेस्ट फार्मा० लि०	आई एल 92 (77) दिनांक 27-6-77	1. कैटलन कैप्सूल्स	11.1 मि० नं०
		2. विटाहेक्सट	3.1 लाख लीटर
		3. होस्टोकोरटिन 'एच' 10 मिलि	77,000 शीशियां
13. मैसर्स जर्मन रेमेडीज़ लि०	सी आई एल 312 (77) दिनांक 28-10-77	1. एसेटाईल सल्फा सिनामिड कैल्शियम	30.8

पर्याप्त विस्तार

उत्पादन (श्रेणीवार)	वर्तमान लाइसेंसी-कृत क्षमता	विस्तार के लिए किया गया आवेदन	विस्तार के बाद क्षमता (वार्षिक)
इंजैक्शन (लीटर) . . .	10,088	7,912	18,000
कैप्सूल्स (हजारों में) . . .	3,000	9,000	12,000
मरहम (किलो में) . .	1,800	4,200	6,000
सुपोसटोरीज़ (हजारों में) . . .	408	192	600

विदेशी औषध फर्मों द्वारा सी० ओ० बी० लाइसेंस के बिना विपणन किया जाना

2770. **श्री आर० के० अमीन:** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध तथा फार्मेस्यूटिकल में 26 प्रतिशत से अधिक इक्विटी पूंजी वाली कितनी विदेशी फर्मों ने उनके द्वारा स्वयं चलाई जाने वाली अथवा प्रयोजित छोटी फर्मों के उत्पादन को बेचा है और उद्योग (विकास तथा विनियमन अधिनियम) के अधीन मदों को बिना किसी प्रमाणक औद्योगिक लाइसेंस के बिना उन मदों का विपणन किया है;

(ख) 26 प्रतिशत से अधिक इक्विटी वाली कितनी विदेशी फर्मों ने अभी तक सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त नहीं किया और गत तीन वर्षों में उन्होंने किन मदों का विपणन किया है, उन्होंने किस प्राधिकार के अधीन ऐसा किया है, उनकी मूल इक्विटी पूंजी कितनी थी और इस समय आस्तियाँ कितनी हैं;

(ग) क्या सरकार 26 प्रतिशत से अधिक इक्विटी पूंजी वाली विदेशी फर्मों द्वारा प्रायोजित सी० ओ० बी० लाइसेंस के अधीन उत्पादन करने वाली छोटी फर्मों के उत्पादन को अवैध कार्य घोषित करेगी क्योंकि इससे उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, आयात व्यापार नियंत्रण नीति और विदेशी मद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन होता है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों और इसके ब्यौरेवार कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि 26 प्रतिशत विदेशी साक्ष्य पूंजी से अधिक वाली किसी औषध निर्माता फर्म ने औषध और भेषज का उत्पादन आरंभ किया है अथवा लघु अद्योग फर्मों को जिम्मेदारी सौंपी है। आई० डी० आर० अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अधिनियम से संबंधित प्रथम सूची में मदों के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। विपणन की व्यवस्था करने के लिए आई० डी० आर० अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों के लिए स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) औषध तथा सौन्दर्य प्रसाधन नियमों के प्रसाधनों के अन्तर्गत ऋण लाइसेंसी राज्य औषध नियंत्रक द्वारा मंजूर किए जाते हैं और ऐसे कार्यकलापों को गैर-कानूनी घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता।

Railway Overbridges in Rajasthan

2771. **Shri Meetha Lal Patel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have approved a proposal to construct some Railway overbridges in Rajasthan;

(b) if so, the details of the bridges and if not, the reasons thereof;

(c) whether it is a fact that the State Government of Rajasthan have also made recommendations to the Central Government in regard to construction of some Railway overbridges in Rajasthan and if so, the details theerof; and

(d) whether the State Government have also approved contribution of their share for the construction of the bridges approved by him, if so, the details thereof ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes.

(b) The proposals at present approved for the construction of road over-bridges in replacement of existing level crossings are:

(i) Construction of a Road over-bridge at Bhilwara in replacement of level crossing No. 67.

(ii) Road over-bridge at Rai-ka-Bagh Palace, Jodhpur, in replacement of level crossing No. 281. This has recently been completed and opened to traffic.

(c) Proposals for the construction of Road over/under-bridges at following places have been made by the State Govt. of Rajasthan which are in preliminary stages of consideration:

(i) Rengus

(ii) Dausa

(iii) Kishengarh

(iv) Jaipur

(v) Hinduan city

(vi) Jodhpur near Mandore

(vii) Hanumangarh.

In addition to the above, a proposal for the construction of a Road over-bridge at Kota has also been received from the State Government. This is expected to be included in the Railway's Works Programme for 1978-79 subject to the availability of funds.

(d) Yes. Details are given below:

	Location of road over-bridges	State Govt.'s share of cost (in lakhs of rupees)	Railway's share of cost (in lakhs of rupee)
(i)	Rai-ka-Bagh Palace, Jodhpur.	12.60	8.62
(ii)	Bhilwara	35.12	15.55

Facilities at Khandeep Flag Station

2772. **Shri Meetha Lal Patel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is a flag station called Khandeep (between Shri Mahavirjee and Pilauda) in Kota Division of Western Railway;

(b) whether there is no arrangement of telephone, Rest House and sheds etc. at the said station;

(c) whether the station incharge of the said station is not in a position to know about the time of the incoming trains due to lack of telephone facility;

(d) whether the passengers have to face a lot of hardship in the absence of any information regarding late arrival of passenger trains; and

(e) if so, whether Government will make necessary arrangements to solve all the aforesaid problems; if so, the time by which it would be done?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes. Khandip (not Khandeep) is a flag station between Shri Mahavirji and Piloda (not Pilauda) stations on Kota Division.

(b), (c) and (d) Khandip station has been provided with a Waiting Hall and a Control Phone on which the Clerk-in-Charge ascertains the actual position of trains and notifies the details on the Notice Board for the information of passengers.

(e) Does not arise.

केरल में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह

2773. **श्री के० ए० राजन:** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने राज्य में एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने के लिए सरकार की मंजूरी माँगी है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) केरल राज्य सरकार से समय-समय पर राज्य में पैट्रो-रसायन समूह की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) जब कभी देश में पैट्रो रसायन की अतिरिक्त प्रायोजनाओं को स्थापित करने के लिए निर्णय लिया जाएगा, उस समय इस प्रकार की परियोजना को केरल में स्थापित करने पर भी विचार किया जायेगा।

आर० डी० एस० ओ० में एनालिस्टों के पद

2774. **श्री दुर्गा चन्द:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में द्वितीय श्रेणी में आर०डी०एस०ओ० में एनालिस्टों के पदों को बहाल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) ये पद कब तक पुनरीक्षित फिर से बनाये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी नही ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पठानकोट-जोगिन्दरनगर सेक्शन पर चौथी रेलगाड़ी

2775. **श्री दुर्गा चन्द:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में रेलवे प्रशासन को पठानकोट-जोगिन्दरनगर सैक्शन पर रेलगाड़ियों पर्याप्त न होने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या यह सच है कि आई० पी० बी०/4 पी० बी० हाल्ट के छोटे स्टेशनों अथवा फ्लैग स्टेशनों पर नहीं रुकती, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पठानकोट-जोगिन्दरनगर सेक्शन पर चलने वाली रेलगाड़ियों के समय और पठानकोट से मेल कराने वाली रेलगाड़ियों के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या रेलवे प्रशासन पठानकोट-जोगिन्दरनगर सेक्शन और काँगड़ा घाटी के लिये पठानकोट पर मेल कराने वाली रेलगाड़ियों के समय पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में विचार कर रहा है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :(क) जी हाँ, पठानकोट-जोगिन्दरनगर खण्ड पर अतिरिक्त गाड़ियाँ चलाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। 1-10-77 से पठानकोट और बैजनाथ पपरोला के बीच एक जोड़ी अतिरिक्त सवारी गाड़ी चलाई गयी है।

(ख) 3 जोड़ी गाड़ियों में से एक जोड़ी गाड़ी अर्थात् 1 पी०बी०/4 पी०बी० पठानकोट-बैजनाथ पपरोला को एक तेज सवारी गाड़ी के रूप में चलाया जा रहा है और यातायात का औचित्य न होने के कारण यह गाड़ी 10 मध्यवर्ती स्टेशनों पर नहीं रुकती है। फिर भी 3 स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव की व्यवस्था करने के बारे में जाँच की जा रही है और यदि औचित्यपूर्ण तथा व्यावहारिक पाया गया तो आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(ग) से (ङ) पठानकोट-जोगिन्दरनगर खण्ड पर वर्तमान सेवाओं की समय-सूची इस ढंग से तैयार की गयी है कि वे पठानकोट बडी लाईन की गाडियों से मेल लें सकें। अतएवं गाडियों के समय में किसी प्रकार का परिवर्तन करना व्यावहारिक नहीं है।

कुकिंग गैस की आवश्यकता

2776. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में एक वक्तव्य दिया था कि देश में कुकिंग गैस की आवश्यकता दो वर्ष के भीतर पूरी हो जायेंगी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूरी करने के लिये कोई चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय दिल्ली में प्रतीक्षा सूचियों में आवेदकों की संख्या कितनी है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) यह बताया गया है कि तरल पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) की वर्तमान कमी अगले 2-3 वर्षों तक तब तक बनी रहेगी जब तक कि नये तेल शोधक कारखानों को आरम्भ करके और वर्तमान तेल शोधक कारखानों में तरल पेट्रोलियम गैस की अतिरिक्त सुविधाओं की स्थापना से बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से तरल पेट्रोलियम गैस की बढ़ी हुई मात्रा उपलब्ध नहीं हो जाती। पहले से पंजीकृत उपभोक्ताओं की माँग को आम तौर पर पूरा किया जायेगा।

(ख) और (ग) तेल शोधक कारखानों में खाना पकाने की गैस की उपलब्धता को आशा अनुकूल बनाने के जहाँ हर संभव प्रयास किये जायेंगे वहाँ पर अन्तरिम अवधि के दौरान उपभोक्ताओं के पंजीकरण को इस उत्पादन की उपलब्धता के अनुसार प्रतिबंधित किया जायेगा।

(घ) 31 अक्तूबर, 1977 की यथास्थिति के अनुसार, दिल्ली स्थित इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० प्रतीक्षा सूचियों में प्रतीक्षित व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 96,000 और 34,000 थी।

बिहार से गुजरने वाले यात्रियों में डाकुओं का भय

2777. **श्री माधव राव सिन्धिया**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि बढ़ती हुई डकैतियों के कारण बिहार राज्य से गुजरने वाले रेल यात्रियों में डाकुओं का भय रहता है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख) अभी तक पुलिस प्राधिकारियों से ऐसी कोई आँतक की स्थिति वाली रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है हालाँकि बिहार क्षेत्र से गुजरने वाली गाड़ियों में डाके की घटनाओं में मामूली वृद्धि हुई है। रेल गाड़ियों में ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस तक को पूरी तरह से सक्रिय बना दिया गया है।

Irregular Hawker System in Trains

2778. **Dr. Ramji Singh**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that thousands of hawkers sell foodstuffs and other articles to passengers in the trains;

(b) whether it is a fact that Government have not been able to open licensed shops at all railway stations for the convenience of passengers as a result of which people face difficulties;

(c) whether Government propose to introduce licence system for such hawkers with a view to stop irregular hawker system and thus to root out corruption; and

(d) whether Government have received a memorandum from any Hawkers' Association and if so, when and the action taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Some cases of unauthorised hawkers selling foodstuff etc. in trains have come to notice.

(b) Facilities for sale of tea. foodstuff, etc. have already been provided at a large number of stations where there is demand from the travelling public. It is not possible to provide stalls at all small and road-side stations where there may not be demand and where such units would not be commercially viable.

(c) No. However, intensive drives are carried out to stop sale of foodstuff etc. by the unauthorised hawkers.

(d) Yes. A representation was received from the General Secretary of Bengal Hawkers' Association in the year 1976-77 to issue licence to unauthorised hawkers. The proposal was not accepted.

हावड़ा स्थित खोई सम्पत्ति कार्यालय

2779. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में खोई हुई सम्पत्ति कार्यालय विशेषकर हावड़ा स्थित कार्यालय में निहित स्वार्थों के अनुचित कार्यकलापों तथा भ्रष्टाचारों के कारण दावों के भुगतान और मुआवजा देने पर करोड़ों रुपयों की हानि के बारे में उन्हें जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो रेल राजस्व की भारी हानि को रोकने के लिये उन कार्यालयों में समुचित कार्यकरण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन कार्यालयों में न्यायोचित तथा कार्यकुशल कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) यह सही नहीं है कि क्षेत्रीय रेलों, विशेषकर हावड़ा स्टेशन पर खोयी सम्पत्ति कार्यालयों में अनुचित कार्यों और भ्रष्टाचार के कारण क्षतिपूर्ति के दावों के भुगतान में करोड़ो रुपये बरबाद हो जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ईस्टर्न मार्केटिंग जोन एम्पलाइज एसोसिएशन, कलकत्ता से ज्ञापन

2780. **श्री ए० के० राय :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न मार्केटिंग जोन एम्पलाइस ऐसोसिएशन, कलकत्ता से प्रस्तावित वेतनमानों तथा अन्य शिकायतों के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनको दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) ईस्टर्न मार्केटिंग जोन एम्पलाइज एसोसिएशन कलकत्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने अधिकतम वेतन-मानों के 30 प्रतिशत मकान किराया भत्ता तथा राज्यों की राजधानियों, सी क्लास के शहरों तथा अवर्गीकृत शहरों में मकान किराया भत्ता बढ़ाने तथा संशोधित वेतन ढांचे को लागू करने की माँग की है।

(ग) कलकत्ता तथा दिल्ली शहरों के बारे में जबकि नये वेतन आदि ढांचे तथा मकान किराया भत्ते की माँग विचाराधीन है, राज्यों की राजधानियों तथा सी क्लास के शहरों के लिये मकान किराया भत्ता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Non-supply of Hindi copies of cases in Delhi Courts

†2781. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the copies of cases are still provided in English and Urdu to the parties concerned in Delhi Courts ; and

(b) if so, whether Government propose to make arrangement to provide copies of the cases in Hindi to the parties concerned in future?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) and (b) According to the information furnished by Delhi High Court, copies of documents are supplied by the subordinate courts in Delhi in the language of the original document. If the original document is in Hindi, the copy is supplied in Hindi and if the original document is in English or Urdu, the copy is supplied in English or Urdu, as the case may be.

(b) The same practice is followed in Delhi High Court.

Enquiry Office at Fatehgarh

2782. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the people of Fatehgarh and Farrukhabad areas have demanded several times that enquiry office at Fatehgarh and Farrukhabad North-Eastern Railway may be kept open for 24 hours (day and night) and a separate staff may be appointed for that purpose but Government have not taken any action so far;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) whether Government propose to reconsider the demand and make arrangement to keep enquiry offices open day and night, on these two stations?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes, a representation from the local branch of the Indian Medical Association, Farrukhabad was received.

(b) and (c) An enquiry-cum-reservation office functions at Farrukhabad between 10 and 18 hrs. and is considered adequate to deal with the present level of enquiries. The enquiries regarding train timings etc. after these hours, are attended to by the Assistant Station Master on duty.

Since Fatehgarh and Farrukhabad are situated close-by, there is no justification for a separate enquiry office at Fatehgarh.

नये उर्वरक संयंत्रों की योजना

2783. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला:**
श्री फूल चन्द वर्मा:

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में कोयले के भारी भण्डारों पर आधारित कोरबा के अतिरिक्त, राज्य में एक नया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की भारत सरकार की कोई योजना है?

पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): भारत सरकार का कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना का विचार अभी मध्य प्रदेश में कोरबा के अलावा अन्य कहीं नहीं है।

वरकला रेलवे स्टेशन

2784. **श्री वयालार रवि:** क्या **रेल** मंत्री वरकला स्टेशन के बारे में 28 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2007 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में वरकला रेलवे स्टेशन पर पैदल उपरि पुल का निर्माण और प्लेटफार्म पर छत का विस्तार करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) वर्तमान यातायात के स्तर को देखते हुए प्लेटफार्म के छत का विस्तार करने का औचित्य नहीं समझा जाता ।

ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था की बात स्वीकार की जाती है और आशा है कि यह काम 1978-79 तक पूरा हो जायेगा ।

टूंडला माल शैड में माल का लाया ले जाया जाना

2785. **श्री बटेश्वर हेमराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल लाने ले जाने का काम करने वाली सहकारी समिति ने अनुसूची की प्रत्येक पृथक वस्तु के अनुसार टूंडला माल शेड में जनवरी, 1975 से अगस्त, 1977 तक की अवधि के दौरान माहवार, पृथक-पृथक रूप से कितना माल लाया और ले जाया गया तथा उसने प्रत्येक महीने में इस काम के लिये कितनी राशि के बिल पेश किए;

(ख) समिति को प्रारंभ में किस मासिक मूल्य पर ठेका दिया गया था;

(ग) क्या सरकार को पता है कि अनुसूची की कुल वस्तुओं में रेलवे के कुछ कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ करके रेलवे प्रशासन को घाटे में रखकर अनभिप्रेत भुगतान वसूल करने के लिये सुनियोजित ढंग से गड़बड़ की जा रही थी/की जा रही है; और

(घ) अगस्त, 1977 तक समिति ने कुल कितनी राशि का अनभिप्रेत भुगतान लिया और उसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल०टी० 1272/77]**

(ख) 4495.21 रुपये मासिक मूल्यांकन के अनुसार यह ठेका मूल रूप से 1970 में दिया गया था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बिन्दकी पर कानपुर-इलाहाबाद गाड़ी का पटरी से उतरना

2786. **श्री रुद्रसैन चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मंडल में प्रारंभ किये गये सुरक्षा पखवाड़े में बिन्दकी रोड पर 3 नवम्बर, 1977 को सायंकाल 4 बजे के लगभग कानपुर इलाहाबाद डाउन पैसेंजर गाड़ी पटरी से उतर गई थी;

(ख) क्या गाड़ी के कानपुर स्टेशन से इलाहाबाद के लिये चलने से पूर्व कानपुर स्टेशन पर गाड़ी निरीक्षक कर्मचारियों ने रेल डिब्बों की ध्यानपूर्वक और समुचित जांच की थी;

(ग) गाड़ी के पटरी से उतरने के क्या कारण थे और सरकार को इससे कितनी हानि हुई तथा हताहत यात्रियों की संख्या क्या है एवं उन्हें कितनी क्षतिपूर्ति की अदायगी की गई; और

(घ) क्या सरकार का उन सभी अधिकारियों का स्थानान्तरण करने का विचार है जिनकी असावधानी और कुप्रबन्ध के कारण इलाहाबाद मण्डल में दुर्घटनाओं और गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं से असाधारण वृद्धि हुई है और यात्री गाड़ी में सफर को असुरक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) इलाहाबाद की ओर आगे की यात्रा के लिए छूटने से पहले गाड़ी में लगे सवारी डिब्बों की कानपुर सेन्ट्रल स्टेशन पर यह सामान्य जांच कर ली गयी थी कि इन डिब्बों को आगे चलाया जाना सुरक्षित है या नहीं।

(ग) इस दुर्घटना का कारण गाड़ी के इंजन से चौथे नम्बर पर लगे सवारी डिब्बे की अगली ट्रॉली के दक्षिणी ओर के पहिए का टायर रिम से अलग हो जाना था। अनुमानतः रेल संपत्ति को लगभग 50,500 रुपये का नुकसान हुआ है।

किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। एक व्यक्ति को केवल मामली सी चोटें आयी थीं और मौके पर ही प्राथमिक चिकित्सा कर दिये जाने के बाद उसने उसी गाड़ी से यात्रा जारी रखी। कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

(घ) इलाहाबाद मंडल में अप्रैल और नवम्बर, 1977 के बीच हुई रेल दुर्घटनाओं की संख्या, जिनमें गाड़ी के पटरी से उतरने की दुर्घटनाएं भी शामिल हैं, 1976 की तदनुरूपी अवधि की अपेक्षा कम है। तथापि, प्रशासनिक तन्त्र को कारगर बनाने के लिए विभिन्न मंडलों में अभी हाल में अधिकारियों की अदला-बदली कर दी गयी है।

मैसर्स सेंडोज, मैसर्स फाइजर और मैसर्स ग्लैक्सो द्वारा अर्जित लाभ

2787. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मैसर्स सेंडोज, मैसर्स फाईजर और मैसर्स ग्लेक्सो ने कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया;

(ख) इन फर्मों ने अपनी मूल कम्पनियों को तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तकनीकी जानकारी, की स्वामित्व, मुख्यालय खर्च आदि के नाम पर कितनी धनराशि भेजी; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि औषध फर्मों द्वारा यथा संभव कम से कम धनराशि विदेश भेजी जाए, सरकार ने क्या कार्यवाही की अथवा करने का विचार है?

पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) शुद्ध अर्जित लाभ

		(लाख रुपयों में)
1. मैसर्स सेंडोज	1974	55.00
	1975	69.00
	1976	79.00
	(31 दिसम्बर को समाप्त अवधि)	

2. मैसर्स फाइजर	1974	152.16
	1975	166.63
	1976	236.46
	(30 नवम्बर को समाप्त अवधि)	
3. मैसर्स ग्लैक्सो	1974	138.85
	1975	148.63
	1976	205.65
	(30 जून को समाप्त अवधि)	

(ख) लाभांश, तकनीकी जानकारी, रायल्टी, मुख्यालय पर खर्च आदि के रूप में स्वदेश भेजी गई राशि

		(लाख रुपयों में)
1. मैसर्स सैण्डोज	1973-74	9.79
	1974-75	शून्य
	1975-76	25.86
2. मैसर्स फाइजर	1973-74	65.61
	1974-75	18.71
	1975-76	15.60
3. मैसर्स ग्लैक्सो	1973-74	156.88
	1974-75	शून्य
	1975-76	62.86

(ग) विदेशी साम्य पूंजी में कटौती और उस कटौती के परिणामस्वरूप विदेशी औषध निर्माता फर्मों द्वारा स्वदेश भेजी गई आय में कटौती को निम्नलिखित दो उपायों के जरिये निकाला जाता है:

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी धारण करने वाली विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों को अपनी विदेशी साम्य पूंजी में अधिक से अधिक 74 प्रतिशत तक अथवा 40 प्रतिशत और 74 प्रतिशत के बीच के किसी स्तर तक, अपने कुल कार्यकलापों के अनुसार, कटौती करनी पड़ती है, और

(ख) विदेशी साम्य पूंजी को समाप्त करने के बारे में फरवरी, 1972 में सरकार द्वारा घोषित योजना के अनुसार जिन कम्पनियों को विदेशी साम्य पूंजी 51 प्रतिशत से अधिक है और जो अपने कार्यकलापों का विस्तार कर रही है, उनके लिये यह आवश्यक है कि वे विस्तार की लागत के निर्धारित स्तर तक भारतीय पूंजी लगायें, इस फार्मूला के अनुसार ऐसी कम्पनियों को उनके निर्माण कार्यकलापों में विस्तार की अनुमति देते समय विदेशी साम्य पूंजी को समाप्त करने की शर्तें निरन्तर लगाई जाती हैं।

विदेशी कम्पनियों को केवल चुने हुये क्षेत्रों के ही औषध निर्माण कार्यकलापों में विस्तार की अनुमति दी जा रही है, जिसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है, इस प्रकार इन कम्पनियों द्वारा अर्जित किये गये लाभ की बहुत बड़ी राशि को फिर से निवेश के रूप में लगाया जाना आवश्यक है, जिसमें उनके द्वारा स्वदेश भेजे जाने योग्य लाभ में कटौती हो गई। विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों के कार्य-

कलापों को जिस ढंग से दुबारा नियमित किया जाना चाहिये उसके बारे में सरकार, विदेशी औषध निर्माता फर्मों के कार्यकलापों को नियंत्रित करने के लिए हाथी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के संदर्भ में विचार कर रही है। उन सिफारिशों पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की संभावना है।

औषध कम्पनियों को दिये गये लाइसेंस

2788. **श्री सुरेन्द्र विक्रय** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में किन औषधियों के लिए मैसर्स वोरोस वेल्काके, मे एण्ड बेकर, सेंडोज़, ग्लैक्सो तथा मैसर्स फाइजर को लाइसेंस दिये गये ;

(ख) प्रत्येक मद की लाइसेंस शुदा क्षमता क्या है, वर्षवार तथा माहवार उत्पादन कितना तथा उन फर्मों ने गत तीन वर्षों में इस उत्पादन के लिये अलग अलग कितने तथा कितने मूल्य के आयातित/सरकारी एजेंसी के माध्यम से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग किया; और

(ग) क्या भारतीय कम्पनियों की ओर से प्राप्त हुए, इसी प्रकार के प्रस्तावों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) : गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स वुरोज वैलकम, मैसर्स मे एण्ड बेकर, सैण्डोज, ग्लैक्सो और मैसर्स फाइजर को जिन औषधों के लिये लाइसेंस दिये गये थे उनके नाम और उनकी वार्षिक क्षमता को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी (लाइसेंस शुदा क्षमता, संलग्न विवरण पत्र में पहले ही दर्शायी गई है) ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जिन मदों के लिये मैसर्स वुरोज वैलकम आदि को लाइसेंस दिये गये हैं उन मदों के बारे में भारतीय कम्पनियों के किसी प्रस्ताव को रद्द नहीं किया गया है।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	लाइसेंस की तिथि एवं सं०	उत्पाद की मद	वार्षिक क्षमता
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स वुरोज वेलकम	(i) सी आई एल 97(74) दिनांक 5-4-74	(i) ट्रिमेथोप्रिम	3600 कि०ग्रा०
			(ii) सेपट्रन गोलियां	260 लाख
			(iii) सेपट्रन ससपेंशन/सीरप	64 किलो लीटर
		(ii) सी आई एल 448/76 दिनांक 18-12-76	सयडो इफड्राईन एच सी एल	2 मी टन
2.	मैसर्स फाईजर लि० बम्बई	(i) सी आई एल 215(74) दिनांक 20-7-74 (विस्तार)	क्लोरोप्रोपेमाईड	1.5 से 6.5 मी टन
		(ii) सी आई एल 169(76) दिनांक 24-4-76	पैर और मुंह की बीमारी के इंजैक्शन	4 मिलियन खुराकें प्रति वर्ष

1	2	3	4	5
3.	मै० सेंडोज (ई) लि०	सी आई एल 212(75) दिनांक 24-6-75	(i) ब्रिनरडिन गोलियां	50 लाख नं०
			(ii) इन्टेस्टोपन फारमूलेशन्स	20000 कि०ग्रा०
			(iii) फेनीपन गोलियां	150 लाख नं०
			(iv) सेंडोसाइकिलिन पेडीएट्रिक ससपेंशन	50000 लीटर
4.	मैसर्स ग्लैक्सो लेवस (ई) लिमिटेड	(i) सी आई एल 299(75) दिनांक 12-8-75 (विस्तार)	i. कैल्शियम सेनोसाईड	3000 से 5000 कि०ग्रा०
		(ii) सी आई एल 74(77) दिनांक 24-2-77	मेकलोनाईन एच सी एल	400 कि० ग्राम

विदेशी औषध फर्मों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले सी० ओ० बी० लाइसेंस

2789. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी विदेशी कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी सी० ओ० वी० लाइसेंस प्राप्त करने हैं;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या है, गत तीन वर्षों में उत्पादित म ों के नाम क्या है, विदेशी ईक्विटी की मात्रा कितनी है आयातित तथा सरकारी एजेंसी के माध्यम से प्राप्त कच्चे माल के उपयोग की मात्रा क्या है; और

(ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

सी० ओ० वी० लाइसेंसों के लिये प्रस्ताव

2790. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सी०ओ०वी० लाइसेंसों के लिये कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये है, इनमें से कितने प्रस्ताव ऐसी विदेशी कम्पनियों से मिले हैं जिनकी 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी ईक्विटी है तथा उनमें से कितने प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है ;

(ख) उनमें से कितने मामलों में सी०ओ०वी० लाइसेंस देते समय विदेशी पूंजी कम करने अथवा निर्यात के बारे में शर्त लगाई गई तथा क्या इन कम्पनियों ने इस दिशा में कदम उठाये हैं ; और

(ग) क्या सरकार के ध्यान में आवेदन पत्रों में गलत तथ्य देने के मामले आये हैं, यदि हां तो उन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा इस प्रक्रिया को रोकने के लिये क्या कदम उठायें हैं ?

1	2	3	4	5
3.	मै० सेंडोज (ई) लि०	सी आई एल 212(75) दिनांक 24-6-75	(i) ब्रिनरडिन गोलियां (ii) इन्टेस्टोपन फारमूलेशन्स (iii) फेनीपन गोलियां (iv) सेंडोसाइकिलिन पेडीएट्रिक ससपेंशन	50 लाख नं० 20000 कि०ग्रा० 150 लाख नं० 50000 लीटर
4.	मैसर्स ग्लैक्सो लेवस (ई) लिमिटेड	(i) सी आई एल 299(75) दिनांक 12-8-75 (विस्तार)	i. कैल्शियम सेनोसाईड	3000 से 5000 कि०ग्रा०
		(ii) सी आई एल 74(77) दिनांक 24-2-77	मेकलोनाईन एच सी एल	400 कि० ग्राम

विदेशी औषध फर्मों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले सी० ओ० बी० लाइसेंस

2789. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी विदेशी कम्पनियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी सी० ओ० वी० लाइसेंस प्राप्त करने हैं;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या है, गत तीन वर्षों में उत्पादित म ों के नाम क्या है, विदेशी ईक्विटी की मात्रा कितनी है आयातित तथा सरकारी एजेंसी के माध्यम से प्राप्त कच्चे माल के उपयोग की मात्रा क्या है; और

(ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिये इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

सी० ओ० वी० लाइसेंसों के लिये प्रस्ताव

2790. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सी०ओ०वी० लाइसेंसों के लिये कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये है, इनमें से कितने प्रस्ताव ऐसी विदेशी कम्पनियों से मिले हैं जिनकी 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी ईक्विटी है तथा उनमें से कितने प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है ;

(ख) उनमें से कितने मामलों में सी०ओ०वी० लाइसेंस देते समय विदेशी पूंजी कम करने अथवा निर्यात के बारे में शर्त लगाई गई तथा क्या इन कम्पनियों ने इस दिशा में कदम उठाये हैं ; और

(ग) क्या सरकार के ध्यान में आवेदन पत्रों में गलत तथ्य देने के मामले आये हैं, यदि हां तो उन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा इस प्रक्रिया को रोकने के लिये क्या कदम उठायें हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) 1-11-1974 से 31-10-1977 तक की अवधि के दौरान सरकार ने सी०ओ०वी० लाइसेंसों के लिये 17 आवेदन-पत्र प्राप्त किये हैं। 17 में 7 आवेदन-पत्र उन कम्पनियों से प्राप्त हुये जिनके पास 26% से अधिक विदेशी साम्य पूंजी थी। उन 7 आवेदन-पत्रों में से एक आवेदन-पत्र का अन्तिम रूप से निपटान किया गया और सी०ओ०वी० लाइसेंस जारी किया गया है। इस पर विदेशी साम्य पूंजी अथवा निर्यात को समाप्त करने के बारे में कोई शर्त नहीं लगाई गई है क्योंकि उनकी विदेशी साम्य पूंजी 40 प्रतिशत से अधिक थी और वे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते थे।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आवेदन-पत्रों में तथ्यों को गलत ढंग से दर्शाये जाने का कोई ऐसा मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है जिसको अन्तिम रूप से निपटाया गया हो।

Chairmen of Railway Service Commissions

†2791. **Shri Nawab Singh Chauhan**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the posts in the Railways for which selection is made by Railway Service Commissions ;

(b) the names of the present Chairmen of Railway Service Commissions and their avocation before joining this post ;

(c) the basis of their appointment and the qualifications possessed by them ; and

(d) the names of the political parties with which they were associated ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) The Railway Service Commissions conduct recruitment to Group 'C' services on the Railways according to percentages laid down for direct recruitment. They include non-technical popular categories like Office Clerks, Ticket Collectors, Assistant Station Masters, Guards etc., technical categories in Scale Rs. 425—700/Rs. 550—750 in the Engineering Departments and certain isolated categories of Law Assistants, Traffic and Commercial Apprentices, Clerks Grade I, Staff Nurses etc.

(b), (c) and (d) A statement furnishing the information is attached.

STATEMENT

Name of the Railway Service Commission	Name of the Chairman	Qualifications	Avocation before joining	Basis of their appointment	Name of the political party to which they were associated
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
S/Sri					
1. Railway Service Commission, Allahabad.	Kunwar Ashraf Ali Khan	B.A.	ex-Minister of State Govt. of Uttar Pradesh.	The recruitment rules, framed in consultation with Union Public Service Commission and the Ministry of Law, for the purpose, provide that selections will be made by the Union Public Service Commission out of a panel of names sent to them by the Ministry of Railways. The field of choice for framing the panel provided in the recruitment rules is as under :— (i) Serving or retired Railway/Govt. officers. (ii) ex-M.Ps. and (iii) men of repute e.g. eminent educationists, lawyers etc.	Congress
2. Railway Service Commission, Bombay.	Vacant	—	—		—
3. Railway Service Commission, Calcutta.	Vacant.	—	—		—
4. Railway Service Commission, Madras	K.S. Tilak	L.L.B.	ex-M.P.		
5. Railway Service Commission, Muzaffarpur.	K.N. Thakur	B.A.B.L.	Advocate, Patna High Court.		Socialist Party of India.

मैसर्स इण्डिया शैरिंगस लि०

2792. **श्री नटवर लाल बी० परमार** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स इण्डिया शैरिंगस लि० ने पूंजी और संयंत्र मशीनों के रूप में कितनी धनराशि लगाई है ;

(ख) यह कम्पनी किन वस्तुओं का उत्पादन करती है तथा गत तीन वर्षों में उनका कितना उत्पादन किया, आयातित कच्चे माल सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयात सामग्री की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उस कम्पनी ने उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है और यदि हां तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) मसर्स इंडियन शैरिंगस लिमिटेड का कुल पूंजीगत निवेश (साम्य पूंजी, आरक्षण और अधिशेष को मिलाकर) 101 लाख रुपये हैं। इस कम्पनी को 30-6-75 तक बम्बई स्थित उनके कारखाने में प्लान्ट और मशीनरी का निवेश 27.61 लाख रुपये था। अम्बरनाथ स्थित उनके कारखाने में प्लान्ट और मशीनरी में निवेश के मूल्यों का पता लगाया जा रहा है और सभा पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) मैसर्स इंडियन शैरिंगस लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही औषध मदों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है ।

गत तीन वर्षों के दौरान इस फर्म द्वारा उत्पादित विभिन्न मदों की मात्रा और उसी अवधि के दौरान उनके द्वारा खपत में लाये गये विभिन्न आयातित सरणीबद्ध कच्चे माल के ब्यौरों से संबन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि क्या इस कम्पनी ने औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है अथवा नहीं और यदि हां तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जानी है।

विवरण

मैसर्स इंडियन शैरिंगस लिमिटेड द्वारा निर्मित किये जा रहे औषध

1. माल औषध

(1) एल्यूमीनियम सोडियम सालीकेट

(2) एफीडिराइन रेसीनेट

(3) सोडियम निटरेट

(4) कारबीमाज़ोले

(5) बेरियम सल्फेट

2. **औषध सूत्र**

(क) तरल

(1) अलबयाड 10 प्रतिशत
,, 20 प्रतिशत
,, 30 प्रतिशत
(2) एक्वावीरोन
(3) एक्वावीरोन बी–12
(4) डियारमीयन एन०
(5) डिसीकरेन
(6) डिसीकरेन फोरटी
(7) हरी० तरल
(8) जैन्ट० ई०/ई० ड्राप्स
(9) जैन्ट० एन०सी०ई०/ई०ड्राप्स
(10) जैन्ट इंजेक्टेवल
(11) माक्रोपाक
(12) इलामास
(13) मेगीमाइड

(ख) पाऊडर तथा मरहम

(1) अलबयाड मरहम
(2) कारटायड
(3) जैन्ट० क्रीमस
(4) जैन्ट० एच०सी० क्रीमस
(5) नियुट्राडोना पाउडर
(6) मेथीमीज़ोले
(7) क्रूशचन साल्टस
(8) आर०एम०के० 113 (रसायन)
(9) इफीराइन ग्रीबूल्स
(10) नियुट्रोडोवा पाउडर मिक्स
(11) नियुक्ट्रोडोवा ट्रेबलट
(12) कूशब्रन साल्टस मिक्स

(ग) गोलियां

(1) असमापाक्स
(2) ओरेसेक्रान फोरटे
(3) इरी० केपसूल्स
(4) मेलीडेन्स
(5) माइक्रोपीरिन
(6) माइक्रोपीरिन सी०
(7) निऊ मेरकाज़ोले
(8) निऊट्राडोना गोलियां
(9) निउट्रालोन
(10) सोरबीट्रेट
(11) सोरबीट्रेट ट्रेक्वीलाइसर
(12) इथीडोल
(13) मीनोपाक्स
(14) मीनोपाक्स फोरटे
(15) ओबालीवाव–सी०
(16) एस्परो
(17) रेनबो

भारत में औषधियों का उत्पादन करने वाली विदेशी फर्म

2793. **श्री नटवर लाल वी० परमार**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विदेशी कम्पनियां हमारे देश में औषधियों का उत्पादन कर रही हैं ;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात हुआ है कि उनमें से कोई कम्पनी घटिया अथवा नकली औषधियां बना रही हैं ;

(ग) क्या औषधियों का उत्पादन उपभोक्ताओं की मांग से अधिक है; और

(घ) क्या ये कम्पनियां अपनी लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही हैं, यदि हां तो क्या सरकार ने इस गतिविधि पर आपत्ति की है ; तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) संगठित क्षेत्र में 40% से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली 36 कम्पनियां औषध एवं भेषज का निर्माण कर रही हैं।

(ख) केवल विदेशी कम्पनियों के लिये कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है। परन्तु केन्द्रीय तथा राजकीय औषध नियंत्रण संगठनों द्वारा गहन औषध क्वालिटी नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत यह पाया गया था कि 1973-74 और 1974-75 में क्रमशः केवल 1.4% और 1.3% सेम्पल स्टैण्डर्ड क्वालिटी के नहीं थे।

ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स अधिनियम तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार औषधों के निर्माण और विक्रय पर नियंत्रण राज्य सरकारें राजकीय औषध नियंत्रण अधिकारियों के माध्यम से करती हैं। स्टैण्डर्ड क्वालिटी के औषधों का उत्पादन/विक्रय सुनिश्चित करने के लिये उनके निरीक्षक उन अहातों का निरीक्षण करते हैं जहां पर औषधों का उत्पादन तथा विक्रय होता है।

(ग) सामान्य रूप से उत्पादन क्षमता देश में अनुमानित मांग के आधार पर स्थापित की जाती है। जिन मदों के लिये निर्यात की संभावना होती है उनके लिये अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत की जाती है।

(घ) यह देखा गया है कि कई विदेशी कम्पनियां अपनी लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक औषधों का उत्पादन कर रही हैं। औषधों और भेषज के ऐसे अतिरिक्त उत्पादन के प्रश्न पर औषध एवं भेषज उद्योग पर समिति द्वारा विचार किया गया था जिसकी इस संबन्ध में सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और संभाव्यतः इन पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी के तमिलनाडु के दौरे के दौरान रेलवे को हुई हानि

2794. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री ओ०वी० अलगेशन :

श्री के० टी० कोसलराम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 अक्तूबर, 1977 को तमिलनाडु में श्रीमती इंदिरा गांधी के आगमन पर हुए हिंसात्मक प्रदर्शन के परिणामस्वरूप रेलवे को कुल कितनी हानि हुई, और

(ख) पुलिस ने ऐसी अरुचिकर स्थिति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 43,46,780 रुपये जिसमें 42,50,220 रुपये रेल संपत्ति की हुई क्षति से और 96,560 रुपये गाड़ी सेवाएं रद्द कर दिये जाने से संबन्धित हैं।

(ख) रेल संपत्ति की सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था को बनाये रखने के लिए, पुलिस अधिकारी द्रुत गति से उन स्थानों पर पहुंचे जहां कहीं प्रदर्शनों का प्रभाव गाड़ी सेवाओं पर पड़ा और स्थिति के अनुरूप अपेक्षित कार्यवाई की। उपनगरीय खण्ड में भेद्य स्थलों, सभी महत्वपूर्ण समपारों और पुलों पर

पुलिस चौकियां बैठायी गयीं तथा सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पुलिस बंदोबस्त की व्यवस्था की गयी और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर कार्रवाई दल तैनात किये।

कूपों की खुदाई के बारे में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों की ओर से ज्ञापन

2795. **श्री एस० जी० गुरुगय्यन**: क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी संगठन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, के अधिकारी, भूगर्भशास्त्रियों तथा अन्य विशेषज्ञों के सुझावों के बावजूद कूपों की खुदाई लक्षित गहराई तक नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन्होंने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सारे मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी संगठन (पश्चिम बंगाल) द्वारा दिये गये ज्ञापन में मुख्य रूप से वेतनमानों, भत्तों आदि से संबन्धी मांगों का उल्लेख किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ कुछ कूपों के खुदाई के कार्य में की गई अनियमितताओं का भी संदर्भ दिया गया हैं और उसने पश्चिम बंगाल में आयोग के कार्यों की जांच कराने की भी मांग की है ।

(घ) इस मामले की जांच की जा रही है ।

बड़ौदा स्थित पैट्रो-रसायन संयंत्र समुह के अध्यक्ष की नियुक्ति

2796. **श्री पी० जी० मावलंकर**: क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विशेष रूप से गुजरात सरकार द्वारा इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि गुजरात में बड़ौदा स्थित पेट्रो-रसायन संयंत्र-समूह के वर्तमान अध्यक्ष के पास इस पद पर कार्य करने के लिये अपेक्षित समूचित अर्हतायें नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) वर्तमान अध्यक्ष को इस पद पर नियुक्त करने के क्या कारण है ; उन्हें कब तक कितनी परिलब्धियों पर नियुक्त किया गया तथा कितनी अवधि के लिये नियुक्त किया गया ; और

(घ) इससे पूर्व कार्य कर रहे व्यक्ति को इस पद से हटाने के क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान उम्मीदवार का चयन पहले वाले उम्मीदवार के (बढ़ाये गये) कार्यकाल की समाप्ति पर रिक्त हुए पद पर नियुक्ति के लिये किया गया था, क्योंकि उन्हें विभिन्न उम्मीदवारों में से जिनके बारे में इस पद के लिये विचार किया गया था, बहुत उपयुक्त पाया गया। उन्हें 16-6-1974 से पांच वर्ष की अवधि के लिए 3500-125-4000 के वेतनमान में मासिक 4,000 रुपये के वेतन पर नियुक्त किया गया है। अन्य परिलब्धियां, जिनके वे हकदार हैं, निम्नलिखित हैं :—

(1) बिना फर्नीचर के निःशुल्क आवास।

(2) वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार प्रभारों की वसूली से सम्बन्धित शर्तों की शर्त पर निजी कार्यों के लिए निगम की कार का प्रयोग करने की सुविधा।

(3) निगम के नियमानुसार अवकाश, भविष्य निधि, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधा, अवकाश यात्रा भत्ता आदि।

(घ) पहले वाले उम्मीदवार ने अपने (बढ़े हुए) कार्यकाल की समाप्ति पर इस पद को खाली कर दिया।

Passes issued by Ministry of Railways

†2797. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the names of persons, firms and social organisations which were issued passes by the Ministry during the last 5 years; and

(b) the work done in the interest of the country and Government by the organisations and persons who were issued these passes?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

(b) Certain norms are prescribed for the issue of complimentary card passes to organisations and individuals. Complimentary card passes are issued only to such organisations and individuals who fulfil those prescribed norms. It is not incumbent on the various organisations/individuals who are in receipt of such complimentary card passes to render an account of their achievements.

एसोसियेटिड जर्नल्स लिमिटेड, लखनऊ के बारे में शिकायत

2798. **श्री फूलचन्द वर्मा:**

श्री रामेश्वर पांटीवार:

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें लखनऊ के एसोसियेटिड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा वित्त संबन्धी कुप्रबन्ध के बारे में कोई शिकायत मिली है ;

(ख) क्या उन्होंने प्रबन्धकों के इस धन-हड़पने के कृत्य से शेयरधारियों तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये कोई कदम उठाये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कई निदेशकों ने या तो त्यागपत्र दे दिये हैं अथवा वे कम्पनी की बोर्ड की बैठकों में नहीं आ रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस कम्पनी की कथित अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) श्रीमान् जी। नेशनल यूनियन आफ जर्नल्स (इन्डिया) तथा अन्य कम्पनियों से, शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख), (ग) तथा (ङ) कम्पनी की लेखा बहियों तथा अन्य अभिलेखों का, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत निरीक्षण का आदेश 15 सितम्बर, 1977 को दिया गया है और आगे कार्यवाही करने के लिये निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर, विचार किया जायेगा।

(घ) 1976 तथा 1977 के वर्षों के मध्य, निम्नांकित व्यक्तियों ने कम्पनी के निदेशकों के पदों पर कार्य करना बन्द कर दिया है:—

1. डा० युद्धवीर सिंह—(पुनर्निर्वाचन के लिये अस्वीकृत)
2. श्री के० सी० रमण—(त्याग पत्र दिया)
3. श्री कुल दीपराज नारंग (पारी द्वारा पद मुक्त हुये एवं दोबारा नहीं चुने गये)

संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में समुद्री विधि संबंधी सम्मेलन

2799. **श्री पी० जी से मावलंकर**: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में आयोजित समुद्री विधि संबन्धी सम्मेलन में भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया और उस सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई ; और

(घ) क्या उक्त चर्चा के पश्चात् किन्हीं क्षेत्रों में कोई समझौता हो पाया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) जी हां।

(ख) समुद्र विधि सम्बन्धी तृतीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दिसम्बर, 1973 से अब तक छह सत्र हो चुके हैं। अगला सत्र जिनेवा में मार्च, 1978 में सात-आठ सप्ताह के लिए होगा। समग्र रूप से सम्मेलन में तीन मुख्य समितियां काम करती हैं **पहली समिति** अन्तरराष्ट्रीय समुद्रतल क्षेत्र और उसके संसाधनों से सम्बन्धित प्रश्नों के सम्बन्ध में कार्यवाही करती है; **दूसरी समिति** समुद्री विधि सम्बन्धी अन्य प्रश्नों के विषय में, जिसमें राज्य क्षेत्रीय सागर खंड, जलडमरू मध्य, आर्थिक क्षेत्र, मग्नतट भूमि, सामुद्रिक सीमा द्वीपसमूह, द्वीप-मंडल, भूबद्ध राज्यों आदि से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित हैं, कार्यवाही करती है। **तीसरी समिति** समुद्र प्रदूषण, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के अन्तरण से सम्बन्धित प्रश्नों के संबन्ध में कार्यवाही करती है। कुछ प्रश्नों पर जिसमें विवादों को तय करना भी है, सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में विचार-विमर्श किया जाता है ।

भारत ने दिसम्बर, 1973 से सम्मेलन के सभी सत्रों में और उसके सभी प्रमुख कार्यों में भाग लिया है ।

(ग) समुद्री विधि संबन्धी सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विधि मंत्री करते हैं और उस प्रतिनिधि मंडल में विदेश, रक्षा, खाद्य और कृषि (मत्स्य पालन विभाग), पेट्रोलियम और इस्पात तथा खान (खान विभाग) मंत्रालयों से प्रतिनिधि सम्मिलित किए जाते हैं । कभी कभी इस प्रतिनिधि मंडल में अन्तरराष्ट्रीय विधि के किसी प्रोफेसर को भी सम्मिलित किया गया है । जिन विषयों पर विचार किया जाता है उनका उल्लेख ऊपर (क) के उत्तर में किया गया है ।

(घ) सम्मेलन में अनेक मुद्दों पर सर्वसम्मति से निर्णय हुए हैं जिनमें ये मुद्दे उल्लेखनीय हैं— 12 मील का राज्य क्षेत्रीय सागर खंड 24 मील का महाद्वीपीय क्षेत्र और 200 मील का अनन्य आर्थिक क्षेत्र । इसमें महाद्वीपीय उपान्त के बाहरी सिरे तक या 200 समुद्री मील तक, जहां ऐसा उपान्त उस दूरी से कम है, फैली हुई मग्नतट भूमि की, परिभाषा पर, सार्वभौम अधिकारों की प्रकृति और उस अन्य अधिकारिता पर जो ततवर्ती राज्य को अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र और मग्नतत भूमि के भीतर प्राप्त है, तथा इन क्षेत्रों में अन्य राज्यों के अधिकार और कर्तव्यों पर भी व्यापक सहमति हो गई है । समुद्र प्रदूषण और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबन्धित प्रश्न पर भी व्यापक सहमति हो गई है ।

इन करारों को उस एकल वार्तापाठ में, जो 1975 में जिनेवा में आयोजित इसके तीसरे सत्र की समाप्ति पर जारी किया गया था और उस पुनरीक्षित एकल वार्तापाठ में जो मई, 1976 में न्यूयार्क में आयोजित चौथे सत्र की समाप्ति पर जारी किया गया था, समाविष्ट किया गया था । तारीख 17 जुलाई, 1977 को सम्मेलन के अध्यक्ष ने, उक्त तीनों प्रमुख समितियों के अध्यक्षों के साथ संयुक्त रूप से एक अनौपचारिक व्यापक वार्तापाठ तैयार किया जिसमें ऐसे अधिकांश मुद्दे थे जिनके विषय में सर्व-सम्मति हुई थी और जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है । कुछ उपबन्धों पर, विशेष रूप से उन उपबन्धों पर जो अन्तरराष्ट्रीय समुद्रतल क्षेत्र और उसके संसाधनों से संबन्धित हैं, सम्मेलन के अगले सत्र में आगे बातचीत होगी ।

रानिप गांव को साबरमती स्टेशन से जोड़ने के लिये पैदल पुल

2800. **श्री पो०जो० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अहमदाबाद तथा उसके उपनगरीय क्षेत्रों के हजारों लोग पश्चिम रेलवे में रानिप गांव को साबरमती स्टेशन से जोड़ने के लिये एक पैदल रेल-पुल के शीघ्र निर्माण की मांग करते आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस कार्य को तुरन्त ही शुरू न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) साबरमती मीटर लाइन स्टेशन पर वर्तमान ऊपरी पैदल पुल को यार्ड में रेल पथ पार करने के लिए रानिप साइड तक बढ़ाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग) जनता को रेल-पथ के आर-पार आने-जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए नये ऊपरी पैदल पुलों के निर्माण अथवा वर्तमान ऊपरी पैदल पुलों के विस्तार की लागत, वर्तमान नियमों के अनुसार, राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकरण को उठानी पड़ती है । इसलिए उन्हें यह निर्णय करना

होगा कि क्या नये ऊपरी पैदल पुल अथवा वर्तमान ऊपरी पैदल पुल के विस्तार की आवश्यकता है? इस बारे में रेलवे राज्य सरकार को पहले ही लिख चुकी है और अब उनकी प्रतिक्रिया तथा लागत वहन करने के बारे में उनकी स्वीकृति मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा लागत वहन करने के लिए सहमत हो जाने के बाद रेलवे काम शुरू कर सकती है।

उपभोक्ता गैस के नये कनेक्शन

2801. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 के दौरान उपभोक्ता गैस के कनेक्शनों के लिये राज्यवार कुल कितने नाम दर्ज किये गये ;

(ख) राज्यवार कुल कितने कनेक्शन दिये गये ; और

(ग) 31 अक्तूबर, 1977 को प्रत्येक राज्य में नये कनेक्शनों के लिये लम्बित मामलों की कुल संख्या कितनी थी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क), (ख) तथा (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को प्राप्त लाइसेंसों का ब्यौरा

2802. **श्री मोतीभाई आर चौधरी :** क्या **पट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को प्राप्त औद्योगिक लाइसेंसों तथा आशय पत्रों की संख्या, तारीख क्षमता तथा मदों आदि का ब्यौरा क्या है और उसके कितने आवेदन-पत्र योजना आयोग तथा लाइसेंस समिति के समक्ष अनुमति के लिए विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) कितने मामलों में उत्पादन आरम्भ हो चुका है तथा यह उत्पादन विगत तीन वर्षों के दौरान कितना हुआ ; और

(ग) कितने ऐसे मामले हैं जिनमें इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि० ने औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त नहीं किये अथवा विगत तीन वर्षों के दौरान औषध मूल्य नियंत्रण आदेश का उल्लंघन किया ; और यदि हां तो संसद द्वारा पारित अधिनियमों तथा नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :(क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न औषध मदों के लिये आई०डी०पी०एल० को दिये गये औद्योगिक लाइसेंस और आशय मदों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्र-1, सरकार के पास लंबित पड़े हुये आई०डी०पी० एल० के प्रस्तावों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्र-2 और मैसर्स आई०डी०पी०एल० द्वारा प्रपूंज औषधों का उत्पादन दर्शाने वाला विवरण पत्र-3 संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1273/77]

(ग) आई०डी०पी०एल० द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के उल्लंघन के बारे में सूचना पहले ही 29-11-77 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1821 के भाग (घ) में उत्तर में दी गई थी।

इस कम्पनी द्वारा आई (डी एण्ड आर) के उल्लंघन का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा सरणीबद्ध मदों का वितरण

2803. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को सरणीबद्ध (सरकारी ऐजेंसियों द्वारा आयातित) मदों के वितरण का काम सौंपने का क्या औचित्य है ;

(ख) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के माध्यम से वितरित की जाने वाली मदों के मूल्य इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा घोषित किये जाते हैं अथवा कि सरकार लागत मूल्य की जांच करके उनके मूल्य निश्चित करती है ; और

(ग) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वितरणाधीन कितनी मदों का अभी उसके द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता है और शेष वस्तुओं का उसने गत तीन वर्षों में कितना उत्पादन किया ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) देश की आवश्यकताओं तथा वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा गत समय में विभिन्न स्रोतों से किये गये आयात के मूल्यों में अन्तर को ध्यान में रखते हुए प्रपुंज औषधों का आयात राजकीय रसायन तथा भेषज निगम के द्वारा सरणीबद्ध किया गया है । कुछ सरणीबद्ध औषध के लिए आई डी पी एल या तो एक मात्र उत्पादक है या प्रमुख उत्पादक । जो सरणीबद्ध प्रपुंज औषध आई डी पी एल के उत्पादन रेंज (क्षेत्र) में आती है उनका वितरण आई डी पी एल द्वारा ही किया जाता है ताकि उत्पादन और आयात में बेहतर संमजन बना रहे और वास्तविक उपभोक्ताओं को एक ही स्रोत से उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके।

(ख) आई डी पी एल द्वारा उत्पादित तथा वितरण की जाने वाली निम्नलिखित 8 सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों के स्वदेशी मूल्य, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरों द्वारा समय-समय पर की गई लागत एवं तकनीकी जांच के आधार पर सरकार द्वारा निश्चित किये जाते हैं :—

1. टेट्रासाइक्लिन
2. आक्सीटेट्रासाइक्लीन
3. स्ट्रेप्टोमाईसीन
4. ऐनलजिन
5. सलफागुनीडीन
6. सल्फाडीमोडाईन
7. फेनोवारविटोन तथा उसके लवण
8. विटामिन–बी

जहां तक आई डी पी एल द्वारा उत्पादित तथा वितरण की जाने वाली निम्नलिखित 8 सरणीबद्ध के देश में मूल्यों का सम्बन्ध है, वे मूल्य या तो उनके द्वारा घोषित मूल्य स्वीकार किये गये हैं या

वे औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत निर्धारित कार्य में आवश्यक विवरण प्राप्त करने के पश्चात् स्वीकृत किये गये हैं :—

1. फोलिक एसिड
2. रिबोफिलाविन तथा रिबोफिलाविन 5-फास्फेट सोडियम
3. पिप्राजीन या उसके लवण
4. अमीडोग्रीन
5. पिथालिक सल्फाथियोजौल
6. मेटोनीडाजोल
7. नाइट्रोफियूराजोन
8. नाइट्रोफियूरानटोइन

आई०डी०पी०एल० द्वारा स्वदेश में उत्पादित ग्रीसोफ्लविन के लिए अब तक कोई मूल्य घोषित नहीं किया गया है ।

सामान्य रूप से इन औषधों के लिये निश्चित किये गये स्वदेशी मूल्यों में तथा उनके आयात मूल्य में अन्तर होता है । जहां कहीं आयात किया जाता है पूल्ड (एकत्रीकृत) मूल्य निर्धारित किये गये हैं ताकि सूत्रयोगों के निर्माताओं को ये, औषध एक जैसे मूल्य पर मिल सकें और कुछ सूत्रयोगों के निर्माताओं को सस्ते स्रोतों से औषध के आबंटन का आरोप भी न आए ।

(ग) गत तीन वर्षों में आई०डी०पी०एल० द्वारा वितरित विभिन्न सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों के उत्पादन का विवरण इस प्रकार है :—

(मी० टनों में आंकड़े)

क्रम सं०	प्रपुंज औषध का नाम	के दौरान उत्पादन		
		1974-75	1975-76	1976-77
1	2	3	4	5
1.	टेट्रासाईक्लिन तथा उसके साल्ट .	25.92	75.52	81.38
2.	आक्सी स्टेट्रासाईक्लिन और उसके साल्ट्स	27.32	41.46	36.54
3.	स्ट्रेप्टोमाईसिन .	43.65	45.62	44.92
4.	सल्फागुनीडाईन . .	246.41	183.05	244.00
5.	सल्फाडिमाडाईन और उसके साल्ट्स	348.07	472.94	474.15
6.	मेटामाइजोल (एनलजिन)	181.54	225.08	281.02
7.	फेनोबारबिटोन और उसके साल्ट्स	7.97	13.17	13.55
8.	विटामिन बी-1 .	24.63	27.73	33.04
9.	फोलिक एसिड .	3.06	3.63	4.42
10.	एमोडोपरीन	4.20	4.37	2.46

1	2	3	4	5
11.	पैथाइल सल्फाथियाजोल . .	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मेट्रोनिडाजोल .	शून्य	0.08	0.042
13.	निट्रोफरनटोन	शून्य	0.76	3.13
14.	ग्रीसोफ्लविन	शून्य	135 कि०ग्रा०	136.15 कि०ग्रा०
15.	निट्रोफरजोन .	शून्य	शून्य	शून्य
16.	विटामिन बी-2 .	4.64	5.00	6.88
17.	पिपराजिन और इसके साल्ट्स . . .	86.16	99.26	96.82

यह मालूम होता है कि गत तीन वर्षों में आई०डी०पी०एल० में पैथाइल सल्फाथियाजोल और निट्राफुरजोन का कोई उत्पादन नहीं हुआ। निट्रोफुरजोन, ग्रिसोफ्लविन और आक्सीटेट्रासाईक्लीन, जो आई०डी०पी०एल० के वितरण रेंज के अन्तर्गत आते हैं, का केवल वर्ष 1977-78 से स्टेट कमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० के माध्यम से आयात के लिए सरणीबद्ध किया गया था। जहां तक मेथाइल सल्फाथियाजोल और मेट्रोनिडाजोल का संबन्ध है, केवल वर्ष 1977-78 के लिए आई० डी०पी०एल० को वास्तविक प्रयोगकर्ताओं के लिए वितरण का कार्य सौंपा गया था।

बंगलोर-मैसूर रेल लाइन को मीटर गेज लाइन से बड़ी लाइन में बदलना

2804. **श्री राजशेखर कोलूर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने खुला प्रस्ताव किया है कि वह बंगलौर से मैसूर तक की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये 'स्लीपर' देने और निःशुल्क भूमि देने और उसमें यदि कोई हानि हो तो उसको वहन करने को सहमत है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) बेंगलूरु से मैसूर तक आमान परिवर्तन परियोजना की सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। इस परियोजना को शुरू करने के बारे में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

Availability of Standard Medicines at Fair Price

2805. **Shri Ugrasen :**

Shri Ishwar Chaudhary :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state the steps being taken by Government to ensure availability of standard medicines to the common man at fair price ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : The availability of drugs in the country has been generally on the increase from year to year. Production of bulk drugs and drug formulations which was of the order of Rs. 75 crores and Rs. 370 crores respectively in 1973 increased to Rs. 150 crores and Rs. 700 crores in 1976-77.

Prices of drugs are statutorily controlled under Drugs (Price Control) Order 1970. Prices once fixed under the said Order cannot be increased by the manufacturers without prior approval of the Government. Through the operation of the Order, it has been possible to contain the prices within reasonable levels.

With a view to make drug formulations available to the consumers at cheaper prices, there is no excise duty on sera, vaccine, anaesthetics, medicinal grade oxygen etc. All formulations marketed under the generic name are subject to a duty of only 1 per cent. All patent/proprietary formulations based on 25 essential bulk drugs of life saving nature are subject to a concessional rate of excise duty of 2.5 per cent, as against the normal rate of 12.5 per cent.

Similarly, Government have totally exempted 75 life saving drug formulations from customs duty when imported for actual use.

The Committee on Drugs & Pharmaceuticals Industry (Hathi Committee) in their report have made several recommendations in regard to the rationalisation of prices of drugs. The recommendations are in the final stages of consideration.

Ministry of Finance have also constituted an Indirect Taxation Enquiry Committee which is looking into the indirect taxes on all the commodities including medicines.

Revenue Earned by Railways and Amount Deposited in Welfare Fund

2806. **Shri Ugrasen :**

Dr. Murli Manohar Joshi :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total net revenue earned by the Railways during the last six months; and

(b) the amount out of it deposited in the Welfare Fund ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Rs. 141.24 crores.

(b) Nil. There is no fund called "Welfare Fund" on the Railways to which any share of the net revenue is credited.

रेल दुर्घटनाओं में हताहत हुए व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की अदायगी के बारे में नियम

2807. **श्री उग्रसैन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल दुर्घटनाओं में हताहत हुए व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति की अदायगी के संबंध में बनाये गये नियमों के उपबंधों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : गाड़ी दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान का विनियमन भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82-क से 82-ञ तक में उल्लिखित उपबन्धों तथा धारा 82-ञ के अन्तर्गत बनाये गये रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1950 (समय-समय पर संशोधित) के अधीन होता है। नवीनतम नियमों की एक प्रतिलिपि संलग्न है (अंग्रेजी में)।

[पंचालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-1274/77]

तालबर उर्वरक परियोजना

2808. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर में कोयले पर आधारित उर्वरक परियोजना की स्थापना में दो वर्ष का विलम्ब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या व्यय लागत में भी वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) तालचर में एफ सी आई के कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र का यांत्रिक रूप से जुलाई, 1975 में पूरा होना निश्चित था । तथापि, दोनों आयातित और देशी उपकरणों की सुपुर्दगी में विलम्ब के कारण प्रायोजना के पूरे होने में देरी हुई है और अब इसके दिसम्बर, 77 तक यांत्रिक रूप में पूरे होने की संभावना है ।

(ग) और (घ) अप्रैल, 1971 में तैयार की गई विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट के अनुसार प्रायोजना पर 94.60 करोड़ रुपये का अनुमान था । इस समय प्रायोजना पर लगभग 174.12 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है ।

1977 में पंजीकृत विभिन्न प्रकार की कम्पनियां

2809. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1977 में 211 कम्पनियां पंजीकृत हुई थीं

(ख) यदि हां, तो कितनी कम्पनियां शेयरों वाली सीमित हैं और कितनी गारन्टी कम्पनियां हैं ;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां से इन कम्पनियों का पंजीकरण किया गया ;

(घ) उन कम्पनियों में अधिकृत पूंजी कितनी है ; और

(ङ) देश में नवम्बर, 1977 के अन्त तक पंजीकृत कम्पनियों की कुल संख्या कितनी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान् जी अगस्त 1977 के मास में 211 कम्पनियों का पंजीकरण हुआ था । इनमें से, 209 हिस्सों द्वारा सीमित कम्पनियां थीं तथा 2 गारन्टी द्वारा सीमित कम्पनियां थी ।

(ग) तथा (घ) इन 211 कम्पनियों का राज्य अनुसार वितरण तथा उनकी अधिकृत पूंजी संलग्न विवरण पत्र में दी गई है ।

(ङ) अगस्त 1977 के मास के पश्चात् पंजीकृत कम्पनियों की संख्या सितम्बर में 222 व अक्तूबर में 217 थी । नवम्बर 1977 के मध्य पंजीकृत कम्पनियों की संख्या की बाबत सूचना अभी उपलब्ध नहीं है । तथापि, नवम्बर 1977 के प्रथम पक्ष में 125 कम्पनियों ने पंजीकरण के लिये आवेदन किया ।

अगस्त 1977 के मास के मध्य नवीन पंजीकृत कम्पनियों की राज्य-वार संख्या तथा उनकी अधिकृत पूंजी प्रदर्शित करते हुए विवरण पत्र

राज्य/संघ प्रशासित क्षेत्र	अगस्त 1977 के मास के मध्य नवीन कम्पनियों के पंजीकरण की संख्या			अधिकृत पूंजी ('000 रु० में)
	हिस्से द्वारा सीमित	गारन्टी द्वारा सीमित	योग	
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	11	—	11	1,99,49
2. आसाम	—	—	—	—
3. बिहार	3	—	3	1,10,00
4. गुजरात	10	—	10	62,00
5. हरियाणा	—	—	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
7. जम्मू एवं काश्मीर	—	—	—	—
8. कर्नाटक	14	—	14	48,70
9. केरल	4	—	4	20,50
10. मध्य प्रदेश	3	—	3	22,00
11. महाराष्ट्र	65	1	66	5,10,10
12. मणिपुर	—	—	—	—
13. मेघालय	1	—	1	1,00
14. नागालैण्ड	—	—	—	—
15. उड़ीसा	2	—	2	6,00
16. पंजाब	2	—	2	6,00
17. राजस्थान	1	1	2	3,00
18. तामिलनाडु	11	—	11	1,84,99
19. त्रिपुरा	—	—	—	—
20. उत्तर प्रदेश	6	—	6	24,00
21. पश्चिमी बंगाल	42	—	42	6,61,65
22. दिल्ली	29	—	29	1,20,50
23. चन्डीगढ़	3	—	3	61,00
24. गोवा, दमण एवं दीव	1	—	1	10,00
25. पान्डेचेरी	—	—	—	—
26. अरूणाचल प्रदेश	1	—	1	2,00
योग	209	2	211	20,52,93

बरेली-दिल्ली सवारी गाड़ी का पटरी से उतरना

2810. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री यशवन्त बोरोले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 375 अप बरेली-दिल्ली सवारी गाड़ी का एक डिब्बा 7 नवम्बर, 1977 को मुरादाबाद के निकट पटरी से उतर गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना में कोई तोड़फोड़ होने का संदेह है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्रवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) 7-11-1977 को, जिस समय 375 अप बरेली-दिल्ली पैसेंजर गाड़ी कीमपुर और कैलसा स्टेशनों के बीच जा रही थी, इंजन से आठवें सवारी डिब्बे के अगले चार पहिये पटरी से उतर गये क्योंकि रेलपथ को लोहा काटने वाली आरी से काट दिया गया था । पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है । किसी को भी चोट नहीं पहुंची ।

Connecting of Somnath Mail to Udaipur Ravra-Delhi Mail

†2812. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that people of Saurashtra are put to inconvenience because the late arrival of Somnath Mail at Allahabad fails to connect it with Udaipur, Ravra-Delhi Railway Mail; if so the action Government propose to take to connect Somnath Mail with Udaipur-Ravra-Delhi Mail ;

(b) whether any demands have been received to connect the above trains, if so, from whom, when and the nature thereof ; and

(c) whether Government propose to accept or refuse these demands ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c) 23 Up Somnath Mail arrives Ahmedabad at 6.30 hours and 86 Dn Mewar Fast Passenger at 6.40 hours. During the months of September to November, 1977, 23 Up Mail arrived Ahmedabad late only on 6 occasions, Shri Ibrahim Kalaniya, M.P. and Shri Ishwardas Balia Junagarh requested on 14-10-1977 and 24-4-1975 respectively to provide greater margin of connection between these trains. Increase in the margin of connection between 23 UP and 86DN is not feasible as it will result in missing of connections of 23 Up Somnath Mail at five intermediate stations and non-availability of platform at Ahmedabad for late departure of 86 Dn Mewar Fast Passenger. However, General Manager, Western Railway has been advised to re-examine this and if possible arrange to provide connection between 23 Up Somnath Mail and 86 Dn Mewar Fast Passenger.

Wastage of Natural Gas

2813. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the places in India where natural gas has been allowed to be wasted without being put to any use during the last three years along with the amount and the reasons thereof ;

(b) the States where the natural gas is still being wasted along with natural gas along with the amount and reasons thereof and how long it will continue to be wasted ; and

(c) the time by which the full utilisation of natural gas would be possible ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a), (b) and (c) Certain quantities of associated gas produced by Oil India Limited from their oil fields in Naharkatiya and Moran in Assam continue to be flared. The average daily quantity is about 1.58 million cubic metres. Very low pressure gas which has of necessity to be flared constitutes 8 to 10 per cent of production. The major consumers are presently lifting gas at the rate of 1.54 million cubic metres a day only as against their commitment of 1.985 million cubic metres daily. The Company has offered to supply additional quantity of gas of the order of 0.55 million cubic metres per day to the market. The question of utilisation of this gas is under consideration.

As regards ONGC, currently some associated natural gas is being flared both in the States of Gujarat and Assam. In Gujarat ONGC is currently producing about 2.26 million cubic metres per day of gas. Out of this about 2.2 million cubic metres per day approximately are committed to various consumers in Gujarat State. Some natural gas of the order of 60,000 cubic metres approximately is being flared for want of customers because the structures from where this gas is being produced are widely scattered and its transportation to a central place for bulk supply is not economically viable.

In Assam the ONGC is producing about 0.45 million cubic metres per day of associated gas, out of which about 20,000 cubic metres per day is being supplied to tea gardens and 0.23 million cubic metres per day of natural gas is committed to the Assam State Electricity Board which is expected to start consuming this gas in 1978-79. Till the commissioning of Assam State Electricity Board's Power Plant, the quantity of gas flared in Assam of ONGC would be of the order of 0.43 million cubic metres per day. Subsequently flaring will be reduced to 0.2 million cubic metres per day only for which efforts are in hand to find suitable customers.

Demand to Start Direct Express between Porbander and Delhi

†2814. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any demands have been received to start Direct Double Express (Fast train) between Porbander (Birth place of Mahatma Gandhi) and Delhi, if so, from whom, when and the nature thereof ;

(b) the time by which this line is likely to be started ; and

(c) the action taken by the Government so far or the action Government propose to take now on this issue ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes. Secretary, Porbander Chamber of Commerce has requested for introduction of a direct train between Delhi and Porbander or extension of 35/36 Kirti Express to and from Delhi.

(b) and (c) Introduction of a direct train between Delhi and Porbander even by way of extension of 35/36 Kirti Express have not been found justified on traffic considerations and not operationally feasible due to lack of spare line capacity on sections enroute and of terminal facilities at Delhi.

Acquisition of Land for Laying Petrol Pipeline

2815. **Shri Dharmasinhbhai Patel**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) the number of the farmers of village Virpur and other villages of District Jamnagar in Gujarat whose lands have been acquired or are proposed to be acquired to carry oil through Salaya-Mathura pipeline and the area of the land so acquired or proposed to be acquired;

(b) whether any complaint has been received to the effect that the crops of all these farmers have been destroyed, if so, the details thereof and action taken thereon; and

(c) the time by which the compensation is proposed to be paid to these farmers and the amount thereof along with the action taken by Government so far in this regard?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a), (b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Super fast trains introduced after July, 1976

†2816. **Shri K. Ramamurthy:**

Shri M. A. Hannan Alhaj:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) how many new passenger trains including super fast trains have been introduced after July, 1976 by the Indian Railways;

(b) whether any additional goods trains or wagons were added to our goods trains after July, 1976;

(c) what was the total income earned by the passenger trains and goods trains in the months of April to July, 1976 and how it compares with that of April to July, 1977; and

(d) whether there is any increase in income, if so, whether it is due to new introduction of passenger trains and goods trains after July, 1976?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) 89 pairs of additional passenger trains were introduced and the runs of 64 pairs of existing trains were extended from July, 1976 so far.

(b) 4 million additional goods trains kilometres has been run during August, 1976 to July, 1977 over corresponding period of previous year.

(c) Passenger and goods earnings from April to July, 76 as compared to the corresponding period of 1977 were as under:—

	April to July, 76	April to July, 77
(i) Passenger earnings .	Rs. 194.04 crores.	Rs. 217.24 crores.
(ii) Goods earnings . .	Rs. 435.34 crores.	Rs. 452.44 crores.

(d) There has been an increase in income which was due to increase in traffic in handling which new passenger trains and additional goods trains helped.

अमरीकी औषध निर्माता संगठन के अध्यक्ष के साथ बातचीत

2817. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अमरीका के भूतपूर्व राजदूत तथा इस समय अमरीकी औषध निर्माता संगठन के अध्यक्ष, मि० शर्मन कूपर हाल ही में उनसे मिले थे : और

(ख) यदि हां, तो उनसे किन-किन विषयों पर बातचीत हुई ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) जी, हां।

एक अमेरिकी लॉ फर्म से सम्बद्ध मिस्टर जोन थेरमन कूपर और उनके एक सहयोगी ने, जिनको भारत में व्यापार करने वाली दस अमेरिकी भेषज कम्पनियों ने अपने यहां नौकरी पर रखा हुआ है, विदेशी औषध कम्पनियों के बारे में हाथी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के संदर्भ में भारत में कार्यरत अमेरिकी औषध उद्योग के विचार व्यक्त किये हैं। यह मानते हुए कि इस विषय पर भारत सरकार का निर्णय सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने यह आशा व्यक्त की है कि इस पर विचार विमर्श के लिए एक अवसर और मिलेगा ताकि संतोषप्रद सम्बंध स्थापित किये जा सकें जिससे भारत तथा अमेरिका के बीच व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, उन्होंने भारत में स्थायी आर्थिक आधार को बनाए रखते हुए भारत के उद्देश्यों में अपने सहयोग को जारी रखने में सम्बंधित कम्पनियों के हितों के बारे में भी बताया।

रेलवे कन्सट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया

2818. **श्री बृज भूषण तिवारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रेलवे कंसट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा क्या-क्या निर्माण कार्य किये जाते हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : इंडियन रेलवे कंसट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड की स्थापना 1976 में हुई थी और तब से यह 'कंसट्रक्शन यूनिट' महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी पंजीकृत हो चुका है। यह कम्पनी उपर्युक्त निर्माण कार्य प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगा रही है और इसने विकासशील देशों में निर्मित होने वाली कुछ बड़ी योजनाओं के लिए निविदाएं भेजना भी शुरू कर दिया है। फिलहाल इस कम्पनी ने कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड के लिए, कर्नाटक राज्य के चिकमगलूर और दक्षिण कनारा जिलों में प्रस्तावित बाजागोली—मालेश्वर मार्ग पर चार सड़क पुल बनाने का काम हाथ में लिया है।

पूर्व रेलवे में गेंगमैन आदि की सेवा की शर्तें

2819. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैंगमैनो, खलासियों और विशेषकर नैमित्तिक गैंगमैनों की दयनीय सेवा की शर्तों और उनके 24 सूत्री मांग पत्र के बारे में डिवीजनल सचिव, डिवीजनल रेलवे कर्मचारी समन्वय समिति, पूर्व रेलवे, धनबाद को दिनांक 8 अक्तूबर, 1977 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करने और उक्त 24 सूत्री मांग पत्र को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) अभ्यावेदन में उठाये गये मुद्दों की जांच की जा रही है ।

पेट्रोलियम तथा रसायन अध्ययन ब्यूरो को बन्द करने का निर्णय

2820. **श्री वसन्त साठे** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम तथा रसायन अध्ययन ब्यूरो को, जो पेट्रोलियम तथा रसायन विकास के क्षेत्र में मूल्यवान अनुसंधान तथा प्रारम्भिक कार्य करता रहा है, बन्द करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि ब्यूरो को इस कारण से बन्द किया जा रहा है चूंकि इसने अपने निष्कर्षों को अधिकारियों की सुविधा के अनुसार रखने से इन्कार किया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) पेट्रोलियम सूचना सेवा नामक पहले संगठन को उन्नत करके सितम्बर, 1975 में पेट्रोलियम तथा रसायन अध्ययन ब्यूरो को स्थापित किया गया था (जिसका बाद में पेट्रोलियम अध्ययन ब्यूरो नाम रखा गया था) पेट्रोलियम सूचना सेवा का मुख्य उद्देश्य तेल उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने के पक्ष में जनमत को पैदा करना था । यह कोई अनुसंधान कार्य नहीं कर रहा है । इसके मुख्य क्रियाकलाप में 'आयल कमेंट्री' नामक एक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन भी शामिल था, जो कि मुख्य रूप से दैनिक अखबारों से सूचना मदों को तथा अन्य पत्रिकाओं से लेखों को लेकर पुनः प्रस्तुत करता था । अपने क्रियाकलापों में किसी प्रकार की वृद्धि किये बिना, ब्यूरो का व्यय बहुत अधिक बढ़ गया था । अभी हाल में इस ब्यूरो द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा इंडियन आयल कारपोरेशन के साथ परामर्श करके की गई थी । देश में तेल उद्योग प्रणाली में परिवर्तन होने के कारण क्योंकि इसको और चालू रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ब्यूरो को बंद कर दिया गया था ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन

2821. **श्री वसन्त साठे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न स्तरों पर समितियों के गठन के लिए पुनः मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें क्या सुधार करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) विभिन्न स्तरों पर रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियां भारी-भरकम हो गयी थीं । उन्हें सुसम्बद्ध बनाने के उद्देश्य से उनका पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि ये अधिक उपयोगी और प्रभावी हो सकें ।

पूर्व रेलवे में कर्मचारी कल्याण पर व्यय

2822. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने रेलवे के अच्छे कार्यकरण को देखते हुए पूर्व रेलवे को कर्मचारी कल्याण पर एक करोड़ की धनराशि से अधिक व्यय करने की अनुमति दी है,

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य रेलों को भी समान की लदाई में अच्छा कार्यकरण प्राप्त करने पर यही लाभ दिये जायेंगे ; और

(ग) क्या उनका विचार है कि इस कदम से विभिन्न रेलवे जोनों में अपने कार्यकरण को सुधारने के प्रति स्वस्थ होड़ उत्पन्न होगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सभी वर्गों के रेल कर्मचारियों के सहयोग और सराहनीय कार्य के फलस्वरूप रेलों के संतोषजनक कार्य निष्पादन को देखते हुए भारत सरकार ने सभी क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन कारखानों आदि में कर्मचारी कल्याण कार्यों पर खर्च करने के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी है । इसमें से पूर्व रेलवे के लिए 2 करोड़ रुपया आबंटित किया गया है ।

भारतीय उर्वरक निगम के विभाजन से मुख्यालयों के कर्मचारियों की संख्या

2823. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के विभाजन से बनाई जाने वाली चार नई कम्पनियों के सभी मुख्यालयों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी ; और

(ख) भारतीय उर्वरक निगम लि० के केन्द्रीय कार्यालय में इस समय कितने कर्मचारी हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) 30-6-77 को फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के केन्द्रीय कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 651 थी । एफ० सी० आई० के पुनर्गठन के बाद बनाई जाने वाली कम्पनियों के मुख्यालयों में कर्मचारियों की संख्या अभी निर्धारित नहीं की गई है ।

भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध का अध्ययन करने हेतु उच्च शक्ति-प्राप्त समिति

2824. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी उच्च शक्ति-प्राप्त समिति ने भारतीय उर्वरक निगम लि० के असंतोषजनक प्रबन्ध के कारणों तथा उससे हो रही हानियों का पता लगाने के लिए कोई गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सहित प्रतिवेदन की प्रति सभा-पटल पर रखे जाने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जबकि सरकारी उपक्रमों पर कार्यकारी समिति ने 1971-72 के दौरान फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया के संगठित पहलुओं का अध्ययन किया था किसी अन्य उच्च स्तरीय समिति में एफ० सी० आई० को हुई हानि और घटिया प्रबन्ध के कारणों का अध्ययन नहीं किया है ।

X-Ray facilities in Railway Hospitals, Amritsar

†2825. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Northern Railway Division there are no m.m. X-Ray facilities in the Railway Hospitals at Amritsar and Jullundur; and

(b) if so the reasons for which this facility could not be provided at the said places ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) Constraints of funds have prevented provision of Odelaca camera (m.m. X-Ray) at Railway Hospital, Amritsar. So far as Jullundur is concerned, there is only a Health Unit at this place and it is not the policy of the Government to provide m.m. X-Ray at Health Units.

Cash Assistance to S.C. and S.T. for Meeting Legal Expenses

†2826. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether cash assistance is being given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for meeting legal expenses; and

(b) if so, the amount of such cash assistance given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Bihar State during 1976-77 and 1977-78 and the number of legal cases in which such assistance was given ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Narsingh) : (a) There is no Central Scheme under which any cash assistance is given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for meeting legal expenses. However, State Plans in Backward Classes sector, of the Governments of Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Goa, Daman & Diu, Pondicherry and Tripura have schemes for providing legal aid to the members of Scheduled Castes and or Scheduled Tribes and or other Backward Classes.

(b) Provision has been made for providing legal assistance to Scheduled Tribes in Bihar State in their backward classes sector during 1976-77 and 1977-78 and the number of beneficiaries is given below :—

1966-77		1977-78	
Provision	Target Achieved	Provision	Target Achieved
Rs. 3 lakhs (likely)	400 (likely)	Rs. 3 lakhs	Not available

The position of assistance to Scheduled Castes is not reflected in the Backward Classes Sector of the State Plan.

Misuse of F.C.I. Staff Car

2827. **Shri Bhanu Kumar Shastri** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether some senior officers and some junior officers in his Ministry have been using the staff car of the Fertilizer Corporation in an unauthorised manner; and

(b) if so, the names of such officers and the details of the action taken against them ?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

नौकरी के आवेदन-पत्र को अग्रसारित करना.

2828. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय राष्ट्रीय उर्वरक लि० भारतीय उर्वरक निगम आदि जैसे इसके नियंत्रण वाले सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों को नौकरी के आवेदन अग्रसारित करता रहा है ; और

(ख) गत छः महीनों के दौरान उपरोक्त संगठनों में से प्रसिद्ध संगठन को ऐसे कितने आवेदन पत्र अग्रसारित किये गये और क्या यह स्वस्थ प्रक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) ऐसे आवेदन-पत्रों के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों में रोजगार के लिये यदि कोई आवेदन-पत्र मंत्रालय में प्राप्त होता है तो उसे साधारण रूप में योग्यता के आधार पर निपटान के लिए संबंधित उपक्रम को भेज दिया जाता है ।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उर्वरक परियोजनायें और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड परियोजनायें

2829. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने नांगल एक्सपेंशन, सिंदरी मार्डनाईजेशन जैसी विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कुछ उर्वरक परियोजनाएं आरम्भ की हैं जिसमें जापान की मैसर्स तोयो द्वारा आरम्भ की गई राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की परियोजनाओं की तुलना में तकनीकी शुल्क की काफी बचत हुई है ;

(ख) इसके बावजूद मथुरा उर्वरक संयंत्र का निर्माण कार्य जापान की मैसर्स तोयो को क्यों दिया जा रहा ; और

(ग) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के तीन संयंत्रों के निर्माण के ठेके भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड जैसी भारतीय कम्पनी को क्यों नहीं दिये गये हैं ।

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) नैशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को क्रमशः भटिण्डा और पानीपत स्थानों पर ईंधन तेल पर आधारित

केवले दो उर्वरक संयंत्रों के निर्माण का काम सौंपा गया है । सरकार ने मथुरा में उर्वरक संयंत्र स्थापना की मंजूरी नहीं दी । अतः मथुरा उर्वरक संयंत्र के निर्माण कार्य का ठेका दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जापान के मैसर्स तोयो इंजीनियरिंग कारपोरेशन को भटिण्डा और पानीपत परियोजनाओं के बारे में लाइसेंस/प्रक्रिया जानकारी, डिजाइन इंजीनियरिंग फीस तथा अन्य सेवाओं के लिये दी गई फीस भारतीय उर्वरक निगम द्वारा ईंधन तेल पर आधारित परियोजनाओं के निर्माण के लिये विदेशी ठेकेदारों को तकनीकी सेवाओं के लिये दी गई फीस के साथ तुलना नहीं की जा सकती है; इस सम्बन्ध में निम्न-लिखित कारण हैं :

(1) भटिण्डा तथा पानीपत में यूरिया संयंत्रों की क्षमता 1550 मी० टन प्रतिदिन है जबकि इसके विपरीत नांगल तथा सिंदरी आधुनिकीकरण संयंत्रों की क्षमता 1000 मी० टन प्रतिदिन है ।

(2) दोनों श्रेणी के संयंत्रों में विभिन्न पार्टियों द्वारा किया गया कार्य समान नहीं है ।

(3) नांगल के लिये ठेकों को 1972-73 में अर्थात् तेल संकट से पूर्व अन्तिम रूप दिया गया जबकि एन० एफ० एल० के ठेकों को दो साल बाद अन्तिम रूप दिया गया था ।

तथापि नैशनल फर्टिलाइजर्स और तोयो के बीच ठेकों की स्वीकृति देते समय सरकार ने नांगल परियोजना के लिये दी गई फीस पर विचार किया था और उन्हें तसल्ली थी कि यह फीस उचित थी ।

(ग) एक भारतीय इंजीनियरिंग कम्पनी अर्थात् मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड भटिण्डा और पानीपत दोनों परियोजनाओं के निर्माण के लिये मुख्य भारतीय ठेकेदार हैं । मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड तथा जापान की मैसर्स तोयो इंजीनियरिंग कम्पनी का पूरा उत्तरदायित्व है कि वे इन परियोजनाओं के कार्य ठीक ढंग एवं निर्धारित समय पर पूरा करें ।

भारतीय उर्वरक निगम की हुई हानियां

2830. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी एकक का पूरा ना हो जाना और दुर्गापुर एकक में घटिया आयातित उपकरण ;

(ख) क्या भारतीय उर्वरक निगम को होने वाली हानियों का मुख्य कारण नांगल एवं गोरखपुर एककों में बिजली की सीमित सप्लाई हैं ; और

(ग) भारतीय उर्वरक निगम को चार स्वतन्त्र कम्पनियों में विघटित करके उपरोक्त स्थिति में किस प्रकार सुधार होगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) सिंदरी में पुराने संयंत्र, नांगल एवं गोरखपुर में बिजली की कमी, और दुर्गापुर में दोषपूर्ण कल-पुर्जों आदि तथ्यों के कारण एफ० सी० आई० को कुछ सीमा तक हानि उठानी पड़ी ।

(ग) इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए पुराने संयंत्रों का आधुनिकीकरण एवं नवीकरण, दोषपूर्ण कल-पुर्जों की बदली, अपने उपयोग के लिए निजी बिजलीघरों की स्थापना आदि जैसे विशेष उपाय अपनाये जा रहे हैं । एफ० सी० आई० का पुनर्गठन संयंत्रों के परिचालन और प्रायोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार लाने के आशय से किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय शेयरधारी मंच के निगमित क्षेत्र में कदाचारी के बारे में विचार

2831. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शेयरधारी मंच ने शेयरधारियों के हितों के प्रतिकूल निगमित क्षेत्र द्वारा किये जाने वाले अनेक कदाचारों का उल्लेख करते हुए उन्हें एक पत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) अंशधारियों के राष्ट्रीय मंच द्वारा प्रस्तुत किय गये ज्ञापन को एक प्रति संलग्न है । कम्पनी अधिनियम तथा एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के विषय क्षेत्र में आने वाले विषयों की, वतमान में इन दोनों अधिनियमों का पुनर्विलोकन करने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा परीक्षा की जा रही है। इस बाबत आगे कार्यवाही, सरकार द्वारा इस विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के प्राप्त होने पर की जायेगी।

विवरण

लोक सभा के दिनांक 6-12-77 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2831 के उत्तर के भाग ख में निर्दिष्ट ज्ञापन के प्रति

कम्पनियों में होने वाली अनियमितताओं के सम्बन्ध में कानून न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री श्री शान्ति भूषण को सम्बोधित दिनांक 2 नवम्बर, 1977 का स्मरण पत्र।

1. शीर्ष प्रबंन्ध की साधारण अंशों के अंशधारियों के हितों के प्रति क्रूर और शरारत पूर्ण उदासीनता, कम्पनी का पूर्ण कुप्रबन्ध करते हुए बिल्कुल कम या कुछ भी लाभांश न देना, अनियमिततायें और पक्षपात करना, अंशधारियों की कीमत पर अपने हितों का साधना।

2. कम्पनियों का पूरी क्षमता के बराबर उत्पादन न करना, प्राय: 40% तक क्षमता का उपयोग करना, और इस प्रकार विक्रेता-बाजार को फ़ायदा पहुंचाने के लिय बनावटी तरीके से कमी पैदा करना जिसमें ऊंची कीमतें वसूल की जाये के अक्षमता अनियमितताओं और शीर्ष प्रबन्ध की विलासी प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न ढील को ढकना यद्यपि इससे भले ही उपभोक्ताओं को दिल तोड़ तकलीफ उठानी पड़े, कभी-कभी जो भी पैदा किया जाता है उसे जमा कर रखना ताकि कभी बढ़े और कीमतें और आगे बढ़े।

3. शीर्ष प्रबन्ध अपने सम्बन्धियों या मित्रों को एक मात्र विक्रय अभिकर्त्ता नियुक्त करता है, उन्हें उदार दरों पर कमीशन देता है और इस प्रकार अंशधारियों के हितों के विरुद्ध कम्पनी के धन को आपस में बांटता है। चीजों की कमी उत्पन्न करता है ताकि विक्रय अभिकर्ता दुखी उपभोक्ताओं से ऊंची कीमतें वसूल कर गलत तरीके से उसका एक बड़ा भाग शीर्ष प्रबन्ध को दे सके।

4. कम्पनियां अपने विवरण पत्रों में बड़ा ही भव्य और मनोहारी चित्र उपस्थित करती है ताकि विश्वासु जनता धन लगाये। इसके बाद वे ठीक मौके पर सुन्दर प्रकाशन प्रकाशित करती है जिसमें परियोजनाओं का विवरण होता है और निकट भविष्य में बड़े प्रलोभन पूर्ण लाभांश देने की बात होती है और जैसे गधे के सामने गाजर झुलाया जाता है उसी प्रकार धन लगाने वालों को बहकाती है। इसके

साथ ही अंशधारियों से अत्यन्त उत्साहहीन वास्तविक परिणामों को छिपाया जाता है जिन्हें वार्षिक साधारण सभाओं में धोखा दिया जाता है और जो वर्षों के धैर्यपूर्ण इन्तजार के बाद अन्तोगत्वा विनाश की स्थिति में ही जाग पाते हैं।

इस बीच ठीक वक्त पर छापे गये प्रकाशन जिनमें बड़े लाभांशों का वादा होता है, प्रत्याशित अंशों को तेजी लाते हैं, शीर्ष प्रबन्ध का जो प्रमोटर समूह होता है, जिसे हालात का पता होता है, जब तक तेजी रहती है, शुरू में लगाये गये धन की अपेक्षा बहुत ज्यादा पैसे पर अपने शेयर बेचकर लाभ बटोरता रहता है और इसके अलावा कम्पनी में काफी ज्यादा शेयरों पर कब्जा भी रखता है।

5. वार्षिक साधारण सभा को वर्ष के समाप्त होने के छः महीने के बीच अंशधारियों को जानबूझ कर अन्धेरे में रखने के लिये न बुलाना और इस प्रकार अनियमितता करना।

6. बजाय इसके कि उत्पादन को बढ़ा कर लाभांश वितरण के स्तर तक लाया जाय और उत्पादन-कर्त्ता को और बढ़ा कर लाभांश को अधिकतम स्तर तक लाया जाय, कम्पनियों द्वारा लम्बे प्रतीक्षा काल की दलील उठाना जो कभी कभी दस वर्षों तक हो जाता है।

7. अयोग्य सम्बन्धियों को या जिनमें उनकी दिलचस्पी होती है ऐसे लोगों की प्रमुख स्थानों पर नियुक्ति जिनमें ऊंची तनखाह और सुविधायें मिलती हैं। ऐसे लोग आराम से जवानी बिताते हैं और बुढ़ापे में प्रवेश करते हैं। अनजान बने रहते हैं और कम्पनियों में उनका कोई योगदान नहीं होता और अन्तोगत्वा के कम्पनियों को अपार दुखद स्थिति में डाल देते हैं।

8. बजाय इसके कि दृढ़ता पूर्वक अक्षमता को कम किया जाय लम्बी प्रतीक्षा के बाद लाभांश देने के लिए कीमतों को बढ़ाना।

9. मूल्य वरीयता के कारण न्यूनतम प्रतियोगितात्मक मूल्य पर क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं करती किन्तु उपभोक्ताओं को कीमत पर लाभ और लाभांश को बढ़ाती है और इस प्रकार मुद्रास्फीति में अपना कोटा पूरा करती है। उपभोक्ता उसी वस्तु के आयातित पर्याय की अपेक्षा 200% अधिक मूल्य देता है उसे स्वर्ग का आनन्द प्राप्त होगा यदि वह स्वदेशी माल को आज के मूल्य की अपेक्षा यदि 50% कम मूल्य पर प्राप्त कर सके।

10. बजाय इसके कि निदेशक मण्डल प्रबन्ध निदेशक को नियंत्रित करे, प्रबन्ध निदेशक, निदेशक मंडल को नियंत्रित करता है।

11. प्रबन्ध निदेशक जो कम्पनी का एक पूर्ण कालिक कर्मचारी है बोर्ड की साजिश से अपने अनेक धन्धों में लगा रहता है और इस प्रकार कम्पनी के हितों का हनन करता है, जो आकर्षक सुविधायें देने के अलावा ऊंची तनखाह दे देती है।

12. प्रबन्ध निदेशक (अपवादों को छोड़कर) खरीदारियों पर कमीशन पाता है चाहे वे राजस्व से सम्बन्धित खरीदारियों हों या पूंजी से उनका सम्बन्ध हो।

13. शीर्ष प्रबन्ध अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बिना टेन्डर बुलाए ठेका देता है जिनमें दरें बड़ी ही आकर्षक होती हैं ताकि वह ठेकेदारों के साथ लूट में भाग ले सके।

14. शीर्ष प्रबन्ध कम्पनी की मिल्कियत की डिक्री से संगठित चोरी करके अपना हिस्सा लेता है। यह औजारों की खरीद पर कमीशन बटोर कर भी फायदा करता है।

15. घाटे वाली इकाइयों के हिसाब किताब को फायदे वाली इकाइयों के हिसाब-किताब में मिलाकर उपस्थित करना और इस प्रकार भ्रम पैदा करना और इस बात का पता लगाना कठिन कर देना कि घाटे वाली इकाई में क्या कमी है और कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है।

16. शीर्ष प्रबन्ध का एक मात्र बिक्री अभिकर्ता का स्थान रिश्तेदारों या दोस्तों को ऊपर कमीशन पर देना ताकि कम्पनी के पर्याप्त धन को अंशधारियों के हितों के विरूद्ध हड़प लिया जाये।

17. पूंजी के दुगुने या तिगुने के बराबर आरक्षित अंशधारियों के धन से बनाना ताकि यह भावी हानि के लिये बीमा का काम कर सके। कभी भी अंशधारियों को आरक्षित में से बोनस शेयर न देना जबकि यह कानूनी तौर पर उनका धन होता है।

18. अंशधारियों के हितों के विरुद्ध सहयोगी कम्पनियों में धन लगाना उसे बैंक दर से 2.5 गुना ज्यादा दर पर उधार लेना जबकि सहयोगी कम्पनियों के लाभांश घोषित करने को संभावनायें अल्प हैं।

19. सरकार के अधिग्रहण कर लेने के बाद मुआवजे की रकम को अंशधारियों में बांटने में अनुचित विलम्ब जिससे अन्तरित अवधि के दौरान वास्तविक या संदिग्ध गबन को संभावना उत्पन्न होती है।

20. जिन फर्मों में डूबा हुआ कर्ज होता है और जिनमें निदेशक दिलचस्पी रखते हैं उसे बजाय वसूली के लिये कानूनी कार्यवाही करने के वर्षों की निष्क्रियता के बाद बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

21. प्रबन्ध निदेशक या उसका कोई विश्वास पात्र कम्पनी का सौदा-बाज होता है। वह वित्तीय संस्थाओं को पटा लेता है। हवाई यात्रा व्यय, वातानुकूलत रेल खर्च जो कभी-कभी पूरे परिवार को मिलता है, दूर तीर्थ यात्रा खर्च, छुट्टियों का पूरा खर्च, ऊंचे ऊंचे होटलों में रहने का खर्च, कीमती उपहार जो परिवार की रानी के सुझाव के मुताबिक होता है, शराब तथा लड़कियां तक दी जाती हैं। वित्तीय संस्थाओं के रिश्तेदारों या दोस्तो तक की परवाह और खातिरदारी की जाती है और सौदेबाज उनको पटाता है। इस प्रकार का खर्च कम्पनी के विविध व्यय के खाते में डाल दिया जाता है और दूसरो मदों में भर दिया जाता है और उसका पता लगाना कठिन होता है।

22. वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि जिन्हें सौदेबाज इस प्रकार पटा लेता है कम्पनी की तरफ झुक जाते हैं और बिना किसी प्रकार की तकलीफ किए हुए कि अल्पमत वाले अंशधारियों के हितों की रक्षा रही है या नहीं, ऋण देते रहते हैं और केवल सूद की प्राप्ति और पूंजी की सुरक्षा पर ही ध्यान रखते हैं। अतएव वित्तीय संस्थानों और उनके प्रतिनिधियों के ओर देखने में या कोई बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व पर ध्यान देने में कुछ नहीं होगा क्योंकि बोर्ड में होने पर भी वे अल्पसंख्यक अंशधारियों के हितों की सुरक्षा नहीं कर पाते।

23. शीर्ष प्रबन्ध के रिश्तेदारों और दोस्तों को परिसम्पत्तियां अविश्वसनीय नीची दरों पर बिना टेण्डर लगाये बेचना या अंशधारियों की उस पर कालान्तर में स्वीकृति प्राप्त करके बेचना।

24. सत्ताधारी दल के राजनैतिक कोष में कम्पनी अधिनियम की धारा 293 का उल्लंघन करते हुए उदारता पूर्वक चन्दा देना।

नयलोन धागे का उत्पादन

2832. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रतिवर्ष कुल कितने नायलोन धागे का उत्पादन होता है;

(ख) नायलोन के कपड़े का उत्पादन करने के लिये देश में कितने नायलोन धागे को आवश्यकता है; और

(ग) इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

पट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1976-77 के दौरान नायलोन धागे का उत्पादन 16,719 मो० टन और वर्ष 1977-78 (अप्रैल से सितम्बर तक) के दौरान 8,203 मी० टन हुआ।

(ख) वर्तमान परिस्थिति में बुनाई खण्ड के लिये लगभग 20,000 मो० टन नायलोन धागे की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

(ग) नायलोन फिलामेंट धागे को देशीय उपलब्धता की कमी को आयात द्वारा पूरा किया जाता है।

रेलगाड़ियों में टिकटों की जांच न होने के कारण हानि

2833. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकतर पैसेन्जर गाड़ियों में चैकिंग स्टाफ नहीं होता है; और

(ख) क्या यह सच है कि पैसेन्जर गाड़ियों पर विशेषकर पकाला-धर्मवरम-कटपाड़ो सैक्शनों पर टिकटों की जांच न होने के कारण आय को हानि हो रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) टिकटों की जांच को अधिक कारगर बनाने के लिये, चल टिकट परोक्षक दल द्वारा जांच कराने की प्रणाली शुरू की गई है। और सभी यात्री गाड़ियों की योजनाबद्ध आधार पर जांच की जाती है। पहले दर्जे के गलियारेदार सवारी डिब्बों में परिचर नियुक्त किए जाते हैं और दूसरे दर्जे के आरक्षित स्थान वाले सभी सवारी डिब्बों में चल टिकट परीक्षक नियुक्त किये गये हैं।

(ख) बिना टिकट यात्रा करने के कारण राजस्व में होने वाली हानि की रोकथाम के लिये, सभी यात्री गाड़ियों में, जिनमें पकाला-धर्मवरम-कटपाडो खण्ड पर चलने वाली गाड़ियां भी शामिल हैं, योजनाबद्ध आधार पर बार-बार अचानक जांच की जाती है।

लोक सभा के निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन विवरणियां प्रस्तुत करना

2834. **डा० वी० ए० सईद मुहम्मद** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोक सभा के लिये गत साधारण निर्वाचन में कितने उम्मीदवारों (पार्टी-वार) ने निर्वाचन लड़ा किन्तु अभी तक निर्वाचन व्यय की अपनी विवरणिय प्रस्तुत नहीं की हैं; और

(ख) ऐसे उम्मीदवारों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) 2439 उम्मीदवारों ने लोक सभा निर्वाचन लड़ा था और उनमें से 159 उम्मीदवारों ने अभी तक अपने निर्वाचन व्ययों की विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं। इन 159 उम्मीदवारों में से 158 उम्मीदवार निर्दलीय हैं और एक उम्मीदवार भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का है।

(ख) तीन उम्मीदवारों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन निरर्हित घोषित किया गया है । बाकी 156 उम्मीदवारों को कारण-बताओ-नोटिस जारी करके उनसे पूछा गया है कि विवरणियां प्रस्तुत न करने के कारण उन्हें निरर्हित क्यों न कर दिया जाये।

बंगाल कैमिकल्स

2835. **श्री समर गुह :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख रसायन उद्योग जिसे बंगाल कैमिकल्स के नाम से जाना जाता है और आचार्य पी० सी० राय ने 1901 में जिसकी स्थापना की थी, वित्तीय और प्रबन्ध सम्बन्ध कठिनाईयों के कारण बुरी हालत में है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रमुख रसायन उद्योग को बचाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ङ) पिछले कुछ वर्षों के दौरान बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता का कार्यकरण बिगड़ गया था और सरकार को इसके बारे में कई शिकायतें भी मिली थीं । कुछ शिकायतों के आधार पर कम्पनी कार्य विभाग ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4) के अन्तर्गत निरीक्षण का आदेश दिया था । आई० आर० सी० आई० और यूनियन बैंक आफ इण्डिया ने भी बंगाल कैमिकल्स एण्ड फ़ार्मास्यूटिकल्स वर्क्स पर एक अध्ययन दल का गठन किया था जिसमें उद्योग, औद्योगिक सलाहकार, डी० जी० टी० डी० और यूनियन बैंक आफ़ इंण्डिया तथा आई० आर० सी० आई० के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से यह पता चलता है कि कम्पनी के कुप्रबन्ध के कारण उत्पादन में कमी और अत्यधिक हानि हुई है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी की सम्पूर्ण जांच करने के लिये सरकार ने औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत जांच का आदेश दिया। समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

एकाधिकार उद्योगों का नवीनतम मूल्यांकन

2836. **श्री समर गुह :** क्या **विधि, न्याय और कंम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों के नाम क्या हैं, जो नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार एकाधिकार उद्योग की श्रेणी में आते हैं;

(ख) उनकी वित्तीय आस्तियां और वार्षिक आय सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इन एकाधिकार उद्योगों को गत तीन वर्षों के दौरान नये लाइसेन्स दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्तम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन एकाधिकार उद्योगों को नये लाइसेन्स स्वीकृत न करने के क्या तथ्य हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के उपबन्धों के अनुसार, ये उपक्रम, जो स्वयं अथवा अपने अन्तः सम्बन्धित उपक्रमों सहित, भारत में उत्पादित अथवा की गई, किसी माल अथवा सेवाओं के एक तिहाई से कम नहीं, का उत्पादन अथवा व्यवस्था करते हैं, तथा जिनकी परिसम्पत्तियां, एक करोड़ रुपयों से कम न हों, कथित अधिनियम की धारा 20(ख) को आकर्षित करते हैं, अतः इन्हें स्वयं को केन्द्रीय सरकार के पास पंजीकरण कराना अपेक्षित है। ऐसी धारणा है कि प्रश्न के भाग (क) में निर्देशित शब्द "एकाधिकार उद्योग" इसी प्रकार के उपक्रमों को संदर्भित करता है। तदनुसार, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, के अन्तर्गत पंजीकृत प्रमुख उपक्रमों के नाम, उनकी परिसम्पत्तियों के मूल्य तथा उनके करों के पूर्व लाभों में यथा प्रतिबिम्बित उनकी वार्षिक आय, प्रदर्शित करते हुए एक विवरण पत्र संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1275/77]**

(ग) से (ङ) कम्पनी कार्य विभाग, केवल एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के प्रशासन से सम्बन्धित है। जहां तक, गत तीन वर्षों के मध्य, प्रमुख उपक्रमों से प्राप्त प्रस्तावों के, कथित अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदनों तथा निरस्तीकरणों का सम्बन्ध है, उनके ब्यौरे प्रदर्शित करते हुए एक विवरण पत्र संलग्न है।

Bridge on Ramghat Road

†2837. **Shri Ram Prasad Deshmukh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the bridge on Ramghat Road in Aligarh built by the previous Government on the eve of elections ;

(b) whether this bridge was constructed keeping in view the frequent accidents at this place and whether the building of this bridge has served no purpose, for none makes use of it, as people find it difficult to ascend it ; and

(c) if so, whether an inquiry will be made as to why such a bridge was constructed ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Rs. 3.42 lakhs.

(b) The bridge was constructed on safety considerations in view of frequent accidents at this location. No complaints have been received from the public regarding difficulties in ascending the bridge.

(c) This is not considered necessary in view of reply to (a) and (b) above.

T.Ts. At Hathras Junction

2838. **Shri Ram Prasad Deshmukh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the strength of T.Ts and other employees at Hathras Junction, Aligarh in 1970 and their strength at present, in view of the large population of the area and large number of trains there ; and

(b) whether these employees are facing difficulty because of meagre staff strength and if so, whether Government propose to consider augmentation of staff strength ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) :

(a) Station	Sanctioned Strength	
Hatras Jn.	1970	1977
(i) TTES	Nil	Nil
(ii) Other Employees	108	110
Aligarh Jn.		
(i) TTES	9	9
(ii)Other Employees	271	263

(b) Representations received regarding augmentation of strength of certain categories of staff at these stations, are under examination of the Railway Administration.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में कार्य कर रहे विदेशी विशेषज्ञ

2839. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और तेल की खोज में संलग्न अन्य एजेंसियों में कितने विदेशी विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उनके स्थान पर भारतीय विशेषज्ञों को रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) खाड़ी के देशों को देश-वार, कितने भारतीय विशेषज्ञ तेल की खोज करने के लिये दिये गये हैं और इस सम्बन्ध में उनके साथ किये गये ठेकों का ब्यौरा क्या है और उससे भारत को क्या लाभ प्राप्त होंगे?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने के बाद बर्मा शैल, कालटेक्स और एस्सो कम्पनियों के कार्य का मूल्यांकन

2840. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा शैल, कालटैक्स और एस्सो नामक तीन तेल कम्पनियों का सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिये जाने के बाद उनके कार्य का कोई पुनर्विलोकन अथवा मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन कम्पनियों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इन कम्पनियों में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन को भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों के बराबर करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के समान, अधिग्रहण के बाद भूतपूर्व तेल कम्पनियों के कार्य निष्पादन का पर्यवेक्षण तथा समीक्षा, तेल समन्वय समिति की सहायता से पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा लगातार की जाती है।

(ग) इन कम्पनियों के कर्मचारियों के वेतन ढांचे इंडियन आयल कारपोरेशन के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन ढांचों से प्रारम्भ से ही भिन्न हैं संगठनबद्ध कर्मचारियों के वेतनमान, दीर्घकालिक समझौतों के अनुसार होते हैं और इनमें इस प्रकार के संगठनबद्ध कर्मचारियों के साथ नये दीर्घकालीन समझौतों को करने के उपरांत ही इनमें किसी प्रकार के परिवर्तन किये जा सकते हैं। जहां तक भूतपूर्व विदेशी तेल कम्पनियों के प्रबन्ध स्टाफ का सम्बन्ध है, ऐसी बहुत सी बातें है जो उनके वेतन ढांचे पुनर्गठन को प्रभावित करेंगी । अन्तिम निर्णय लेने से पहले इन बातों की ध्यानपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है।

इंडेन गैस एजेंसियों का स्थाई आधार पर आबंटन

2841. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय इंडेन गैस एजेंसियों का आबंटन निर्धारित अवधि के लिये न कर स्थाई आधार पर किया जाता है;

(ख) क्या इस नीति से एकाधिपत्य प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला है और गैस व्यापारी कदाचार में लग रहे हैं;

(ग) क्या सरकार गैस एजेंसियों की अवधि निर्धारित करने अथवा उनकी नीलामी करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इंडेन गैस एजेंसियां किसी प्रकार की अवधि को निर्दिष्ट किये बिना आबंटित की जाती है; परन्तु इंडियन आयल कारपोरेशन को यह अधिकार है कि वह वितरक के साथ किये गये करार के अन्तर्गत एजेंसियों को समाप्त कर सकता है।

(ख) किसी प्रकार के एकाधिकार प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के दृष्टिकोण से आई० ओ० सी० के प्रत्येक खाना पकाने की गैस के वितरक के पास ग्राहकों का संख्या की सीमा पहले से ही निर्धारित की जा चुकी है। जहां तक विक्रेताओं (वितरकों) द्वारा किये जा रहे कदाचार का सम्बन्ध है, वितरक के साथ किये गये करार में इस बात की व्यवस्था है कि कदाचार के मामले में एजेंसी समाप्त की जा सकती है।

(ग) और (घ) इस समय गैस एजेंसियों की अवधि निर्धारित करने अथवा उनकी नीलामी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इंडेन गैस की एजेंसियों की निर्धारित अवधि के लिये नीलामी करने से नये विक्रेताओं के लिये गोदाम, शोरूम, टेलीफोन, गैस के सिलेण्डर वितरण करने के लिये गाड़ियों, अमला आदि जैसी अपेक्षित सुविधायें जुटाने के लिये जरूरी पूंजी निवेश करने में तथा उपभोक्ताओं की सन्तुष्टि के लिये एजेंसी को सुचारू रूप से चलाने में कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। एजेंसियों की नीलामी से ये एजेंसियां सरकार द्वारा जारी की गई नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अन्तर्गत अत्यधिक समझे जाने वालों की अपेक्षा ऊंची से ऊंची बोली देने वालों को चली जायेंगी।

हावड़ा स्टेशन पर लाइसेंस प्राप्त खोमचा लगाने वाले व्यक्ति

2842. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के हावड़ा स्टेशन पर लाइसेंस प्राप्त खोमचे वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या स्टेशन परिसर में भारी संख्या में गैर लाइसेंस प्राप्त खोमचे वाले व्यक्तियों की उपस्थिति से यात्रियों की असुविधा और रेलवे को राजस्व की हानि नहीं होती है; और

(ग) अगर भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो हावड़ा स्टेशन के परिसर से ऐसे अनधिकृत खोमचे वालों को हटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) गाड़ी के साथ-साथ सामान बेचने वाली 5 ट्रालियों सहित उन्यासी।

(ख) और (ग) इस स्टेशन पर यात्रियों के बीच और ड्योढ़ी में बिना लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप में खोमचे वालों द्वारा सामान बेचे जाने की कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। स्टेशन को इस बुराई से बचाने के लिये हावड़ा स्टेशन पर अनधिकृत खोमचे वालों के विरुद्ध नियमित रूप से गहन अभियान चलाये जाते हैं।

Consultative Committees in Ministry of Railways

2843. **Shri Nawab Siingh Chauhan :**

Shri Vinayak Prasad Yadav :

Shri Ugrasen :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Consultative Committees working in the Ministry of Railways at present ;

(b) the functions of these committees and the annual expenditure incurred thereon;

(c) the names of the Consultative Committees constituted by the ex. Railway Ministers during the last four years ; and

(d) the composition thereof and the criteria adopted for the selection?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No Consultative Committee constituted by the Ministry of Railways is at present functioning in the Ministry.

(b) Does not arise.

(c) During the last four years, National Railway Users' Consultative Council and Railway Hindi Salahkar Samiti were constituted by the then Railway Ministers.

(d) (i) National Railways Users' Consultative Council (from 6-3-1976 to 20-8-1977) :

It comprised of both Official and non-official members. The Minister of Railways was its Chairman. Non-official members consisted of Members of Parliament,

elected representatives of Zonal Railway Users' Consultative Committee, representatives of All India Trade Associations, Agricultural Interests, retired Railway Officers and the members representing interests which the Minister considered necessary.

(ii) Railway Hindi Salahkar Samiti (Constituted in 1973) :

It comprised both of Official and non-official members. The Minister of Railways was its Chairman. Non-official members consisted of Members of Parliament, representatives of Voluntary Hindi Organisations of all India level viz. Hindi Sahitya Sammelan, Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha etc. and renowned literary persons such as writers, Journalists, Professors etc., who has special interests in the propagation and development of Hindi.

Special Secretary to Minister of State in Ministry of Railways

†2844. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Minister of State in the Ministry of Railways after his appointment had appointed one I.A.S. officer as his Special Secretary :

(b) whether it is a fact that he was removed from that post after two days ;

(c) if so, the reason therefore ; and

(d) whether any other officer of his personal staff was also removed on the basis of certain allegations, if so, the factual position in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (c) : Yes, Initially, the intention of the Minister of State for Railways was to appoint the officer as Special Assistant but since no post of Special Assistant in the scale Rs. 1500-2000 to which the officer was eligible, could be created in terms of the orders in vogue, he was repatriated to his parent cadre. It is proposed to regularise his posting for the period (17-8-77 to 22-8-77) as Private Secretary in the scale Rs. 1500-2000 with the approval of the Department of Personnel & Administrative Reforms and Ministry of Finance.

(d) The services of another officer who was initially appointed as 2nd P.A. to the Minister of State for Railways were dispensed with the same being no longer required by the Minister.

औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश का मैसर्स फाइजर द्वारा उल्लंघन

2845. **श्री आर० के० अमीन :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स फाइजर ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश और आयात व्यापार नियंत्रण नीति का उल्लंघन करने के बाद ही प्रोटीनेक्स का उत्पादन किया है यदि हां तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह कम्पनी पंजीकरण, प्रमाण-पत्रों की आड़ में औद्योगिक लाइसेंस की अनेक औषधियों का उत्पादन कर रही है; और

(ग) वर्ष 1952 में पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के अन्तर्गत यह कम्पनी जिन मदों का उत्पादन कर रही थी, उनका ब्यौरा क्या है। गत तीन वर्षों के दौरान मद-वार किन-किन मदों का उत्पादन किया गया,

किन-किन लाइसेंस संख्या पंजीकरण संख्या के अधीन ऐसा किया गया और किस-किस कच्चे माल के आयात की अनुमति दी गई?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। मैसर्स फाइज़र को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाने वाले विशेष लाइसेंस के बिना 'प्रोटीनेक्स' का निर्माण करते हुए पाया गया तथा यह कम्पनी औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत मूल्यों को स्वीकृत प्राप्त किये बिना ही इसका औषध मद के रूप में विपणन कर रही है। उन्हें उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम तथा औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1970 के अन्तर्गत दो कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। उनसे प्राप्त उत्तर विधि मंत्रालय के परामर्श से विचाराधीन हैं।

(ख) कम्पनी के पास औषध मदों के निर्माण करने के लिये दोनों पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस हैं।

(ग) 1973, 1974 और 1975 के दौरान निर्मित मात्रा, प्रपुंज औषधों के नाम तथा औद्योगिक लाइसेंस जिनके अन्तर्गत औषध तैयार किये गये है (ii) पंजीकरण प्रमाण-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस के अन्तर्गत निर्मित सूत्रयोगों (फार्मूलेशन्स) के सम्बन्ध में सूचना देने वाले दो विवरण-पत्र संलग्न हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1276/77]

उनके द्वारा आयातित कच्चे माल के मूल्य निम्न प्रकार थे :—

	रुपये
1973	17.63 लाख
1974	40.48 लाख
1975	41.64 लाख

मैसर्स फाइज़र को लाइसेंस देना

2846. **श्री आर०के० अमीन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स फाईजर को ट्रेट्रासाइक्लिन की मद के अतिरिक्त अपने उत्पादन की अन्य वस्तुओं का निर्यात करने की शर्त पर लाइसेंस दिया गया था, यदि हां तो इस पर आधारित लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है और इस फर्म के निर्यात सम्बन्धी दायित्व का स्वरूप क्या था;

(ख) क्या यह मामला वाणिज्य तथा विधि मंत्रालयों को भेजा गया था और उनके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो किस प्राधिकार के अधीन मंत्रालय ने उपरोक्त जिम्मेदारी ली थी?

पैट्रोलियम और रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) मैसर्स फाइज़र को दो उत्पादों अर्थात् क्लोरोप्रोपाइड और टैट्रासाइक्लीन के निर्माण के लिये दिये गये लाइसेंसों में निर्यात दायित्व की शर्तें लगाई गई थी। क्लोरोप्रोपामाइड का उत्पादन 1.5 मी० टन प्रतिवर्ष से 6.5 मी० टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने के लिये कम्पनी को 20-7-74 को औद्योगिक लाइसेंस संख्या सी० आई० एल० 215 (74) इस शर्त पर दिया गया था कि वे क्लोरोप्रोपामाइड के अतिरिक्त उत्पादन के कम से कम 20% (1.5 मी० टन से अधिक) का पांच वर्ष की अवधि तक निर्माण करेंगे।

जहां तक टैट्रोसाइक्लीन का सम्बन्ध है, अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं।

विवरण

मैसर्स फाइज़र लिमिटेड को टैट्रासाइक्लीन के निर्माण के लिये 2000 किलोग्राम टैट्रासाइक्लीन और 3000 किलोग्राम ओक्सी-टैट्रासाइक्लीन की क्षमता सहित 28-1-60 को एक लाइसेंस दिया गया था।

2. कम्पनी को 21-9-65 को टैट्रासाइक्लीन की क्षमता में 2000 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम तक और ओक्सी-टैट्रासाइक्लीन की क्षमता में 3000 किलोग्राम से 7000 किलोग्राम तक विस्तार करने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार के विस्तार के लिये निर्यात दायित्व की निम्नलिखित दो शर्तें लगाई गई थीं।

(1) 5000 किलोग्राम अतिरिक्त टैट्रासाइक्लीन के निर्माण के सम्बन्ध में कच्चे माल के आयात के लिये अपेक्षित अतिरिक्त विदेशी मुद्रा को निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अर्जित किया जायेगा।

(2) टैट्राइसाइक्लीन के वास्तविक उत्पादन के 25% का 1966-67 से निर्यात किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से एक बांड भरा जायेगा।

3. मैसर्स फाइज़र को लाइसेंस संख्या एल/22/47/57 ए० एण्ड आई० के अन्तर्गत 13-7-77 को टैट्रासाइक्लीन की क्षमता में 3000 किलोग्राम से 5000 किलोग्राम तक और ओक्सी-टैट्रासाइक्लीन की क्षमता में 7000 किलोग्राम से 9000 किलोग्राम तक और विस्तार की अनुमति दी गई थी। इस विस्तार पर निम्नलिखित शर्तें लगाई गई थीं:—

(1) किसी भी स्थिति में संयंत्र प्रति वर्ष 1,40,00 किलोग्राम टैट्रासाइक्लीन से अधिक उत्पादन नहीं करेगा।

(2) 10 मी० टन से अधिक टैट्रासाइक्लीन के उत्पादन का निर्यात किया जायगा जहां तक कि सरकार पूर्ण मंजूरी से इसके किसी भाग को देश में बेचने की अनुमति न दे दे। प्रथम वर्ष में 4 मी० टन का निर्यात अवश्य करना पड़ेगा।

(3) उपरोक्त के अनुसार दूसरे वर्ष के बाद निर्यात की गई टैट्रासाइक्लीन की वास्तविक मात्रा को ध्यान में रखे बिना प्रतिवर्ष कुल 15 लाख रुपये के टैट्रासाइक्लीन और अन्य भेषज मदों का और सतत 5 वर्ष तक निर्यात किया जाना चाहिये। 15 लाख रुपये का यह निर्यात वर्तमान निर्यात स्तर से अधिक होना चाहिये।

4. टैट्रासाइक्लीन की 10 मी० टन की प्रारम्भिक क्षमता को 25% (मूल्य के रूप में) का निर्यात पूर्ववत ही रहेगा। तथापि टैट्रासाइक्लीन और अन्य भेषज मदों के निर्यात पर कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते कि गणना का आधार 2500 किलोग्राम टैट्रासाइक्लीन का कुल मूल्य हो।

उपरोक्त निर्यात दयित्व के सम्बन्ध में पार्टी द्वारा निर्यात पार्टी के निष्पादन के मानले की विधि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात और डी जी टी डी के परामर्श से जांच की गई है और निम्नलिखित दृष्टीकोण बनाया गया है :

(1) दोनों मंजूरियों के लिए निर्यात दायित्व केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए होना चाहिए।

(2) यदि निर्यात दयित्व पूरे कर लिए गए हों तो इस स्थर पर निर्यात बाण्ड प्राप्त करना आवश्यक नहीं होना चाहिए।

(3) मैसर्स फाइज़र का दायित्व यह था कि वे 10 मी० टन स अधिक समस्त उत्पादन का निर्यात करेंगे चाहे वह 14 मी० टन से भी अधिक क्यों न हो ।

(4) प्रति वर्ष 15 लाख रुपये का निर्यात दायित्व कम से कम है न कि पूरा दायित्व ।

(5) निर्यात दायित्व को संगणना मूल्य के रूप में की जानी चाहिये ।

5. मैसर्स फाइज़र द्वारा उपलब्ध कराये गये फ्लैशों से यह पता लगाया गया है कि उक्त आधार पर 471 लाख रुपये के निर्यात दायित्व की तुलना में मार्च, 1977 तक इन दायित्वों को पूरा करने के लिये फर्म ने 432 लाख रुपये का वास्तविक निर्यात किया। इस प्रकार फर्म द्वारा शेष 39 लाख रुपये के निर्यात दायित्वों को अभी और पूरा किया जाना है। फर्म को 39 लाख रुपये के निर्यात बांड का निष्पादन करने की सलाह दी गई है जिसे सितम्बर 1978 तक पूरा करना पड़ेगा।

1988 तक 6200 रूट किलोमीटर का अतिरिक्त विद्युतीकरण

2847. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राक्कलन समिति, 1975-76 के 77वें प्रतिवेदन में 1988 तक 6200 रूट किलोमीटर के अतिरिक्त विद्युतीकरण के बारे में सरकार से सिफारिश की गई थी;

(ख) क्या ऐसी परियोजना से देशी क्षमता तथा वर्ष 1957-69 के दौरान विद्युतीकरण परियोजना के लिये विकसित विशेषज्ञता बच गई होती;

(ग) क्या विद्युतीकरण के ऐसे प्रभार से डीजल तथा भाप से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में 90 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की बचत हो गई होती; और

(घ) यदि हां, तो प्राक्कलन समिति की सिफारिश को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की थी कि 8800 मार्ग कि० मी० रेल पथ का बिजलीकरण पांचवीं से सातवीं योजना तक कार्यकारगर ढंग से कार्यान्वित हो जाना चाहिये।

(ख) जी हां, इसी उद्देश्य की प्राप्ति का प्रस्ताव है। परन्तु सीमित धन-राशि उपलब्ध होने के कारण इसे 4800 कि० मी० तक सीमित कर दिया गया है।

(ग) बचत की राशि बिजलीकरण की मात्रा और यातायात के घनत्व पर निर्भर करती है।

(घ) रेलवे बिजलीकरण के लिये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में मुख्य बाधा योजना आयोग धन का प्राप्त न होना है।

Problems of Muslim Women of Kashmir

†2848 **Shri Natvarlal B. Parmar :**

Shri Md. Hayat Ali :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been invited to the statement reported in the Hindustan Times dated the 4th November, 1977 of a leading Psychiatrist,

Dr. Mrs. Erna Hoch wherein it is stated that in Kashmir especially in Ladakh, most of the women are suffering from depressive illness due to divorce, desertion of wife by husband and lack of solemnity in married life; and

(b) the steps being taken by the Government to improve the present state of affairs ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Narsingh) : (a) Yes, Sir.

(b) We have referred the matter to the State Government of Jammu and Kashmir.

झरसागुडा रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाया जाना

2849 **श्री गगनाथ प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरसागुडा रेलवे स्टेशन जंकशन पर यात्रियों की विशाल संख्या को ध्यान में रखते हुए और इसके एक मध्य में स्थित रेलवे स्टेशन होने के कारण उस स्टेशन का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या स्टेशन के सुधार के लिये विश्राम गृहों, आवास-गृहों आदि को नया रूप देने का कोई प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। झरसागुडा में जितना यातायात होता है उसे देखते हुए वहां पर विश्रामालय, प्रतीक्षालय, प्लेटफार्म छत, माल गोदाम, पार्सल घर आदि जैसी पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था पहले से ही की गई है।

अनकामली से मदुरै तक रेलवे स्टेशन

2850. **श्री जार्ज मैथ्यू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल के तराई वाले क्षेत्र के साथ-साथ एर्नाकुलम जिले में अनकामली से वरास्ता मुवत्तुपुजा मदुरै तक एक रेल लाइन के लिए लागत एवं सम्भाव्यता अध्ययन करने का विचार है, यदि केरल सरकार इस कार्य के लिए धन की व्यवस्था करे;

(ख) अगर प्रस्तावित रेलवे लाइन को सम्भाव्य और लाभप्रद पाया जाये, तो क्या सरकार का उक्त निर्माण कार्य के लिए शीघ्र ही स्वीकृति देने का विचार है; और

(ग) केरल में पहले से निर्माणाधीन रेल लाइनें कब तक पूरी हो जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। हाल के वर्षों में केरल सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) परियोजना की स्वीकृति के प्रश्न पर सर्वेक्षण पूरा हो जाने, रिपोर्ट की जांच हो जाने तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृति मिल जाने पर ही निर्णय लिया जायेगा।

(ग) इस समय केवल एक नयी लाइन परियोजना अर्थात् तिरुनेलवेली-तिरुवनन्तपुरम/कन्या कुमारी लाइन जो आंशिक रूप से केरल में पड़ती है, निर्माणाधीन है। इस लाइन का जो भाग केरल में पड़ता है उसका निर्माण कार्य लगभग एक वर्ष में पूरा हो जायेगा।

कोचीन उर्वरक परियोजना का विस्तार

2851. **श्री जार्ज मैथ्यू :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन उर्वरक परियोजना के तृतीय चरण के विस्तार-कार्य के लिए फ़ैक्ट की योजना स्वीकार कर ली जायेगी ; और

(ख) क्या अधिक मात्रा में अशोधित तेल का परिष्करण करने के लिए कोचीन तेल शोधक कारखाने का विस्तार किया जायेगा ताकि कोचीन स्थित तृतीय चरण की उर्वरक परियोजना को लाभ प्राप्त हो सके ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी, नहीं । फैक्ट ने संभरण सामग्री के रूप में ईंधन तेल पर आधारित अतिरिक्त नाइट्रोजनी क्षमता की स्थापना द्वारा कोचीन में उर्वरक निर्माण करने वाली सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव भेजा था । इस परियोजना पर स्रोतों की उपलब्धि में अधिक बाधाओं के कारण पांचवी योजना कार्यक्रम के दौरान विचार नहीं किया जा सका क्योंकि योजना कार्यक्रम में शामिल कुछ परियोजनाओं को इन बाधाओं के कारण पीछे करना पड़ा ।

कोचीन प्रायोजना को संभरण सामग्री के रूप में केवल ईधन तेल पर ही आधारित किया जा सकता है । गैस को उर्वरक संभरण सामग्री के रूप में प्रयोग के लाभ को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त उर्वरक क्षमता को बम्बई हाई तथा असम से प्राप्त संबद्ध गैस पर स्थापित करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है, अतः कोचीन प्रायोजना को कम प्राथमिकता दी जायेगी और निकट भविष्य में यह परियोजना स्वीकृति के लिए योग्य नहीं समझी जायेगी ।

केन्द्रीय उर्वरक परियोजना में विस्थापित व्यक्तियों का नियोजन

2852. **श्री जार्ज मैथ्यू :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोचीन उर्वरक संयंत्र के स्थान से जो व्यक्ति विस्थापित हो गये थे उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार वहां नौकरियों में तरजी दी जाएगी ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : जी, हां । दि फर्टिलाईज़र एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड ने इस श्रेणी से पहले ही 155 व्यक्तिगों को नियुक्त किया है।

मैसर्स कैडबरी इंडिया के विरुद्ध आरोप

2853. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कैडबरी इंडिया लिमिटेड एक बहु-राष्ट्री निगम की शाखा है;

(ख) यदि हां, तो इसके पूंजी ढांचे का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या उक्त कम्पनी पर एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अपनाने का आरोप लगाया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त कम्पनी के विरुद्ध निश्चित आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कम्पनी पर लगाये गये आरोपों के आधार पर इसके विरुद्ध अगर कोई कार्यवाही की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) मैसर्स कैडबरी इंडिया लिमिटेड, कैडबरी क्वीवीप्स ओवरसीज लिमिटेड, जो यूनाइटेड किंगडम की विनियमित कम्पनी है, की 100 प्रतिशत सहायक है ।

(ख) कम्पनी का पहले नाम कैडबरी फ्राई (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड था और उसमें अपना नाम मई/जून, 77 के आसपास बदला । 1-1-77 को कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी 10 रु० प्रत्येक के 40 लाख शेयरों को समाविष्ट करते हुए, 4,00,00,000 रु० रही है । निर्गम और अभिदत्त पूंजी में 10 रु० प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 1,29,610 साम्य शेयर समाविष्ट हैं ।

(ग), (घ) और (ङ) कम्पनी पहिले कैडबरी फ्राई (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी । कैडबरी फ्राई (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में एक हवाला केन्द्रीय सरकार द्वारा एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा ग्रस्त निम्नलिखित एकाधिकारिक व्यापार प्रथाओं में आरोपित की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को भेजा गया था :—

I. यूनाइटेड किंगडम में अपनी पितृय धारक कम्पनी को इस प्रकार के चाकलेट उत्पादों विशेषतः जबकि इस प्रकार के उत्पादों की प्रकृति में कूट तकनीकी जानकारी या नव प्रवर्तन ग्रस्त नहीं है के कुल मूल्य पर 5 प्रतिशत को दर से रायल्टी का ऊंची दर पर देना;

II. इस प्रकार के उत्पादों के व्यापारिक मूल्य की 18 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक खुदरा व्यापारियों को अधिक अदायगी;

III. कथित कम्पनी द्वारा नियुक्त कुल पूंजी का 40 प्रतिशत से अधिक लाभ कमाना;

IV. काफी वर्षों तक इस प्रकार के चाकलेट उत्पादों के मूल्यों में अनुसूचित बढ़ोत्तरी जिससे कम्पनी को एकाधिकारिक स्थिति से अनुचित लाभ कमाया जा सके, और

V. कम्पनी के सिरोपरि प्रशासन की घटना को कम न करना विशेषतः अपने विज्ञापन व्यय।

उक्त हवालों को कम्पनी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में लिखित याचिका द्वारा चुनौती दी गई थी। कम्पनी द्वारा 26 अप्रैल, 1974 को रोकादेश प्राप्त कर लिये गये तथा कार्यवाहियां अनिर्णित हैं ।

Utilisation of Passenger Amenities Fund on Railway Safety

†2854. **Shri Hargovind Verma**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to utilise the amount deposited in the 'Passenger Amenities Fund' on Railway Safety ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No.

(b) Does not arise.

सरकार द्वारा प्रबन्धग्रहण के बाद मैसर्स एल्कोक एशडाउन कम्पनी की प्रगति

2855. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स एल्कोक एशडाउन कम्पनी के कार्य में सरकार द्वारा उसके प्रबन्ध-ग्रहण के बाद कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) कुल हानि कितनी हुई है और इसे किस प्रकार से पूरा करने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) मै० एल्कोक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड को परिसमापित करने के लिये बम्बई उच्च-न्यायालय ने दिनांक 13-1-1972 को आज्ञा दी । "एल्कोक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड (उपक्रम अधिग्रहण) अधिनियम, 1973" द्वारा कम्पनी के उपक्रम केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित किए गए तथा उसमें निहित किए गए। समापन कार्यवाही में, शासकीय समापक बम्बई ने कुछ धन के घोटाले से सम्बन्धी आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है और खाते में दिखाये गए ऋण को वसूल कर रहे हैं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार समापन की तारीख अर्थात् 13-1-1972 तक कम्पनी का एकत्रित घाटा लगभग 101 लाख रुपये था । कम्पनी की आय का मुख्य श्रोत ब्याज है; जो केन्द्रीय सरकार को कम्पनी के संस्थानों के हस्तान्तरण तथा न्यास के बदले में बम्बई उच्च न्यायालय में जमा किए गए 1 करोड़ रुपये मिलता है । 23 सितम्बर, 1977 तक उक्त राशि पर अर्जित सूद 14,78,596.36 रु० था । घाटे को समाप्त करने के लिए आगे की कार्यवाही उच्च न्यायालय के आदेशों पर निर्भर करेगी ।

Orders Regarding use of Saloons by Officers

*2856. **Shri Ramanand Tiwary :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any order has been issued regarding the use of saloons by Railway Officers;

(b) whether this order is being followed on all the Divisions ; and

(c) if not, the number of cases in which disciplinary action has been taken for violation of the order by the officers ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes. Instructions have been issued to use the inspection carriages, which are generally referred to as saloons, for functional purposes and to places where suitable accommodation is not available.

(b) and (c) These instructions are being followed by the Railways.

Heat Gas and Dust Allowance of Sindri Factory

2857. **Shri Birendra Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state whether the labourers working in FCI Coke Oven and gas plant in Sindri factory fall prey to different kinds of diseases untimely and if so, whether Government propose to grant them heat, gas and dust allowance ?

The Minister of State for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : No complaint of any worker having fallen prey to an occupational

disease at Sindri Factory, has been reported to the F.C.I. There is no proposal to grant heat, gas and dust allowance to workers at Sindri.

नई दिल्ली और सिकन्दराबाद के बीच सुपर-फास्ट एक्सप्रेस का चलाया जाना

2858. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को नई दिल्ली और सिकन्दराबाद के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली सुपर-फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी को सप्ताह के सभी दिन चलाने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि यह सम्भव नहीं है तो क्या नई दिल्ली और हैदराबाद के बीच सुपर-फास्ट एक्सप्रेस का काम देने के लिये वर्तमान सदर्न एक्सप्रेस की गति तेज की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) लाइन क्षमता और टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण 123/124 आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि करना फिलहाल संभव नहीं है।

(ग) जी नहीं।

दुर्गापुर स्थित भारतीय उर्वरक निगम द्वारा दूषित पानी निकासी के कारण धान की फसल नष्ट होना

2859. **श्री रोबिन सेन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर स्थित भारतीय उर्वरक निगम के आस-पास कुछ हजार बीघा जमीन में धान की फसल, उर्वरक निगम द्वारा इस जमीन पर दूषित पानी की निकासी के कारण नष्ट हो गई है;

(ख) यदि हां तो सरकार का विचार इसको रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का है; और

(ग) क्या सरकार ने क्षतिग्रस्त फसल के लिए भूमि मालिकों और बटाईदारों को मुआवजा देने हेतु कोई कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) अक्टूबर, 1973 में जब दुर्गापुर उर्वरक कारखाना पहली बार चालू किया गया तो फैक्टरी द्वारा छोड़ा गया दूषित पानी धान के खेतों में भारी वर्षा के कारण फैल गया था तथा उससे कुछ हानि हुई। भारतीय उर्वरक निगम ने ऐसे दूषित पानी द्वारा किसानों, जिनकी फसलों को क्षति पहुंची थी, उनकी क्षति पूर्ति की। एफ्लुएण्ट्स द्वारा किये गये प्रदूषण नियंत्रण के लिए एफ० सी० आई० ने पर्याप्त प्रबन्ध किए हैं। फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया इनएफ्लुएण्ट्स को एक नाले तक पहुंचाने के लिए एक स्थाई पाइपलाइन बिछाने के लिए उपाय भी अपना रही है। यह नाला दुर्गापुर क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों द्वारा एफ्लुएण्ट्स बहाने के लिए प्रयोग किया जाता है।

Employees working in Catering Department

2860. **Shri Birendra Prasad:** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of employees working in the catering Department of the Railways throughout the country ; and

(b) how much they are paid and on what basis and whether their service is permanent or temporary ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

इलाहाबाद में पार्सल चढ़ाने-उतारने के कार्य में लगने वाले श्रम का आक्कलन

2861. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में पार्सल चढ़ाने-उतारने के कार्य के लिये श्रम का आक्कलन प्रति व्यक्ति श्रम के आधार पर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर रेलवे, इलाहाबाद के सहायक मण्डल लेखा अधिकारी निरीक्षकों तथा सहायक वाणिज्यिक अधीक्षक के निष्कर्षों से सहमत नहीं हुए और उन्होंने अपनी विमत टिप्पणी भेजी है; और

(घ) क्या सरकार इस बात को जानती है कि वाणिज्यिक अधिकारी ऊंचे दरों पर ठेकों को अवधि आगे बढ़ाने का औचित्य बना रहे हैं और इस प्रकार रेलवे को वित्तीय हानि पहुंचा रहे हैं जबकि श्रम सहकारी समितियों से कम निवेदित दर उपलब्ध हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) इलाहाबाद में पार्सल चढ़ाने-उतारने के काम के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता है, इसका आक्कलन श्रमिकों के प्रति-व्यक्ति काम के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आवक और परिवहन पार्सलों की प्राप्त मात्रा के आधार पर उनकी संख्या न केवल प्रतिदिन घटती-बढ़ती रहती है, बल्कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी और एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म के सम्बन्ध में भी बदलती रहती है । इलाहाबाद से जावक पार्सलों की बुकिंग, विभिन्न गाड़ियों में उपलब्ध स्थान, लादे गये जावक पार्सल यानों की संख्या और निकासी की उपलब्ध क्षमता, आदि पर भी उनकी आवश्यकता निर्भर करती है ।

इन कमी-बेशियों और गाड़ियों तथा परेषणों की रुकावनी से बचने की आवश्यकता को देखते हुए, श्रमिकों की आवश्यक संख्या का आधार प्रति-व्यक्ति काम न मानकर किसी पाली के दौरान अधिकतम आवश्यकता को मानना होगा ।

(ख) और (ग) इलाहाबाद में श्रमिक की आवश्यकता का विश्लेषण हाल ही में किया गया था, लेकिन तत्सम्बन्धी रिपोर्ट की अभी जांच की जा रही है ।

(घ) जी नहीं । सम्हलाई ठेके देते समय रेलों के वित्तीय हितों का सर्वदा ध्यान रखा जाता है।

Guard, Brakesman/Assistant Guard Deployed on Mail Express Trains

†2862. **Shri Subhash Ahuja:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Guard and a Brakesman or an Assistant Guard is deployed on duty in all mail express trains and in every passenger train running up to a distance of more than 250 kilometres ;

(b) whether it is also a fact that in Central Railway several passenger trains including trains running up to a distance of more than 250 kilometres, are running without an Assistant Guard or a Brakesman ; and

(c) if so, the reasons thereof?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Brakesman—and not Assistant Guards—are provided if the quantum of parcel traffic warrants.

(b) No.

(c) Does not arise.

Employees given Uniforms in Indian Railways

†2863. **Shri Subhash Ahuja:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees who are given uniforms in Indian Railways ; and

(b) the annual stitching charges of the uniforms as also the annual expenditure incurred on their distribution ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) About Seven lakhs employees.

(b) Rs. 84 lakhs approximately. Distribution of uniforms is done departmentally.

Number of Guards in Indian Railways

2864. **Shri Subhash Ahuja:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :-

(a) the total number of guards working in Indian Railways ; and

(b) their number grade-wise such as grade 'A', Grade 'B' Grade 'C' and selected grade ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) 17789

(b) Grade 'A' Rs. 425-600 = 1147
Grade 'B' Rs. 330-560 = 4039
Grade 'C' Rs. 290-530 = 11399
Special Grade Rs. 425-640 = 1204

रसायन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

2865. **श्री ग्रहमद एम० पटेल :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी सहयोग से कितनी रसायन कम्पनियां चल रही हैं;

(ख) कीटनाशी ग्रौषधियां बनाने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं; ग्रौर

(ग) क्या ऐसी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस समय भारत में 80 ऐसी रसायनिक कम्पनियां (रसायनिक ग्रौषध तथा उर्वरक) हैं जिनकी विदेशी ईक्विटी (साम्य पूंजी) 26% से ग्रधिक है।

(ख) ऐसी कम्पनियों का विवरण ग्रनुबंध में दिया गया है।

(ग) ईक्विटी में विदेशी ग्रंश वाली कम्पनियों में से एक कम्पनी ग्रर्थात् मद्रास फर्टिलाइजर की एक सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम है। ग्रन्य कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

1. ग्रलकली एण्ड कैमीकल्स कारपोरेशन लि०, कलकत्ता
2. बेयर (इण्डिया) लि०, बम्बई
3. इन्डोफिल कैमीकल्स, बम्बई
4. सीबा गाइगी ग्राफ इण्डिया लि०, बम्बई
5. सिनामिड इंडिया लि०, बम्बई
6. ग्राई० डी० एल० ऐग्रो कैमीकल्स लि०, बम्बई
7. मोसैनो कैमीकल्स ग्रॉफ इण्डिया लि०, बम्बई
8. रैलिस इंण्डिया लि०, बम्बई
9. सैनडोज (इण्डिया) लि०, बम्बई
10. युनियन कार्बाइड ग्राफ इंडिया लि० बम्बई
11. वी० ए० एफ० इण्डिया लि०, बम्बई
12. फार्म कैमीकल्स लि०, बम्बई
13. बोलरोह लि०, बम्बई

मैसर्स शा वालेस एण्ड कम्पनी द्वारा कानूनों का उल्लंघन

2866. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शा वालेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड के निदेशकों ने षड़यंत्र रचा ग्रौर जानबूझ कर केवल 8,50,000 पौंड स्वीकार किया जो उचित दावे का केवल लगभग 40 प्रतिशत है जिससे देश को काफी हानि हुई ग्रौर कानूनों का उल्लंघन हुग्रा;

(ख) क्या शा वालेस एण्ड कम्पनी के प्रबन्ध निदेशकों ने कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण होने से पूर्व दो लाभप्रद कोयला कम्पनियों में अपने शेयर अपने एक निदेशक श्री बद्री प्रसाद पौद्दार को कम मूल्य पर बेच कर आर्थिक अपराध किया;

(ग) क्या शा वालेस एण्ड कम्पनी द्वारा छोड़े गए मुआवजे की शेष राशि को श्री बद्री प्रसाद पौद्दार के साथ सांठ-गांठ करके किसी प्रयोजन से अवैध रूप से तथा चोरी छिपे किसी अन्य देश में रखा गया है; और

(घ) क्या सरकार के विभिन्न विभागों और भारतीय रिजर्व बैंक ने मुआवजे की उस राशि को स्वीकृति दी थी जो साइमडर्वी द्वारा आर० एच० शा एण्ड कम्पनी लिमिटेड में कम राशि के बीजक बना कर शेयर बेचने से शा वालेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड को प्राप्त हुई थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) वित्त मंत्रालय, प्रवर्तन निदेशालय के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) पंच वैली कोल कम्पनी लिमिटेड तथा अमालगामेटेड कोल फील्ड्स लिमिटेड के हिस्से नाममात्र के लाभ पर श्री वी० पी० पौद्दार को बेचे गये थे।

(ग) वित्त मंत्रालय, प्रवर्तन निदेशालय के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) वित्त मंत्रालय, प्रवर्तन निदेशालय ने ऐसा कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया है। तथापि, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सरकार के किन्हीं अन्य विभागों ने अनुमोदन दिया था।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत शा वालेस एण्ड कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा

2867. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अन्तर्गत शा वालेस एंड कम्पनी और इसके दो प्रबन्ध निदेशकों, यथा ए० डब्ल्यू० बी हेवार्ड और एस० पी० आचार्य के विरुद्ध मामला बनाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उन सभी कम्पनियों को हटाकर बोर्ड का पुनर्गठन करने के लिए कोई कार्यवाही की है जो अनेक कदाचारों में अन्तर्ग्रस्त पाए गए;

(ग) सरकार द्वारा स्वयं नामजद निदेशकों को वापस लेने का क्या कारण है;

(घ) क्या वर्तमान प्रवासी प्रबन्ध निदेशक श्री ए० डब्ल्यू बी० हेवार्ड सेवानिवृत्त होने वाले हैं और इससे बचने के लिए एक अन्य प्रवासी को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में लाने का प्रयास किया जा रहा है; और

(ङ) क्या इस कम्पनी का मुख्य कार्य शराब और स्पिरिट का व्यापार करना है तथा जिसके नियंत्रण में अनेक डिस्टलरी और ब्रिवरी चल रही है, यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय, प्रवर्तन निदेशालय से दिनांक 18-11-1977 को प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक अभियोग का मामला

दायर नहीं किया गया है । किन्तु विदेशी-मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के लिए चार कारण बताओ नोटिस शा वालेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड के नाम जारी किए गए हैं । इन चार कारण बताओ नोटिसों में से तीन कम्पनी के 18 निदेशकों और एक कम्पनी के एक निदेशक को दिए गए हैं । तीन कारण बताओ नोटिसों के मामले में फैसला हो चुका है और एक कारण बताओ नोटिस के मामले में 6000 रुपये का दंड कम्पनी और 8 निदेशकों पर लगाया गया है और दो कारण बताओ नोटिसों के मामले में अभियोग समाप्त कर दिये गये हैं । एक कारण बताओ नोटिस के मामले में जिसमें कम्पनी और इसके 18 निदेशक शामिल हैं न्यायिक प्रक्रिया प्रगति पर है ।

उच्च न्यायालय में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 388ख के अन्तर्गत मामला दायर करके निदेशकों के हटाने के सम्बन्ध में कदमों और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति पर विचार हो रहा है ।

(ग) अधिनियम की धारा 408 के अन्तर्गत जांच करने के बाद यदि केन्द्रीय सरकार को, यदि वह इस मत की हो कि कम्पनी के कार्य इस प्रकार किए जा रहे हैं कि वे कम्पनी के किसी सदस्य के लिए यंत्रणामय है, या कम्पनी या जनता के हितों के विरुद्ध है, निदेशक नियुक्त करने का अधिकार है । इस शक्ति के उपयोग में केन्द्रीय सरकार ने दो सरकारी निदेशकों को दिनांक 25-8-73 से तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए नियुक्त किया है । 27-5-76 को अपने कार्यकाल की समाप्ति पर इन निदेशकों ने अपना पद छोड़ दिया ।

(घ) श्री ए० डब्ल्यू वी० हैबर्ड ने अभी तक कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के पद से अवकाश प्राप्त नहीं किया है । वे 1-1-78 से अवकाश प्राप्त करने वाले हैं, किन्तु कम्पनी ने अधिनियम की धारा 269 के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1978 से एक वर्ष तक के लिए उन की पुनर्नियुक्ति के बारे में पत्र दिया है । इसी बीच श्री ब्रिटेन के पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति का प्रस्ताव दिनांक 1-12-1977 से दो वर्षों तक के लिए स्वीकृत कर लिया गया है ।

(ङ) 1976 के वर्ष के लिए कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इस समूह की कम्पनियां अनेक नीचे वर्णित उत्पादनों में व्यापार कर रही हैं :—

समूह कम्पनियों का समस्त कारोबार 1976 के वर्ष में 8810.95 लाख रुपये का था जिसमें से कृषि पदार्थ के 67.8, खमीर और उससे उत्पन्न पदार्थों के 2.4, चाय के 3.1, सेवाओं के 2.0, ग्लू, जिलेरीन और ओसीन के 2.8, आटे और गेहूं के उत्पादन के 3.5, पशु और मुर्गी पालन के 2.1, अन्य 1.2 के प्रतिशत के विरुद्ध शराब और स्प्रिट का प्रतिशत 15.1 था ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखापरीक्षित प्रतिवेदन सहित वार्षिक प्रतिवेदन तथा 1976-77 के दौरान लुबरीजोल इंडिया लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) लुबरीजोल इंडिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) लुबरीजोल इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० 1266/77

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग के प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): मैं एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) गुजरात राज्य में जोडिया में सोलर साल्ट वर्क्स की स्थापना करने के मेसर्स चोगुले एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22(3)(ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 19 नवम्बर, 1976 का प्रतिवेदन।

(दो) औद्योगिक विस्फोटकों के निर्माण के लिये नया उपकरण स्थापित करने के मेसर्स चौगुले एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22(3)(ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 27 मई, 1977 का आदेश ।

(तीन) ग्लाईकोल ईथर के निर्माण के लिये नया उपकरण स्थापित करने के श्री अम्बिका मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22(3)(ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 10 अक्तूबर, 1977 का प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित प्रतिवेदनों तथा उन पर केन्द्रीय सरकार के आदेशों के हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 1267/77]

पी० जगनमोहन रेड्डी जांच आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन आदि

गृह मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एस०डी० पाटिल) : मैं, श्री चरण सिंह की ओर से, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) श्री बंसी लाल, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और भूतपूर्व केन्द्रीय रक्षा मंत्री के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच करने के लिये गठित पी० जगमोहन रेड्डी आयोग का दिनांक 30 नवम्बर, 1977 का अन्तरिम प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गपे । देखिये संख्या एल० टी० 1269/77].

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम के अन्तर्गत जारी गी गई अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फीकार उल्लाह) : मैं बैंककारी सेवा आयोग (निरसन)

विधेयक 1977 पर चर्चा के दौरान 5 दिसम्बर, 1977 को वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसरण में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) देना बैंक के निदेशकों की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना संख्या एफ 9/28/77-बी ओ I दिनांक 5 अक्तूबर, 1977 और अधिसूचना संख्या एफ 9/28/77-बी ओ I दिनांक 10 अक्तूबर, 1977 ।

(दो) इण्डियन बैंक के निदेशकों की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना संख्या एफ 9/32/77-बी ओ I दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 ।

(तीन) बैंक आफ महाराष्ट्र के निदेशकों की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना संख्या एफ 9/33/77-बी ओ I दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 ।

(चार) यूनाइटेट बैंक आफ इण्डिया के निदेशकों की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना संख्या एफ 9/27/77 बीओ० I दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 और अधिसूचना संख्या एफ 9/27/77 बी ओ I दिनांक 8 नवम्बर, 1977 ।

(पांच) केनरा बैंक के निदेशकों की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना संख्या एफ 9/26/77-बी ओ I दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 ।

(छः) बैंक आफ इण्डिया के निदेशकों की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना संख्या एफ 9/22/77-बी ओ० I दिनांक 22 अक्तूबर, 1977 ।

(सात) सिंडीकेट बैंक के निदेशकों की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना संख्या एफ 9/29/77-बी ओ I दिनांक 25 अक्तूबर, 1977 ।

(आठ) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशकों की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना संख्या एफ 9/34/77-बी ओ I दिनांक 31 अक्तूबर, 1977 और दिनांक 8 नवम्बर, 1977 का तत्सम्बन्धी शुद्धिपत्र ।

(नौ) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के निदेशकों की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना संख्या एफ 9/25/77-बी ओ I दिनांक 2 नवम्बर, 1977 ।

(दस) बैंक आफ बड़ौदा के निदेशकों की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना संख्या एफ 9/24/77-बी ओ I दिनांक 4 नवम्बर, 1977 ।

(ग्यारह) पंजाब नेशनल बैंक के निदेशकों की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना संख्या एफ 9/23/77-बी ओ I दिनांक 4 नवम्बर, 1977 और अधिसूचना संख्या 9/23/77-बी ओ० I दिनांक 24 नवम्बर, 1977।

(बारह) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के निदेशकों की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना संख्या एफ 9/21/77-बी ओ I दिनांक 4 नवम्बर, 1977 ।

(तेरह) इलाहाबाद बैंक के निदेशकों की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना संख्या एफ 9/31/77-बी ओ I दिनांक 4 नवम्बर, 1977।

(चौदह) अधिसूचना संख्या एफ 9/18/77-बी ओ० I दिनांक 28 अक्तूबर, 1977 जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों के नाम राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों के रूप में दिये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1268/77]

नियम 378 के अन्तर्गत मामले के बारे में

RE : MATTERS UNDER RULE 377

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (निरुचिरापल्ली) : मैंने नियम 377 के अन्तर्गत कुछ गन्दे-घिनौने प्रकाशनों के बारे में एक सूचना दी थी। मुझे पता लगा है कि उसे ग्राह्य नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी जानकारी गलत है। उसे ग्राह्य कर लिया गया है।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : वह कब लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : शायद कल लिया जायेगा।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा, 5 दिसम्बर 1977 की अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 29 नवम्बर, 1977 को पास किये गये शत्रु सम्पत्ति (संशोधन) विधेयक, 1977 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

Shri Bhagat Ram (Phillaur): Sir, I gave a notice under Rule 377 regarding mess in educational system and unrest in students of colleges and universities.

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 377 के अन्तर्गत पांच वक्तव्यों को ग्राह्य किया है। उनमें से कुछ आज होंगे और कुछ कल होंगे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

बड़ौदा में भारी पानी संयंत्र में विस्फोट का समाचार

श्री अनन्त दवे (कच्छ) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"बड़ौदा के निकट परमाणु शक्ति आयोग के हेवी वाटर संयंत्र में विस्फोट और उससे हुई भारी हानि तथा उसके अनिश्चित काल के लिए बन्द हो जाने का समाचार।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को दुःखपूर्वक यह सूचित कर रहा हूं कि बड़ौदा स्थित भारी पानी संयंत्र के अमोनिया का संश्लेषण करने वाले हिस्से में शनिवार, दिनांक 3 दिसम्बर, 1977 को सायं 4 बजकर 20 मिनट पर एक विस्फोट हुआ तथा आग लग गई। इसके बाद, प्लांट में उत्पादन-प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखे गए नाइट्रोजन के सिलिंडरों के फट जाने से लगभग 12 विस्फोटों का एक सिलसिला शुरू हो गया। अमोनिया कनवर्टर के तले में लगी आग सायं 5 बजकर 25 मिनट तक बुझा दी गई और सायं 6 बजे तक आग पूरी तरह से बुझ गई।

तीन व्यक्तियों को कांच के छितरते हुए टुकड़ों से मामूली चोटें आईं । उनको प्राथमिक चिकित्सा के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई । बड़ौदा नगर निगम के तीन फायरमैन अमोनिया के धुएं में फंस गये और उनको प्राथमिक चिकित्सा दी गई, लेकिन उन्हें अस्पताल भेजने की जरूरत नहीं पड़ी ।

प्रथम प्राप्त सूचना से पता चलता है कि आग उन दो गढ़े हुए टुकड़ों में से एक में दरार पड़ जाने के कारण लगी थी, जिनमें से अमोनिया को संश्लेषणाधीन गैस का टेम्परेचर घटाने के लिए अन्तः छेदित किया जाता है । गढ़े हुए टुकड़ों में दरार पड़ जाने के कारणों की जांच की जायेगी ।

आग तथा विस्फोटों से केबलों, इन्सुलेशन यंत्रों तथा प्लांट के कुछ हिस्सों को खासतौर से नुकसान पहुँचा है । यह पता लगाने के लिए कि क्या गर्मी और विस्फोट से संयंत्र के किसी और हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है, पूरे संयंत्र की जांच बारीकी से की जायेगी । यह पता लगाने के लिए कि संयंत्र को कितना नुकसान पहुँचा है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष तकनिशियनों के एक दल के साथ संयंत्र-स्थल पर पहुंच चुके हैं । जांच के पूरा हो जाने तक सही तरीके से यह बता सकना मुश्किल है कि संयंत्र को कितना नुकसान पहुँचा है, उसकी मरम्मत में कितना समय लगेगा और उस पर कितना खर्च आयेगा ।

दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी के दो विशेषज्ञ, गृह मंत्रालय का एक प्रतिनिधि तथा परमाणु ऊर्जा विभाग का एक प्रतिनिधि शामिल होंगे । कमेटी को यह अधिकार होगा कि अगर वह जांच को बारीकी से करने के लिए किन्हीं विशेषज्ञों को सहयोजित करना चाहे, तो कर ले ।

गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी, जो कि उस क्षेत्र में उत्पादन करने वाले यूनिटों में से इस संयंत्र के सबसे समीप स्थित यूनिट है, के समीपस्थ किसी भी प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा है ।

श्री अनन्त दावे : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान, मद्रास और नरोरा में जिस किस्म के परमाणु रिएक्टर लगे हैं उनके लिए भारी पानी दूसरा अत्यधिक महत्वपूर्ण मद हैं । इस विस्फोट के कारण अब बड़ौदा स्थित भारी पानी संयंत्र में उत्पादन ही नहीं होगा, क्योंकि वह संयंत्र बंद कर दिया गया है । इसके लिए कौन जिम्मेदार है, अन्यथा क्या इसमें किसी तोड़-फोड़ की आशंका है; यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई गिरफ्तारी की गई है ? क्या जांच समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा

श्री मोरारजी देसाई : जब तक इस बारे में जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता । जांच रिपोर्ट गोपनीय नहीं होगी इसलिए उसे सभा पटल पर रखा जाएगा ।

श्री सौगत राय (बेरकपुर) : प्रधान मंत्री के वक्तव्य में एक विसंगति तो यह है कि उन्होंने कुल छः व्यक्तियों को आहत बताया जबकि समाचारपत्रों में 20 व्यक्तियों के घायल होने का समाचार था ।

हमारे परमाणु कार्यक्रम को यह दूसरा धक्का लगा है । पहला धक्का उस समय लगा था जब पोखरण-परीक्षण बाद के भारी पानी संयंत्र, जो आयात किया जा रहा था, समुद्र में ही खो गया था । राजस्थान, नरोरा और मद्रास में लगे परमाणु रिएक्टरों को प्रतिवर्ष लगभग 25 टन भारी पानी की आवश्यकता होती है । बड़ौदा स्थित भारी पानी संयंत्र में विस्फोट होने के कारण वहां अगले एक वर्ष तक उत्पादन न हो सकेगा । तारापुर संयंत्र के लिए अमरीका से भारी पानी मांगे जाने पर अमरीका ने यह शर्त रखी थी कि शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए भी भारत परीक्षण न करेगा । इस दृष्टि से भारी

पानी के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है और संसार के कुछ देश चाहते हैं कि हम इस मामले में आत्मनिर्भर न बन सकें। इस संदर्भ में मेरा विचार है कि इस दुर्घटना की केवल तकनीकी जांच काफी न होगी । अतः मैं जानना चाहूंगा कि :

(क) क्या वह इस मामले की जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आदेश देंगे जिससे यह पता लग सके कि इसमें किसी विदेशी गुप्तचर एजेन्सी का हाथ है अथवा नहीं;

(ख) क्या इस विस्फोट में आनन्दमार्गियों का हाथ है जो अनेक प्रतिष्ठानों को उड़ाने की धमकी पहले ही दे चुके हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी कि हमारा परमाणु कार्यक्रम अवरुद्ध न हो और इस विस्फोट से, चाहे इसके कारण कुछ भी हों, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में अधिक विलम्ब न हो ?

श्री मोरारजी देसाई : अगर माननीय मित्र स्टेट्समैन को अधिक विश्वसनीय समझते हैं, तो इस बात पर मेरा उनसे कोई विवाद नहीं है । लेकिन, मैंने उन्हें सही और अद्यतन आंकड़े दिए हैं ।

मैंने यह कहा था कि जाँच में गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि को भी सहयोजित किया जायेगा । सभी प्रकार से इसकी जाँच की जायेगी । किसी पर सन्देह नहीं किया जा सकता । जो भी दोषी पाये जायेंगे, उन्हें समुचित दण्ड दिया जायेगा ।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोलानी): यह गम्भीर चिन्ता की बात है कि हमारे भारी पानी कार्यक्रम में कोई न कोई बाधा पहुँचती रही है । तीन वर्ष पूर्व हमने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था । उसके तत्काल बाद जर्मनी से जो दो टॉवर आ रहे थे, वे जहाज से समुद्र में गिर गये। परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस बारे में जाँच की थी । वह रिपोर्ट अब तक प्रकाशित नहीं की गई है ।

जब बड़ौदा में सफल परीक्षण हो चुके थे, तभी ये दुर्घटनाएं घटी हैं । इसलिए केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच किये जाने की माँग की गई है । परमाणु ऊर्जा के विशेषज्ञों और गृह मन्त्रालय के प्रतिनिधि द्वारा सरसरी जाँच करने से कुछ भी नहीं होगा । इसी समय केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को मामला सौंप देना चाहिए, जिससे तोड़-फोड़ में अगर किन्हीं अन्य लोगों का हाथ हो, तो उसका पता लगाया जा सके ।

मैं प्रधान मंत्री के प्रति इसके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस समिति के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखना स्वीकार कर लिया है । मैं चाहता हूं कि पहले के प्रतिवेदन को भी सभा पटल पर रखा जाये ।

श्री मोरारजी देसाई : इस मामले में सदस्यों द्वारा जो चिन्ता और शंकायें व्यक्त की गई हैं । उन्हें मैं समझ सकता हूँ । गृह मन्त्रालय के प्रतिनिधि को सहयोजित करने का यह मतलब नहीं है कि वह स्वयं अथवा आवश्यक समझे, तो अन्य लोगों की सहायता से जाँच नहीं कर सकेगा । लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम सन्देह के आधार पर निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते ।

दो टावरों के नष्ट हो जाने के बारे में मुझे यह कहना है कि जहाज समुद्री तूफ़ान में फ़ंस गया था और उसे खाली करना पड़ा था । इस बारे में सावधानी पूर्वक जांच की गई है और मैं किसी को दोष नहीं दे सकता । यह दुर्घटना पिछली सरकार के समय में तीन साल पूर्व हुई थी । अब इसको क्या संगति है ?

कुछ देशों को हमारे बारे में शंका पिछली घटना को लेकर हुई थी, लेकिन हम उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम और लोगों की दया पर आश्रित नहीं हैं। हमें अपनी क्षमता पर भरोसा है और कोई भी बाधायें क्यों न हों, हम सफ़लतापूर्वक अपने कार्यक्रम को सम्पन्न करेंगे।

श्री बयालार रवि (चिरयिंकील) : सम्पूर्ण परमाणु कार्यक्रम में तोड़-फ़ोड़ करने का प्रयास किया गया है। विश्व की कुछ बड़ी शक्तियाँ नहीं चाहतीं कि शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए भी हम परमाणु कार्यक्रम का विस्तार करें। अमेरिका के कुछ समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयन्त्र के लिए त्रुटिपूर्ण संयंत्र सप्लाई किया गया था। हमारे भारी पानी कार्यक्रम में विलम्ब किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। तूतीकोरिन, तलचेर और नांगल में तीन संयन्त्र अभी भी चालू किये जाने हैं। हम लगभग 67 टन परमाणु ईंधन का उत्पादन करेंगे।

श्री अटल विहारी वाजपेयी ने पटना में कहा था कि यह तोड़-फ़ोड़ की घटना है। धमकी भरे पत्र प्राप्त हो रहे हैं। कालीकट में रेलमन्त्री ने तोड़-फ़ोड होने की शंका व्यक्त की है। कुछ संगठित गिरोह जनता में भय की भावना फ़ैलाना चाहते हैं। प्रधान मन्त्री को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि कहीं हमारे परमाणु ऊर्जा उत्पादन के कार्य में विलम्ब करने का तो प्रयास नहीं किया जा रहा है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं किसी भी प्रकार की संभावना से इन्कार नहीं करता हूं। सभी प्रकार से पूरी जांच की जायेगी। मुझे रोज धमकी मिल रही है, लेकिन मैं उनसे किसी भी प्रकार भयभीत नहीं होता। अगर हम भयभीत हो जाते हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अगर विदेश मन्त्री ने कोई शंका व्यक्त की है, तो वह भी तो माननीय सदस्य की तरह ही एक मानव हैं; लेकिन मैं केवल यह कह सकता हूं कि मैं केवल शंकाओं के आधार पर कार्य नहीं करता।

ध्यानाकर्षण सूचनाओं के बारे में उद्घोषणा

ANNOUNCEMENT REGARDING CALLING ATTENTION NOTICES

अध्यक्ष महोदय : 1 और 2 दिसम्बर, 1977 को सदस्यों ने ध्यानाकर्षण सूचनाओं की प्रक्रिया के बारे में कुछ शंकायें व्यक्त की थीं। बाद में यह मामला 2 दिसम्बर, 1977 को कार्य अन्तरण समिति की बैठक में भी उठाया गया था। मैंने सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं सम्बन्धी नियम 197 के प्रावधान और पिछली परम्परा का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

एक आपत्ति, जो सदस्यों ने 1 दिसम्बर, 1977 को उठाई थी, वह यह थी कि स्थगन प्रस्तावों को भी ध्यानाकर्षण सूचनाओं में बदल दिया गया था, जबकि इसके लिए सदस्यों को नियम 197 के अन्तर्गत पृथक सूचना देनी चाहिए थी। मैंने उस समय बताया था कि किन परिस्थितियों में मैं इसके लिए सहमत हुआ था। पिछली लोक सभा के दौरान यह परम्परा थी कि केवल उन्हीं पाँच सदस्यों के नामों को कार्य सूची में शामिल किया जाता था जिन्होंने ध्यानाकर्षण के लिए सूचना दी हो और बैलट में जिनका नाम आया हो।

24 जून, 1977 को, जब कुछ सदस्यों ने 'इण्डियन एक्सप्रेस' और 'फ़ाइनेन्शियल एक्सप्रेस' में तालाबन्दी का मामला उठाना चाहा तो मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्ष ने सदन में यह कहा कि इस बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को मैंने स्वीकार कर लिया है और अल्पसूचना प्रश्नों की सूचनाओं को भेजने वाले सदस्यों के नामों को नियम 377 के अधीन सूचना भेजने वाले सदस्यों के नामों के साथ बैलट किया जाएगा।

2 दिसम्बर को सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निर्णय किया है कि केवल उन्हीं सदस्यों के नामों को बैलट में शामिल किया जाएगा, जिन्होंने ध्यानाकर्षण सूचनायें भेजी हों ।

इसी प्रकार किसी ग्रहीत अल्प सूचना प्रश्न के साथ नाम सहयोजित करने के लिए नियम 54 (4) के अधीन बैलट में केवल अल्पसूचना प्रश्न को सूचना देने वाले सदस्यों के नामों को शामिल किया जाएगा और ध्यानाकर्षण सूचना देने वाले सदस्यों के नाम का उनके साथ बैलट नहीं होगा ।

ध्यानाकर्षण सूचनाओं के बारे में मैंने निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया है :—

(i) दस बजे प्रातः तक प्राप्त सभी ध्यानाकर्षण सूचनाओं को मेरे समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। मैं उन सभी का अध्ययन करूंगा और उनमें से किसी एक विषय को सम्बद्ध मंत्री द्वारा अगले दिन उत्तर दिये जाने के लिए चुन लूंगा ।

(ii) उक्त विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना देने वाले सभी सदस्यों और सम्बद्ध मंत्री को सूचना को ग्रहीत करने की जानकारी दे दी जायगी । जिन सदस्यों को ध्यानाकर्षण सूचना चुने जाने की जानकारी नहीं दी जाती है, उन्हें यह समझना चाहिए कि उनकी सूचना नहीं चुनी गई है ।

(iii) जिनकी सूचनायें किसी विशेष दिन के लिए स्वीकृत नहीं होती हैं, वे अगले दिन के लिए सूचनायें दे सकते हैं और उस दिन प्राप्त सूचनाओं के साथ उन पर विचार होगा ।

(iv) मेरे द्वारा चुनी गई ध्यानाकर्षण सूचना सामान्यतः अगले दिन की कार्य सूची में शामिल की जाएगी । परन्तु अगर मैं यह समझता हूं कि मामला अत्याधिक अविलम्बनीय महत्व का है तो मैं उसी दिन वक्तव्य देने के लिए कह सकता हूं ।

(v) जिस दिन मैं ध्यानाकर्षण सूचना को चुनता हूं, उसी दिन कार्य सूची में शामिल करने के लिए पांच सदस्य के नामों का बैलट किया जाएगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह बड़ी अजीब बात है कि अगर मेरे क्षेत्र में तूफान आ जाता है और ध्यानाकर्षण उठाने वाले सदस्यों के नामों की सूची में मेरा नाम न हो । अध्यक्ष को उस व्यक्ति के नाम को शामिल करने का अधिकार होना चाहिए जो उस क्षेत्र से सम्बद्ध हो । इस सुझाव पर विचार किया जाय ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : आप इसे नियम समिति में क्यों नहीं भेजते ?

अध्यक्ष महोदय : अगर आप प्रस्ताव भेजते हैं, तो मैं समिति के पास प्रस्ताव भेज दूंगा ।

लोक सेवा समिति

Public Accounts Committee

35 वां प्रतिवेदन

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर) : मैं पोलियो वाइरस टीके के उत्पादन के बारे में 179वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पुर्नगठन के बारे में वक्तव्य

Statement re : Restructing of Oil & Natural Gas Commission

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : जैसा कि सदन को मालूम है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (ओ एन जी सी) के बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के प्रति उनके कार्यसंचालनों के महत्व पर समुचित रूप से ध्यान देने के साथ-साथ आयोग की संगठानात्मक संरचना की समीक्षा का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था । 28 जून, 1977 को, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन और इसे सुदृढ़ बनाने के बारे में सदन को सूचित किया गया था । फिर भी, इस विषय के जटील तथा पेचीदा स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस मामले के सम्बन्ध में जब तक अभिव्यक्त दृष्टिकोणों और विभिन्न सिफारिशों पर विचार करते हुए इसकी व्यापक जांच पड़ताल की गई थी । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के भावी संगठनात्मक ढांचे पर सरकार के अन्तिम निर्णय को आज सदन के सामने पेश करते हुए मुझे गर्व है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 में इस बात की व्यवस्था है कि आयोग में एक अध्यक्ष होगा तथा सदस्यों की संख्या दो से कम नहीं, और आठ से अधिक नहीं होगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा निगुक्त किया जायेगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार सदस्यों को पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक सेवा प्रदान करना जरूरी हो सकता है ।

कार्मिक, वित्त सामग्री अनुसंधान तथा विकास जैसे कार्यकरण इसके कार्यकुशल तथा सामंजस्यपूर्ण कार्य संचालनों के लिये विवेचनात्मक हैं और निम्नलिखित कार्यों के लिये ओ एन जी सी के लिये पूर्ण-कालिक सदस्यों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है :--

1. **सदस्य (कार्मिक) :**

औद्योगिक सम्पर्क तथा भर्ती, जनसाधन प्रबन्ध, प्रशिक्षण, कल्याण, सार्वजनिक सम्पर्क तथा सतर्कता;

2. **सदस्य (वित्त) :**

सापेक्ष महत्व की आयोजना, योजना अर्थव्यवस्था, लेखे और लेखा परीक्षा

3. **सदस्य (सामग्री) :**

निरीक्षण, खरीद--(क) देशीय, और (ख) समुद्रपार, भंडार (स्टाक) की जांच करना और जहाज द्वारा लाना ले जाना ।

4. **सदस्य (तकनीकी) :**

आई० पी० ई०, अनुसंधान अध्ययन तथा व्यवन प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान तथा विकास का सर्वकार्य भार ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा सरकार के बीच में घनिष्ठ सम्पर्क कायम करने तथा ओ० एन० जी० सी० के कार्यकलापों में सक्रिय भाग लेने के लिए अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए निर्णय किया गया है, जो पेट्रोलियम, वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करेंगे । अतः आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

1. अध्यक्ष
2. सदस्य (वित्त)

3. सदस्य (कार्मिक)

4. सदस्य (सामग्री)

5. सदस्य (तकनीकी—अनु० तथा विका०)

6. अपर सचिव संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम मंत्रालय

7. अपर सचिव, संयुक्त सचिव वित्त, मंत्रालय

8. सलाहकार (ऊर्जा), योजना आयोग।

क्षेत्रीय कार्य संचालनों की मात्रा में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होती रही है। समुद्र के अन्दरूनी क्षेत्रों में आयोजित किये जाने वाले कार्य संचालनों के लिए पहले से ही 700 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च की स्वीकृति दे दी गयी है; और अधिक पूंजी निवेश की प्रत्यक्ष कल्पना की जा रही है। समुद्र तटीय कार्य संचालन बहुत ही व्यापक रूप से लम्बे चौड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, तथा वार्षिक पूंजीगत खर्च 120—150 करोड़ रुपये है। ओ० एन० जी० सी० के समुद्रपार कार्य संचालनों की स्थिति में मजबूती आई है; तन्जानिया, ईराक और सीरिया में इनकी प्रशंसा की गयी है तथा ये ईरान के स्लय क्षेत्रों में हाईड्रोकार्बन्स (इंडिया) लिमि० के जो कि ओ० एन० जी० सी० की एक सहायक कम्पनी है, इन कार्य संचालनों में भाग लेने के अतिरिक्त हैं। इस समय आयोग के सदस्यों के स्टाफ सम्बन्धी कार्यों और क्षेत्र में कार्यकारियों के लाइन सम्बन्धो कार्य के बीच वितरण का पुनर्गठन करना उपयुक्त समझा गया है। तदनुसार समुद्र के अन्दरूनी, समुद्रतटीय तथा समुद्रपार के कार्यसंचालनों के प्रभारी के रूप में तीन कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति करने का निर्णय किया गया है। कार्यकारी निदेशक (समुद्र पार कार्य संचालन) हाईड्रोकार्बन्स इंडिया लिमि० का भी प्रबन्ध निदेशक होगा। कार्यकारी निदेशकों को आयोग की सभी बैठकों में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जायेगा। आयोग द्वारा समस्य पर्यवेक्षण की शर्त पर इन निदेशकों को अपने अपने उत्तरदायित्व के क्षेत्रों के पूरे अधिकार होंगे।

निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा ओ० एन० जी० सी० की उपलब्धियों और कार्यकरण का हर आधे वर्ष में कम-से-कम एक बार औपचारिक पुनरीक्षण आरम्भ करने का भी निर्णय लिया गया है :—

(1) मंत्री, पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक

(2) सदस्य (उद्योग), योजना आयोग

(3) प्रधान मंत्री के प्रमुख सचिव

(4) सचिव (पेट्रोलियम)

(5) सचिव (व्यय)

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एक संवर्धनशील संगठन है और यह प्रमुख, विशेषकर समुद्र के अन्दरूनी क्षेत्रों के कार्य संचालनों में अत्याधिक व्यस्त है। अतः इस स्थिति में हमने न्यूनतम परिवर्तन करने के आधार पर आगामी कार्यवाही की है और उन्हें कार्य संचालनों के स्टाफ और कार्यकारी स्तर पर तथा ओ एन जी सी और सरकार के बीच उत्तरदायित्वों को बेहतर और उन्हें मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया है।

रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में वक्तव्य

Statement Re. Restructing of Railway Board

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : संसद में जून, 1977 में रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय मैंने यह कहा था, कि रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर जो मोटे तौर पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर आधारित होगा, विचार किया जा रहा है । मैं यह सहर्ष घोषणा करता हूं कि इस विषय में प्रस्तावों को अब अन्तिम रूप दिया जा जुका है ।

2. प्रशासनिक सुधार आयोग ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के सम्बन्ध में अपनी सिफारिश संख्या 6 में विचार करते हुए यह कहा है कि :—

(1) रेलवे बोर्ड के सुचारू रूप से कार्य-संचालन के लिए इसका साइज कम्पैक्ट होना चाहिए । अध्यक्ष और वित्त सदस्य (वित्त आयुक्त) को छोड़कर इनके सदस्यों की संख्या साधारणतया 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(2) बोर्ड में अपर सदस्यों के पदों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए । यदि बोर्ड के सदस्यों को अपने कर्त्तव्य पालन के सम्बन्ध में मदद की आवश्यकता हो तब आवश्यक संख्या में सहायकों को सलाहकार के रूप में नामित करके नियुक्त किया जा सकता है। इन सलाहकारों के कार्य और शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था को रेलवे बोर्ड के रूल्स आफ बिजनैस में निर्धारित किया जा सकेगा ।

2.1 रेलवे बोर्ड के सुचारू संचालन और मितव्ययता को ध्यान में रखकर वर्तमान सदस्य संख्या में वृद्धि न करने का निश्चय किया गया है । इस प्रकार बोर्ड में अध्यक्ष, वित्त आयुक्त तथा तीन सदस्य पहले की भांति रहेंगे । अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के पूर्ववत् फंक्शनल सदस्य होंगे ।

2.2 रेलवे बोर्ड के सदस्य पहले की तरह भारत सरकार के पदेन सचिव बने रहेंगे । यह प्रथा बहुत समय से चली आ रही है ।

2.3 अपर सदस्य के पद समाप्त करने के विषय में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पूरी तरह स्वीकार कर ली गयी है । तदनुसार अपर सदस्यों के सभी आठ वर्तमान पद समाप्त कर दिये जायेंगे । जैसा कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने परिकल्पना की है, इस समय न्यूनतम संख्या में केवल तीन सलाहकार- अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को औद्योगिक सम्बन्धों के विषय में, वित्त आयुक्त को वित्तीय मामलों के लिए और सदस्य इंजीनियरी को रेलवे विद्युतीकरण के विषय में सहायता देने के लिए रखे जा हें हैं । इन तीनों सलाहकारों को सलाहकार, औद्योगिक सम्बन्ध, सलाहकार वित्त तथा सलाहकार विद्युत नामित किया जायेगा । इसके अलावा अपर सदस्य (स्वास्थ्य) का पद उस समय तक रहेगा जब तक वर्तमान पदाधिकारी सेवा-निवृत्त हों । उसके बाद यह पद महानिदेशक, रेलवे स्वास्थ्य सेवाएं के नाम से पुनः नामित किया जायेगा । इस प्रकार के पदों के बारे में सिविल साइड में यही व्यवस्था है ।

2.4 रेलवे सतर्कता संगठन को अलग एक निदेशक के नियंत्रण में रखा जा रहा है ।

3. रेलवे राजपत्रित अधिकारियों की यह मांग लगातार रही है कि रेलवे बोर्ड कार्यालय में उनके मामले के लिये एक निदेशालय अलग से हो, जो नियुक्ति से लेकर सेवा-निवृत होने तक के उनके सब मामलों की देखभाल कर सके । अतएव अब यह निश्चय किया गया है कि निदेशक (मैनेजमैंट सर्विसेज) के एक पद का सृजन किया जाय जो भारतीय रेलवे के लगभग नौ हजार राजपत्रित अधिकारियों की समस्याओं को सुलझाने में समेकित मशीनरी का काम संपादित कर सके ।

4. मुझे विश्वास है कि इस समय प्रस्तावित रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन से सुगठित (क्लोज-निट), ठोस (कम्पैक्ट) और समवेत (कारपोरेट) प्रबन्ध (मैनेजमैंट) शीर्ष स्थल पर कायम हो जायेगा जो सुचारू रूप से और प्रभावशाली ढंग से सब हितों को संतोष प्रदान करने में समर्थ होगा ।

5. यह प्रस्ताव पुनर्गठन के सम्बन्ध में केवल प्रथम चरण के रूप में है । क्षेत्रीय तथा उससे नीचे के स्तरों पर पुनर्गठन करने का प्रश्न भी इस समय विचाराधीन है ताकि इन स्तरों पर भी जनता की मांगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा उत्तरदायी ढंग से काम किया जा सके और इसके साथ-साथ प्रत्येक स्तर पर फैसला करने के काम में तेजी आ सके ।

6. उल्लिखित पुनर्गठन के प्रस्तावों को कारगर और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिये यह तय किया गया है कि और अधिक अधिकार नीचे के स्तर के अधिकारियों को प्रदान किये जायें। प्रारंभ में मंत्री के कुछ अतिरिक्त प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार रेलवे बोर्ड को दिये जा रहे हैं, ताकि मंत्री नीति विषयक तथा निर्देशात्मक कामों में अपना अधिक समय दे सकें ।

6.1 इसी प्रकार अतिरिक्त प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार महाप्रबन्धकों को भी दिये जा रहे हैं ताकि फैसला लेने का दायित्व उन अधिकारियों में निहित रहे जो कार्य-स्थल के नजदीक रहते हैं।

6.2 महाप्रबन्धकों को भी यह कहा जा रहा है कि वे मण्डल अधीक्षकों को और अधिक अधिकार प्रदान करें । इसका अन्तिम उद्देश्य यही है कि दिन-प्रतिदिन के कार्य-व्यवहार में ज्यादातर फैसले मण्डलीय स्तर पर किये जा सकें और केवल अवशिष्ट मामले क्षेत्रीय स्तर पर निर्णीत हों। इस प्रबन्ध से ज्यादातर प्रशासनिक समस्याओं का और स्थानीय मांगों का शीघ्रता से निपटारा मण्डल तथा क्षेत्रीय स्तर पर करना सम्भव हो सकेगा और रेलवे बोर्ड स्तर पर अनावश्यक सन्दर्भ नहीं भेजने पड़ेंगे और इस कारण प्रशासनिक देरी भी नहीं होगी।

7. जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन की प्रक्रिया को पहली जनवरी, 1978 तक पूरा कर लिया जायेगा ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : यह महत्वपूर्ण नीति संबंधी वक्तव्य है । क्या आप इस पर चर्चा करने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : दूसरे सदन की तरह हम इस पर रेलवे कन्वेनशन कमेटी पर चर्चा के समय चर्चा कर सकते हैं ।

नियम 317 के अधीन के मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(1) राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के बारे में कर्नाटक सरकार की असमर्थता

श्री ए० नंजेश गौडा (हसन) : एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कर्नाटक प्रशासन संविधान के उपबन्धों के अधीन नहीं चलाया जा सकता है । कर्नाटक सरकार कानून और व्यवस्था को बनाये रखने में विफल हो गई है ।

श्री वयालार रवि (चिरयंकील) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कानून और व्यवस्था राज्य विषय है । इसे यहां नहीं उठाया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : उनका निवेदन यह है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी अधिक खराब हो गई है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने की आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे (अकोला) : जब कभी भी हम यह कहें कि कानून और व्यवस्था भंग हो गई है और राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, तो क्या आप राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे ? (व्यवधान)

श्री नन्जेश गौडा : विश्वविद्यालय को बन्द हुए एक महीना हो गया है । (व्यवधान) मुख्य मंत्री और सरकार इन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे । वहां सरकार का काम ठप्प हो गया है ।

निरपराध औरतों, पुरुषों और बच्चों को पीटा जाता है । मुख्य मंत्री के दामाद के नेतृत्व में गुण्डे सोडा की बोतलों और साइकिल चैन से लोगों की पिटाई कर रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कांग्रेसमैन नहीं कहा था, केवल 'गुण्डा' शब्द का प्रयोग किया था। (व्यवधान)

श्री वी०पी० कदम (कनारा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं, जो अपना बचाव करने के लिए सदन में उपस्थित नहीं है । इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : इस सदन में यह परम्परा रही है कि कोई भी सदस्य किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तब तक नहीं बोल सकता, जब तक वह लिखित सबूत पेश न कर दे। इस मामले में माननीय सदस्य ने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है, इसलिए मैंने अनुमति दी है।

श्री नन्जेश गौडा : भारत सरकार इस मामले में बहुत उदार रही है । (व्यवधान) केन्द्रीय सरकार को स्थिति पर ध्यान रखते हुए उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए । (व्यवधान)

श्री वी०पी० कदम : समाचार पत्र में छपे समाचार के आधार पर इतने महत्वपूर्ण मामले को नहीं उठाया जा सकता । जब तक समाचार की सच्चाई की माननीय सदस्य पुष्टि न कर लें और उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें, वे इस प्रकार इस सदन में मामले को नहीं उठा सकते । (व्यवधान)

श्री वयालर रवि : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 377 के अन्तर्गत लोक महत्व के विषय को उठाया जा सकता है । इस प्रकार का विषय इस सदन और भारत सरकार दोनों के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए । दिल्ली केन्द्र शासित क्षेत्र है, परन्तु फिर भी दिल्ली में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति के मामले को उठाने की मुझे अनुमति नहीं दी गई थी । यह मामला पूर्णत: राज्य सरकार से संबंधित है और केन्द्र से उसका कोई संबंध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में कुछ बातें पहले ही कह चुका हूं।

श्री एस० नन्जेश गौडा : कर्नाटक सरकार कानून और व्यवस्था बनाये रखने में पूर्णतः विफल रही है । एक महीने से मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री दिल्ली में हैं । सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है । इसलिए उसे बर्खास्त करके नये चुनाव कराये जाने चाहिए ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बज कर दस मिनट अपराह्न तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Ten past Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर दस मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई

(The Lok Sabha reassembled after Lunch at ten minutes past Fourteen of the clock)

श्री त्रिदिब चौधरी पीठासीन हुए

[Shri Tridib Chaudhury in the Chair]

[नियम 377 के अन्तर्गत मामले—जारी]

MATTERS UNDER RULE 377 (Contd.)

(2) वाराणसी में साम्प्रदायिक दंगों की जांच के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्यायिक आयोग की नियुक्ति

सभापति महोदय : अब नियम 377 के अन्तर्गत मामले लिये जायेंगे ।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : 23 अक्तूबर, 1977 को वाराणसी में दुर्भाग्यपूर्ण दंगे हुए । इस बात के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं कि दंगे के दौरान और 5 नवम्बर, 1977 तक भी पुलिस, विशेषकर पी० ए० सी० और प्रशासन ने गम्भीर ज्यादतियां की हैं और पीड़ित व्यक्तियों की मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां की हैं । जबकि पी० ए० सी० ने वहां आतंक और अत्याचार का वातावरण बनाया हुआ था। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी।

अन्त में उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा की । इतना विलम्ब होने के बावजूद आयोग अभी गठित किया जाना है तथा इसे कार्य आरम्भ करना है । इस मामले में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये और आयोग से एक उचित निश्चित अवधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाना चाहिये अन्यथा आयोग का गठन केवल मात्र दिखावा रह जायेगा । मैं भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री श्री चरण सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इस मामले को गम्भीरता से उठायें ।

(3) पंडित नहरू और महात्मा गांधी के बारे में प्रकाशित पुस्तकों में उन्हें अपमानित करने के प्रयास

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक बहुत गम्भीर मामला सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं । हाल ही में महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित श्री वेद मेहता द्वारा लिखित 'महात्मा गांधी एण्ड हिज एपोस्टल्स' और श्री एम० ओ० मथाई द्वारा लिखित "रेमीनिसीनसिज आफ नेहरू एरा" पुस्तकों में दोनों महान् नेताओं के निजी जीवन का उल्लेख किया गया है और देश की प्रसिद्ध महिला देश भक्तों को बदनाम किया गया है।

लगभग 20 महिला संसद् सदस्यों ने उस गम्भीर मामले की जानकारी प्रधान मंत्री को दी है और उनसे अनुरोध किया है कि इस प्रकार के चरित्रहनन को रोका जाना चाहिये ।

लोगों के जवाहर लाल नेहरू से मतभेद हो सकते हैं लेकिन इतने महान नेता की प्रतिष्ठा को गिराना भारत की प्रतिष्ठा को गिराने के समान है ।

'आर्गेनाइजर' ने भी अपने एक प्रकाशन में श्री कृष्ण मेनन को बहुत अधिक कामुक बताया है । हम आशा करते हैं कि जनता पार्टी के जिन सदस्यों ने श्री जवाहरलाल के साथ काम किया है उनके द्वारा ऐसी पुस्तकों का विरोध किया जाना चाहिये ।

प्रधान मंत्री, शिक्षा मंत्री अथवा सभा में उपस्थित अन्य मंत्री को इस चरित्रहनन के विरुद्ध सभा में वक्तव्य देना चाहिये ।

इस विषय पर और उन पुस्तकों पर सभा में विस्तृत चर्चा की जानी चाहिये । मुझे आशा है कि जब सदस्य मेरी इस मांग का समर्थन करेंगे (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का पूर्ण आदर करता हूं । मैं इस बात से सहमत हूं कि इन दोनों पुस्तकों के कुछ भाग अरुचिकर हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इनके लिये कैसे उत्तरदायी है। (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री बसन्त साठे (**अकोला**) : इन पुस्तकों को जब्त किया जाना चाहिये ।

श्री पी० जी० सावलंकर : एक स्वस्थ समाज में इन पुस्तकों की भर्त्सना की जानी चाहिये लेकिन इस प्रकार से नहीं । मैं इन पुस्तकों के जब्त किये जाने के विरुद्ध हूं । यदि ऐसा किया जाता है तो अनेक पुस्तकों को जब्त करना पड़ेगा (**अन्तर्बाधाएं**) यह समस्या इस प्रकार हल नहीं हो सकती ।

Shri D. N. Tiwary (Gopalgang) : The Government is not responsible for several matters. Recently, there was a cyclone and the Government was not responsible for it also, but the House was informed about it and discussion took place. Every important matter should be brought before the House.

श्रीमती वी० जयलक्ष्मी (शिवकाशी) : हम महिला संसद् सदस्यों ने प्रधान मंत्री से भेंट की थी उन्होंने कहा कि इतिहास की पुस्तकों में चरित्रहनन को स्थान नहीं दिया जाना चाहिये । हम इन पुस्तकों के प्रकाशन को रोकने के लिये कुछ नहीं कर सकते । यह राजनीतिक खेल है । उन्होंने श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित की पुत्री और पद्मजा नायडू तक को नहीं छोड़ा है । श्री बसन्त साठे ने बताया है कि झांसी की रानी की भी आलोचना की गई है। (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न सरकार के दायित्व के बारे में है । महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं । न केवल भारत बल्कि विश्व के लोग उन्हें इस युग का महानतम व्यक्ति मानते हैं। भारतीयों को उन पर गर्व है। राष्ट्रीय नेताओं के बारे में बहुत भद्दी बातें कही गई हैं । सरकार को राष्ट्रपिता और भारत के प्रथम प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा को गिराने वाले प्रकाशनों की जांच करनी चाहिये । सरकार को इस बारे में सभा में एक वक्तव्य देना चाहिये ।

Shri Vijay Kumar Malhotra (South Delhi): Formerly very few people had read these books but there are now being purchase by thousands and lakhs of people in Delhi and India . . . . . **(Interruption)**

श्री वसन्त साठे : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (**अन्तर्बाधाएं**) ।

सभापति महोदय : पहले उन्हें अपना व्यवस्था का प्रश्न समाप्त कर लेने दीजिये ।

Shri Vijay Kumar Malhotra: This House should not be used for the sale the book of any pubilsher and so the Hon. Members should be stopped to make any propaganda in the House.

श्री वसन्त साठे : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हम यहां नियम 377 के अन्तर्गत एक मामला सरकार के ध्यान में लाये हैं । (**अन्तर्बाधाएं**) हमें यहां राजनीति नहीं लानी चाहिये । झांसी की रानी के संबंध में एक ब्रिटिश लेखक ने ऐसी ही बातें लिखी हैं । मैंने इसकी जानकारी गृह मंत्री और प्रधान मंत्री को दी थी और उस पुस्तक को जब्त कर लिया गया था । क्या सरकार की यह नीति है कि किसी के विरुद्ध कुछ भी पुस्तक में लिखा जा सकता है ? इसको रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि पुस्तक को जब्त किया जाये ।

सभापति महोदय : ऐसा पहले ही किया जा चुका है । नियम 377 के अन्तर्गत सरकार को वक्तव्य देने के लिये नहीं कहा जा सकता । वह वक्तव्य दे सकती है ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नेहरू के निजी सचिव श्री एम० ओ० मथाई ने एक पुस्तक लिखी है । मैंने वह पुस्तक नहीं पढ़ी है । लेकिन ऐसा कहा गया है कि उसमें श्री नेहरू के विरुद्ध कुछ अश्लील बातें कही गई हैं । मेरा निजी विचार है कि उसे 'बेहूदा' की संज्ञा देकर उस पर ध्यान नहीं देना चाहिये । यदि आज पंडित नेहरू जीवित होते तो वह मुस्कराकर यही कहते कि "स्तष्टतया लेखक को गलत सूचना दी गई है" । इस प्रकार के प्रकाशन से नेहरू अथवा महात्मा गांधी की महानता कम नहीं की जा सकती । जैसे ही आप किसी पुस्तक को जब्त करेंगे लाखों लोग उस पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे । अतः में पुस्तक को जब्त करने संबंधी माननीय सदस्य के विचार से सहमत नहीं हूं । सरकार की यही सलाह है कि इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिये ।

श्री सी०एम० स्टीफन (इदुक्की) : इस्पात और खान मंत्री श्री बीजू पटनायक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हमें पुस्तक में लिखी ऐसी बातों की उपेक्षा करनी चाहिये । श्री नेहरू और महात्मा गांधी के प्रति देश का कुछ दायित्व है । यदि उनके विरुद्ध कोई अश्लील टिप्पणी की जाती है तो कभी हमें यह कह कर चुप बैठ जाना चाहिये कि हमें उसकी उपेक्षा करनी चाहिये ? यह राष्ट्र के महत्व का प्रश्न है । सरकार ने इस संबंध में यह रुख अपनाया है कि कोई भी किसी मृत व्यक्ति के विरुद्ध कुछ भी कह सकता है और हमारा यह रुख होना चाहिये कि हम उसकी उपेक्षा करें । क्या हमारा उनके प्रति यही दायित्व है ? यदि श्री नेहरू, महात्मा गांधी अथवा झांसी की रानी के नाम पर कीचड़ उछाली जाती है तो क्या हमें उस ओर ध्यान न देना चाहिये अथवा इसके

विरुद्ध कार्य करना चाहिये । यह राष्ट्र के लिये प्रमुख महत्व का प्रश्न है । और इसका नियम के अन्तर्गत यथासमय उत्तर दिया जाना चाहिये ।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : सभापति महोदय जैसा आपने कहा कि नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाने पर सरकार बाध्य नहीं है कि वह इस बारे में कोई स्पष्टीकरण दे अथवा कोई उत्तर दे । नियम 377 द्वारा किसी मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है । अतः जहां तक सरकार का संबंध है सरकार इस समय इस पर कोई वक्तव्य देना नहीं चाहती ।

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक 1977 —जारी
PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL, 1977—*Contd.*

सभापति महोदय : सभा अब श्री रवीन्द्र वर्मा द्वारा 5 दिसम्बर, 1977 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी अर्थात् :—

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाली विधेयक पर विचार किया जाये ।"

Shri Brij Bhushan Tiwari (Khalilabad): I congratulate the Home Minister for Introducing this Bill. The Congress Government took away the right of bonus of the workers by passing black law during emergency. The C.P.I. gave its full support to the Congress in this matter. It is not the Question of increasing the monetary burden on the Government but the Question of our faith. It is clearly a proof that we fight for the rights of the workers. I will request my Congress friend to get this Bill passed without raising any dispute. I agree that the persons indulging in production should get the bonus, but besides it we require an integrated policy in this regard. It is a matter of great pleasure that our Government has not only made an announcement in this regard but has appointed a committee which will submit its report early. There is a provision to give incentive to sick mills so that we can make our industries more productive. With these words I support this Bill and hope that it will passed unanimously.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : श्री रवीन्द्र वर्मा इस विधेयक के लिये धन्यवाद के पात्र हैं । भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने आपात्काल में कर्मचारियों का बोनस समाप्त कर दिया था । कर्मचारियों में बोनस समाप्त किये जाने पर भारी रोष था ।

सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक में वर्ष 1976 के लिये केवल 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस बहाल करने की व्यवस्था है । कर्मचारियों के मन में यह भय व्याप्त है कि सरकार उसे बाद में वापिस न ले ले ।

रेलवे आयुध, डाक-तार और प्रतिरक्षा कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाना चाहिये ।

सरकार ने इस अधिनियम द्वारा खंड 34(3) को समाप्त कर दिया है । जिससे भारी लाभ कमाने वाली कम्पनियों में वे विशेष अधिकार पाने से वंचित रह गये हैं ।

'इंटक' दीर्घकाल से यह मांग करता रहा है कि कर्मचारियों को प्रबन्धकों के खातों की जांच करने का अधिकार दिया जाना चाहिये क्योंकि हमारे देश में प्रबन्धकों की यह प्रवृत्ति रही है कि वे अपना संतुलन-पत्र इस प्रकार तैयार करते हैं कि आवंटन के लिये अधिक लाभ न बचे ।

जहां तक जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस दिये जाने का प्रश्न है सरकार का यह कहना है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है । सामान्य बीमा निगम के कर्मचारियों को भी अभी तक बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।

संशोधित किये गये बोनस अधिनियम में अभी कुछ त्रुटियां हैं ।

दक्षिणी राज्यों में हाल में आए समुद्री तूफानों और बाढ़ों के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : RECENT CYCLONS AND FLOODS IN SOUTHERN STATES

सभापति महोदय : अब यह सभा श्री चित्त बसु के प्रस्ताव पर विचार करेगी । श्री चित्त बसु ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चित्त बसु

श्री चित्त बसु : मैं अपना प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु, केरल और पांडिचेरी में हाल के समुद्री तूफान तथा बाढ़ों से हुई अपार क्षति से उत्पन्न स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए भरसक प्रयास किया जाये।"

आज हम एक ऐसी गंभीर स्थिति की चर्चा कर रहे हैं जिसने इस सभा का अपितु सारे राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है । मुझे आशा है कि सदस्य आपसी भेदभाव भुलाकर इसमें भाग लेंगे । इस सभा में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और लक्षद्वीप में हुई जन धन की अपार हानि पर एक प्रस्ताव पारित करके संतप्त परिवारों के सदस्यों को अपनी सहानुभूति भेजी जानी चाहिए ।

इन स्थानों में हुई जन धन की अपार हानि पर राष्ट्रपति ने अपना दुःख प्रकट किया है और उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है । प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि यह एक राष्ट्रीय विपदा है और सरकार इसमें हर संभव सहायता करेगी ।

सबसे पहले हमें समस्या की गंभीरता को समझने का प्रयत्न करना चाहिए । आंध्र प्रदेश को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है । पांच प्रभावित राज्यों में जान माल की जो हानि पहुंची है उसमें सबसे अधिक नुकसान आंध्र प्रदेश को हुआ है । वहां छह तटीय जिलों में हजारों व्यक्ति मारे गए हैं और करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो गई है । दस लाख एकड़ भूमि जल प्लावित हो गई है और आंध्र प्रदेश के सभी भागों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है । कुछ गांवों में तो जीवित व्यक्ति जिन्दा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं । उनके पास अपने मृतक संबंधियों के लिए आंसू बहाने का समय भी नहीं है । आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार कुल नुकसान 1000 करोड़ रुपये का हुआ है ।

तमिलनाडु से प्राप्त समाचार के अनुसार वहां 500 लोगों की मौतें हुई हैं और 10,000 से अधिक जानवर मारे गए हैं लगभग तीन लाख एकड़ कृषि भूमि पूरी तरह से नष्ट हो गई है । रेल लाइनों तथा रेलवे सम्पत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है ।

केरल में समुद्री तूफान से 10 करोड़ रुपये के मूल्य का नुकसान हुआ है, इस तूफान ने धान की खड़ी फसल, बागान, नारियल के पेड़ों तथा गन्ने की खेती को व्यापक क्षति पहुंचाई है। 70 से अधिक व्यक्तियों की मौतें हुई हैं ।

पांडिचेरी और लक्षद्वीप में भी सम्पत्ति तथा फसल की हानि हुई है । हमारे लिए यह राहत की बात है कि वहां से किसी व्यक्ति के मरने का समाचार नहीं मिला है ।

मेरा अपना यह विचार है कि इन पांच प्रभावित राज्यों में मरने वाले आदमियों की संख्या 20,000 तक पहुंच जायेगी । आंध्र प्रदेश को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है । वहां फसल तथा संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा है, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । यहां लोगों को जितनी तकलीफें सहनी पड़ी हैं उसकी पूरी कहानी उपलब्ध नहीं हो सकती है ।

हमें इस संकट को राष्ट्रीय कर्त्तव्य के रूप में लेना चाहिए । पांच राज्यों में तूफान पीड़ितों का पुनर्वास कार्य राज्य सरकारें अकेले नहीं कर सकती हैं । केन्द्रीय सरकार को बड़े पैमाने पर उनकी धन तथा सामग्री से सहायता करनी चाहिए ।

इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं । प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क अनाज की सप्लाई की जानी चाहिए तथा पशुओं के लिए भी निःशुल्क चारा दिया जाना चाहिए। ग्रामीण तथा शहरी लोगों को पुनर्वास के लिए अनुदान दिया जाये ताकि वह अपना मकान बना सकें और अन्य वर्ग के लोगों को जिनकी वित्तीय स्थिति थोड़ी अच्छी है, ऋण दिया जाए ।

पानी के घटने पर किसानों को फिर से कृषि कार्य शुरू करने के लिए बीज, उर्वरक तथा अन्य पदार्थों की आवश्यकता होगी अतः उनके लिए अनुदानों और ऋणों की व्यवस्था की जाए तथा उपरोक्त वस्तुएं उन्हें निःशुल्क सप्लाई की जाएं । छोटे व्यापारियों और छोटे उद्योगपतियों को भी ऋण दिया जाए ताकि वह अपना व्यापार फिर से चालू कर सकें । प्रभावित क्षेत्रों में सरकार को लोगों से जो राशि लेनी थी उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए । भूमि के लगान भी इसमें शामिल किया जाए । ऋणों की वसूली को भी निलंबित किया जाना चाहिए । सभी स्तरों के विद्यार्थियों से भी ली जाने वाली फीस को माफ किया जाए । यही समय की पुकार है । प्रभावित क्षेत्रों की जनसंख्या को टीके लगाए जाएं । महामारियों को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिएं । सभी दलों की एक समिति बनाई जानी चाहिए । सभी राज्यों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए ।

प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए योजना बनाने हेतु योजना आयोग को एक पृथक सैल की स्थापना करनी चाहिए । इस राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने हेतु प्रधान मंत्री को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी में हाल के समुद्री तूफान तथा बाढ़ों से हुई अपार क्षति से उत्पन्न स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए भरसक प्रयास किया जाए ।"

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : : मैं प्रस्ताव करा हूं :

1. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये :—

"और सरकार से सिफारिश करती है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के सामने के समूचे तटीय क्षेत्र के लिये निम्नलिखित निवारक और पूर्वावधानी उपाय किये जायें :—

(क) उड़ीसा और आँध्र प्रदेश की समुद्री तूफान प्रकोप राहत समिति की सिफारिशों को ऐसे रूप भेद के साथ शीघ्र कार्यान्वित करना, जिससे वे रामेश्वरम से कलकत्ता तक समचे पूर्व तटीय क्षेत्र पर लागू हों ;

(ख) तटीय क्षेत्रों की आबादी विशेषतया मछेरों और नमक कर्मकारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तूफान शरणगृह बनाना तथा तटीय पट्टी पर उपयुक्त किस्म के वृक्ष लगाकर निवारण कार्यक्रम आरंभ करना ;

(ग) तमिलनाडु और आँध्र प्रदेश की मौसम भविष्यवाणी पद्धति को और सुदृढ़ बनाना तथा उसमें सुधार करना ताकि मौसम संबंधी भविष्यवाणी और समुद्री तूफान की चेतावनी अधिक सही रूप से दी जा सके ;

(घ) तटीय क्षेत्रों में समुद्री तूफान का मौसम आरंभ होने से पूर्व तथा समुद्री तूफान की चेतावनी मिलने पर अविलम्ब कार्यवाही करने के लिये पूर्वावधानी उपाय करने हेतु प्रशासन के सब स्तरों के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत तथा आचार संहिता बनाना;

(य) लोगों को सूचना देने के समुचित उपाय करना तथा ऐसी विपत्तियों का सामना करने के लिए तैयार रहने हेतु उन्हें संगठित करना ; और

(च) "मोनेक्स 79" नामक मानसून प्रयोग कार्यक्रम का विस्तार करके उसे उत्तर पूर्वी अर्थात् अक्तूबर और दिसम्बर के मध्य, मानसून पर भी लागू करना ।"

श्री पी०के० कोडियान (अडूर) : मैं प्रस्तुत करता हूं :

"देश के दक्षिणी भाग में हाल के सप्ताहों में समुद्री तूफानों, बाढ़ों तथा भूस्खलन से हुई जन-धन की अपार क्षति को देखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि प्रभावी क्षेत्र में कारगर ढंग से और बड़े पैमाने पर राहत कार्य संगठित करने हेतु संसाधनों तथा लोगों को जुटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वदलीय तंत्र गठित किया जाए ।"

दक्षिण के राज्यों में जो तबाही हुई है वह राष्ट्रीय विपत्ति है । इस दुखद घड़ी में हम सबको मिलकर अपने राजनीतिक मतभेदों को भूलकर विपत्ति के शिकार हुए पीड़ित लोगों की सहायता करनी चाहिए ।

जन धन की भारी हानि को ध्यान में रखते हुए वहाँ एक व्यापक राहत और पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है लेकिन यह संबद्ध राज्यों की क्षमता से बाहर की बात है अतः इस व्यापक कार्य के लिए व्यक्ति और संसाधन जुटाने हेतु केन्द्र स्तर पर एक सर्वदलीय तंत्र का गठन अवश्य किया जाना चाहिए ।

केन्द्र द्वारा प्रभावित राज्यों को अब तक जो सहायता दी गई है वह समुचित नहीं है । आंध्र प्रदेश ने अनुमान लगाया है कि राहत और पुनर्वास कार्यों पर 200 करोड़ रुपये की लागत आएगी । तमिलनाडु सरकार ने भी अनुमान लगाया है कि राहत कार्यों पर 150 करोड़ रुपये से लेकर 200 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है । केरल सरकार ने पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए एक योजना तैयार की है उस पर भी 10.47 करोड़ रुपये व्यय होंगे । पाँडिचेरी और लक्ष

द्वीप में भी किए जाने वाले राहत कार्यों पर भारी धनराशि व्यय होने का अनुमान है। केन्द्र द्वारा जो वित्तीय सहायता दी जा रही है वह अग्रिम योजना आवंटन से दी जा रही है । अग्रिम योजना सहायता का अर्थ यह होगा कि इसका राज्य की योजना प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । जो कुछ प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों ने कहा है अगर वह सच्चाई और निष्ठा से कहा गया है तो केन्द्र को सारी जिम्मेदारी मुख्य रूप से अपने पर लेनी चाहिए । वित्तीय सहायता अग्रिम योजना सहायता की राशि से न देकर उसके अतिरिक्त दी जाए यदि आप आंध्र प्रदेश द्वारा माँगी गई 200 करोड़ रुपये की सहायता नहीं दे सकते तो कम से कम 150 करोड़ रुपये की सहायता तो उन्हें अवश्य दी जानी चाहिए । जहाँ तक केरल का संबंध है गत 30 वर्षों में केरल में ऐसी तबाही कभी नहीं हुई । यह प्रशंसा की बात है कि केरल सरकार को जैसे ही तूफान के बारे में चेतावनी दी गई उसने समुचित पूर्वोपाय किए ।

केरल सरकार को एक सप्ताह के लिए 15 लाख परिवारों को निःशुल्क राशन देना पड़ेगा। इस पर दो करोड़ रुपये से अधिक व्यय आयेगा । अतः केरल की व्यापक रूप से सहायता की जानी चाहिए और उसे 5 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए ।

आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तथा केरल के इन क्षेत्रों में अधिकांशतः गरीब व्यक्ति ही अधिक मारे गए हैं अतः सभी राहत और पुनर्वास योजनाओं में, निर्धन वर्गों की आवश्यकताओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । गरीब लोगों के ऋणों को बट्टे खाते में डाल देना चाहिए । उन्हें निःशुल्क राशन दिया जाये । सरकार को कर्मचारियों की अनिवार्य जमा राशि को लौटाने पर भी विचार करना चाहिए ।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये :--

"और सिफारिश करती है कि सरकार प्रभावित राज्यों, विशेषतया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को पर्याप्त पुनर्वास राशि आवंटित करे, ताकि मकानों और झोंपड़ियों का पुनर्निर्माण करने, रेत से भर गई भूमि को साफ करने, जिन किसानों की फसल क्षतिग्रस्त हो गई है उन्हें राहत देने, किसानों को दिये गये ऋण की बकाया राशि की वसूली स्थगित करने और प्रभावित क्षेत्रों में रय्यत के ऋण की वापसी पर रोक लगाने के कार्यक्रम को ये राज्य आरम्भ कर सकें ।

यह सभा यह भी सिफारिश करती है कि प्रभावित क्षेत्रों में श्रमिकों की अनिवार्य जमा की राशि शीघ्र वापस की जाये ।"

डा० कर्ण सिंह (उधमपुर) : हाल ही में दक्षिण भारत में जो समुद्री तूफ़ान आया है वह वास्तविक रूप से एक राष्ट्रीय आपदा है। यह राष्ट्रीय क्षति है और इसका सामना राष्ट्रीय स्तर पर ही किया जाना चाहिए। जिसने अपनी आंखों से यह तबाही नहीं देखी वह इस प्राकृतिक आपदा की भीषणता की कल्पना भी नहीं कर सकता। यह आवश्यक है कि हम वहां के लोगों का नए ढंग से पुनर्वास करें तथा उन्हें हर सम्भव सहायता पहुंचाएं।

इस सम्बन्ध में दो मुख्य प्रश्न सामने आते हैं पहला यह कि मौसम के बारे में ठीक समय पर सही में पूर्ण चेतावनी दे दी गई थी और दूसरे सरकार ने तबाही के पहले और उसके बाद क्या क्या उपाय किए। जहां तक मौसम विभाग का सम्बन्ध है उसे तूफ़ान के आने का तो पता लग गया था

पर वह इतना भीषण होगा इस बारे में वह सही अनुमान नहीं लगा पाए। लोगों ने चेतावनी के बावजूद भी मकान खाली नहीं किए और 19 तारीख को दिन में तीन बजे जब बारिश और तेज हवाओं के साथ ऊंची लहरे उठीं तो वह लोगों को अपने साथ बहाकर ले गई।

जहां तक राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों का सम्बन्ध है यह कहना, कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया या उसे इस खतरे के बारे में जानकारी नहीं थी या राज्य सरकार को इतना धक्का लगा कि वह छह दिन तक किंकर्त्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में बनी रही, ठीक नहीं है। आठ तटीय जिलों के कलेक्टरों को जो निर्देश दिए गए वह हमारे पास हैं। उन निर्देशों में कहा गया है कि भारी तूफ़ान के आने की सम्भावना है इसलिए तत्काल कार्यवाही की जाए। तूफ़ान के कारण संचार व्यवस्था के ठप्प हो जाने के बावजूद भी प्रशासनिक तंत्र सक्रिय रहा । 25 तारीख को जब हम वहां गए तो हमने देखा कि वहां के हजारों लोगों को भोजन, कपड़ा इत्यादि दिया जा रहा है । प्रत्येक प्रभावित परिवार को 150 रुपये की नकद सहायता दी गई है तथा उन लोगों को, जिनके सगे-सम्बन्धी तूफ़ान के कारण काल के ग्रास बन गए हैं, उन्हें 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है।

मुख्य समस्या संचार व्यवस्था को पुनः कायम करने की है। पानी के हटते ही सेना की वायरलैस सेवा चालू हो गई है। हैलीकाप्टर भी उस स्थान पर जाने लगे हैं। 23 तारीख तक हैलीकाप्टरों ने 100 उड़ाने भरी थीं और प्रभावित क्षेत्रों में भोजन के पैकेट गिराए गए थे। प्रभावित क्षेत्रों में 5000 टन अनाज पहुंचाया गया है। वहाँ बड़ी मात्रा में पका हुआ भोजन भी बांटा जा रहा है। 1,25,000 धोतियां और 90,000 साड़ियां भी बांटी गई हैं। जल सप्लाई फ़िर से चालू हो गई है, बिजली भी आ गई है और तकरीबन सभी लोगों को हैजे का टीका लगा दिया गया है। लेकिन यह बड़े दुःख की बात है कि लोगों को बचाने के बजाए और आंध्र प्रदेश सरकार को प्रोत्साहन देने के बजाए आंध्र प्रदेश सरकार के विरुद्ध राजनीतिक प्रचार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय विपत्ति का सामना करने का यह कोई ढंग नहीं है। विवाद में अनावश्यक तौर पर सेना को भी घसीटा जा रहा है। सेना हमारी राष्ट्रीय सेना है वह कोई कांग्रेस या जनता की सेना नहीं है अतः हम सब का यह कर्त्तव्य है कि विवाद में इसे अनावश्यक रूप से न घसीटा जाये।

आए दिन सतारूढ़ दल के जिम्मेदार सदस्यों द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार का अपमान करने के प्रयास में वक्तव्य दिए जा रहे हैं। यह सभा राष्ट्र का न्यायालय है, जहां हमें छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। हमें इस संकट की घड़ी का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए।

संसद के चालू सत्र की समाप्ति पर अध्यक्ष के नेतृत्व में एक सर्वदलीय दल को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए और देखना चाहिए कि राहत कार्यों में अब तक क्या प्रगति हुई है। यदि संभव हो तो प्रधान मंत्री और विपक्षी नेता भी इस दल के साथ जाएं । भारत सरकार द्वारा व्यापक सहायता करने की तत्काल आवश्यकता है। योजना आबंटन के अतिरिक्त सहायता दी जानी चाहिए तभी पुनर्वास की समस्या हल की जा सकती है तब भी इस कार्य में काफ़ी समय लगेगा। हमें इन कार्यों में केवल सरकार को ही शामिल नहीं करना चाहिए अपितु समाज के सभी वर्गों को भी शामिल करना चाहिए।

इस समय परम आवश्यकता इस बात की है कि समुद्री तूफ़ानों, बाढ़ों, अकालों तथा भूकम्प आदि का सामना करने के लिए स्थायी रूप से एक राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए। इस संगठन में केन्द्र तथा राज्यों के सभी मंत्रालयों और अभिकरणों को शामिल किया जाना चाहिए।

मच्छलीपटनम तट पर एक अतिरिक्त राडार लगाये जाने की आवश्यकता है।

पहले फ़सल दिसम्बर, में पकती थी किन्तु हरित क्रांति के फलस्वरूप अधिक उपज देने वाली फसल नवम्बर में पक जाती है तथा इसी महीने में प्रायः बाढ़ और तूफ़ान आते हैं। अतः उड़ीसा चावल

अनुसंधान संस्थान तथा पूसा संस्थान को अधिक उपज देनें वाली ऐसी फसल तैयार करनी चाहिये जो दिसम्बर में पके।

अन्त में मैं उन व्यक्तियों के साहस की सराहना करता हूं जो इस विनाश से बच गये हैं। यद्यपि उनका सर्वनाश हो गया है तथापि जो बचे हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यह एक राष्ट्रीय आपदा थी तथा हम सभी को दलगत भावनाओं के ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा करनी चाहिये।

Shri Vijay Kumar Malhotra (South Delhi) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the disastrous cyclone took the life of, 30-40 thousand persons within the short period of 6-8 hours on 19th November in Andhra Pradesh. Such natural calamity was not experienced in last 100 years in any Indian sea coast. The survivors have lost their every thing including their relations, houses and land. It is certainly a national calamity. And if we feel that it is a national loss we should not show a lip sympathy but we must be practical in our action.

When Bihar was affected by earthquake Shri Rajendra Babu invited the attention of the whole country to that disaster and the entire nation helped the people of Bihar. We should extend our helping hand to the people of Andhra Pradesh also with the same feeling.

If any person wants to have political gain out of such a calamity it will be a meanness of the lowest level. I am sorry to state that Shri Karan Singhji has tried to give a political colour in his speech. He has tried to justify that which has no justification . **(Interruptions)** Tamil Nadu was also affected by the cyclone but the Government of that State took the help of the Military and thus people were saved there. It is a matter of shame that the Government of Andhra Pradesh Committed a criminal negligence even after six or seven days of the cyclone. **(Interruption)** Instead of feeling sorry the members sitting opposite side pass taunting remarks becaue of the fact that they have not seen the parlous condition of the cyclone affected persons who are forced to drink dirty water even after a week of the cyclone. Dead bodies of children, men, women and animal are lying here and there decomposed. **(Interruptions)**

I enquired of them whether they received any warning regarding the cyclone. They replied that except Radio no Government agency did give any such information **(Interruptions)** Seven ministers of the Government of Andhra Pradesh have resigned against the attitude adopted by the State Government on this incident. **(Interruptions)** According to a local news paper the number of deaths in between 50 thousand and one lakh. All the Ministers there say like this but the Chief Minister is playing it down. What justification he has got to play down this situation.

They say it is a political game. But they should know that the workers of Janata Party and other persons in Delhi are trying their best to help their brothers in Andhra Pradesh. If they go on justifying the inaction of the Government of Andhra Pradesh and criticising the Janata Government and politicalising the matter. **(Interruptions)**.

I want to suggest that the system of transfer of Collectors or I.C.S. and P.C.S. Officers after every two or three years should be changed. In the coastal areas. such officers should be appointed on permanent basis and they should be trained in this field so that they could handle the situation efficaciously and urgently.

According to the latest scientific investigation it can be decided only before 24 hours as to the cyclone will hit at a particular place . In this situation there should be a machinery which could handle the entire situation within a short period. There should be roads approaching to each of the villages in these areas so that people are evacuated within few hours. There is a need to develop an efficient

and full-proof machinery to same people in coastal areas of the country. There is no doubt that it is impossible for man to fight against the nature but man should try to do that much which is under his control.

श्री के० सूर्यनारायण (एलुरू) : महोदय सर्वप्रथम मैं माननीय संसद् सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने तूफान ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति शोक व्यक्त किया है । मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा कृषि मंत्री का भी आभारी हूं जिन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया। जैसा कि अन्य मित्रों ने कहा है इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिये। मैं सोच रहा था कि आंध्र प्रदेश पर ही इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है तमिलनाडु और केरल के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा जा रहा क्योंकि तूफान तो वहां भी आया था। मुझे प्रसन्नता है कि मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण के अन्त में यह कहा कि विनाश को राष्ट्रीय क्षति मानकर सरकार को हर सम्भव सहायता देनी चाहिये।

आंध्र प्रदेश के लिये यह तूफान नया नहीं है। 13 अक्तूबर, 1679 में आये भंयकर तूफान में लगभग 20,000 व्यक्ति मारे गये थे। 1789 में कोरिंगा पत्तन में भयंकर तूफान आया था । 15 अप्रैल, 1752 को विशाखापतनम क्षेत्र में तूफान आया और उसमें लगभग 30,000 व्यक्ति मारे गये। इसी प्रकार 20 मई, 1787 में, दिसम्बर, 1789 में और 19 नवम्बर, 1879 में आये तूफान में असंख्य व्यक्ति मारे गये थे । एक नवम्बर, 1864 को मसूलीपत्तनम में भयंकर तूफान आया था तथा एक नवम्बर, 1927 को नेल्लुर में तूफान आया था। 19 नवम्बर, 1977 को फिर ऐसा ही तूफान आया।

सम्भवतः ये सभी लोग तूफान ग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं को नहीं समझते । इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या मानकर हल करना चाहिए । जैसे शरीर के किसी भाग में पीड़ा होने पर सारा शरीर पीड़ा महसूस करता है उसी प्रकार देश में किसी कोने में आपत्ति आने पर उसे सारे देश की आपत्ति मानना चाहिये।

हमारे मुख्य मंत्री ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी है। 12.56 लाख हैक्टर क्षेत्र में फसल नष्ट हुई है जिसका मूल्य 35,512.40 लाख रुपये है तथा 3,717 लाख रुपयों के मूल्य का चारा नष्ट हुआ है। 1,200 लाख रुपयों के मूल्य की तम्बाकू की फसल नष्ट हुई तथा 18.80 लाख रुपयों के मूल्य के उर्वरक बीज आदि नष्ट हुए। पुनर्वास कार्यों के लिये हमें 30,500 लाख रुपयों की सहायता की आवश्यकता है। मैंने भी कुछ क्षेत्रों का दौरा किया है। छोटे तथा बड़े किसानों को वहां स्वयं को पुनः बसाने के लिये दो-तीन वर्ष चाहिये। अतः मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि उनके लिये राज सहायता दी जाये। भूमि का खारापन दूर करने के लिये 700 लाख रुपयों की राज सहायता दी जानी चाहिये । प्रधानमंत्री ने कहा था कि धनराशि के बारे में कोई कठिनाई है किन्तु मंत्री महोदय ने कहा है कि योजनाबद्ध निपटन में से केवल 5 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। यह बहुत कम है तथा इस कार्य के लिये योजनाबद्ध कार्य के अतिरिक्त सहायता दी जानी चाहिये क्योंकि यह राष्ट्रीय विपत्ति है।

गत 15 दिनों में आंध्र प्रदेश सरकार ने 199 शिविर खोले हैं। राज्य सरकार का कहना है कि लगभग 30 लाख व्यक्ति बेघर हुये हैं किन्तु मेरे विचार से लगभग 50 लाख व्यक्ति बेघर हुए हैं।

मेरा सुझाव है कि जिन छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों और हरिजनों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से स्वयं को बसाने के लिये ऋण लिये हैं उन ऋणों को बट्टे खाते डाल देना चाहिये।

जैसा कि मुख्य मंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है हमें इस राष्ट्रीय विपत्ति को राजनीतिक प्रश्न नहीं बनाना चाहिये तथा एक दूसरे की आलोचना में समय नहीं गंवाना चाहिये वरन राहत कार्य में जुट जाना चाहिये। हमारी नीति में कोई अन्तर नहीं है केवल उसकी क्रियान्विति के ढंग में अन्तर है। हम सभी तूफान ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करता हूं कि मुख्य मंत्री का अनुरोध स्वीकार करके तुरन्त सहायता दी जानी चाहिये ।

हम 20–30 वर्षों से यह मांग करते आ रहे हैं कि फसल और पशुधन का बीमा होना चाहिये किन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। किसानों और ग्रामीण जनता की सुरक्षा का कोई उपाय अभी तक नहीं किया गया ।

हमारी जनता तूफान से भयभीत नहीं है किन्तु इस बार मौसम विज्ञान विभाग की ओर से इस विपत्ति की कोई सूचना ही नहीं मिली। हमें किसी सरकार या किसी अधिकारी को दोष नहीं देना चाहिये क्योंकि तूफान ने लगभग 500 वर्ग मोटर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया तथा इतने कम समय में बिना किसी सूचना के इससे अधिक पूर्वोपाय करना ही सम्भव नहीं था।

पिछले कुछ वर्षों में बहुत सी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम मंत्रियों से कहें कि वे त्यागपत्र दें। अतः सरकार को युद्ध स्तर पर सहायता कार्य करना चाहिये क्योंकि यह राष्ट्रीय विपत्ति का प्रश्न है। जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था तत्कालीन सरकार तथा विपक्ष ने कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया था। यही भावना इस समय होनी चाहिये।

यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो मैं तूफान के प्रकोप के फोटो सेंट्रल हाल में प्रदर्शित कर सकता हूं। देश के अन्य भागों की जनता को सम्भवतः यह विश्वास नहीं होगा कि आंध्र प्रदेश में इतना अधिक विनाश हुआ है। महोदय मेरा निवेदन है कि उस विनाश का किसी को नाजायज फ़ायदा न उठाने दिया जाये। आन्ध्र प्रदेश की जनता की इतनी दयनीय स्थिति है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।

श्री सरत कार (कटक) : महोदय, 1971 में उड़ीसा में इसी प्रकार का तूफान आया था और तब मैं शिक्षा और सांस्कृतिक कार्य मंत्री था । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब तूफान शांत हो गया है तब यहां उस पर इतनी गर्मागर्मी है । प्रधानमंत्री ने यह ठीक ही कहा है कि हमें इस पर यहां घंटों बहस करने की बजाय काम करना चाहिये। मेरा सुझाव है कि जनता, पार्टी और विपक्ष के सदस्यों की एक संयुक्त संसदीय टीम घटना-स्थल पर जाकर यह देखे कि क्या काम हो रहा है। वास्तव में यह निर्णय तो वहां की जनता ही करेगी कि उनकी सहायता किस सरकार ने की। 1971 में भी यही स्थिति थी। केन्द्र में कांग्रेस सरकार थी तथा उड़ीसा में उत्कल कांग्रेस की सरकार थी। हमने उस समय जनता को हर सम्भव सहायता की थी किन्तु केन्द्रीय सरकार ने हमारी आलोचना की थी तथा सहायता भी काफी देर से दी थी । अतः मेरा निवेदन है इस समय भी हमें वही स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिये तथा दुःखी लोगों की सहायता करनी चाहिए । इस बारे में विशेषज्ञ समिति यह सुझाव दे कि सरकार को इस बारे में क्या दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपाय करने चाहियें। कृषि मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह हर सम्भव सहायता शीघ्र से शीघ्र देने की व्यवस्था करें तथा वहां पुनर्वास कार्य तुरन्त आरम्भ कराये । स्वास्थ्य मंत्री को यथा शीघ्र चिकित्सा सुविधाएं वहाँ उपलब्ध करानी चाहियें तथा भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री वी० अरुणाचलम (तिरुनेलवैली) : इस भयंकर तूफान के कारण केन्द्रीय सरकार तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों के ऊपर भारी उत्तरदायित्व आ गया है। विनाश को इस स्थिति में सरकार को

अपने समस्त संसाधनों और पूरी शक्ति के साथ राहत पुनर्वास कार्यों में युद्ध स्तर पर जुट जाना चाहिये।

जहां तक तमिलनाडु सरकार का सम्बन्ध है तूफान के तुरन्त बाद उसने अपनी सारी मशीनरी राहत कार्य में जुटा दी। हेलीकाप्टर तथा विमान से लोगों को बचाने का प्रयत्न किया गया। स्वयं मुख्य मंत्री ने तूफान ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया।

महोदय उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 600 व्यक्ति मारे गये तथा 4 करोड़ रुपयों की लागत से हाल में बनाया गया कुडाकनार बांध वह गया। लगभग 5.75 लाख एकड़ भूमि में फसल नष्ट हो गई । लगभग 4.05 लाख मकानों को भारी क्षति हुई है तथा 69,377 मकान गिर गये हैं। लगभग 5,400 ट्रांस्फार्मर क्षतिग्रस्त हुये हैं तथा तिरुवारूर रूट पर 66 किलोवाट का ट्रांसमीशन गिर गया है। लगभग 5 लाख एकड़ भूमि में गाद भर गई है जिसे साफ करने के लिये कई करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। केवल सिंचाई के टैंकों की मरम्मत के लिये ही 13 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

राष्ट्रीय राज मार्गों पर लगभग 4309 दरारें पड़ गई तथा पंचायत सड़कों का 893 दरारें पड़ गई हैं। 18 बड़े पुल, 667 पुलिया तथा 72 छोटे पुल वह गये हैं। इन सब की मरम्मत के लिये लगभग 30 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है।

तिरुची टाउन के सभी कालेज पानी में कई दिनों तक डूबे रहे । पुस्तकालय, औषधालय आदि सभी नष्ट हो गये। लगभग 1.5 करोड़ रुपयों की हानि हुई है।

सन् 1900 के बाद से अभी भी इतना अधिक विनाशकारी तूफान नहीं आया। लगभग सभी नदियां कावेरी, कोल्लीदम, वैकाई, अमरावती, पेन्नार, पलार, थम्बीशपरानी, कडाना नदी, रामा नाथी और चिकानाथी में बाढ़ आई हुई है। तमिलनाडु में कभी भी इतने बड़े पैमाने पर जन धन की हानि नहीं हुई।

सच्चा मित्र वही है, जो आपत्ति के समय काम आये। में तमिलनाडु की जनता की ओर से, विशेष रूप से तूफान पीड़ित लोगों की ओर से राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और उन अन्य केन्द्रीय मंत्रियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। जिन्होंने तूफान पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया और वहां के लोगों को सांत्वना दी।

राज्य सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्य के लिए तीव्र गति से और प्रभावी कार्यवाही की केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों ने राज्य सरकार द्वारा द्रुत गति से राहत कार्य करने की सराहना की है। श्री आर० के० सक्सेना के नेतृत्व में आठ सदस्यीय अध्ययन दल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था श्री आर० के० सक्सेना ने संवाददाताओं को बताया कि राहत कार्यवाही ठीक समय पर की गई और राज्य सरकार ने इस बारे में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राहत कार्यों में संलग्न अधिकारियों की प्रधानमंत्री ने भी सराहना की है। हम इस सबसे ही सन्तुष्ट नहीं हैं। हम दीर्घकालिन स्थायी उपाय करना चाहते हैं और वह केवल केन्द्रीय सरकार की सहायता से ही सम्भव

तमिलनाडु में कुल 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। राहत और पुनर्वास कार्य पर सरकार का 100 करोड़ रु० खर्च करने का प्रस्ताव है। इस राष्ट्रीय संकट के समय केन्द्रीय सरकार की भी भारी जिम्मेदारी है और यदि उसने स्थिति के अनुरूप कार्यवाही नहीं की, तो वह अपने कर्त्तव्य को पूरा न करने की अपराधी मानी जायेगी। इस भारी व्यय में केन्द्रीय सरकार को अपना योगदान देना चाहिए।

राहत कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार ने अब तक कुल 7 करोड़ रुपये की धनराशि दी है, जो पूर्णतः अपर्याप्त है। केन्द्रीय सरकार छठे वित्त आयोग के सिद्धान्त का सहारा ले रही है। लेकिन वर्तमान स्थिति पूर्णतः भिन्न है और यह एक राष्ट्रीय संकट है, इसलिए इस बारे में उदारता बरती जानी चाहिए।

मैंने भूल-चूक, त्रुटियों का उल्लेख आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की कठिनाइयों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया है। छठे वित्त आयोग के सिद्धान्त को बदला जाना चाहिए जिससे करोड़ों व्यक्तियों के आंसू पोंछे जा सके।

श्री आर० वेंकटारमन (मद्रास दक्षिण) : तमिलनाडु में कठिनाई यह है कि समुद्री तूफान से पूर्व लगातार वर्षा होती रही। बाढ़ तथा तूफान दोनों के एक साथ आने से ही समस्या ने इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया और इतनी अधिक हानि हुई है।

तमिलनाडु सरकार ने राहत कार्य में जो तत्परता दिखाई है और प्रभावी कार्य किया है, उसके लिए मैं उसे बधाई देता हूं। तटीय क्षेत्रों के लोगों को निकालने और उन्हें आगामी तूफान से बचाने के लिए भी उन्होंने कई कदम उठाये हैं।

खेती की जमीन के बारे में तुरन्त आवयश्क कार्यवाही किये जाने की जरूरत है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने पहले ही यह बात कही है कि हजारों एकड़ भूमि में रेत भरा पड़ा है। उसकी सफाई बहुत जरूरी है। केन्द्रीय सरकार को रिजर्व बैंक से अनुरोध करना चाहिए कि वह भूमि विकास बैंकों के माध्यम से भूमि को बचाने के प्रयोजनार्थ आवश्यक राहत कार्यों के लिए ध्यान दे। हम केन्द्रीय सरकार से सहायता नहीं चाहते। लोगों की जरूरत है कि 15–20 वर्ष की लम्बी अवधि के लिए ऋण मिल जाये, ताकि वे भूमियों को कृषि योग्य बना सकें।

फसलें नष्ट हो गई हैं और हमें आशा है कि तमिलनाडु सरकार लोगों को राजस्व में छूट देगी। तंजौर जिले में लेवी हटा लेनी चाहिए क्योंकि वहां फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। इतनी भयानक तबाही को देखते हुए लेवी लगाना उचित नहीं है।

जहां तक ऋणों का सम्बन्ध है, हानि इतनी अधिक है कि वे भविष्य में भी इसे वापस नहीं कर पायेंगे। यदि किसी किस्त को बट्टे खाते में नहीं डाल सकते तो, कम से कम इस विशेष वर्ष के लिए उस पर ब्याज को तो बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए।

बागानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तंजौर जिले में नारियल, केले और धान के बहुत से बागान हैं। अनेक वर्षों से लगे हुए वृक्ष अब उखड़ गये हैं। उन्हें अब दुबारा लगाना पड़ेगा और दुबारा लगाने के लिए ऋण और राजसहायता भी देनी पड़ेगी। नये पेड़ लगाने और उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए प्रति एकड़ लगभग 300 से 500 रु० तक की राजसहायता दिया जाना आवश्यक है।

ऋणों की वसूली को स्थगित किया जाना चाहिए। अधिक समय में फल देने वाली फसलों विशेषकर नारियल के बारे में ऋण की अदायगी निलम्बित कर दी जानी चाहिए। अपना व्यापार करने वाले लोगों को बैंकों द्वारा छोटी राशि के ऋण दिये जाने चाहिये।

लाखों घर बरबाद हो गये हैं और क्षति बहुत ज्यादा है। मकानों के पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रु० के ऋण की आवश्यकता है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि रिजर्व बैंक दीर्घ-कालिन ऋणों के रूप में उदारतापूर्वक सहायता दे ताकि वे अपने मकानों को फिर से बना सकें और उनकी मरम्मत कर सकें। तमिलनाडु में मैंने एक संस्था चलाई थी जिसका नाम मकान बंधक बैंक है। वह

संस्था न केवल वहां बल्कि सारे देश में पुनः चालू की जाए और लोगों को अपने मकान पुनः बनाने और अपनी मरम्मत करने के लिए सहायता दी जाए।

राष्ट्र संघ आपत राहत संगठन इस प्रकार की विपत्तियों से प्रभावित विभिन्न देशों को राहत प्रदान करता है। इस सम्बन्ध में इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से अनुरोध करना बेहतर होगा।

Shri Ganga Singh (Mandi) : The people of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Pondicherry are facing a great natural calamity and as a result 20,000 men, women and children have lost their lives. There has been colonal loss of life and property. This calamity has to be faced not by State Government or Central Government, but it is a national calamity.

I am happy to note that State Governments as well as Central Government are doing all they can do to mitigate the miseries of the people. The politics should not be injected in this calamity. All the people of the country should work unitedly. Even if ten rupees as contribution are collected from ten crores of people, this clamity can be met effectively. A cess was imposed on the people to collect the funds to help the millions of Bangladesh refugees at the time of Bangladesh crisis, similarly a cess could be imposed to meet this calamity.

[श्री द्वारिकानाथ तिवारी पीठासीन हुए
Shri D. N. Tiwary in the chair]

In my view if timely warning would have been given and then if Government would have acted swifly, there would have been destruction, we should not fall in fault finding, but instead we should concentrate all our efforts in providing relief to the people.

I would like to assure the people of the cyclone-affected areas that the people of Himachal Pradesh and Northern states have full sympathy for them and entire nation is united to help them.

श्री एम० कल्याण सुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : मैं तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में समुद्री-तूफान से हुए भीषण विनाश का ब्यौरा देकर सदन का समय नहीं लेना चाहता। नुकसान का ब्यौरा देने के बजाय बेहतर तो यह होगा कि हम भविष्य की कार्यवाही के प्रति प्रयत्नशील हों। भूगोल को बदला नहीं जा सकता। हमारा प्रायद्वीप ट्रापिकल जोन के अन्तर्गत आता है। हमें बंगाल की खाड़ी हिन्द महासागर और अरब सागर के तूफानों को रोकने के लिए तैयार रहना होगा और अपने लोगों और प्रशासन को भी इसके लिए तैयार करना होगा।

हाल ही में दो बड़े तूफान आये थे, एक 1971 में उड़ीसा में और दूसरा 1970 में आन्ध्र प्रदेश में। उस समय केन्द्रीय सरकार की पहल पर तूफान आपदा निवारण समितियां बनाई गई थीं। इन समितियों ने तूफान के भावी खतरे के समय उपचारात्मक उपाय करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे। क्या कार्यवाही की जानी चाहिए, इसके लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। इन सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं किया गया। इस बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए और जिला प्रशासन को कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत बताये जाने चाहिए। भारत सरकार को राज्य प्रशासनों और रक्षा सेनाओं, विशेषकर नौ सेना और प्रशासन के अन्य विभागों तथा जनता को इन आपदाओं का बहादुरी से सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए। सभी संबंधित मंत्री एक साथ बैठकर इस प्रकार की आपदा को रोकने के लिए एक योजना बनायें।

हमारे मौसम विज्ञान विभाग ने कुछ प्रयोग किये हैं और सोवियत मौसम विज्ञान विभाग की सहायता से और अधिक प्रयोग किये जाने हैं। इन परीक्षणों से, विशेषकर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर

और हिन्द महासागर के रुख का अध्ययन करने में सहायता मिलेगी और समुद्री-तूफ़ान तथा समुद्री लहरों के बारे में भविष्यवाणी करने में हमारे मौसम विज्ञान विशेषज्ञों को भारी सहायता मिलेगी।

तमिलनाडु सरकार अपने संसाधनों के भीतर राहत देने के लिए बहुत कुछ कर रही है। स्वयं सेवी संगठन भी सहायता दे रहे हैं। भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स के हजारों युवा शिक्षित कर्मचारी वृक्षों की चोटियों और घरों की छतों पर बैठे लोगों को बचाने के लिए नौकायें लेकर राहत कार्य करने के लिए निकल पड़े थे, उनको सेवाओं की सराहना की जानी चाहिए।

राहत कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किया जाना चाहिए। लगभग 200 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है। तमिलनाडु सरकार इस व्यय को अकले वहन नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये इस वचन को पूरा किया जाना चाहिए कि धन की समस्या को आड़ नहीं आने दिया जाएगा। तीन महीने के अन्दर-अन्दर धन उपलब्ध किया जाना चाहिए। लोगों को धन नहीं, काम चाहिए जिससे राज सहायता से सड़कों, बांधों और मकानों का पुनर्निर्माण किया जा सके।

डा० हैनरी आस्टिन (एर्नाकुलम) : देश के कुछ भागों में हाल के प्राणघातक तूफान के रूप में एक अभूतपूर्व विपत्ति आई है। यह विपत्ति इतने बड़े पैमाने पर थी कि सम्पूर्ण विश्व में इसके बारे में चिन्ता और दुःख प्रकट किया गया है। डा० कर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने उस क्षेत्र का दौरा किया था और उस क्षेत्र की एक वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत की है। मैं उस ब्यौरे में नहीं जाना चाहता।

जब धन की भारी हानि हुई है। खड़ी फ़सल, पशुओं और संचार व्यवस्था को भारी क्षति पहुंची है। इस अभूतपूर्व संकट से निपटने का कार्य मात्र राज्य सरकार पर छोड़ देना उचित नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में उतनी रुचि नहीं दिखाई है, जो उसे दिखानी चाहिए थी। तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के सदस्यों ने वहां की वास्तविक स्थिति का पहले ही चित्रण कर दिया हैं।

मैं अपने राज्य केरल को हुई हानि के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समुद्री-तूफान से हुई अपार क्षति की पृष्ठ भूमि में केरल को हुई हानि सामने नहीं आती है। परन्तु केरल के लोगों के दुःख और तकलीफ़ को नज़रअन्दाज़ नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य मंत्री के वक्तव्य के अनुसार लगभग 10,30,43,000 रुपये की क्षति हुई है। 8492 मकान नष्ट हुए हैं और 19863 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 38,400 एकड़ भूमि में फ़सल नष्ट हो गई है। 110 मत्स्य नौकाएं खो गई और 735 क्षतिग्रस्त हो गई।

केरल राज्य में समुद्री तूफान की चेतावनी दे दी थी। उसने मौसम विभाग की सलाह मानी और समूचे तट पर पुलिस तैनात कर दी। यदि उसने ये पूर्वोपाय उपाय नहीं किये होते तो अन्य राज्यों को हुई क्षति से भी अधिक जन-धन की हानि यहां होती।

केरल में 7000 मत्स्य नौकाएं हैं। उनमें 3-4 लाख आदमी लगे हुए हैं। यदि सभी व्यक्ति तट पर होते तो शायद मर जाते।

सरकार तथा स्वयं सेवी संगठनों ने राहत कार्य में स्वयं को लगा दिया। गत तीन सप्ताहों से मछुए तट पर नहीं जा रहे हैं। इस कारण विदेशी मुद्रा की भारी क्षति हुई है। वे समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात से 300-400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाते हैं।

लगभग 32,000 व्यक्ति तटवर्ती क्षेत्र से निकाल लिए गये हैं। वहां पर उन्हें मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। अकाल राहत कार्य भी आरम्भ हो गया है। जिन व्यक्तियों के मकान और नौकाएं नष्ट

हो गई हैं उन्हें सहायता दी जा रही है। एक यंत्रीकृत नौका 1 लाख रुपये या उससे अधिक लागत की होती है। ऐसी 400 नौकाएं गुम हो गई हैं या नष्ट हो गई है।

इन सब उपायों के लिए हमें लगभग 5 करोड़ रुपये चाहिये। हमने इस विपत्ति का मुकाबला करने के लिये उपाय किये हैं।

केरल की समस्या दो तरफ़ा है। एक तो वहां समुद्री कटाव की समस्या है। हमें इसको रोकथाम के लिये व्यापक कार्यक्रम करना है। दूसरी समस्या बार-बार होने वाले भू-राजस्व की है। गत महीने की 9 तारीख को पालघाट में भूस्खलन हुआ था जिससे जनजीवन और नकदी फसलों की भारी क्षति हुई। श्री स्टीफन के निर्वाचन-क्षेत्र में काली मिर्च, इलायची, रबड़ और चाय की फ़सलें नष्ट हो जाने से विदेशी मुद्रा की भी क्षति हुई हैं।

अब मैं कुछ उपायों के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। डा० कर्णसिंह ने कुछ प्रस्ताव किये थे। मैं उनकी पुष्टि करना चाहूंगा और कुछ नये सुझाव देना चाहूंगा। मेरा पहला सुझाव राष्ट्रीय विपत्ति निवारण एवं अल्पीकरण बोर्ड का गठन करने के बारे में है।

यह महत्वपूर्ण है कि इस बोर्ड में हम न केवल केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को ही शामिल करें अपितु स्वयं सेवी संघों को भी इसमें शामिल करें। तटवर्ती क्षेत्र में अतिरिक्त राडार सुविधा उपलब्ध करनी होगी, विशेषकर पूर्वी तट पर ऐसा करना होगा। मौसम विज्ञान में हाल ही के वर्षों में काफ़ी तरक्की हुई है और 'वर्ल्ड वेदर वाच मैन प्रोग्रैम' या 'वर्ल्ड मेटिरियोलोजीकल आर्गेनाइजेशन' ने समुद्री तूफ़ान का पता लगाने के लिये अधुनातन उपकरण विकसित किये हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि हम कुछ आधुनिक उपकरण प्राप्त करें और उन्हें तट पर विशेषकर मछली पतनम और मेरोमंडल तट पर लगा दें।

विकसित देश टोह लेने वाले विमान रखते हैं जो सदैव तटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं और ऐसी विपत्तियों का पता लगा लेते हैं तथा मौसम विभाग के क्षेत्रीय केन्द्रों को कम्प्यूटर भविष्यवाणी हेतु जानकारी दे देते हैं। ऐसा करके हीं हम बार-बार होने वाली दैवी विपत्ति के बारे में कुछ कर सकते हैं।

मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में 12,000 व्यक्ति अभी भी निष्काषित हैं जो स्कूलों और सरकारी भवनों में ठहराये गये हैं। हमें तटवर्ती क्षेत्र के साथ-साथ स्थायी आर०सी०सी० में शरण स्थल बनाने के बारे में सोचना चाहिये ताकि इन लोगों को वहां ठहराया जा सके।

समुद्री कटाव की रोकथाम के लिये तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये। मैंने यह मामला 5वीं लोकसभा में उठाया था और सरकार ने तत्कालीन चन्द्रमा का अध्ययन करने वाले संदस्य डा० राव को नियुक्त किया था। उन्होंने केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन दिया जिसमें कहा था कि यदि हम 40 करोड़ रुपये लगा सके तो केरल के तटवर्ती क्षेत्र के समस्त गरीब लोगों को समुद्री कटाव से बचा सकते हैं।

क्विलोन क्षेत्र में इल्मेनाइट, मोनोसाइट, रूटाइल और सिरकोन जैसी 'रेअर अर्थ' के भारी भंडार हैं। मिट्टी की ये किस्में परमाणु ऊर्जा बनाने के काम आती हैं समुद्री कटाव से मिट्टी के ये भंडार बह जाते हैं। इन्हें बचाने के लिये समुद्र के किनारे-किनारे दीवारें बनाई जानी चाहिये।

केरल नारियल पैदा करने वाला प्रदेश है। गत विभीषिका में लगभग 10,000 नारियल पेड़ गिर गये।

मेरा सुझाव है कि जब तूफ़ान आये और उससे पानी आ जाये तो उसे वापस नदी में डालने के लिये जल-निस्सारण व्यवस्था होनी चाहिये ।

जापान ने समुद्र के किनारे 'मैंग्रूव' तापक पेड़, जिसकी जड़ें गहराई तक चली जाती हैं, कटाव रोकने हेतु लगायें हैं, वह प्रयोग यहां भी किया जा सकता है।

लक्षद्वीप, पांडिचेरी में भी बहुत नुकसान हुआ है । मंत्री महोदय को केरल, मद्रास पांडिचेरी और लक्षद्वीप जाना चाहिये ।

Shrimati Ahilya P. Rangnekar (Bombay-North-Central) : Mr. Chairman, Sir, we have no words to describe the calamity that has been witnesses by Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Pondicherry and Lakshadweep. There are certain villages where out of 400 persons 388 persons have been killed.

Nobody should bring politics in the debate over such a calamity. The nation as a whole should meet this calamity.

Money is required to make up the loss sustained by these States. No State Government alone can shoulder this responsibility and as such the Central Government should give money as grant.

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुए
DR. SUSHILA NAYAR IN THE CHAIR]

If the Central Government say that they have no amount to this extent, I would like to ask as to what happened to the money piled up over a period of 15 years which was budgeted as war risk insurance in 1962. If the Government has that money with it, it should give that whole amount to these people. Hlp in kind should be given to Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala. My second suggestion is that the tents that the Army has with it should be given to these people till houses are built for them.

Not only this, food-stuffs have also been damaged. Rice should be given immediately to them.

Besides, I would like to suggest to take long term measures right from now. Bare-foot doctors should also be sent to these villages.

We shall have to work on war-footing.

I welcome the suggestion that has been given that an all party deputation should tour these areas.

I want to give one more suggestion. Those who have been rendered orphans, should be sent to other States.

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : सभापति महोदय, इस अभूतपूर्व राष्ट्रीय विपत्ति के सभी पीड़ितों के साथ मेरी सहानुभूति है ।

जब गत तीन महीने के तीसरे सप्ताह में तूफ़ान आया था तो मैं वास्तव में वहां उपस्थित था। 20 नवम्बर को लक्षद्वीप में कालपेनी, जो इस संघ राज्य क्षेत्र का पांचवां बड़ा द्वीप है, सबसे अधिक प्रभावित हुआ। मैं 20 तारीख को लक्षद्वीप की राजधानी कवाराट्टि में था और उसी दिन हमें जानकारी मिली। समय पर चेतावनी मिल जाने से वहां एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई।

लक्षद्वीप ऐसा स्थान है जहां बार-बार तूफ़ान आते हैं। 1847 में बहुत ही भयानक तूफ़ान आया था उसमें कालपेनी, जो बड़ा महाद्वीप था, पांच छोटे द्वीपों में विभाजित हो गया। सम्पत्ति, नारियल पेड़, नावों आदि की भारी क्षति हुई।

उसके बाद 1942, 1965 और अब यह तूफ़ान आया है। इस तूफ़ान के कारण 1847 के तूफ़ान से भी अधिक क्षति हुई है परन्तु किसी की मृत्यु नहीं हुई है। वे बच तो गये हैं परन्तु जीवित रहने के लिये उनके पास कुछ नहीं बचा है।

मैं तूफ़ान से हुई क्षति के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। कालपेनी में 4000 लोग रहते हैं और यह मुख्य प्रदेश से 160 मील दूर है। 600 मकानों में से 300 मकान पूर्णतया ध्वस्त हो गये।

2 लाख नारियल-पेड़ों में से एक लाख पेड़ पूर्णतया जड़ से उखड़ गये हैं। 50 प्रतिशत पेड़ों में फ़ल देने की शक्ति नहीं रही है और शेष 25 प्रतिशत पेड़ों में अब फल नहीं लग सकते। लक्षद्वीप में यही एक मात्र आजीविका का साधन है।

कोई भी फ़सल खड़ी नहीं है क्योंकि समूचा द्वीप 4 फुट गहरे पानी में डूबा था।

दो-तिहाई मवेशी मर चुके हैं। 6000 पक्षियों में से 1000 बचे हैं। पेय जल उपलब्ध नहीं है।

लक्षद्वीप छोटा द्वीप है जो हमारे देश का सबसे दूर का हिस्सा है और हमारे लिये सबसे दुःखद बात यह है कि आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल को गंभीर स्थिति के रहते हमें भुला दिया गया हैं। प्रधान मंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्री सहायता पहुंचा रहे हैं। सरकार द्वारा नियुक्त दल ने लक्षद्वीप को छोड़कर इन क्षेत्रों का दौरा किया है। मैं यह कह सकता हूं कि हमारी ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है। यदि केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्री या अन्य व्यक्ति लक्षद्वीप जाये तो वहां के लोग यह समझेंगे कि हमें भुलाया नहीं गया है।

2 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं और 50,000 रुपये प्रधान मंत्री राहत कोष से दिये गये हैं परन्तु यह राशि अपर्याप्त हैं।

द्वीप की अर्थव्यवस्था पूर्णतया नारियल-पेड़ों और मत्स्य पकड़ने पर निर्भर करती है परन्तु पेड़ नष्ट हो गये हैं और नौकाएं भी नष्ट हो गई हैं।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

कालपेनी द्वीप को कम से कम एक वर्ष तक मुफ्त राशन दिया जाये।

महामारी फ़ैल रही है इसलिये मुख्य प्रदेश से वहां डाक्टर भेज कर चिकित्सा सुविधा की जानी चाहिये।

मिट्टी-वैज्ञानिकों को वहां भेजा जाना चाहिये। जब तक वैज्ञानिक वहां जाकर यह परीक्षण नहीं करेंगे कि मिट्टी पुनरोपण योग्य है या नहीं तब तक पुनर्रोपण व्यर्थ होगा।

किसानों को बीज और खाद उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

मत्स्य नौकाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिये ताकि मछुए आजीविका कमाने की स्थिति में हो सके। मकान बनाने का सामान भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे सुझावों पर विचार करें। कालपेनी के निवासियों को रोजगार के मामले में अन्य लोगों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

जब कभी तूफ़ान आये तो उससे होने वाली क्षति को पूरा करने के लिये स्थायी कोष बनाया जाना चाहिये।

श्री के० रघुरामैया (गंटूर) : तूफ़ान के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका हैं। जहां तक आन्ध्र प्रदेश का सम्बन्ध हैं वहां दो क्षेत्र हैं। एक जहां मृत व्यक्ति हैं और दूसरा जहां लोग मरने की हालत में है। मैं लोगों की दूसरी श्रेणी को शामिल करता हूं। जिनका सर्वस्व लुट चुका है। धान, मिर्च, हल्दी, कपास आदि सब फ़सले नष्ट हो चुकी है। कुछ स्थानों पर लगातार दूसरे वर्ष तूफ़ान आया है।

कुछ स्थानों पर लगातार तीसरी बार लोगों की फ़सलें नष्ट हो गई हैं क्योंकि पहले वर्ष में कीड़ों से उनकी फ़सलें नष्ट हो गई थी।

18 तारीख को वहां के लोग अपने खेतों में गये थे तो बहुत बढ़िया फ़सल खड़ी थी परन्तु 19 तारीख को सब कुछ नष्ट हो गया।

इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार दोनों को ही मिलकर संसाधन जुटाने चाहिये और उपाय बताना चाहिये। आन्ध्र प्रदेश के 95 प्रतिशत किसान अपना सब कुछ गिरवी रख चुके हैं। राष्ट्रीय फ़सल बीमा योजना के सुझाव की मैं पूर्णतया पुष्टि करता हूं। केन्द्रीय और राज्य सरकार को इस प्रस्ताव की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए।

जनजीवन को अपार क्षति हुई है। यह संख्या दस हजार के लगभग है। हजारों लोग रोजगार के लिये अन्य स्थानों पर आकर बस गये हैं। मैं अनाथालयों के विचार का समर्थन करता हूं। जिन बच्चों के सभी घर वाले मर गये हैं उनके लिये अनाथालय बनाये जाने चाहिए। सरकार को भूमि से गाद और रेत हटानी चाहिये।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जिस किसान ने तीन वर्षों की अवधि में अपना सब कुछ गिरवी रख दिया है उसके लिये अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। बैंकों को इस ओर ध्यान देना चाहिये। उन्हें चाहिये कि किसानों से दिये गये धन पर वर्ष में एक बार ब्याज ले। राज्य सरकार को राजस्व उपकर भी समाप्त करना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्य : ऐसा कर दिया गया है।

श्री के० रघुरामैया : सब जगहों पर ऐसा नहीं किया गया है। मुझे बताया गया है कि सेनापल्ली तालुक में ऐसा नहीं किया गया है। इसलिये मैं यह बात सरकार के ध्यान में ला रहा हूं। कृपया या तो ऋण को बट्टे खाते डाल दीजिये या 6-7 वर्षों के बाद वापस लीजिये। नये ऋण दीजिये। गुंटूर जिले में सभी भवनों की छतें उठ गई हैं, कपास और तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 3000 रुपये लगाने पड़ते हैं और उन्होंने तीन सालों में प्रत्येक किसान ने प्रति एकड़ 9000 हजार रुपये लगा दिये। किसी-किसी के पास एक-दो एकड़ जमीन है। सरकार को तम्बाकू उत्पादकों को राज सहायता देनी चाहिये ताकि वे अपने कोठार बना सकें। किसानों को अपने ऊपर गर्व होता है और वे सरकार से स्वयं माँगना पसन्द नहीं करते। इसलिये सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे उनके गर्व को चूर न होने दें क्योंकि उनका गर्व सरकार का गर्व है और राष्ट्र का गर्व है।

श्री कुमरी अनन्तन (नागरकोइल) : आन्ध्र प्रदेश के तूफान-ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में कुछ कहने से पहले मैं तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा। यद्यपि नागपट्टीनम के आस-पास के क्षेत्रों में मिट्टी के तेल और चावल का वितरण ठीक ढंग से नहीं हो पाया है तथापि तमिलनाडु सरकार द्वारा राहत कार्य के लिये जो उपाय किये गये, उनके लिये वह बधाई की पात्र है। यद्यपि मैं तमिलनाडु सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों को कम नहीं बताता, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु की प्रशंसा इस लिये अधिक की जा रही है कि उसकी तुलना आन्ध्र प्रदेश से की जाती है जहाँ राहत

का कार्य अपेक्षित स्तर तक नहीं हो पाया है । मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कब किया ? मंत्रिमंडल की बैठक कब बुलाई गई ?

जो लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ तूफान प्रायः आते रहते हैं, उन्हें तूफान की सम्भावना होने पर उससे होने वाली हानि की विशालता, गंभीरता और उसके अन्य खतरों के बारे में पूरी जानकारी दी जाये जिससे वे इसके प्रति जागरूक हो जायें और कहे जाने पर ऐसे स्थान खाली कर दें । साथ ही परिवहन विभाग को ऐसे आदेश जारी करने चाहिये जिससे बसे ऐसे अवसर पर उचित काम कर सकें ।

श्री सी० सुब्रह्मणयम (पलानी) : महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र जिसका कुछ भाग मदुरै जिले में पड़ता है, अभूतपूर्व विनाश हुआ है । जब मैं निर्वाचन अभियान के दौरान वहां गया था तो वह क्षेत्र सूखे से प्रभावित था और वहाँ के लोग सिंचाई जल के साथ पीने के पानी की व्यवस्था किये जाने की मांग भी कर रहे थे । यहां पर यह चेतावनी दी गई थी कि एका-एक नदी में बाढ़ आयेगी । परन्तु वहाँ के लोगों ने इसे गम्भीर मामला न समझा और वहाँ से न हटे । बाढ़ इतनी भयंकर आई कि उस क्षेत्र में कोई भी मकान न बचा । वे इस बारे में बेखबर थे । मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं कि उसने प्रभावित लोगों की राहत के लिये सभी आवश्यक उपाय तत्काल किये और लोग उसके राहत कार्यों से संतुष्ट भी हैं । तिरुचि में भी भारी नुकसान हुआ है । वहाँ पाँच कालेज बिल्कुल नष्ट हो गये हैं । इन कालेजों को पुनः चालू करने के लिये तत्काल कार्यवाही की जाये। इन्हें यथाआवश्यक वित्तीय सहायता दी जाये ताकि वे शीघ्र खुल जाये और वहाँ पढ़ाई चालू हो जाये । मैं कृषि मंत्री को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह मिट्टी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और फसल विशेषज्ञों का एक दल गठित करें जो भूमि को उपजाऊ बनाने और किस किस्म की फसल बोई जा सकती है, इस बारे में अध्ययन करके कार्यवाही के लिये योजना बनायें । इसके लिये सभी आवश्यक सहायता दी जाये । भूमि को उपजाऊ बनाने की योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होनी चाहिये ।

जहाँ तक राज्यों को आर्थिक सहायता देने की बात है, तूफान-ग्रस्त राज्यों को वित्त आयोग के सूत्र के आधार पर वित्तीय सहायता न देकर उन्हें आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता दी जाये । क्योंकि जहाँ दैवी विपत्ती अभूतपूर्व है और वहाँ सहायता देने के लिये किसी पूर्व उदाहरण के आधार नहीं बनाया जाना चाहिये । कारण यह है कि कोई भी राज्य सरकार पुर्ननिर्माण, पुनर्वास और भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये आवश्यक इतनी बड़ी राशि खर्च करने की स्थिति में नहीं है । इस प्रयोजन के लिये सभी प्रकार के ऋण अर्थात् ब्याज-मुक्त ऋण, रियायती ब्याज ऋण और सामान्य दर ऋण लघु और दीर्घावधि के लिये दिये जाने चाहिये । ऋण की अवधि इस प्रकार से तय की जाये कि लोग उनका भुगतान सुविधापूर्वक कर सकें । राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को साथ-साथ बैठकर इस मामले से सम्बन्धित योजना बनानी चाहिये । यह मामला नौकर-शाही पर नहीं छोड़ना चाहिये । राहत कार्यों के साथ-साथ पुनर्वास, पुर्ननिर्माण और भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने के कार्य भी किये जाने चाहियें । इस मामले में राजनीति का प्रवेश नहीं होने देने चाहिये ।

श्री नागेश्वर राव मेदूरी (तेनाली) : आन्ध्र प्रदेश में तेनाली निर्वाचन-क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है । मैं अनुरोध करता हूं कि समुद्री लहरों और तूफान से प्रभावित लोगों को राहत दी जानी चाहिये । पहला काम यह किया जाना चाहिये कि पेय जल कुंओं से समुद्री जल निकाला जाना चाहिये ताकि ताजा जल निकल आये । दूसरा कार्य यह होना चाहिये कि समुद्री जल से

क्षारयुक्त हुई भूमि को क्षार रहित बनाया जाये और चिकित्सा-राहत के लिये डाक्टरों के विशेष दल भेजे जाने चाहियें। जिन लोगों के घर गिर गये हैं उन्हें घर बनाने के लिये ऋण दिया जाये। सरकार की ओर से पक्का स्थायी भवन बनाया जाये। जिनमें लोग ऐसे अवसरों पर शरण ले सकें। प्रभावित लोगों के शिक्षित युवकों को रोजगार दिया जाये तथा अन्य लोगों को रोजी कमाने के लिये स्वचालित रिक्शा आदि खरीदने के लिये ऋण दिये जायें। तटवर्ती सभी गाँवों को बड़ी सड़कों से जोड़ा जाये ताकि ऐसा मौका आने पर सभी गाँवों में बचाव दल भेजे जा सकें और राहत-कार्य ठीक से किये जा सकें। किसानों को भी शीघ्र ऋण दिये जाने चाहियें ताकि वे खेती के काम में तत्काल जुट जायें। इस दैवी विपत्ती में प्रभावित लोगों की सहायता राजनीति से ऊपर उठकर की जानी चाहिये।

श्री सी० एन० विश्वनाथन (तिरुपत्तूर) : महोदया, तमिलनाडु के लिये इस विपत्ती के समय भारतीय खाद्य निगम ने 50,000 टन चावल दिया। हमें थलसेना, वायु-सेना और नौसेना से ठीक समय पर सहायता प्राप्त हुई। तमिलनाडु की केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता के लिये हम केन्द्र को धन्यवाद देते हैं। भारत एक मानसून-प्रधान देश है और दक्षिण भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है। इस स्थिति में समुद्री तूफान कभी भी आ सकता है और विनाश कर सकता है। भविष्य में लोगों को ऐसी विनाशलीला से बचाने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या ठोस उपाय कर रही है?

अर्जनटीना में ऐसे तूफानों को समाप्त करने के लिये 'राकेट-फार्यरिंग मैथर्ड' का प्रयोग किया जाता है। ऐसा ही तरीका भारत में भी अपनाया जाना चाहिये जिससे तूफान वर्षा में बदलकर शान्त हो जाता है। हमें राष्ट्र संघ से भी यह अनुरोध करना चाहिये कि वह इस प्रयोजन के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करे। भारत सरकार को एक ऐसा वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन नियुक्त करना चाहिये जो इस बात का अध्ययन करे कि तूफानों से कैसे बचा जा सकता है। इस काम में मौसम विज्ञान को भी अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिये।

***श्री एन० कुन्दननई रामलिंगम** (कयूरम) : महोदया, तमिलनाडु का कावेरी डेल्टा जो राज्य का धान्यागार कहलाता है, हाल के तूफान से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। दुर्भाग्य से मेरा निर्वाचन क्षेत्र इस विनाशकारी तूफान का प्रमुख शिकार बना है। इस वर्ष तंजोर जिले के किसानों को केले, नारियल, चावल और धान पान के पत्तों की फसलें नष्ट हो गई है। लाखों खेतीहर मजदूरों की रोजी समाप्त हो गई है। हजारों पशुओं की जानें चली गई हैं। इस विनाश-लीला का वर्णन नहीं किया जा सकता। लाखों एकड़ भूमि रातों-रात अनुपजाऊ, बन गई है। तमिलनाडु की अन्ना-डी०एम० के सरकार ने जिस शीघ्रता से राहत-कार्य किया है, उसके लिये वह बधाई का पात्र है। राहत-कार्य में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिये। मैं भारतीय खाद्य निगम को निन्दा करता हूं कि वह 50,000 टन अनाज देने के लिये 7.5 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि माँग रहा है।

राहत कार्य में राष्ट्रीय कपड़ा निगम, राष्ट्रीय भवन निगम, आई०डी०पी०एल० तथा अन्य सरकारी औद्योगिक एककों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। राष्ट्रीय बैंकों प्रभावित लोगों को ब्याज-मुक्त ऋण देना चाहिये जिनसे उन्हें अपने पुनर्वास में सहायता मिले। इन अल्पावधि उपायों के अतिरिक्त नहर और नाली व्यवस्था की दीर्घावधि योजना भी तैयार की जानी चाहिये। जिससे कावेरी डेल्टा को भविष्य में समुद्र के कोप से बचाया जा सके।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का सहित हिन्दी रूपान्तर।

तमिलनाडु सरकार ने ध्वंसित अर्थ-व्यवस्था को ठीक करने के लिये 200 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है । केन्द्रीय सरकार को इसमें से 100 करोड़ रुपये तमिलनाडु को सहायता के रूप में देने चाहिये । इस राष्ट्रीय आपदा के समय केन्द्रीय सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर तमिलनाडु को सहायता करनी चाहिये ।

Shri L. L. Kappor (Purnea) : **

सभापति महोदया : अब माननीय मंत्री अपना भाषण शुरू करें ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : माननीय सदस्यों ने तूफान द्वारा दक्षिण-भारत में किये गये विनाश और क्षति संबंधी प्रस्ताव पर जो चिन्ता की है भारतीय सरकार उसमें भागीदार बनती है । आरम्भ में ही मैं सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि केन्द्रीय सरकार तूफान से पीड़ित लोगों के कष्टों को दूर करने और उनके पुनर्वास हेतु जो भी सम्भव होगा करेगी ।

हाँ, तूफान के बारे में मौसम संबंधी चेतावनी दिये जाने के बारे में एक विवाद खड़ा हो गया है । मेरे पास एक प्रेस-वक्तव्य है जो आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा जारी किया गया था और जिसमें यह स्पष्ट लिखा है कि जिलाधीशों और राज्य सरकार को आने वाले तूफान के बारे में चेतावनियाँ 17 तारीख से मिलने लगी थीं । दिनाँक 18 की शाम को 11.30 बजे यह स्पष्ट चेतावनी प्राप्त की गई थी कि तूफान की दिशा क्या होगी और उसकी गहनता क्या होगी । सामान्य प्रशासन विभाग के सम्बध अधिकारी ने तट के किनारे के नल्लोर से श्री काकुलम् तक के सभी जिलाधीशों से सम्पर्क करके यह बताया था कि तूफान बहुत ही विनाशकारी किस्म का है और उसके साथ तेज हवायें, वर्षा, और तूफानी लहरें भी आयेंगी और यह नेल्लोर से मछलीपटनम के बीच कहीं भी तट को प्रभावित कर सकता है । ऐतिहाती कार्यवाही के रूप में कलक्टरों को यह बताया गया कि वे सभी शिक्षा संस्थायें बन्द करदें, पशुओं को चरने की और मछली पकड़ने की अनुमति न दें और गाड़ियों के यातायात को भी बन्द कर दें । ऐसी ही अन्य रक्षात्मक कार्यवाही की गई ।

अतः यह कहा जा सकता है कि 18 तारीख को आधी रात तक तूफान के बारे में एक निश्चित सूचना प्राप्त हो गई थी और चेतावनी भी दे दी गई थी । परन्तु ऐसा लगता है कि प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को खाली कराने के बारे में कोई निश्चित चेतावनी नहीं दी गई थी । यदि ऐसी चेतावनी दे दी गई होती तो कुछ अधिक लोग मरने से बच सकते थे । मैं इसके लिये किसी को दोष नहीं देता और इस बारे में मैं राजनीतिक वाद-विवद में भी नहीं पड़ना चाहता ।

जहाँ तक तूफान से हुए विनाश का सम्बन्ध है, मैं इस बारे में पहले ही वक्तव्य दे चुका हूं और इस बारे में अधिक कुछ न कहूंगा हालाँकि विनाश के बारे में और भी जानकारी मुझे प्रतिदिन प्राप्त हो रही हैं । विनाश का जायजा लेने के लिये दो केन्द्रीय दल एक आन्ध्र प्रदेश को और दूसरा तमिलनाडु को भेजे गये थे । एक अन्य दल केरल को कल जा रहा है । पहले दो दलों के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर 5 दिसम्बर को एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई थी जिसमें सम्बद्ध राज्यों को सहायता देने पर विचार किया गया था । इसकी बैठक के बाद मैंने आज सवेरे वित्त मंत्री से इस बारे में विचार-विमर्श किया था और सभा को मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश को 75.13 करोड़ रुपये और तमिलनाडु को 33.91 करोड़ रुपये की सहायता तक की अधिकतम सहायता देने का निर्णय किया है । आन्ध्र प्रदेश को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है : 6 करोड़ रुपये लोगों के पुनर्वास के लिये, 2 करोड़ रुपये पशुओं के लिये, 13.50 करोड़ रुपये भोजन सम्बन्धी राहत के लिये और इसमें 45,000 टन चावल और 45,000 टन गेहूं भी सम्मिलित है।

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

केरल के लिये 2 करोड़ रुपयों की राशि की अन्तरीम सहायता दे दी गई है तथा केन्द्रीय दल की रिपोर्ट मिलने पर आगे सहायता देने पर विचार किया जायेगा । केरल को 1000 मीटरिक टन गेहूं रिलीज कर दिया गया है तथा 1500 मीटरिक टन गेहूं और रिलीज करने का विचार है।

पाँडिचेरी के लिये हमने अन्तरिम सहायता के रूप में 10 लाख रुपये मंजूर किये हैं । केन्द्रीय दल ने पाँडिचेरी के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है किन्तु अभी उन पर कोई निर्णय नहीं किया गया । लक्षद्वीप के लिये 2 लाख रुपयों की अन्तरिम सहायता मंजूर की गई है । हम अन्य सहायता भी देंगे ।

कल दो केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों पर विचार करने के लिये उच्च स्तरीय अन्नमंत्रालीय समन्वय समिति की बैठक बुलाई गई थी । यह विचार किया जा रहा है कि सहकारी समितियों द्वारा दिये गये अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदला जाये तथा मध्यावधि ऋणों को दीर्घावधि ऋणों में बदला जाये । इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है । वाणिज्यिक बैंकों को यह निदेश दिया जा चुका है कि वे इन क्षेत्रों में अधिक ऋण दें ।

तूफान-ग्रस्त व्यक्तियों को राहत देने तथा उन्हें बसने के लिये जीवन बीमा निगम तथा आवास और नगरीय विकास निगम को सहायता कार्य में जुटने के लिये कहा गया है। हम अपने विभाग से भी विशेषज्ञों का दल भेज रहे हैं। भूमि को खेती योग्य बनाने में सहायता देंगी ।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस बारे में हमारा साथ दिया है । आन्ध्र प्रदेश को लगभग 29 लाख रुपयों के मूल्य की दवाइयां दी गई है तथा तमिलनाडु को लगभग 5 लाख रुपयों के मूल्य की दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं । सेना की चिकित्सा भी मैदान में हैं तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयत्नों के फलस्वरूप अभी तक किसी महामारी की रिपोर्ट नहीं मिली है । सभी केन्द्रीय मंत्रालय तूफान ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता में अपना अपना योगदान दे रहे हैं । रेल मंत्रालय ने तूफान-ग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजने या ढुलाई माँफ कर दी है ।

सेना के तीनों अंगों ने तूफान ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य के लिये पूरी पूरी सहायता प्रदान की है । उन्होंने लोगों को पानी से निकालने, उन्हें औषधि पहुंचाने तथा पानी आदि सफाई करने में अत्यन्त सहायता की है ।

आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सीमेंट का अतिरिक्त कोटा दिया गया है तथा हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स ने एक लाख रुपयों के मूल्य की एक्सरे फिल्म देना स्वीकार किया है । इसके अतिरिक्त मंत्रालयों के कर्मचारी भी व्यक्तिगत रूप से राहत कार्य के लिये योगदान दे रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों, मित्र देशों की सरकारों तथा भारत में और विदेशों में स्वयंसेवी संगठनों ने इस कार्य के लिये सहायता दी है । जिन के हम अत्यन्त आभारी हैं । इंडियन रेड क्रास ने इस मामले में सराहनीय कार्य किया है। इस समय हमारा अनुमान है कि तूफान ग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिये भारत के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न, दवाइयां कपड़े आदि उपलब्ध हैं । अतः हमने उन देशों से जो राहत कार्य में योगदान देने के अधिक इच्छुक हैं यह निवेदन किया है कि यदि वे उर्वरक, पूर्व निर्मित मकान, मछली पकड़ने की नौकाएं आदि के रूप में हमें सहायता दें तो अधिक उपयुक्त होगा ।

इस दुःखद घटना से समस्त देश शोकाकुल हैं तथा हमें राजनीतिक, क्षेत्रीय दृष्टिकोण को त्याग कर इस स्थिति का मुकाबला करना होगा । मैं सभी माननीय सदस्यों तथा उनके माध्यम से समस्त देशवासियों से यह अनुरोध करता हूं कि तूफान ग्रस्त दक्षिण भारतीय बन्धुओं की सहायता तथा उनके पुनर्वास के कार्य में उदारता से योगदान दें ।

श्री के० रघुरामैया (गुंटूर) : मंत्री महोदय को फसल बीमा के बारे में क्या कहना है । **(व्यवधान)**

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं उनके प्रश्न का उत्तर दूंगा ।

डा० हेनरी आस्टिन : क्या यह सहायता योजनाबद्ध नियतन में से दी गई है अथवा योजनाबाह्य नियतन में से ?

श्री पी०एम० सईद : क्या सरकार ऐसी विपत्तियों के लिये एक स्थाई राष्ट्रीय निधि बना सकती है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: फसल बीमा के बारे में पहले भी अध्ययन किया गया था । वास्तव में ऐसी विपत्तियां देश में आती रहती हैं और यदि इनका कोई समाधान हो जाये तो बहुत उत्तम है।

अधिकांश सहायता अग्रिम योजना सहायता के रूप में दी गई है किन्तु इस बारे में अगले वर्ष भी ध्यान रखा जायेगा ।

जहां तक निधि बनाने का प्रश्न है इस बारे में पहले कमेटी और कमीशन नियुक्त किये गये थे । उन्होंने अपनी सिफारिशें दी थीं किन्तु भूतपूर्व सरकार ने निधि बनाने की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया था । इस बारे में भी कुछ किया जाना चाहिये ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मुझे प्रसन्नता है कि सभी माननीय सदस्यों ने इस विपत्ति को राष्ट्रीय विपत्ति माना है किन्तु मंत्री महोदय के इस कथन से मुझे दुःख हुआ कि इस सहायता को योजनाबद्ध नियतन में समेकित कर दिया जायेगा । इस प्रकार यह सहायता केवल काल्पनिक रह जाती है । विपत्ति की गंभीरता को देखते हुए हम सहायता राशि को अग्रिम नियतन मानना नितांत अनुपयुक्त है । मेरा अनुरोध है कि सरकार इस बारे में पुनः विचार करे तथा इस राशि को योजनाबद्ध नियतन के रूप में प्रदान करे ।

श्री पी० के० कोडियन : मंत्री महोदय का भाषण सुनकर हमें बहुत निराशा हुई है । स्वयं प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की थी कि इसे राष्ट्रीय विपत्ति माना जायेगा तथा धनराशि देने के बारे में कोई कठिनाई नहीं है । किन्तु मंत्री महोदय ने धनराशि का प्रश्न आने पर बड़ी कंजूसी दिखाई है । मेरा अनुरोध है कि इस सहायता राशि को शुद्ध अनुदान के रूप में दिया जाये ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि केरल और लक्षद्वीप के लिये कोई केन्द्रीय दल नहीं भेजा गया।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : टीम कल जा रही है ।

श्री पी० के० कोडियन : इतने दिन बाद जाने में क्या लाभ होगा । राज्य सरकार लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे।

सभापति द्वारा संशोधन संख्या 12 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 12 was put and negatived

सभापति महोदय : अब मैं मुख्य प्रस्ताव को मतदान के लिये रखती हूं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : जब सभा में इस बारे में मतैक्य है तो इसे मतदान के लिये रखने की क्या आवश्यकता है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह था कि इस पर सभा में पूरी चर्चा हो जाये । तथा माननीय सदस्य अपने सुझाव दे सकें । मेरे विचार से यह उद्देश्य पूरा हो गया है तथा मैं माननीय सहाय से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रस्ताव पर जोर न दे ।

श्री चित्त बसु : मैं इस आशा से अपना प्रस्ताव वापस लेने के लिये सहमत हूं कि सरकार सदस्यों द्वारा की गई इस मांग पर पुनर्विचार करेगी कि इस सहायता राशि को अनुदान के रूप में बदल दिया जायेगा । मैं सभा से अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया

The motion was by leave withdrawn

सभापति महोदय : अब मैं प्रस्ताव संख्या 13 के लिये श्री कल्याण सुन्दरम् के संशोधन को मतदान के लिये रखती हूं ।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

श्री पी० के० कोडियन : मुझे आशा है कि मंत्री महोदय राहत और पुनर्वास कार्य के लिये संसाधन जुटाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सर्वदलीय मशीनरी स्थापित करने के सुझाव पर पुनर्विचार करेंगे । उसके साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं ।

सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया

The motion was by leave withdrawn

[इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, 7 दिसम्बर, 1977/16 अग्रहायण, 1899(शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई ।]

[The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 7th December, 1977/Agrhayana 16, 1899 (Saka)].

MGIPRRND—CR. III N.—28LSS/77—1-3-78—200.